Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 40वां दिवस [संख्या 27

मंगलवार,
दिनांक 27 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, खनिज, सहकारिता, विद्युत्, चिकित्सा, राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, यातायात, उपनिवेशन, विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 770

श्री भैरूलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

तहसील सांचोर में लघु सिंचाई बांधों पर कार्य

771. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कई लघु सिंचाई बांधों के कार्य ए. पी., डी. पी. कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं ? अगर हां, तो वे बांध कब तक पूर्ण करवा दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त बांधों के लिये पक्के लोहे के गेट्स भी खरीदे गये थे ? अगर हां, तो कब व कितनी रकम अभी तक गेट्स की चुकाई गई है ? अब तक गेट्स बांधों पर क्यों नहीं लगवाये गये हैं ?

(3) उपरोक्त तमाम लघु सिंचाई बांधों पर गेट्स कब तक लगवा दिये जावेंगे ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां। ये कार्य वर्ष 1973-74 के अन्त तक पूरे होने की आशा है।

(2) जी हां। नवम्बर, 1971 तक गेट्स के लिए 7,11,188.90 रु. का भुगतान किया गया है। आवश्यकतानुसार बांधों पर गेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है।

(3) आशा है कि मार्च, 1974 तक इन सिंचाई बांधों पर आवश्यकतानुसार गेट्स लगवा दिये जावेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, खरीदे कब गये ?

Page No 2

श्री मूलचन्द : 27-11-71 तक रकम चुकाई गई है इसका अनुमान यही है कि इसी महीने में खरीदे गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : साल भर पहले गेट आ चुके थे और उसके बाद भुगतान भी कर दिया और बार-बार कच्चा बांध तोड़ कर के काम करवाना पड़ता है और तीन साल से कन्टीन्युअसली राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। तो जो गेट्स की रकम अदा कर दी है तो लगाने में क्या दिक्कत है ? क्यों नहीं लगाये जा रहे हैं ?

श्री मूलचन्द : इसमें टेक्नीकल बात है। जल निकास क्षमता के बारे में विचार किया जा रहा है इसलिए वह टेक्नीकल तरीके से सोच कर फिट किये जा रहे हैं और इसी में विलम्ब हो रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पहले रकम अदा कर दी और टेक्नीकल रिपोर्ट के आधार पर ही तो खरीदे गये और अब टेक्नीकली एग्जामिन की जा रही है यह कहां तक उचित है ?

श्री मूलचन्द : यह बात नहीं है। बात यह है कि जहां खरीदने का सवाल है वे खरीद लिये गये लेकिन अब लगाने का सवाल है कि कहां-कहां लगाये जायें और कितने लगाये जायें। यह प्रश्न दूसरा है लेकिन उसकी निकास क्षमता को देख कर इस पर सोचने की बात चल रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो गेट खरीदे वह नाप के अनुसार ही वहां के स्थानीय अधिकारियों ने मापदण्ड के अनुसार ही खरीदे। अब उसका री-एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है और वह अब आवश्यकतानुसार लग जाने चाहिये।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : 12 गेट लग रहे हैं और बाकी को इसी साल में लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के उत्खनन, ग्राइंडिंग तथा ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य

772. **श्री भानकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के उत्खनन ग्राइण्डिग तथा ट्रान्सपोर्टेशन के कान्ट्रेक्ट के अनुसार बीकानेर जिप्सम को अब तक किस-किस वर्ष में कितने-कितने माल के उत्खनन, ग्राइण्डिग एवं ट्रान्सपोर्टेशन के लिये कब-कब कितने-कितने रुपयों का भुगतान किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम ने कॉन्ट्रेक्ट की शर्तों के अनुसार निर्धारित स्थान पर मलवा नहीं डाला है ? यदि हां, तो मलवे का कुल अक्यूमुलेशन हो गया है और इस अक्युमुलेशन को हटाने के लिये कितने रुपये खर्च होने का अनुमान है ?

(3) विभाग द्वारा इस अक्यूमुलेशन को अब तक क्यों नहीं हटाया गया और हटाने के लिये खर्च की जाने वाली राशि की कटौती कम्पनी को किये गये भुगतान से क्यों नहीं की गई ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 3

(राज्य मंत्री)

(2) जी हां। अंशतः सही है। अक्यूमुलेटेड मलवे की सही मात्रा आंकी जा रही है। उसके पश्चात् ही उसको हटाने के अनुमानित खर्च का हिसाब लगाया जा सकता है।

(3) विभाग द्वारा मलवा हटाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि अभी तो गलत स्थान पर डाले हुए मलवे की मात्रा को ही तय करना है। अभी कम्पनी के दस हजार रुपये रोक लिये गये हैं तथा अन्तिम निर्णय मलवे की मात्रा निर्धारित होने पर लिया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह जो मलवा गलत स्थान पर रख दिया गया इसमें कुछ ऑफिसर्स की नैगलीजेन्स है क्या आपने उस नैगलीजेन्स को निर्धारित किया है ?

श्री जुझारसिंह : ऑफिसर की नैगलीजेन्स नहीं है। ऑफिसर्स इनको हमेशा टाइम टू टाइम कहते रहे हैं कि इसको गलत जगह पर डम्प किया जा रहा है। प्राब्लम यह है कि इतने बड़े मलवे को सही जगह पर डालने के लिये हैवी मशीनों की आवश्यकता होती है और वह उनके पास उपलब्ध नहीं थी और डिपार्टमेन्ट ने बी. जी. लि. को पाबन्द कर दिया कि जो मलवा गलत जगह पर पड़ा है उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है।

श्री भानकुमार शास्त्री : सवाल यह है कि मलवा सही स्थान पर डाला जाये यह डिपार्टमेन्ट ने सूचना दे दी फिर इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मैं समझता हूं कि उन्होंने स्थान देखा है और एक पहाड़ के पीछे फैंकना था उसको नहीं फैंक कर नैगलीजेन्स से यहां फैंका है।

दूसरा सवाल यह है कि कितने लाख टन मलवा है और यह जो आपने हिसाब दिया है उस हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें 1970-71 में 56,74,475 रुपये दिये हैं। 1971-72 में 86,73,236 रुपये दिये हैं और 1972-73 में 66,36,282 रुपये दिये हैं। मेरा कहना है कि ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज महंगे हैं, उस हिसाब से देखा जाये तो यह कम से कम 40-50 लाख रुपये का माल है और आपने बी. जी. वालों को चुकाते समय पैसे को क्यों नहीं रोका ?

श्री जुझारसिंह : अल्टीमेटली रोंग जगह पर मलवा पड़ा है उसको हटाने की जिम्मेदारी बी. जी. वालों की है और यह पैसा रोक भी दिया था पहले जैसा आपको अभी प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 10 हजार रुपये रोके हैं लेकिन एग्रीमेन्ट के 17वें क्लाज में ऐसा है कि जो डिस्प्यूटेड मामला है उसको आरबीट्रेशन के लिये रेफर किया जाता है और उसके फैसले पर निर्भर करता है। जहां तक मलवे का प्रश्न है वह मलवा कम बताते हैं और हम उसको ज्यादा आंक रहे हैं—यह पाइन्ट ऑफ डिस्प्यूट है इसलिये कितना मलवा है इसके बारे में निर्णय नहीं हो जाता तब तक नहीं कहा जा सकता कि कितना मलवा हटाना है।

Page No 4

श्री भानुकुमार शास्त्री : पूरा का पूरा पहाड़ गलत स्थान पर डाल दिया है। मैं समझता हूं कि लगभग 300 फुट इधर और 400 फुट उधर और 150 फुट ऊंचा है। इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है और मेरा अनुमान है कि 8 लाख टन से कम नहीं होगा।

श्री जुझारसिंह : यह हम सीरीयसली ले रहे हैं और बराबर पाबन्द किया जा रहा है कि मलवे की कास्ट देदी है। अब उनके पास मशीनरी उपलब्ध हो गई है। यह थोड़ा बहुत हटाने भी लग गये हैं इसलिये जहां तक इसकी सीरियसनेस का सवाल है डिपार्टमेन्ट इसको सीरियस लेता और इसके बारे में हम जागरूक हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रश्न इस बात का है कि ....

श्री अध्यक्ष : This point has been discussed so many times here.

श्री भानुकुमार शास्त्री : लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर आना चाहिए कि इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है। लाखों रुपयों का जुर्माना करना चाहिए यहां 10 हजार रख कर क्या करेंगे उनका ? ऐसा लगता है कि या तो मिनिस्ट्री लेवल उनसे मिला हुआ है जब कि ऑफिसर्स और इन्जीनियर्स गवर्नमेन्ट को लिख रहे हैं कि यह गलत स्थान पर डाल रहे हैं फिर भी एक्शन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पाइन्टेडली सवाल पूछिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो यही पूछ रहा हूं कि 10 हजार रुपया रोकने से क्या फायदा है ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं पाइन्टेडली एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। वह यह कि एक सामान्य बुद्धि के आदमी को यह स्पष्टतया दिखाई प्रतीत होता है कि इसमें नेगलीजेन्स है। मंत्री महोदय भी इसको एक हद तक मानते हैं। जब यह नेगलीजेन्स है तो क्या सरकार इस बारे में कुछ करना चाहती है और करना भी चाहती है तो वेट एण्ड वाच की पॉलिसी अख्तियार करके नेगलीजेन्स को प्रोत्साहन और बढ़ावा क्या सरकार नहीं दे रही है ? कुछ समझ में नहीं आता मंत्री महोदय, आपने जो प्रकाश डाला है वह बिलकुल ही असन्तोषजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि आप बिलकुल दबी जुबान में बोलते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि नेगलीजेन्स को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं या कम कर रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई बार डिस्कस हो गया है। पिछले दिसम्बर माह की 18-12-72 तारीख को भी स्पेशली इसी पाइन्ट को डिस्कस करने के लिए बी. जी. के जनरल मैनेजर और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट और चीफ सेक्रेट्री की मीटिंग बुलाकर इस मलवे के बारे में बातचीत की थी और उनको पाबन्द कर दिया कि स्पेसीफाइड पीरियड के अन्दर इस मलवे को हटा दे नहीं तो डिसक्शन किया जायेगा और चार्ज किया जायेगा। मलवे की क्वान्टिटी के बारे में अभी तय करना है। वह कहते हैं कि मलवा पुराना है और वह कहते हैं

(श्री जुझारसिंह)

कि जितना प्रांक रहे हैं उतना नहीं है। टैक्नीकल पाइन्ट है। बाकी जितना मलवा है उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है और हम हटायेंगे और इसके लिए स्पेसीफाइड पीरियड कर दिया है। चार साल का मलवा है वह एक दिन में तो नहीं हटाया जा सकता। हम भी सीरियस हैं और स्पेशल मीटिंग बुलाई गई उसमें गवर्नमेन्ट के चीफ सेक्रेटरी और डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और उन्होंने स्पेसीफाइड पीरियड दे दिया जिसके बीच में इनको मलवा हटाना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री मोहनलाल छंगाणी!

भूतपूर्व कोटा नरेश द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति को भूमि का बेचान

773. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) एवं **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व कोटा नरेश श्री भीमसिंह ने दो गृह निर्माण सहकारी समितियों को अपनी भूमि का विक्रय किया है? अगर हां, तो किन-किन को, कितने-कितनी रुपयों में कितनी-कितनी भूमि?

(2) उपरोक्त समिति के कुल कितने व कौन-कौन सदस्य हैं तथा उनका पूरा पता क्या है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति के लिए एवरेस्ट कम्पनी के माध्यम से भूमि का विक्रय किया गया है व उसके लिए एडवांस प्राप्त किये हैं? अगर हां, तो किस-किस से कितने-कितने रुपये कितनी-कितनी भूमि के लिए?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सहकारिता विभाग ने कोई कार्यवाही की है? अगर हां, तो क्या, कब व क्यों?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह): (1) जी हां। भूतपूर्व कोटा नरेश श्री भीमसिंह ने निम्न दो गृह निर्माण सहकारी समितियों को अपनी भूमि उनके सामने अंकित राशि में विक्रय की:—

नाम समिति	भूमि	मूल्य
1. श्रीनाथ गृह निर्माण स. स. लि.	32,67,370 वर्गफीट	24,50,530
2. श्री गृह निर्माण स. स. लि.	3000000 वर्गफीट	3000000

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। दैनिक राष्ट्रदूत में उक्त समितियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित होने पर दोनों समितियों के लिए राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत जांच अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 16-11-72 को की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

Page No 6

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला (जयपुर, किशनपोल) : सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत जो गृह समितियों का रजिस्ट्रेशन होता है उनके लिए क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें यह शर्त है कि उनके पास मकान नहीं है, खाली जमीन उपलब्ध है, तभी रजिस्ट्रेशन हो सकता है ?

श्री जुझारसिंह : जी हां।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय ! मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या जो जमीन बेची महारावल कोटा ने यह पहले काश्त की भूमि थी।

दूसरा प्रश्न क्या इस भूमि पर पहले सिनेमा भवन बनाने की परमीशन मांगी गई थी ?

तीसरा प्रश्न क्या इस काश्त की भूमि को कन्वर्ट करने के लिए जिन आदमियों को यह जमीन बेची गई, उसमें सरकार की कोई सांठगांठ रही है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काफी डिटेल में यहां सदन में डिस्कस हो चुका है। माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने इस पर काफी क्लेरीफाई कर दिया है। और मुख्य मन्त्री भी क्लेरीफाई कर चुके हैं। यह बात गलत है कि यह जमीन कन्वर्ट करने का प्रश्न था। यह आलरेडी आबादी की भूमि थी। इसलिए जहां तक कृषि भूमि को बेचने का सम्बन्ध है वह कृषि भूमि नहीं थी, आबादी भूमि है।

जहां को-आपरेटिव सोसायटी का संबंध है, हमें दो बातें देखनी पड़ती है। एक तो यह कि जमीन जिसके लिए सोसायटी रजिस्टर होनी है वह आबादी लैण्ड हो, तो यह आबादी लैण्ड थी।

दूसरा सोसायटी ऐसे आदमियों की बनावें जिनके पास खुद का कोई मकान रहने का नहीं हो। इस प्रकार के आदमियों की सोसायटी रजिस्टर्ड की जाती है....

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जिस समय मर्जर हुआ और जो इन्वेन्ट्री बनी उसमें यह काश्त की भूमि थी या आबादी की भूमि थी ?

श्री जुझारसिंह : जिस दिन को-ऑपरेटिव सोसायटी बनी उस दिन काश्त की भूमि नहीं थी, आबादी भूमि थी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इन्वेन्ट्री की कॉपी मेरे पास है, अगर माननीय मन्त्री इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। कोटा महारावल की जो लैण्ड है उसके अन्दर यह कोई पौने 63 लाख वर्गफीट जमीन आबादी लैण्ड में शामिल नहीं है, वह काश्त की जमीन है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप इन्वेन्ट्री में दिखा दीजिए कि कहां आबादी लैण्ड है।

श्री जुझारसिंह : मुझे इन्वेन्ट्री देखने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को बहुत बार क्लेरीफाई किया जा चुका है, इस हाउस के अन्दर और काफी डिस्कस हो चुका है....

Page No 7

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : जहां तक यह प्रश्न है कि यह आबादी लैंड है या काश्त की भूमि है इस प्रश्न का सम्बन्ध रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है और माननीय सदस्य इस बारे में क्लेरीफिकेशन चाहते हैं तो वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मांगें। जहां तक को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सवाल है उस पर को-ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और उस सम्बन्ध में पोजीशन क्लीयर कर दी गई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मन्त्री महोदय से। मन्त्री महोदय यह बतावें कि जब सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो किस आधार पर एप्लीकेशन दी सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की। कौन-कौन उसके मेम्बर थे और उसमें क्या-क्या फैक्ट्स दिए गए थे। किन-किन आदमियों के पास जमीन नहीं है उनका उल्लेख किया गया है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया गया है यह बताने का कष्ट करें।

श्री झुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मैम्बर इस सोसायटी के सदस्य बने हैं उनकी मैंने लिस्ट दे दी है जो आपके पास है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसमें तो सारे करोड़पति और लखपति हैं, सबके बड़े-बड़े बंगले हैं।

श्री झुझारसिंह : जो भी हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा चार्ज है कि यह सब सांठ-गांठ से रजिस्ट्री हुई है। यह सारा का सारा काम स्टेम्प ड्यूटी से बचने के लिए और जो सीलिंग आ रही है, अरबन सीलिंग इससे बचने के लिए यह कार्यवाही की गई है। यह हमारा चार्ज है और सच्चा चार्ज है। जो भी इसमें तथ्य दिए गए हैं, वे सब झूठे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक प्रश्न। क्या स्टेम्प ड्यूटी दी गई है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : बिना स्टेम्प ड्यूटी के बेच दी है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे।)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : स्टेम्प ड्यूटी सेलर को देनी पड़ती है परचेजर को नहीं। अगर को-ऑपरेटिव सोसायटी है तो भी स्टेम्प ड्यूटी से नहीं बच सकते।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये तो बच गए हैं साफ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहले ही बेचान हो चुका था। उसके बाद सोमानी ने देखा कि टैक्स देना पड़ेगा तो सोसायटी बना ली और सोसायटी बना कर ट्रांजिक्शन हुआ गलत ढंग से।

श्री झुझारसिंह : यहां तो को-ऑपरेटिव सोसायटी से सम्बन्धित ही प्रश्न पूछ सकेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : को-ऑपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से हुआ यही तो हम जानना चाहते हैं। जिनके पास मकान हैं, तीन-तीन और दस-दस मंजिले मकान हैं उन लोगों ने आपको यह सारी लिस्ट दी है। उनमें से कइयों को तो हम व्यक्तिशः जानते हैं कि उनके मकान हैं। उनका गृहहीन होना कैसे मान लिया गया ?

Page No 8

श्री जुझारसिंह : इन सब लोगों का डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि इनके पास मकान नहीं हैं। इसके बाद में जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके पास मकान हैं तो फिर भी इसकी जांच हो रही है और हमने इन्क्वायरी ऑफिसर इस पर अपॉइन्ट किया हुआ है। इसके बाद में अगर डिक्लेरेशन झूठे हैं तो....;

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम तो जांच की नहीं कहते। हमारी मांग तो यह है कि जब तक जांच पूरी न हो जाय यह बेचान रद्द माना जावे। बेचान इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो लिस्ट दी है आपने उसमें कई लखपति हैं। ये मिस्टर बोहिती और ये मिस्टर रोहिती, इन दोनों के पास लाखों की प्रोपर्टी है। ये मिस्टर रणथावा, और यह गोपाल इन्डस्ट्रीज कोटा। ये स्वयं लाखों रुपयों की सामग्री बनाते हैं। यह मिस्टर मालपाणी। इस तरह से सारा मलबा पूंजीपतियों का इकट्ठा करके को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाई गई है जिनके पास लाखों की जमीन जायदादें हैं उनको बेचान किया गया है गलत ढंग से। इसलिए हमारी स्पेसिफिक मांग है कि जब तक जांच पूरी न हो जाय यह बेचान इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। यह आप सदन में आश्वासन दीजिए।

श्री अध्यक्ष : जल्दी से दीजिये और भी सवाल हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री सम्पतराम (खेरवल) : मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये।

श्री सम्पतराम : को-ऑपरेटिव सोसायटी रजिस्टर करने से पहले अलग-अलग स्तर पर जांच होती है। यदि कोई नेसेसरी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं तो क्या सरकार अपनी तरफ से इस प्रकार की को-ऑपरेटिव सोसायटी को बोगस डिक्लेयर नहीं कर सकती ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध है इन लोगों ने इस तरह का आश्वासन दिया है कि उनके पास मकान नहीं है। अब यह माननीय सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहे हैं कि उनके पास मकान हैं तो मेरी जानकारी में तो नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गोपाल इण्डस्ट्री को तो आप भी जानते हो। आप भी कोटा के हो। कोटा की यह बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है।

श्री जुझारसिंह : उन्होंने अगर गलत डिक्लेरेशन दिया है तो एक्शन लिया जाएगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सोसायटी बोगस है और बोगस ट्रांजेक्शन हुवा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। जो सोसायटी बनी और यह ट्रांजेक्शन हुआ तो इसमें कोटा महारावल को साई क्या दी गई है ? जो आप यह 30 लाख का ट्रांजेक्शन बता रहे हैं उसमें एडवान्स कितना दिया गया ?

श्री जुझारसिंह : एक लाख रुपया दिया बताया गया है....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ ?

श्री जुझारसिंह : कोटा में।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कोटा में किस जगह ?

एक माननीय सदस्य : कोटा महारावल के घर पर।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक रात में सारा ट्रांजेक्शन हुआ है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय जो भी काम हुआ है वह गलत ढंग से, हमारी नीतियों के विरुद्ध हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यह ट्रांजेक्शन इफेक्टिव नहीं होना चाहिये। हमारी सरकार को इसका आश्वासन देना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने इन्क्वायरी ऑफिसर किसको बनाया है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : जिन सोसायटीज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिये स्टेम्प ड्यूटी माफ है, जिनको यह छूट है उनके लिये पहली नैसेसिटी यह है कि उनके पास मकान नहीं है। इसकी जांच होनी जरूरी है। डिक्लेरेशन देना भी पर्याप्त नहीं है, यह नैसेसिटी है कि उनके पास मकान नहीं हो। तो इसकी जांच हुई कि नहीं, यह बता दीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जांच से क्या होता है, जांच का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा अगर लैंड ट्रांसफर हो गई और मकान बन गए।

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मंत्रीजी !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, एक प्रश्न। यह जो ट्रांजेक्शन सोसायटी निर्माण होने का और उसका रजिस्ट्रेशन होने का यह ओवर नाइट में ट्रांजेक्शन हुआ है जो शैडी है, डाउटफुल है। मेरी जानकारी के अनुसार कोटा रूलर को कांग्रेस में शामिल करने के लिये ओवर नाइट यह ट्रांजेक्शन किया गया है और इसके पीछे यही बैक ग्राउण्ड है। इसमें सेन्टर के किसी मिनिस्टर का हाथ है....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम भी कांग्रेस के हैं और कांग्रेसी होने के नाते ही यह प्रश्न उठा रहे हैं, इसमें कांग्रेस में शामिल होने की बात नहीं है। हम यह जानते हैं कि इस प्रकार कांग्रेस में शामिल करने के लिये कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : एक पोइन्ट को एक दफा ही कहें, कितनी दफा दोहरायेंगे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पोलिटिकली उठाया गया है। माननीय भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्णकुमार गोयल ने ही यह प्रश्न उठाया था....

श्री अध्यक्ष : आप तो इनक्वायरी के बारे में फरमावें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम तो अध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि इनक्वायरी के बारे में आश्वासन दिलाया जाये।

श्री जुझारसिंह : इन्क्वायरी ऑफिसर को अपाइन्ट किया है....

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : 16-8-72 को इन्क्वायरी ऑफिसर को नियुक्त किया गया है ...

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज को जांच करने के लिये कहा जाए नहीं तो दूसरे अधिकारियों पर प्रभाव पड़ सकता है। किसी के पास भूमि है, किसी के पास मकान हो तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिये। यह क्रिमिनल केस बनता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो ट्रान्सफर हो रहे हैं उनको भी रोका जाना चाहिये।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा हुआ तबका सोसाइटीज बनावें क्योंकि उनको आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। इसी तरह से हाउसिंग या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उनको लाखों रुपयों के कन्सेशन दिये गये हैं। इन सोसाइटीज को ऋण देने में भी सुविधा दी गई है, उसके ब्याज में भी सुविधा दी गई है और चाहे वह स्टाम्प ड्यूटी को माफ करने का प्रश्न हो, की गई है। जिस चीज का परमिट मिलता है उनमें भी को-ऑपरेटिव सोसायटीज को प्रायोरिटी दी गई है परन्तु इससे तो यह सारा उद्देश्य ही खतम हो जाता है। इसमें असलियत क्या है यह तो मुझे नहीं मालूम परन्तु इससे यह स्पष्ट है कि सहकारिता का उद्देश्य स्पष्ट ही समाप्त हो रहा है। यदि लखपति, करोड़पति सहकारी समितियां बना कर आ जावें, औद्योगिक सहकारी समितियां बनावें, गृह निर्माण सहकारी समितियां बनावें, सामूहिक खेती की समितियां बनावें तब यह कैसा सहकारी आन्दोलन हो सकता है ? इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाए। ऐसे लोगों ने सहकारिता को अपने काम के लिये अपना लिया है।

श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : एक प्रश्न करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि क्या कोई शिड्यूल कास्ट के लिये भी प्लाटस् काटे गये हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : सहकारिता मन्त्री !

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री **हाजी जानमोहम्मद** : यहां पर बार-बार यह कहा जा रहा है कि करोड़पति हैं, मालदार हैं उनका कोई फार्म है परन्तु, उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह क्या है ? नाम भी बताया जाए।

श्री **नारायणसिंह** : सहकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा को 6-11-72 को इन दोनों सोसाइटीज के बारे में जांच करने का आदेश दिया गया था। यदि माननीय सदस्यगण उससे सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उच्चस्तर पर....

श्री **मोहनलाल छांगाणी** : रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसायटीज से करा दीजिए....

श्री **नारायणसिंह** : रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज, जयपुर के द्वारा करा देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप घोषणा करें। कर देंगे यह नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसके अलावा और क्या कहेंगे यहां पर।

श्री हरिदेव जोशी : इस डिस्कशन को देख कर गवर्नमेन्ट यह उचित समझती है कि इन सारी समितियों की इन्क्वायरी रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज द्वारा हो और वे जो भी उचित एक्शन हो, वह लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह रिपोर्ट कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

सोयत–पिड़ावा सड़क

774. श्री **हाजी जानमोहम्मद** (पिड़ावा) एवं श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोयत, पिड़ावा रोड़ की हालत बहुत खराब है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर इस वर्ष मरम्मत का कार्य चल रहा था परन्तु बन्द कर दिया गया है जब कि साइट पर सारा मेटेरियल पड़ा हुआ है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क का कार्य चालू रखने हेतु मंत्री महोदय एवं चीफ इन्जीनियर के आदेश होने पर भी कार्य बन्द कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? अब सड़क का कार्य कब चालू होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) सड़कों की दशा साधारण है।

(2) जी हां, अर्थाभाव के कारण।

(3) स्वीकृत धनराशि से अधिक कार्य होने के कारण कार्य बन्द कराया गया है। धनराशि प्राप्त होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में काम आरंभ कर दिया जाएगा।

श्री हाजी जानमोहम्मद : सदरे मोतरम, यह अजीब स्थिति है। पिछले सदन में भी इसके लिए आश्वासन दिया गया था। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि वहां पर सड़क की हालत खराब है और उस पर चलना भी मुश्किल हो रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : इसका काम अप्रेल में शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री हाजी जानमोहम्मद : पक्का वायदा है। पहले भी काफी वायदे किये गऐ हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जब भी वायदा किया है तो उसे पूरा किया है।

श्री हाजी जानमोहम्मद : बहुत शुक्रिया।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर, पूर्व) : अध्यक्ष महोदय जो सड़क बनायी जा रही है....

श्री अध्यक्ष : आपका क्या सम्बन्ध है ?

श्री माणकचन्द सोगानी : मेरा सम्बन्ध सड़क से है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर कान्ट्रेक्टर्स को सड़क की मरम्मत का कार्य दिया जाता है, वहां पर रात के वक्त में लाल लाइट लालटेन

Page No 12

(श्री माणकचन्द सोगानी)
जलाई जानी चाहिए ताकि एक्सीडेन्ट नहीं हो। आज इसके अभाव में कई एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। इसलिए यह हिदायत देना बहुत जरूरी हो गया है।

श्री हरिदेव जोशी : धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन !

लूनी नदी पर बांध

775. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लूनी नदी पर पाली जिले में बांध बनाये जाने के कारण जोधपुर जिले के लूनी, बाड़मेर जिले के सिवाना, बालोतरा, गुढ़ा एवं जालौर जिले के सांचोर में पानी पहुँचने में बाधा पैदा होने के कारण विधान सभा में सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर एक सदस्य समिति श्री मोतीराम, भूतपूर्व चीफ इन्जीनियर, सिंचाई विभाग का निर्माण उपरोक्त तथ्यों की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने किया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच की रिपोर्ट उक्त समिति ने राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी ? यदि हां तो कब ?

(3) राज्य सरकार ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया तथा उक्त रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

राज्य मंत्री, सिंचाई, (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां।

(2) जी हां। रिपोर्ट जून, 1971 में प्रस्तुत की गई।

(3) मोतीराम कमेटी की मुख्य सिफारिश को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट को कब स्वीकार किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद पाली जिले में अकालराहत कार्यों के अन्तर्गत बांध बनाए जा रहे हैं। क्या राज्य सरकार इनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री मूलचन्द : कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं वह स्पष्ट की हैं ऐसे स्थानों पर जो कि केचमेन्ट को इन्टरसेप्ट करते हों, उसके लिए समिति की जो सिफारिशें हैं उनको 7 मार्च को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : 7 मार्च को स्वीकार कर लेने के बाद गवर्नमेन्ट ने क्या इन्स्ट्रक्शन दी है कि पाली जिले में बांध नहीं बनाए जाएं। क्या इस प्रकार की कोई इन्स्ट्रक्शन जारी की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि कोई नया काम नहीं कराया जाए। जहां पर 75 फी सदी काम पूरा हो गया है या कम्पलीशन के आसपास है तो उसको पूरा किया जाएगा परन्तु कोई नया काम नहीं कराया जाएगा। यह साफ तौर से लिख दिया है। यह साफ लिख दिया गया है कि सारी बांध क्षेत्र में कोई काम नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया गया है । इस रिपोर्ट को टेक्नीकल फिजीविलिटी के आधार पर भविष्य में क्या होगा यह कृपया स्पष्ट कहें ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दस साल तक इस केचमेन्ट एरिया में कोई काम नहीं होगा । और इस रिपोर्ट के मुताबिक दस साल तक हम कोई काम नहीं करने जा रहे हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत से काम ले लिए गए हैं । कम से कम ये आदेश दिए जाएं कि इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इनको बंद कर दिया जाए ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : थोड़े बहुत कम हुए हैं उनको भी बंद कर दिया है । वहां अब काम नहीं करेंगे ।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मोतीराम कमेटी की यह सिफारिश है कि नीचे के लोगों को कोई नुकसान न हो । बाड़मेर, जालोर और नागोर के लिए नर्बदा की स्कीम बन रही है और दूसरे जिलों के लिए गंगा का पानी आ रहा है और पाली जिले के अन्दर वहां पर जो बांध है उन सब को बन्द करते हैं तो वहां के लोग प्यासे मर जाएंगे । इस कैचमेन्ट के अन्दर जो गांव बसे हुए हैं वहां पर दो महीने के बाद पानी की एक बूंद नही मिलती है । इसी तरह से पाली जिले की तलहटी में जो गांव बसे हुए हैं, बरसात के दिनों के बाद वहां पर पानी अवेलेबल नहीं होता है । दस महीने तक पानी के लिए उनको तकलीफ रहती है । इसके लिए तो व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको पीने का पानी मिल सके । नीचे के लोगों को पानी मिले इसमें कोई एतराज नहीं है किन्तु जो वहां पर छोटे नदी-नाले हैं, उनको तो बांधा जाना चाहिए वरना ये गांव उजाड़ हो जाएंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नर्बदा का पानी आवे तब सारे बांध बंधवा लेना ।

श्री वृद्धिचंद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न रखा गया है कि नर्बदा का पानी लाया जा रहा है इसके लिए कब तो स्कीम बनेगी, कब पानी वहां पर आएगा और कब वह एरिया सिंचित होगा, यह तो बहुत लम्बी अवधि की बात है । परन्तु पाली जिले में यह जो बांध बन जाएंगे तो सारा बाड़मेर, जालोर, जोधपुर जिले का लूनी एरिया वह बर्बाद हो जाएगा । वहां के कुओं में कतई पानी नहीं है । इसलिए इसके बारे में मोतीराम कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उस पर जो निर्णय लिया गया है उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और सख्ती के साथ यह क्रियान्वयन होना चाहिए ।

श्री दिनेशराय डांगी : परन्तु पाली जिले के लिए पानी की व्यवस्था भी पहले की जानी चाहिए ।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि लूनी नदी पर कोई बान्ध न बान्धा जाय और राज्य सरकार ने मोतीराम कमेटी ने जो निर्णय लिया है वह केवल लूनी नदी पर बान्ध नहीं बन्धने के मुतल्लिक है या पूरे पाली जिले की नदियों व नालों को नहीं बान्धने के बारे में है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पाली जिले में कोई पानी की कमी नहीं आयेगी क्योंकि वहां जवाई का बान्ध है।

श्री मोहनराज : जिस जवाई बान्ध का हवाला दिया गया है वह सारा पानी बान्ध का पीने के काम में आता है। मैं छोटे नदी-नालों की बात करता हूं जिनका कोई लूनी नदी से सम्बन्ध नहीं है, वह मिलती नहीं है। अगर इन पर रोक लगा दी जायगी तो वहां पर पाली जिले को क्या आप जैसलमेर का रेगिस्तान बनाना चाहते हैं। यह उससे होगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपस में झगड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

जेबरा कण्डक्टर की खरीद

776. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1968 में राजस्थान विद्युत् मण्डल ने यूनिवर्सल केबल्स, सतना से 220 के. वी. लाइनों के लिए जैबरा कण्डक्टर खरीदे ? यदि हां, तो कितनी कीमत के और इनकी सप्लाई कब हुई ?

(2) क्या उक्त सप्लाई का कोई कान्ट्रेक्ट पार्टी से हुआ था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खरीद टेण्डर सिस्टम से हुई थी यदि हां, तो प्राप्त टेण्डर्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह कण्डक्टर काम में आ रहे हैं ? यदि यह काम में आने लायक नहीं हैं तो पार्टी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां। दो आर्डर लिये गये जिनकी कुल कीमत 1.54 करोड़ रुपये थी कण्डक्टर की सप्लाई 550 किलोमीटर दिनांक 12-6-68 तक एवं 950 किलोमीटर दिनांक 18-3-69 तक हुई।

(2) जी हां।

(3) जी हां। तुलनात्मक विवरण की प्रति संलग्न है।

(4) जी नहीं। कुल 21 ड्रम्स काम में लिये गये। पार्टी के विरुद्ध आर्बीट्रेशन में केस फाइल कर दिया गया है एवं अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्राप्त हो गये हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह जो फिफ्टीन्थ नम्बर का टेन्डर है उसको कैसे लिया गया ? दूसरा प्रश्न यह है कि आर्बीट्रेशन को मूव कब किया ?

श्री हरिदेव जोशी : लगभग 6 महीने हुए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पांच साल तक क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : सैन्ट्रल वाटर पावर कमीशन ने दिया है।

श्री केदारनाथ : होली है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : परचेज ऑर्डर किसने दिया था ?

श्री हरिदेव जोशी : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने।

श्री पी. के. चौधरी : बोर्ड की मीटिंग में पेश हुआ था ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। सी. डब्ल्यू. पी. कमीशन की राय भी ली गई थी।

श्री पी. के. चौधरी : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की फार्मल मीटिंग में जिसमें ऑफिशियल और नान-ऑफिशियल मेम्बर्स होते हैं, उनकी मीटिंग में यह पेश हुआ था ?

श्री हरिदेव जोशी : जो ऑर्डर देने की ऑथोरिटी है उन्होंने दिया था। बोर्ड ने इसको फाइनल किया था और सी. डब्ल्यू. पावर कमीशन की सलाह से।

श्री पी. के. चौधरी : Who was the competent authority for passing the order ?

श्री हरिदेव जोशी : बोर्ड !

श्री पी. के. चौधरी : गलत बात कहते हैं। बोर्ड को कोई पावर नहीं है। बोर्ड ने पावर डेलीगेट कर रखी है : Powers are delegated to certain officers to make the purchases, who made this order ?

श्री हरिदेव जोशी : बोर्ड।

श्री पी० के० चौधरी : No, I want to know the name of the officer who passed the order.

श्री हरिदेव जोशी : इतने बड़े ग्लोबल टेन्डर इन्वाइट किये जाते हैं तो वह बोर्ड के लेवल पर ही स्क्रूटिनाइज किये जाते हैं और सी० डब्ल्यू० पी० सी० से स्क्रूटिनाइज होकर फिर ऑर्डर दिया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : फाइल पर किस ने ऑर्डर दिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : It is insignificant.

श्री पी. के. चौधरी : इन्सिग्नीफिकेन्ट कैसे है। The board itself does not make the purchases.

इसमें हरेक ऑफिसर को परचेजिंग के डेलिगेटेड पावर्स हैं कि एक करोड़ तक की फलां करेगा और 50 लाख तक को फलां करेगा। तो 1 करोड़ 54 लाख का ऑर्डर था तो हू पास्ड देट ऑर्डर ? यह बता दें आप ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई राजस्थान का प्रश्न नहीं....

श्री पी. के. चौधरी : आप बता दें नाम। बताते क्यों नहीं हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य थोड़ा सा ढंग से बात करेंगे तो मुझे वह नहीं है....

श्री पी. के. चौधरी : ढंग से ही पूछ रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यही कहना चाहता हूं कि ग्लोबल टेन्डर्स, जो वर्ल्डवाइज टेन्डर्स होते हैं उनको एक ऑफिसर डील नहीं करता है, बल्कि वह हर लेवल पर

(श्री हरिदेव जोशी)

जाता है यहां तक कि यहां बोर्ड के लेवल पर ही नहीं बल्कि सी. डब्ल्यू. पी. सी. के लेवल पर भी जाता है और जब वहां से फाइनेलाइज होता है तब उसको फाइनल करते हैं, this has been done at all levels.

श्री पी. के. चौधरी : I want to know who passed the order.

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : जिस प्रकार के कन्डक्टर्स डिफेक्टिव थे तो डिफेक्ट की जानकारी सर्वप्रथम कब मिली ? सबसे पहला पाइन्ट तो यह है। दूसरा यह है कि ए. जी. प्रोक्योरमेन्ट ने क्या यह लिखा था कि यह कन्डक्टर्स डिफेक्टिव हैं और इस सारे का वेरीफिकेशन करके, जांच करके भुगतान बाद में किया जाय।

क्या यह सही है कि ए. जी. प्रोक्योरमेन्ट के इस आदेश के बाद भी चेयरमेन से उस कम्पनी के प्रतिनिधि मिले और चेयरमेन ने सारा पेमेन्ट उसको कर दिया ?

क्या यह सही है कि चेयरमेन ने उसकी जांच नहीं करने दी ? यह सारे प्रश्न कुछ ऐसे हैं, डेढ़ करोड़ का मामला है और यह डेढ़ करोड़ का मामला आर्बीट्रेशन को दिया गया।

मैं मंत्री महोदय से अपना अन्तिम प्रश्न पूछ कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, वह यह है कि वह जो आर. एस. ई. बी. के चेयरमेन उस समय थे वह कौन थे जिन्होंने ऐसा काम किया ? उसकी जांच क्या मंत्री महोदय कराने को तैयार हैं ?

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। क्या यह सही है कि जिस समय का यह घोटाला है, उस समय चेयरमेन जो आज चीफ सेक्रेटरी हैं, वह खुराना साहब थे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। आप मेम्बर हैं पब्लिक अन्डरटेकिंग के।

श्री हरिदेव जोशी : सप्लाई डिफेक्टिव थी यह जानकारी बहुत अर्से के बाद मालूम पड़ा और जैसे ही मालूम पड़ा इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जायगी। क्योंकि केस आर्बीट्रेशन में है और बहुत ही जल्दी आर्बीट्रेशन की मीटिंग होने वाली है इसलिए यहां पर मैं कुछ भी कहूं तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जब ए० जी० प्रोक्योरमेन्ट ने यह आदेश दे दिया था कि इसका वेरीफिकेशन करने के बाद, जांच करने के बाद भुगतान की जाय तो इसका भुगतान पहले क्यों किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने जो निवेदन किया वह निवेदन आपके कान पर नहीं पड़ा। मेरी प्रार्थना यह है कि केस आर्बीट्रेशन के पास में है तो यहां पर यस या नो अथवा कुछ भी कहता हूं तो उसके इम्प्लीकेशन्स होते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आर्बीट्रेशन में केस है और मुख्य सचिव जैसी श्रेणी के लोग इसमें हैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलेगा। इसके लिए जुडिशियल एन्क्वायरी

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
बिठाइये। डेढ़ करोड़ का मामला है और बहुत बड़ा घोटाला है। अकाल के लिए तो हमारे पास में पैसा नहीं है और पैसा इस तरह से बरबाद होता है। जिस मामले में चीफ सेक्रेटरी इन्वाल्व्ड है उसमें आर्बीट्रेशन क्या करेगा? इसलिए आप इसके लिए हाई जुडिशियल एन्क्वायरी बिठाइये तो उसकी जांच हो जायगी।

प्रश्न संख्या 777

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सुरेशचन्द्र !

कोटपूतली का अस्पताल

778. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली में नये हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो सरकार इसको किस माह से शुरू करेगी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था है? यदि हां, तो सरकार कब तक 100 बैड की स्वीकृति प्रदान करेगी?

चिकित्सा मन्त्री (हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं। कार्य प्रगति पर है। भवन दानदाता द्वारा विभाग को हस्तान्तर करने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने वहां पर जब फाउन्डेशन स्टोन रखा तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सेन्क्शन दे दी जायगी। अध्यक्ष महोदय भी उस समय वहां मौजूद थे।

श्री हरिदेव जोशी : मैं वहां नहीं था।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि आपने भी उसका मुलाहिजा कर लिया है कि वहां पर 100 बेड की व्यवस्था है और पैसा भी इसमें बहुत ज्यादा लगा है।

श्री हरिदेव जोशी : पैसा बहुत ज्यादा लग गया था और इतना ज्यादा लग गया है कि सरकार को इमीजियेटली इसको मेटेन करने में कठिनाई होगी। मैं यह मानता हूं कि जब पैसा वहां पर इतना इन्वेस्ट हो गया है तो उस ढंग की चीज होनी चाहिए।

श्री सुरेशचन्द्र : कब आरम्भ करेंगे?

श्री हरिदेव जोशी : जैसे ही बिल्डिंग हस्तान्तरित हो जाय।

श्री अध्यक्ष : 779।

ग्राम नाहरगढ़ की भूमि

779. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : अनुपस्थित।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) जिला जयपुर, तहसील जयपुर के ग्राम नाहरगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 487, 489, 490, 491 का क्षेत्रफल कुल कितना है?

(श्री केदारनाथ)

(2) क्या उक्त खसरा नम्बरान का सम्पूर्ण क्षेत्र सिवाय चक है ? यदि हाँ, तो किस्म जमीन क्या है ?

(3) क्या उक्त खसरा नम्बरान पर किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत तामीरात की गई थी, यदि हां, तो किन-किन ने उनके नाम, पिता का नाम व पूरा पता मय निर्माण तिथि के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जिन व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया गया, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और अब क्या उक्त खसरा नम्बरान सिवाय चक ही है या उनका रूप बदल गया है।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) कुल क्षेत्रफल 19 बिस्वा है।

(2) जी हां। किस्म जमीन बंजड़ अव्वल है।

(3) श्री चन्दगीराम पुत्र हीरालाल महाजन, निवासी रावतजी की हवेली के पास चौकड़ी गंगापोल, जयपुर, श्री जगन्नाथ पुत्र माधोप्रसादजी व श्री धर्मपाल पुत्र नारायण मार्फत राजस्थान आइरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज वर्क्स, ब्रह्मपुरी, जयपुर ने अनाधिकृत तामीर की है। निर्माण तिथि विवादग्रस्त है।

(4) भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अनाधिकृत निर्माणकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। उक्त खसरा नम्बरान राजस्व रेकार्ड में अभी भी सिवाय चक दर्ज है।

श्री अध्यक्ष : श्री झाबरमल सूण्डा !

ग्राम पंचायत मांडासी के सरपंच के विरुद्ध जांच

780. **श्री झाबरमल सूण्डा** (फतेहपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सरपंच, ग्राम पंचायत मांडासी (पंचायत समिति, नवलगढ़) के विरुद्ध गबन एवं अनियमितताओं की शिकायत समय-समय पर प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि लोकल फण्ड ऑडिट ने भी ऑडिट में इनके द्वारा गबन के मामले बताये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त अनियमितताओं और गबन की शिकायतों पर जांच के लिये कब-कब किन-किन अधिकारियों एवं मन्त्रियों ने क्या-क्या आदेश दिये ?

(4) क्या यह सत्य है कि इनकी जांच गत दस वर्षों से चल रही है ? यदि हां, तो अब तक जांच पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? यदि नहीं तो जांच कब से चल रही है ?

(5) सरकार उक्त सरपंच के खिलाफ गबन एवं अनियमितताओं की कब तक जांच पूर्ण करवा देगी ?

श्री पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : 1. जी हां। सूची संलग्न है।

2. जी नहीं केवल वर्ष 60–61 में 1600 रु. रोकड़ में जमा नहीं करने की अनियमितता वताई गई थी।

3. शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधीश, झुंझुनूं को समय-समय पर भेजी गई। जिलाधीश, झुंझुनूं से प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट 12-1-70 के पत्र द्वारा प्राप्त हुई। उसके आधार पर 24-2-70 को सरपंच को आरोप-पत्र दिया गया। सरपंच ने 23-3-70 को उत्तर दिया जिसके आधार पर 3-4-70 को अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, झुंझुनूं को विस्तृत जांच के आदेश दिये गये परन्तु उक्त अधिकारी ने यह वताया कि प्रारम्भिक जांच उनके द्वारा की गई है। इसलिए विस्तृत जांच किसी और दूसरे अधिकारी से होनी चाहिये इसके आधार पर 22-7-70 को उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी मुख्यालय, नवलगढ को जांच अधिकारी नियुक्त किया। इस अधिकारी ने दिनांक 2-4-71 को यह पत्र भेजा कि शिकायतकर्त्ता श्री केशवदेव जांच नहीं कराना चाहते। इस पर उसे सूचित किया कि जांच रेकार्ड के आधार पर की जाये। जांच रिपोर्ट 15-7-71 के पत्र द्वारा प्राप्त हुई थी, परन्तु उसमें कुछ कसर थी इसलिये उसे वापस किया गया और अन्तिम रिपोर्ट 8-2-73 को प्राप्त हुई।

4. जी नहीं, प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के लिये जिलाधीश को सन् 1967 में निवेदन किया गया था।

5. दिनांक 10-4-73 को सरपंच को अन्तिम सुनवाई का मौका दिया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री झाबरमल सुण्डा : क्या यह आखरी मौका होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल !

बड़े सिचाई बांधों पर टेलीफोन की व्यवस्था

781. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने बान्धों के भराव व बान्धों के टूटने आदि जैसे गम्भीर खतरों की सूचना समय पर सरकार को मिल सके, इस कारण राज्य के विभिन्न वड़े सिंचाई वांधों पर टेलीफोन व्यवस्था करने का निर्णय लिया था ?

2. यदि हां, तो उक्त निर्णय के अन्तर्गत अब तक कितने सिंचाई बांधों पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : 1. राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

2. प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है, प्रश्न ही नहीं उठता। आप की तरफ से उठता है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, उनकी तरफ से तो नहीं उठता है लेकिन हमारी तरफ से उठता है।

मेरा निवेदन है कि उस समय के. तत्कालिन सिंचाई मन्त्री से श्री रामप्रसाद लढ्ढा ने यह आश्वासन दिया था कि बड़े-बड़े बांधों पर टेलीफोनों की व्यवस्था कर दी जायगी। यह पेपरों में भी छपा था। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उपयोगी होगा। यह उचित भी है, राज्य सरकार इस पर दुबारा निर्णय लेकर यह व्यवस्था कर दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, जहां आवश्यकता है और खतरे की सम्भावना बनी रहती है उन बांधों पर टेलीफोन की व्यवस्था की जा चुकी है माननीय सदस्य, जिन बांधों पर आवश्यकता समझते हों तो वह सूचना दे दे तो वहां व्यवस्था के लिये विचार कर लिया जायगा।

श्री मीठालाल : मेरे कहने की ही बात नहीं है। यह तो जनरल राजस्थान की बात है। यह तो घोषणा की गई थी। मेरा निवेदन है कि सभी बांधों पर यह व्यवस्था कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था कर सकें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी !

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी स्थिति हैं, जहां खतरा रहता है, वहां टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिये, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 782

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी ! (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 783

श्री मालाराम ! (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 784

श्री रामसिंह कुड़ी ! (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 785

श्री केसरीमल ! (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 786

श्री विद्यासागर !

उदयपुर-रतनपुर तथा डूंगरपुर-उदयपुर रूट पर चलने वाली बसें

736. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

1. क्या यह सही है कि उदयपुर-रतनपुर, डूंगरपुर–उदयपुर रूट पर चलने वाली बसों में अधिकांश ग्रामीण लोगों को यात्रा टिकट नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या ऐसी शिकायतें राज्य सरकार के पास आई हैं ? यदि हां, तो कहां से कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

2. क्या यह भी सही है कि उक्त रूटों पर ओवर चेकिंग नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों और यदि चेकिंग होता है तो जनवरी, सन् 70 से दिसम्बर, 72 तक, कब-कब चेकिंग किया गया व ओवर लिमिट सवारियों तथा टिकटों के नहीं काटने, टैक्स की चोरी के कितने मामले पकड़े गये तथा किन-किन बस मालिकों व कण्डक्टरों

(श्री विद्यासागर)
ने यह गलती की है तथा ऐसे कितने मामलों का चालान किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

यातायात मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : 1. कुछ शिकायतें आई हैं। बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में तीन शिकायतें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, खेरवाड़ा से प्राप्त हुई है, जिनकी जांच जारी है।

(2) जी नहीं, वाणिज्यिक कर निरीक्षकों एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उक्त रूटों पर चलने वाली यात्री बसों का चैकिंग किया जाता है। जनवरी, 70 से दिसम्बर, 72 तक जिन-जिन यात्री वाहनों का चैकिंग किया गया है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' में दी गई है। इन चैकिंग अवधि में 20 मुकदमे यात्रियों को टिकट नहीं देने व टैक्स की चोरी करने के बने हैं।

उक्त रूटों पर वाहन स्वामियों द्वारा सीमा से अधिक सवारियां बैठाने का पर्याप्त चैकिंग परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है। चैकिंग कब-कब किया गया और किस-किस के विरुद्ध मामले बनाये गये और किस-किस के मामले पकड़े गये और उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई, की सूची 'ख' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री विद्यासागर : अध्यक्ष महोदय क्या सरकार यह मानती है कि इस रूट पर ज्यादा सवारियां हैं और बसेज कम हैं। आपके द्वारा जो सूची मिली है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सवारियां 45 बताई गई हैं जबकि बैठने वाले 55 हैं। यह हालत हो गई है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि मैंने पिछली बार यह आश्वासन दिया था। इसका सर्वे कराकर ठीक कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच और विभागीय पदोन्नति

787. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति, उनके खिलाफ सर्विस क्लासीफिकेशन एवं कण्ट्रोल रूल्स के तहत चल रही एन्क्वायरी पूरी होने तक रोक दी जाती है ?

(2) यदि हां, तो कितने अभियन्ताओं के खिलाफ उक्त प्रकार की एन्क्वायरियां विभाग में चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त एन्क्वायरियां कब तक पूर्ण करा ली जावेगी तथा एन्क्वायरी अधिकारियों के खिलाफ जाने पर कितने वर्ष तक अभियन्ता की पदोन्नति पर रोक लगी रहेगी ?

(4) यदि एन्क्वायरी अभियन्ता के माफिक पड़ती है तो उसकी पदोन्नति किस

Page No 22

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
समय पर होनी चाहिए थी उस समय पर होगी या नहीं तथा उसे हुए नुकसान का लाभ उस अभियन्ता को दिया जाएगा अथवा नहीं ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां, परन्तु जांच के दौरान दोष को गम्भीरता के आधार पर उनके पदोन्नति के मामलों को निपटाया जाता है।

(2) सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता जिनके विरुद्ध इन्क्वारियां चल रही है, उनकी सूची संलग्न है।

(3) इनकी इन्क्वायरी शीघ्र से शीघ्र कराने की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक इनकी पदोन्नति पर रोक लगाने का प्रश्न है, यह जांच के परिणाम पर निर्भर करता है।

(4) दोष से इज्जत सहित छुटकारा पाने पर, समय पर पदोन्नति का लाभ मानते हुए, वरिष्ठता का लाभ नियमानुसार ही तय किया जायेगा।

(कृपया परिशष्ट 4 देखें)

श्री जयकिशनलाल, तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जो इन्क्वायरी के बारे में मन्त्री महोदय ने बताया है, यह कब तक पूरी करा ली जायेगी ?

श्री मूलचन्द : जैसा आरोप है, उनकी गम्भीरताओं के अनुसार जो पूर्तियां आवश्यक हैं, वह की जायेंगी।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : कितने ...होवे लग जायेंगे ?

श्री मूलचन्द : निश्चित अवधि घोषित नहीं की जा सकती है।

श्री गुरदयालसिंह सिन्धु (करणपुर) : क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में डिपो मैनेजर, बुकिंग क्लर्क आदि का हिस्सा बना हुआ है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : टाइम लिमिट तो होती है।

श्री गुरदयालसिंह सिन्धु : गंगानगर जिले में मि० माथुर एक्सी. एन. है, क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, अधिकारी के खिलाफ आरोप है, और वह गलत सिद्ध नहीं होता है तो वह रिकार्ड में दर्ज करेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अगर वह सिद्ध नहीं होता है तो वह ऐसा नहीं करते हैं।

प्रश्न संख्या 788

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री बनवारीलाल !

टौंक जिले में सिंचाई कार्य

789. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : श्री बनवारीलाल (निवाई) की अनुपस्थिति में)

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक जिले में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन से तालाब तथा बांध है

(श्री रामगोपाल)
और उनसे कितनी भूमि सिंचित होती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील निवाई स्थित माशी बांध से कितनी भूमि सिंचित होती है जिसमें निवाई तहसील की कितनी भूमि सिंचित होती है ? यदि सिंचित नहीं होती है तो क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिससे निवाई तहसील की भूमि का सिंचन हो सके ? यदि हां, तो किस बांध से सिंचाई की योजना है ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) सूची संलग्न है।

(2) माशी बांध से 9,000 एकड़ वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित है ? माशी बांध से निवाई तहसील में डायरेक्ट सिंचाई नहीं होती है। क्योंकि इस तहसील का क्षेत्र कमाण्डेट एरिया में सम्मिलित नहीं है। वैसे माशी बांध से निवाई तहसील क्षेत्र के प्रायः 1310 बीघा क्षेत्र में बांध से पानी खाली होने पर पेटा काश्त होती है।

(3) जी हां, सिरोही बांध नाम की योजना विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामगोपाल : माननीय मन्त्री महोदय, सूची भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

डी० पी० सी० की बैठक

790. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डी० पी० सी० की हाल ही की मीटिंग में किन व्यक्तियों को डी० एम० एण्ड एच० ओ० के पद के लिए चयन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे चयनित डाक्टर्स में से कुछ ने इस पद को स्वीकार नहीं किया ? यदि हां, तो किन-किन ने और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि डी. पी. सी. ने ऐसे सम्भावित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एक वेटिंग लिस्ट बनाई है ? यदि हां, तो इस लिस्ट में किन-किन के नाम हैं तथा यह लिस्ट किस नियम अथवा प्रक्रिया के अन्तर्गत बनाई गई है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 की धारा 24 (3) के तहत जो सूची बनाई गई है, वह गोपनीय है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मन्त्रीजी, यह जो वेटिंग लिस्ट बनाई गई है, यह कोई नियम के आधार पर नहीं बनाई गई है। फिर जो बनाई है, उसमें कौन-कौन व्यक्ति हैं। यह सूची से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

श्री हरिदेव जोशी : जो सूची बनाई गई है, वह नियमों के अनुसार बनाई गई है। जो सूची बनाई गई है, वह कान्फीडेंशल है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सूची बनाये जाने के बाद जो नहीं आयेंगे, उनका क्या कारण दिया गया है। एक सूची पहले से बना रखी थी। सप्लीमेन्ट्री सूची किन नियमों के आधार पर बनाई है। यह पहले से कैसे मान लिया गया कि वह नहीं आयेंगे। फिर मिटिंग का क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : कब होगी यह तारीख तय नहीं हुई है। नियमों में यह प्रावधान है कि किन्हीं सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये सूची बनाई जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : एक बात बताइये, डी. पी. सी. सलेक्ट करती है, उनकी सूची जो है, वह कौनसे नियम के आधार पर कान्फीडेंशियल होती है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह रूल तो मेरे पास नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : कोई रूल नहीं है। आप गलत बता रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : I object to it.

श्री पी० के० चौधरी : कोई नियम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोई नियम नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : This is my information that the list is confidential.

श्री पी० के० चौधरी : कतई नहीं है। रूल बतायें जिसके तहत वह कान्फीडेंशियल होती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कौनसे नियम के अन्तर्गत यह कान्फीडेंशियल है ?

श्री नानालाल : नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है।

श्री हरिदेव जोशी : चिकित्सा सेवा नियम, 1959 की धारा 24 (3) के तहत।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कान्फीडेंशियल तो लिखा नहीं है।

भूमिहीनों की संख्या

791. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में भूमिहीनों की कितनी संख्या है ? उनमें अनुसूचित जाति व जनजाति की कुल कितनी संख्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि भूमिहीनों की संख्या के अनुपात में जितनी संख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की है उसी प्रतिशत के अनुसार ही भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) राजस्थान में 4,87,384 भूमिहीन हैं। उनमें 1,52,720 अनुसूचित जाति के एवं 88,009 अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, यह सही है कि भूमिहीनों की संख्या के अनुपात में जितनी संख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की है, उसी अनुपात में भूमि का आवंटन किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से सूचना मिली है उसके अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं। माननीय मंत्री ने 27 तारीख को अपने वक्तव्य में कहा था, इनका अनुपात इतना नहीं होते हुए हमने उनको इतनी भूमि दी है। यह अहसान गलत किया है। जो पर्सेन्ट है उसके आधार पर भूमि आवंटित नहीं हुई है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया था, 47 पर्सेन्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को एलॉट की गई है और 37 पर्सेन्ट एलाट की गई है। यह आपके उस रेश्यो से ज्यादा ही है।

श्री मूलचन्द सामरिया : बहुत ज्यादा। हद हो गई है।

श्री बिनेशराय डांगी : क्या मौके पर जाकर देखा है कि कब्जा मिला है या नहीं।

श्री मोठालाल : चेम्बर में मिल लेना।

श्री बिनेशराय डांगी : मौके पर जाकर देखा है कि कब्जा मिला है या नहीं।

प्रश्न संख्या 792

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम !

राजस्थान केनाल एरिया में काश्तकारों के कब्जे की भूमि

793. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय किया था कि राजस्थान केनाल एरिया में सन् 1955 में जिन काश्तकारों के कब्जे में काश्त की जमीन हैं और वे लगातार काश्त करते आ रहे हैं, उन्हें प्रति परिवार दो मुरब्बा जमीन की खातेदारी बिना पैसा लिये की जावेगी ? यदि हां, तो कितने परिवारों को खातेदारी दे दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि इसका आधार केवल परिवार के मुखिया को ही माना है जब कि परिवार में मुखिया के अलावा उसके बालिग भाई व पुत्र भी हैं जो परिवार से अलग रहते हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय का लाभ उन्हें भी दिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उपनिवेशन मंत्री : (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

Page No 26

श्री रावतराम : प्रश्न किस चीज का नहीं उठता है ? क्या यह सही है कि 1955 में जो लोग काश्तकार थे, क्या गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था पिछली बार 1955 से जिनके कब्जे में जमीन है राजस्थान केनाल में, उन्हें एक मुरब्बा जमीन फ्री दी जावेगी और बाकी जमीन की कीमत किस्तों में वसूल की जायेगी ? गवर्नमेंट का डिसीजन है, मेरे ख्याल से जिन परिवार में बालिग लड़के हैं, बराबर के भाई हैं, उस परिवार को भी एक मुरब्बा फ्री देते हैं तो बाकी के वंचित रह जाते हैं। इसके लिए क्या आश्वासन दे रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नियमों के मुताबिक एक मुरब्बा जमीन, जिनका 1955 के पहले का कब्जा है, उनको फ्री दी है।

श्री रावतराम : आपने अभी कहा, जी नहीं। आप कह रहे हैं, जी नहीं। ऐसा तो कोई है नहीं। यही मैं पूछ रहा हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक मुरब्बा जमीन फ्री देने की बात बताई है। एक मुरब्बा जमीन दी है फ्री में और सीलिंग एरिया तक एलॉट की गई है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न !

श्री रावतराम : एक प्रश्न यह था, एक परिवार में बालिग लड़के हैं, फिर भी उस परिवार को एक मुरब्बा जमीन देकर छोड़ देते हैं। उसके बालिग लड़के हैं और जोइन्ट फेमिली है, भाई साथ में हैं, उनके लिए एक मुरब्बा से क्या होगा ?

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह है, सीलिंग लॉ के तहत लेंड लार्ड के लड़के, बालिग लड़के को अलग परिवार माना है, तो भूमिहीन के लड़के को अलग परिवार मानते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सीलिंग कानून बनाया है, उसमें अलग मानते है। 1955 के पहले जिनके नाम में खाता था, उनको एक मुरब्बा जमीन देते हैं, अकेले बाप का नाम है, बाकी के लड़के बालिग हैं या नहीं, उसको एक मुरब्बा जमीन फ्री देते हैं।

श्री रावतराम : यही चाहते हैं, उनके साथ न्याय करना चाहिए। बालिग लड़के हैं, फिर भी मुखिया के नाम से मुरब्बा दिया है और बालिग लड़कों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, वे बेकार हो गये हैं। जो भूमिहीन हैं, उनको कन्सेशन नहीं मिला है।

श्री बीरबल (सांगरिय) : 1955 के रेवेन्यू रिकार्ड में जिनके नाम आ गये, उनको एक मुरब्बा जमीन फ्री दी गई है। बीच में कमिश्नर साहब ने आदेश निकाला, 1955 के जितने खातेदार हैं, उनको खातेवाइज एक मुरब्बा जमीन फ्री दी जायगी, बाकी कीमत न दी जायगी। बाद में गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है, बीच में कमिश्नर ने ऐसा आदेश दिया था कि उन लोगों को खातेवाइज एक मुरब्बा जमीन दी जायगी जिनका रेवेन्यू रिकार्ड में नाम आया है। बीच में फैसला हुआ कि उनको एक मुरब्बा जमीन दी जायगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा है, खाते में चार आदमियों का नाम हो तो पहले

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
एक मुरब्बा जमीन फ्री दी जायगी और बाकी सीलिंग एरिया तक रिजर्व्ड फीस पर देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा अगर अलग-अलग खातेदार हैं, नाम हैं तब तो दे देते हैं और एक खेत में एक का काम है तो एक को मिलती है, बाकी को नहीं मिलती है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : राजस्थान नहर क्षेत्र में सीलिंग लागू कराई है या नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न 305।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-73 और 15-3-73)

गंगापुर पंचायत समिति द्वारा ट्रंक काल का खर्चा

305. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर पंचायत समिति द्वारा सन् 1965, अप्रेल से सन् 1973, जनवरी तक किस-किस माह में कितना-कितना रुपया टेलीफोन तथा ट्रंककाल का खर्च किया गया है ?

(2) ट्रंककाल कहां-कहां किसको किये गये थे ? क्या यह सही है कि अधिकांश ट्रंक निजी कार्य से करने के पश्चात् सरकारी व्यय में डाल कर पेमेन्ट करा दिया गया है ?

(3) क्या सरकार इसकी विस्तृत रूप से जाच करायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जो ट्रंककाल निजी कार्य से किये गये हैं उनका भुगतान किस प्रकार किया गया है, उसकी जांच अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा किये जाने के लिए लिखा गया है।

(3) जी हां, इसके लिए अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर को जांच के लिए लिख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची में बताया गया है, 1955-56 में 41.61 पैसा आया है और 1672-73 में 1550 आया है, तो यह सूची में बताया गया है कि जो सरकारी कार्य से किये गये हैं और निजी कार्य से किये गये हैं, निजी कार्य से जिन अधिकारियों ने यह ट्रंक किये हैं, उनसे खर्च अब तक वसूल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जांच करा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कितना बकाया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया उन्होंने पैसा जमा कराया है अथवा नहीं कराया है, जो गवर्नमेंट के नाम पर लिखा गया था वह गवर्नमेंट काम के लिये था या

(श्री हरिदेव जोशी)
प्राइवेट काम के लिये किया गया, प्राइवेट किय गया तो पैसा जमा हुआ या नहीं, इसकी डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर जांच कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जांच कब तक हो जायगी।

श्री हरिदेव जोशी : Earlist.

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत !

जोधपुर डिविजन में चिकित्सा की व्यवस्था

794. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डिविजन में 1314 व्यक्तियों पर, बीकानेर डिविजन में 1322 व्यक्तियों पर और जोधपुर डिविजन में 1932 व्यक्तियों पर एक रोगी शय्या है। यदि हां तो, क्या अन्यायपूर्ण क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये जोधपुर डिविजन में लगभग 1337 रोगी शय्यायें अतिरिक्त बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या उपरोक्त असंतुलन को दूर करने के लिये एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के 1000 शय्याओं के टीचिंग हॉस्पिटल जिसकी नींवें भरने के पश्चात् निर्माण कार्य लगभग बन्द पड़ा है जो शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का भी सरकार का विचार है। यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

श्री चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) राज्य में राजस्व खण्डों में रोगी शय्याएं एवं प्रति रोगी का अनुपात की सूची संलग्न है। शय्याओं को बढ़ाने का प्रश्न रोगियों की संख्या के आधार एवं वित्तीय साधनों पर निर्भर होता है।

(2) जी हां, पर निश्चित समय नहीं दिया जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्री मोहनलाल छंगाणी : जोधपुर डिविजन में एक फलोदी शहर है....

श्री अध्यक्ष : उनको पूछ लेने दीजिये।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : कस्बा शहर कैसे हो गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वहां अस्पताल बना हुआ है, 1967 से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसका रिकगनीशन हो, अप ग्रेडेशन हो। अस्पताल बन चुका है लेकिन अपग्रेडिंग नहीं हुआ है। शय्याए यों ही पड़ी हुई है, बूचड़खाने की तरह पड़ी हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : जिस गांव से माननीय सदस्या आ रहे हैं वह शहर हो जाता है तो मुझे इनमें कहीं कोई एतराज नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : मैं चिकित्सा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि हमारे ऊपर मन्त्रीजी की महरबानी विशेष है। आपका पेटेन्ट नुस्खा है, जी हां, जी नहीं, विचाराधीन है, इससे इलाज होने का नहीं है। मामला यह है सूची में दिया है, अजमेर डिविजन में 1599 पर एक बेड है, बीकानेर में 1345 पर एक बेड है और जोधपुर में

(श्री अमृतलाल गहलोत)
2009 पर एक बेड है। पांच वर्ष पहले एक हजार बेड के एक टीचिंग हॉस्पिटल की नींव रख दी गई है, जिसका काम शुरू कर दिया गया, उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : अर्थाभाव के कारण।

श्री अमृतलाल गहलोत : जोधपुर के लिए अर्थाभाव है और बीकानेर और जयपुर के लिए नहीं है, यह पक्षपात है।

श्री हरिदेव जोशी : पिछले तीन साल में कहीं बेड नहीं बढ़ाये गये हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : पांच वर्ष से यह चल रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : अगले वर्ष विचार करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसी फाइनेन्शियल इअर में ले लीजिये, अगले वर्ष।

श्री हरिदेव जोशी : फिफ्थ फाइव इअर प्लान से पहले कुछ कर सकना संभव नहीं लगता है। छोटे-मोटे काम कराये जा सकते हैं, पट्टियों और दवाइयों के; लेकिन हजार बेड का अस्पताल बनाने का काम इस बजट में मुश्किल है।

श्री गोपाल जोशी : बीकानेर में बेड बढ़वा दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वहां बना हुआ है उसको प्रारम्भ करने में क्या दुविधा हो रही है।

श्रीमती सुमित्रा : प्राकृतिक चिकित्सा करो।

श्री हरिदेव जोशी : आई कु नोट अन्डरस्टेण्ड।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जोधपुर में डी. बी. हॉस्पिटल बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, उसको इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने में क्या दुविधा हो रही है

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

हरनावदा-कलमोदिया सड़क

770. **श्री भैरूलाल** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील छीपाबड़ौद (जिला कोटा) के क्षेत्र में हरनावदा में कलमोदिया रोड की दशा अत्यन्त खराब है और गत वर्ष बरसात के दिनों में आवागमन बन्द रहा था ? यदि हां, तो क्या सरकार बरसात के पहले इस सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां।

2 मील में रिमेंटलिन करा दिया गया है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

बयाना एवं रूपवास तहसीलों में खानों के ठेके

777. श्री **नत्थीसिंह** (नदबई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बयाना व रूपवास तहसीलों के क्षेत्रों में वालिस्ट, खण्डा, पत्थर, मैसनरी स्टोन आदि के ठेके माइनिंग लीज पर दिये हुये हैं ? यदि हां, तो किस-किस प्लाट व पहाड़ को किस-किस ठेकेदार एवं सहकारी समिति को कितने समय से किस लीज पर दिया गया है ? ब्योरेवार पृथक्-पृथक् बतलावें और लीज के पट्टों की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्रों में सीमांकन कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस का ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के किसानों को कुआ व मकान बनाने हेतु पहाड़ व खानों से चिनाई का पत्थर नहीं दिया जाता ? यदि नहीं तो क्यों और दिया जाता है तो उसके देने के नियम क्या हैं और किस रॉयल्टी पर दिया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है। पट्टों की प्रतियां तैयार होने में पर्याप्त समय की आवश्यकता है।

(2) चाही सूचना संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है।

(3) जी नहीं। किसानों को अपने निजी कार्य हेतु पत्थर बिना कोई रॉयल्टी अदा किये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के नियम 4 के अधीन लिया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

कृत्रिम गुर्दे की खरीद

782. श्री **गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने कभी कृत्रिम गुर्दा खरीदा है ? यदि हां, तो कब, कहां से और कितनी कीमत पर ?

(2) इस कृत्रिम गुर्दे से आज तक किसी का इलाज किया गया ? यदि हां, तो आज तक इससे कितने मरीज लाभान्वित हुए ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

खोखरा खान की लीज

783. श्री **मालाराम** (नीमकाथाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीमकाथाना के पास खोखरा खान के चूने के पत्थर की लीज विभाग द्वारा किन-किन व्यक्तियों को दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस खान के चारों तरफ की सिवाय चक भूमि काबिल काश्त व काबिल अलाटमेंट है ?

Page No 31

(श्री मालाराम)

(3) क्या यह सही है कि उक्त काबिल काश्त भूमि पर उक्त खोखरा खान के लीज होल्डर्स ने खान का मलवा डाल कर बहुत बड़ी मात्रा में जमीन को बेकार बना दिया है।

(4) क्या यह सही है कि खनिज विभाग द्वारा उक्त खान के लीज होल्डर्स को उक्त काबिल काश्त भूमि पर मलवा डालने की इजाजत नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) दो लीज वैस्ट केमिकल लाइम स्टोन इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० नीमका थाना को दी हुई है।

(2) यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

(3) ऐसी कोई शिकायत इस कार्यालय की जानकारी में नहीं है।

(4) ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गयी है।

कलेक्टर नागौर के निलम्बित स्टेनो

784. श्री **रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नागौर, कलेक्टर के स्टेनो निलंम्बित हैं ? यदि हां, तो वे कौन हैं तथा कब से निलम्बित हैं तथा उसके विरुद्ध क्या-क्या चार्जेज हैं ?

उत्तर

वर्त्तमान में जिलाधीश, नागौर का कोई स्टेनो निलम्बित नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर जिले में भूमि बंधक बैंकों की शाखा

785. श्री **केसरीमल** (ब्यावर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में भूमि बन्धक बैंकों की शाखा कहां-कहां है ? ये बैंक कब से काम कर रहे हैं। इन बैंकों ने हर वर्ष कितने-कितने किसानों को कर्ज दिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अभी भी ये बैंक कर्ज देने का कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या किसानों को कर्ज मार्जिनल फारमर एण्ड एग्रीकल्चर स्कीम के तहत इन बैंकों से दिये जाने की योजना थी क्या बैंकों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई जिसके कारण कर्ज देने की योजना बन्द हो गई है यदि हां, तो अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और कर्ज देने की योजना फिर कब से चालू हो रही है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में भूमि बन्धक बैंकों की शाखा नहीं है। तीन भूमि विकास बैंक अजमेर, ब्यावर व केकड़ी में क्रमश: दिनांक 8-6-24, 26-5-28 व 18-11-57 से कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों द्वारा प्रति वर्ष दिये गये कर्ज की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, मार्जिनल फारमर एवं एग्रीकल्चर लेबर योजना बन्द नहीं की गई है। अजमेर व ब्यावर बैंकों में अवधिपार

Page No 32

(श्री केसरीमल)
ऋण का प्रतिशत 50 से अधिक हो जाने के कारण रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार आगामी ऋण बन्द कर दिया था। अब मार्जिनल फारमर ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण देने की छूट दे दी है और ऋण दिया जाने लगा है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

टौंक जिले में चलने वाली प्राइवेट बसें

788. **श्री अजीतसिंह** (टौंक) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टौंक जिले में प्राइवेट बसें अपने कच्चे रूट्स पर नहीं चल कर पक्के रूट पर चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि प्राइवेट बसें राष्ट्रीय कृत रोड्स का उपयोग कर रही हैं, जब कि परमिट कच्चे रास्ते से होकर हैं—जैसे टौंक, टोडा वाया में हदवास ?

(3) क्या यह सही है कि निजी बसें खराब हैं और उनके मालिक मनमाने तरीके से किराया वसूल कर रहे हैं तथा इन पर कोई चैकिंग करने के लिये इन्सपैक्टर नहीं है।

(4) सरकार ने कच्चे रूट्स पर चलने वाली बसों के लिये क्या किराया निर्धारित कर रखा है ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। अलावा बरसात के दिनों में।

(3) जी नहीं चैकिंग के लिये मोटर गाड़ी इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर जिला टौंक में नियुक्त है।

(4) जी हां। तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

भाखरा सिस्टम की एच. डी. पी. उपशाखा नहर के मोगे

792. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भाखरा सिस्टम की एच. डी. पी. उप-शाखा नहर पर कुल कितने मोगे हैं ? क्या यह सही है कि इस शाखा नहर पर हरदयालपुरा और सुरावाली जैसे बड़े गांव हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस शाखा नहर का हैड दोषपूर्ण है तथा रेतीले टीबों में से यह नहर गुजरती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस शाखा नहर पर स्थित बड़े गांव हरदयालपुरा आदि में एक माह से अधिक से पीने के पानी का अभाव है।

(4) क्या राज्य सरकार एच. डी. पी. नहर का हैड ठीक करके इस नहर स्थित चकों को उनके हक का पानी देगी ?

उत्तर

(1) भाखड़ा सिस्टम की एच. डी. पी. उप-शाखा पर कुल आठ मोगे है। हरदयालपुरा और सुरावली गांव इस नहर के चकों में स्थित हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(2) जी नहीं। इस वितरिका का हैड सही है। यह नहर हैड से लेकर बुर्ज नम्बर 15 तक रेतीले टीबों में से गुजरती है।

(3) जी नहीं।

(4) एच. डी. पी. नहर का हैड ठीक है और इस नहर पर स्थित चकों को उनके हक का पानी मिल रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

झालावाड़ जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

425. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में पंचायत समिति, बकानी एवं पंचायत समिति, झालरापाटन को ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में लिया गया है? यदि हां, तो दोनों पंचायत समितियों के कितने व कौन-कौन से ग्रामों में बिजली से जोड़े जायेंगे?

(2) क्या यह सही है कि बकानी पचायत समिति के 85 ग्राम ग्रामीण विद्युतिकरण में लिये जाने की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो कृपया ग्रामों की सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इस योजना का कार्य कब शुरू होगा और कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, बकानी की स्कीम में स्वीकृत 80 गांवों की सूची 'अ' सदन को मेज पर रख दी गई है। पंचायत समिति, झालरापाटन को 78 ग्रामों की एक योजना ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को बना कर स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। योजना स्वीकृत होने पर ही यह पता लग सकेगा कि किन-किन गांवों को अन्तिम रूप से इस योजना में स्वीकृत किया जाता है।

(2) बकानी पंचायत समिति के 80 न कि 85 ग्रामों की स्वीकृति हुई है, जिसकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस योजना की स्वीकृति जनवरी, 73 के अन्त में दी गई है। इस कार्य के लिये नये उप-खण्ड का निर्माण किया गया है तथा सहायक अभियन्ता ने गत माह कार्यभार सम्भाल लिया है। योजना पर अब कार्य प्रारम्भ हो रहा है। स्वीकृत योजना के अनुसार उसके अधीन ग्रामों का विद्युतिकरण 3 वर्ष में पूरा किया जाना है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

अधिशासी अभियन्ता (द्वितीय) जयपुर, द्वारा लिया गया टी. ए. एवं डी. ए.

426. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा), **श्री मीठालाल** : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अधिशासी अभियन्ता (द्वितीय), जयपुर ने 1972-73 में अपने क्षेत्र में

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कहां-कहां कितनी बार किन-किन कारणों से दौरा किया ?

(2) उक्त अभियन्ता ने 1972-73 में कुल कितना टी. ए. और डी. ए. प्राप्त किया ?

(3) उक्त अभियन्ता ने 1972-73 में कुल कितनी धनराशि मेडिकल रिएम्बर्समेंट के रूप में प्राप्त की या प्राप्त की जानी बाकी है ?

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता (द्वितीय), जयपुर ने वर्ष 1972-73 में अपने क्षेत्र में जो दौरे किये हैं, उसकी तारीखवार सूची संलग्न है।

(2) उक्त अभियन्ता ने 1972-73 वर्ष में कोई टी. ए. और डी. ए. अभी तक प्राप्त नहीं किया है।

(3) उक्त अभियन्ता ने 1972-73 वर्ष में मेडिकल रिएम्बर्समेंट के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं की है और न कोई राशि प्राप्त की जानी बाकी है ?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील बैराठ के ग्रामों में बिजली

427. श्री **हनुमानसहाय** (बैराठ) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बैराठ के ग्राम धवली, राड़ावास, नयावास, शाहपुरा गांवों की हरिजन बस्तियों में अभी तक बिजली की लाइन नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों का विद्युतिकरण हुए 6 वर्ष से अधिक हो गया है ? यदि हां, तो अब तक हरिजन बस्तियों को बिजली क्यों नहीं दी गई और कब तक विद्युतिकरण किये जाने का प्रोग्राम है ?

उत्तर

(1) तहसील बैराठ के ग्राम शाहपुरा में कुम्हारों के मोहल्ले में बिजली उपलब्ध कर दी गई है। शाहपुरा के अन्य हरिजन बस्तियों में बिजली अभी नहीं दी गई है। उक्त तहसील में नयावास के नाम से कोई विद्युतिकृत ग्राम नहीं है। ग्राम धवली व राडावास की हरिजन बस्तियों में भी अभी बिजली नहीं दी जा सकी है। बिजली नहीं दिये जाने का कारण अर्थाभाव है.

(2) ग्राम शाहपुरा, धवली व राडावास का विद्युतिकरण क्रमशः 10-10-65, 30-10-70 व 12-2-67 को किया गया था। उक्त हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण अर्थाभाव के कारण नहीं किया जा सका। इन बस्तियों को बिजली कब तक उपलब्ध करा दी जायगी, इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

अधिकारियों को फियेट कार का आबंटन

428. श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् 1967 से 1973 तक की समयावधि में कई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
अधिकारियों के नाम पर एक से अधिक फियेट कारें आवंटित की गई हैं ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम व पद की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाय।

उत्तर

जी हां, सन् 67 से 72 तक की समयावधि में जिन अधिकारियों के नाम पर एक से अधिक फियेट कारें आवंटित की गईं, उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

राज्य पथ परिवहन निगम की आय

429. श्री **केसरीमल** (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों द्वारा किसी कारणवश टिकट क्रय करने के बाद यात्रा न कर सकने के कारण उक्त टिकट की रकम रिफण्ड किये जाने की मांग पर केवलमात्र 55 प्रतिशत रकम ही वापस लौटा दी है ?

(2) क्या यह सही है कि 45 प्रतिशत टिकट की राशि को जब्त कर लिया जाता है, जिसमें 35 प्रतिशत रकम पैसेन्जर टैक्स की भी सम्मिलित है जो कि यात्री द्वारा यात्रा न किये जाने पर भी वसूल कर ली जाती है ?

(3) सन् 1970–71 में यात्री कर, यात्री किराया व माल किराये के रूप में निगम की अलग-अलग कुल आय कितनी हुई और इन नदों में इस अवधि में यात्रा न किये जाने पर जब्त की गई राशि कितनी है ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1971 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के लिये किये गये आन्दोलन के दौरान कुछ कर्मचारियों को बड़ी-बड़ी राशि अग्रिम रूप से दी गई ? अग्रिम प्राप्तकर्त्ताओं के नाम, पद व राशि का विवरण दें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त रकम 1972 में कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन के पूर्व तक निगम द्वारा वसूल नहीं की गई ? क्या यह भी सही है कि आन्दोलन के तुरन्त बाद इस प्रकार अग्रिम दी गई रकम समूची और एकमुश्त वसूल किये जाने के आदेश दिये गये ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सन् 1970–71 में यात्री कर के रूप में 76.01,106.81 पैसे राज्य सरकार को जमा कराये हैं, सन् 1970-71 में निगम को यात्री किराया के रूप में, 2,77,93,552.00 रु०, माल किराये के रूप में, 72,167.00 रु० की आय हुई है। यात्रा न किये जाने पर जब्त की गई राशि का अलग से कोई ब्योरा नहीं रखा जाता है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन एवं अन्य सुविधाएं

430. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समस्त कर्मचारियों के राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ? यदि हां तो सहायक यातायात निरीक्षकों को ही राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों से क्यों वंचित रखा गया तथा वेतन शृंखला किस आधार पर निश्चित की गई है ?

(2) सहायक यातायात निरीक्षकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है ?

(3) निगम के वाहन चालकों, पत्र वितरकों एवं सहायक यातायात निरीक्षकों का वर्तमान वेतन शृंखला में समानता किस आधार पर रखी गई ?

(4) यातायात निरीक्षक व सहायक यातायात निरीक्षकों के वेतन में इतना अन्तर किस आधार पर रखा गया ? क्या इतना अन्तर राणावत वेतन आयोग लागू होने से पूर्व भी था ?

(5) क्या यह सही है कि निरीक्षक कर्मचारियों के स्थानान्तर साल में तीन बार करना जरूरी है ? यदि हां, तो उनके बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व उसके कर्मचारियों के मध्य दिनांक 22-3-72 को सम्पन्न हुए समझौते के अनुसार 500 रु० मासिक से कम वेतन व अन्य परिलाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को जो कि "वर्कमैन" की परिभाषा में आते हैं और जिनका कार्य पर्यवेक्षीय प्रकृति का नहीं है उनको राणावत वेतन आयोग की वेतन शृंखलाओं के अनुरूप नवीन वेतन शृंखलाएं प्रदान की गई हैं।

सहायक यातायात निरीक्षकों को भी उपरोक्त वेतन शृंखलाओं तथा सुविधाओं से वंचित नहीं रखा गया हैं। समझौते के अनुसार निगम व राज्य सरकार के समान पदों की वेतन शृंखलाए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव को मद्देनजर रखते हुए यथावत् ली गई हैं । जो पद राज्य सरकार के विभागों में सृजित नहीं हैं किन्तु निगम में हैं उन पदों की वेतन शृंखला पद के कार्य और योग्यता के आधार पर समकक्ष वेतन शृंखला ली गई है। इसी अनुसार सहायक यातायात निरीक्षक की वेतन शृंखला भी निश्चित की गई है।

(2) मामला विचाराधीन है।

(3) वाहन चालक के पद राज्य सरकार में होने के कारण राणावत वेतन आयोग की वेतन शृंखला के समक्ष ली गई है। पत्रक वितरकों के पद कनिष्ठ लिपिकों के समान होने के कारण समान वेतन शृंखला रखी गई है। सहायक यातायात निरीक्षक की पुरानी वेतन शृंखला 90-225 राज्य सरकार में 110-230 वेतन शृंखला के समकक्ष की हुई है। अतः

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
यह वेतन शृंखला निगम में भी सहायक यातायात निरीक्षकों के लिये निर्धारित की है।

(4) यातायात निरीक्षकों व सहायक यातायात निरीक्षकों की वेतन शृंखला में जो अन्तर है वह उपरोक्त 3-रु० के आधार पर ही हुआ है। नवीन वेतन शृंखलाएं लागू करने से पूर्व भी दोनों पदों की वेतन शृंखला में भारी अन्तर था।

(5) जी नहीं।

सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण का ठेका

431. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1970-71 में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत जैसलमेर-खूडी नियाजलात सड़क, माइल 32 से 69 तक के निर्माण का ठेका मैसर्स गुमानीराम अग्रवाल एण्ड ब्रदर्स को दिया गया था ? यदि हां, तो कितने रुपयों में ?

(2) इस ठेकेदार को इस ठेके के सम्बन्ध में अब तक कितने-कितने रुपयों का भुगतान किया जा चुका है और कितने रुपयों के बिल भुगतान के लिये विचाराधीन हैं ?

(3) उपरोक्त भुगतान में से कितना और किस-किस आइटम का भुगतान एक्स्ट्रा आइटम के रूप मे किया गया ?

(4) इन एक्स्ट्रा आइटम को निविदा आमन्त्रित करते समय प्रावधान क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान करने से पूर्व उपयुक्त अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ? यदि हां तो, दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। 9,05,565 रुपये का ठेका दिया गया था।

(2) ठेकेदार को 14,01,636 रुपये का भुगतान किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जैसलमेर के पास कोई बिल भुगतान हेतु विचाराधीन नहीं है।

(3) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(4) निविदा आमन्त्रित करते समय विदित नहीं था कि अनुच्छेद 3 में वर्णित कार्य करने होंगे। अतः प्रावधान एस्टीमेट में नहीं रक्खा गया था।

(5) अंतिम भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करली गई थी।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

रामदेवरा, नांचना, भारेवाला सड़क निर्माण का ठेका

432. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामदेवरा, नांचना, भारेवाला सड़क माइल से 42 तक के निर्माण का ठेका मैसर्स मोड़दाराम सुम्बाराम को दिया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों का ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(2) इस कम्पनी को अब तक किन-किन तारीखों में कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है और इनमें एक्स्ट्रा आइटम्स का कितना भुगतान किया गया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स के लिये भुगतान करने से पूर्व उपयुक्त अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ? यदि नहीं, तो किस-किस भुगतान के लिये ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी और कब कब ?

(4) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान स्वीकृत दरों से अधिक दर पर किया गया ? यदि हां, तो किस-किस आइटम्स का तथा क्यों ?

(5) क्या ऐसे अनधिकृत भुगतान के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इन एक्स्ट्रा आइटम्स के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा उनके उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(7) ठेकेदारों को ठेकों की शर्तों के अतिरिक्त कितना-कितना एडवान्स तथा अन्य प्रकार का कितना-कितना सामान एवं सुविधा कब-कब दी गई ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 26-6-70 को 15,29,858 रुपये का ठेका दिया गया था।

(2) सूची (अ) प्रस्तुत है। एक्स्ट्रा आइटम का भुगतान 1,40,013 रुपये का किया गया है। स्वीकृत एक्स्ट्रा आइटम की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) अंतिम भुगतान से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता, सर्किल-2, जोधपुर का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उक्त जानकारी प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में अंकित कर दी गई है।

(4) एक्स्ट्रा आइटम का भुगतान स्वीकृत दरों पर ही किया गया है।

(5) अनधिकृत भुगतान नहीं किया गया है।

(6) एक्स्ट्रा आइटम्स की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है।

(7) ठेकेदार को हायर पर्चेज बेसिस पर एक जीप 6-2-71 को दी गई थी, जिसका मूल्य 22,884 रुपये मय ब्याज के वसूल कर लिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैसलमेर एवं पोकरन रेल्वे स्टेशन से सीमेन्ट आदि पहुंचाने का ठेका

433. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1970-71 में अधिशासी अभियन्ता, प्रयोजना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
खण्ड, जैसलमेर द्वारा जैसलमेर एवं पोकरन रेल्वे स्टेशन से जैसलमेर एवं पोकरन के पी. डब्ल्यू. डी. के स्टोर्स तक सीमेन्ट आदि सामान पहुँचाने का ठेका देने हेतु दो बार निविदा आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब-कब और क्यों ? कृपया दोनों बार प्राप्त निविदाओं की एक तालिका मय दरों के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त निविदा में किसका निविदा स्वीकार किया गया और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार को निविदा में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त एक्स्ट्रा आइटम्स का भी भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस आइटम के लिये कब-कब और कितना-कितना ?

(4) इस ठेकेदार को अब तक कुल कितनी रकम का भुगतान किया जा चुका है ?

(5) क्या इन एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान करने से पूर्व उपयुक्त अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो किस-किस आइटम के लिये कब-कब ?

उत्तर

(1) निविदा प्रथम बार 20-8-70 को, दूसरी बार 14-11-70 को आमन्त्रित की थी। प्रथम बार आमन्त्रित निविदा के रद्द करने के कारण। निविदाओं की तालिका प्रस्तुत है।

(2) श्रीमान् मोहन भाटिया की निविदा दर न्यूनतम होने के कारण स्वीकार की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) 22627.44 पैसे का भुगतान किया गया है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सड़क निर्माण कार्य में अवाप्त सरकारी भूमि का मुआवजा

334. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत उन भूमि खण्डों को भी अवाप्त करने की कार्यवाही की जाती है जो भूमि वास्तव में राज्य सरकार की बिला कब्जा भूमि होती है तथा ऐसी कार्यवाही में भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा प्रायः राजकीय भूमि अवाप्त करके उसका मुआवजा गलत दावेदारों को दे दिया जाता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी भूमि अवाप्ति अधिकारियों द्वारा जिलाधीशों को सूचना दिये बिना प्रायः एकपक्षीय कार्यवाही में एवार्ड तय किये जाते हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर द्वारा सन् 1969-70 में बाड़मेर जिले की निम्नांकित राजकीय भूमि को ही अवाप्त करके कुछ व्यक्तियों को लाखों रुपयों का मुआवजा दिया गया है

Page No 40

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
और इन मामलों में जिलाधीश, बाड़मेर को बिना सूचित किये एवं राज्य सरकार को पैरोकारी का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षी एवार्ड जारी किये गये हैं:—

(क) सीमा सुरक्षा दल के रहवासी क्वार्टर्स हेतु अवाप्त भूमि।

(ख) बाड़मेर से चौहटन बाई-पास रोड में अवाप्त भूमि केसेज।

(ग) सिणधरी गडरा रोड में अवाप्त भूमि केसेज।

(4) यदि यह सत्य हो तो क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक जांच एवं कार्यवाही करने को तत्पर है ?

(5) तहसीलदार के दर्जे के अधिकारी को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त क्यों किया जाता है ?

(6) जब भूमि अवाप्ति अधिनियम में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करने के अधिकार जिलाधीशों को ही प्रदत्त हैं तो उन अधिकारों को तहसीलदारों के पद के अधिकारियों को क्यों डेलीगेट किया जा रहा है ? यदि जिलाधीश की शक्तियों को डेलीगेट ही करना आवश्यक हो तो क्या यह डेलीगेशन परगना अधिकारियों या वरिष्ठ आर. ए एस. अधिकारियों को वांछनीय नहीं है ?

(7) क्या सरकार भूमि अवाप्ति अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके यह शक्तियां परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर को प्रदान कर और उनके निर्णय व एवार्ड की अपील जिलाधीश के समक्ष होने का प्रावधान करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

सवाई मानसिंह अस्पताल के स्टोर से दी गई दवाइयां

435. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल से सन् 1967 से लेकर अब तक किन-किन ऐसे व्यक्तियों को स्टोर से कितने-कितने मूल्य की दवाई दी गई है, जिन दवाइयों का व्यय ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार से रिएम्बर्स करवा सकते थे ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इन दवाइयों की कमी की पूर्ति सवाई मानसिंह अस्पताल में किस प्रकार से की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार इस प्रकार का आदेश प्रसारित करने का विचार रखती है कि जो व्यक्ति दवाइयों के मूल्य का रिएम्बर्समेंट कराने का अधिकारी है वह किसी भी अस्पताल के स्टोर से दवाई न ले ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न 'अ' में प्रस्तुत की जा रही है।

(2) ये दवाइयां इस चिकित्सालय के मद से ही दी गई हैं तथा कमी रहने पर अतिरिक्त धनराशि सरकार द्वारा दी गयी है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(3) इस बारे में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

कडाना बांध की ऊंचाई

436. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गुजरात सीमा पर बन रहे कडाना बांध की ऊंचाई के बारे में राजस्थान व गुजरात सरकार के बीच मतभेद चला आ रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि दोनों सरकारों के बीच अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि दोनों सरकारों के बीच अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। एक निर्णय सन् 1966 में हुआ था। उस निर्णय के अनुसार माही-बजाज-सागर व कडाना का लेवल क्रमशः 412 और 419 रखना तय हुआ था। बाद में राजस्थान सरकार ने कडाना का लेवल 410 रखने का निर्णय लिया। राजस्थान का यह निर्णय गुजरात सरकार ने नहीं माना है। अतः मामला पुनः विचाराधीन है।

बाढ़ की रोकथाम के लिए दी गई राशि

437. श्री नत्थीसिंह (नदबई) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1972 में आई बाढ़ के पानी को रोकने हेतु रूपवास एरिया के ओवरसियर श्री एन. के. गुप्ता को कुछ धनराशि दी गई थी ?

(2) उक्त कार्य के लिए किन-किन तारीखों में कितनी-कितनी राशि दी गई और इस राशि का व्यय किस-किस कार्य पर कहां-कहां कितना-कितना किया गया ? भुगतान के वाउचर्स व मस्टर रोल की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि बाढ़ के पानी से बनाया, नदबई, वैर व भरतपुर को बचाने हेतु राज्य सरकार ने धनराशि व्यय की है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि व्यय की है ? पृथक्-पृथक् ब्योरेवार बतलाएं किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि किस कार्य पर व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ओवरसियर को वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए समय-समय पर धनराशि दी जाती है। बाढ़ के नाम से अलग से कोई राशि नहीं दी गई। जो धनराशि माह अगस्त व सितम्बर में दी गई वह निम्न प्रकार है:—

दि. 22-8-72	....	रु० 10,000
दि. 14-9-72	....	रु० 500
दि. 18-9-72	....	रु० 10,998
दि. 21-9-72	....	रु० 612
	योग:—	रु० 22,110

(सिचाई मंत्री)

भुगतान के वाउचर्स/मस्टर रोल की प्रतियां अल्प समय में देना संभव नहीं है। खर्चे की सूची संलग्न है।

(3) जी हां, कुल 1,11,415 रु० की धनराशि व्यय की गई, जिसका ब्यौरा संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

डूंगरपुर जिले के तालाबों का सर्वे

438. श्री **रामचन्द्र रौत** (चौरासी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में विभाग द्वारा सिंचाई के तालाबों की सर्वे करा रखी है? यदि हां, तो वे कौन से तालाब हैं? नाम तालाब व तहसील के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में बहुत से तालावों को अकाल सहायता द्वारा बनाना चाहती है? यदि हां, तो वे कौन से तालाब हैं, जिनको अकाल सहायता के अन्तर्गत बनाया जायेगा?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 कार्यों की मन्जूरी हो चुकी है, जिनकी सूची 'ब' संलग्न है। इसके अलावा 30 कार्य और प्रस्तावित हैं जिसकी सूची 'स' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर डिविजन में हाईड्रोलोजिकल सर्वे

439. श्रीमती **निर्मलाकुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या उदयपुर डिविजन की सभी तहसीलों का हाईड्रोलोजिकल (भूमिगत जल) सर्वे हो गया है? यदि हां, तो इसमें सबसे अधिक किस तहसील में जल की सम्भावना है? यदि सर्वे नहीं हुआ तो क्यों तथा भविष्य में कब तक इस सर्वेक्षण के हो जाने की सम्भावना है?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बनास नदी के साथ ट्यूब-वेल्स लगाने की योजना

440. श्रीमती **निर्मलाकुमारी** (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार की बनास नदी के सहारे-सहारे ट्यूब-वैल्स लगाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाई जावेगी?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बाड़मेर जिले के ग्रामों का क्षेत्रफल

441. श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने गांव हैं, जिनका क्षेत्रफल 25 वर्गमील से

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन).

अधिक है ? सूची प्रत्येक ग्राम के क्षेत्रफल एवं उनकी सन् 1971 की जनसंख्या का विवरण देते हुये सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों के अधिक क्षेत्रफल होने के कारण यानी बड़े ग्राम होने के कारण उक्त गामों की जनता को सुविधा एवं उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक ग्रामों में विभाजन करना उचित समझती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उनके विभाजन के लिये अभी तक क्या कदम उठाये हैं ?

(3) राज्य सरकार उक्त ग्रामों का अनेक ग्रामों में कब तक विभाजन करा देगी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) पांच बड़े ग्रामों का विभाजन कर दिया गया है। शेष का परीक्षण अभी नहीं किया गया है।

(3) परीक्षण के बाद ही विभाजन करना संभव हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

मंदिरों की माफी की भूमि

442. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चक 6 ई. ई. ए., तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर के मन्दिर की भूमि माफी रजिस्टर में किसके नाम से दर्ज थी ? वह व्यक्ति कब मरा और वह भूमि किसको कब और किस आधार पर अलॉट की गई ? क्या सरकार मृतक व्यक्ति के भाई को उक्त भूमि अलॉट करने का विचार रखती है ?

उत्तर

चक 6 ई. ई. ए., तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर के मंदिर की भूमि माफी रजिस्टर में श्री रामलाल पुत्र कालूराम के नाम से दर्ज थी। वह व्यक्ति सन् 1966 में मरा है। उक्त भूमि श्री कन्हैयालाल पुत्र कालूराम को दिनांक 29-4-67 को श्री रामलाल का भाई व जायज वारिस होने के कारण अलॉट की गई है। उक्त भूमि मृतक व्यक्ति के भाई को अलॉट की जा चुकी है। अतः विचार रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

चक 1 पी० पी०, तहसील पदमपुर में भूमि पर अवैध कब्जा

443. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि चक 1 पी.-पी., तहसील, पदमपुर, जिला गंगानगर में श्री भगवानसिंह ने पटवारी श्री बलबीरसिंह से मिलकर मुरब्बा नं० 25-26 व 27 के पत्थर (सीमा चिन्ह) उखाड़ कर अपनी भूमि मु० नं० 16-17 व 18 में अवैध रूप से 5 फुट भूमि मिला ली है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि चौ० चेतनराम एफ. पी. पी. ने दिनांक 8-2-72, 30-1-72, 15-10-72 व 15-12-72 को जिलाधीश, गंगानगर को आवेदन–पत्र पेश

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
किया इस पर जिलाधीश, गंगानगर के पत्र क्रमांक वि./जा/मु/अ/7520, दिनांक 7-11-72 द्वारा प्रार्थी को यह सूचित किया गया कि बन्दोबस्त (Land Settlement) विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा कराई गई जांच की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) यह सही नहीं है।

(ख) जी हां।

जांच की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हुई)

तहसीलदारों की वरिष्ठता एवं पदोन्नति के मामले

444. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राज्य के तहसीलदारों के वरिष्ठता व पदोन्नति के मामले काफी अर्से से सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितने ? वरिष्ठता को सूची की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि शीघ्र वरिष्ठता निर्णय नहीं होने के कारण बहुतसे तहसीलदार अपनी पदोन्नति से वंचित रह गये हैं ?

(ग) क्या उक्त तहसीलदारों की वरिष्ठता तय हो जाने पर सरकार उनको यथोचित समय से पदोन्नत मानेगी तथा उनको उचित आर्थिक लाभ दे सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। सूची संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम गणेशपुरा में आवंटित कृषि-भूमि

445. **श्री विजयसिंह** (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या ग्राम गणेशपुरा, पंचायत भीमड़ियास, तहसील माण्डल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के श्री देवा बलाई, श्री गणेश बलाई, श्री लादू चमार, श्री चान्दू पुत्र श्री भूरा चमार, श्री मोहन पुत्र श्री प्रताप चमार, श्री हजारी भील और अन्य 10 को चार साल पूर्व कृषि-भूमि आवंटित की गई थी ?

(2) क्या आवंटित भूमि इन व्यक्तियों को सुपुर्द कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम गणेशपुरा में सन् 70-71 में भूमि आवंटन की गई थी। आवंटितियों की सूची संलग्न है।

Page No 45

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां । सर्वश्री देवा बलाई, गणेश बलाई, लादू चमार, चांदू चमार व मोहन चमार को दिनांक 23-4-71 को व श्री हजारी को दिनांक 28-9-71 को भूमि सुपुर्द कर दी गई।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

तहसीलदारों की वरिष्ठता सूची

446. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान के तहसीलदारों की कोई वरिष्ठता सूची है ? यदि हां, तो अब तक की अन्तिम वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) राजस्व विभाग की डी. पी. सी. की गत बैठक कब हुई एवं उसमें कौन-कौन व्यक्ति सदस्य थे ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) डी० पी० सी० की बैठक दिनांक 26-6-72 से 28-6-72 तक हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

1. श्री गोवर्धनसिंह चौधरी, राजस्व सचिव ।
2. श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, कार्यवाहक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. श्री नारायणचन्द भटनागर, सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
4. श्री शिवराम जैन, कार्यवाहक आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर में कृषि-भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

447. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में आवास समस्या को दूर करने हेतु भवन निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित की गई भूमि पर भवन निर्माण करने में क्या प्रगति हुई है और ऐसी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने में क्या कठिनाई आ रही है और क्यों विलम्ब हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने समस्त राज्य में जयपुर शहर सहित ऐसी भूमि को परिवर्तित करने की घोषणा वर्ष 1969-70 के बजट अभिभाषण में कर दी थी ? यदि हां, तो जयपुर शहर में इसकी क्रियान्विती में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद्, जयपुर द्वारा अवाप्त कृषि-भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर देती है जबकि सहकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त कृषि-भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) शहरी क्षेत्रों में कृषि-भूमि के अनधिकृत रूपान्तरण के मामलों के नियमन हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 6-10-71 को राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में आवासीय अथवा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कृषि-भूमि का आवंटन व रूपान्तरण का निमितिकरण) नियम 1971 प्रसारित किये थे। उक्त नियमों के अन्तर्गत अनाधिकृत रूपान्तरण करने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित जिलाधीश के समक्ष नियमन हेतु छः माह की अवधि में अपना आवेदन प्रस्तुत करना था। परन्तु उपरोक्त अवधि में जयपुर नगर की किसी भी सहकारी समिति ने नियमन हेतु आवेदन नहीं किया। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

वैसे राज्य सरकार ने उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत अपनी ओर से कार्यवाही प्रारंभ कर सहकारी समितियों द्वारा आवंटित भू-खण्डों के 113 मामलों में नियमन की स्वीकृति जारी कर दी है।

(2) जैसा कि प्रश्न (1) के उत्तर में निवेदन किया गया है, दिनांक 21-8-71 तक प्लिन्थ से ऊपर तक बने हुए मकानों को नियमन हेतु नियम प्रसारित किये जा चुके हैं और उनके अनुसार क्रियान्वन हो रहा है।

(3) नगर विकास न्यास व नगर-परिषद् एक सुनियोजित आधार पर नगर के विकास हेतु भूमि अवाप्त करते हैं, जबकि सहकारी समितियों ने मनमाने ढंग से व नियम विरुद्ध भूमि का आवंटन किया है, जिससे न केवल सुनियोजित विकास के मार्ग में कई समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं बल्कि अवैध निर्माण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।

ग्राम पारड़ा, तहसील गिरवा की भूमि

448. श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पारड़ा, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर की भूमि जो शरणार्थियों को बसाने तथा प्रतापनगर नाम की बस्ती का निर्माण करने के लिये संवत् 2024 वि. में भूतपूर्व मेवाड़ राज्य द्वारा ली गई थी, उसको नियमानुसार अवाप्त करने सम्बन्धी कार्यवाही अब तक अपूर्ण है तथा काश्तकारों को उक्त भूमि का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त भूमि पर प्रतापनगर नामक बस्ती के अन्तर्गत मकानों का अब तक निर्माण नहीं हुआ है एवं सारी पड़त भूमि श्री मोहनलाल बासवानी नामक उदयपुर के किसी व्यक्ति को लगभग सन् 1956 से राज्य सरकार द्वारा लीज पर दी गई है ?

(3) क्या यह सच है कि राजस्व विभाग (ख) संख्या (6) राज. (ख) 66 जयपुर, दिनांक 6-6-1966 द्वारा जिलाधीश, उदयपुर को सहायक सचिव द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि उक्त ग्राम पारड़ा की जिस भूमि पर मकानों का निर्माण हो गया है उसका मुआवजा मूल काश्तकारों को आदेश प्रसारित होने से दो माह की अवधि में दिलाया जावे तथा जो भूमि पड़त पड़ी

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हुई है उसे मूल काश्तकारों को श्री मोहनलाल बासवानी से खाली करवा कर वापस लौटा दी जावे ? इस आदेश का अब तक पालन नहीं होने का क्या कारण है ?

(4) इस सारे मामले में राज्य सरकार का अब क्या दृष्टिकोण है ? क्या राज्य सरकार पारड़ा ग्राम की अवाप्ति के अधीन भूमि जिस पर मकानों का निर्माण हो गया है उनका मुआवजा देने के लिये कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कितने समय में जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्ति के अधीन है उन्हें मुआवजे का भुगतान कर दिया जायगा ?

(5) क्या राज्य सरकार पारड़ा ग्राम की जो भूमि अब तक पड़त है और श्री मोहनलाल बासवानी को लीज पर दी गई है वह खाली करवा कर मूल काश्तकारों को वापस लौटा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी अवधि में यह भूमि मूल काश्तकारों को वापस लौटा दी जायगी और यदि नहीं, तो भूमि मूल काश्तकारों को वापस नहीं लौटाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) ग्राम पारड़ा की भूमि प्रतापनगर कॉलोनी बसाने हेतु संवत् 2024 में भूतपूर्व मेवाड़ राज्य द्वारा अवाप्त करने के आदेश हुए थे। मगर अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से उन्हीं काश्तकार के कब्जे में रह गई।

(2) ग्राम पारड़ा की उक्त भूमि में अलावा मौजा बेड़वास, सुन्दरवास की भूमि पर भवनों का निर्माण काफी मात्रा में हो चुका है। जो भूमि श्री मोहनलाल बासवानी को राज्य सरकार के आदेश संख्या 824/एफ. (334) राज./ख./58, दिनांक, 5-2-59 से 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि लीज पर डेयरी फार्म के लिये मौजा पालड़ा दी गई जो पड़त होकर बिला नाम सरकार थी।

(3) राज्य सरकार के आदेश सं. 1 (6) राज./ख/66, दिनांक 6-6-66 प्राप्त हुआ कि जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई, परन्तु राज्य सरकार को अब उसकी आवश्यकता नहीं है तो वह भूमि उन्हीं काश्तकारों को वापस लौटाने की व्यवस्था की जावे। बाद में राज्य सरकार के आदेश प. 1 (6) राज./ख/66 दिनांक 19-6-67 प्राप्त हुआ कि श्री बासवानी से उनकी भूमि लीज की समाप्ति के पूर्व वापस नहीं ली जावे। इसलिये श्री बासवानी से भूमि वापस ली जाने की कार्यवाही स्थगित की गई थी।

दिनांक 29-9-70 को आदेश संख्या एफ. 2 (283) राज./ख/70 प्राप्त हुआ कि श्री बासवानी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिये भूमि पुनः रिज्यूम करने की कार्यवाही की जावे। अतः जो कार्यवाही जारी है।

(4) मौजा पारड़ा को भूमि अवाप्त नहीं हुई तो मुआवजा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) मोहनलाल बासवानी को जो भूमि मौजा पारड़ा की लीज पर दी गई थी, वह बिला नाम थी इससे काश्तकारों को लौटाने का प्रश्न नहीं उठता। लीज पर जो भूमि मौजा पारड़ा की दी गई वह बिला नाम थी। इसको रिज्यूम करने की कार्यवाही जारी है।

महुवा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय

449. श्री विशम्भरदयाल बोहरा (महुवा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि हिण्डौन में दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बैठते हैं जिनमें से एक महुवा व टोडा-भीम के मुकदमों के सुनने हेतु बैठता है ?

(2) क्या सरकार टोडा-भीम व महुवा के लिये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय महुवा में रखेगी जिससे वहां की जनता को राहत मिले व सस्ता न्याय उपलब्ध हो ?

(3) सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है तथा इस प्रस्ताव को कब तक कार्यरूप में परिणत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) क्षेत्र की जनता से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ?

(3) मांग प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर विचार किया जा सकता है।

मनिलेन्डर का लाइसेन्स

450. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मनीलेंडर का लाइसेन्स सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां देते हैं ? यदि हां, तो अजमेर जिले में वर्ष 1965 से जब से सहकारी अधिनियम लागू किया है अब तक कितने लाइसेन्स जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या सहायक रजिस्ट्रार ने जिले के सहकारी निरीक्षकों द्वारा लेन-देन करने वालों की सूची मांगी जिन्होंने लाइसेन्स प्राप्त नहीं किये और अधिनियम के विपरीत कार्य करते हों ? यदि इस प्रकार की सूची नहीं मांगी गई तो क्या भविष्य में इस प्रकार की सूचियां प्राप्त करने के आदेश दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। लाइसेन्स रजिस्ट्रार मनीलेंडर जो उप-रजिट्रार, सहकारी समितियां हैं, द्वारा जारी किया जाता है। अजमेर जिले में 1965 से जारी किये गये लाइसेन्स की सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी नहीं, राजस्थान साहूकारी अधिनियम व नियम के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर

451. श्री जीयंग (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि., आमेर रोड, जयपुर

(श्री जौथिग)
के भागीदारों ने रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, राजस्थान को समिति के अध्यक्ष अथवा समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत की है ? यदि हां, तो ये शिकायतें कब-कब प्राप्त हुईं और किस प्रकार की हैं ? सभी शिकायतों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, राजस्थान ने उक्त शिकायतों की जांच की है ? यदि हां, तो दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सच है कि इस समिति के चुनाव नियमानुकूल नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग इस समिति में प्रशासक नियुक्त करके इस समिति की गतिविधियों की जांच करायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। एक शिकायत दि. 3-4-71 श्री मदनराज मेहता तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं श्री भगवानसहाय धीया, तत्कालीन संयुक्त सचिव से तथा दूसरी दिनांक 25-5-72 श्री भगवानसहाय धीया, भूतपूर्व संयुक्त सचिव से प्राप्त हुई जिनमें अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप थे। प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। जांच कराई जा रही है।

(3) जी नहीं। इस कारण प्रशासक नियुक्त करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अन्य अनियमितताओं के कारण जांच कराई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि कार्यों के लिये बैंकों द्वारा ऋण

452. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अल्प व मध्यकालीन ऋण कृषि उपज बढ़ाने में कहां तक सफल हुए हैं ?

(2) राजस्थान में विभिन्न जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव कब कराये जाते हैं और संचालकों की अवधि कब समाप्त हो जाती है ? क्या सहकारी नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार एक निश्चित अवधि में ऐसे संचालक की सदस्यता समाप्त हो जाती है ?

(3) क्या राज्य सरकार सहकारी अधिनियमों में कोई संशोधन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वे क्या-क्या तथा वे कब तक हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार दिये जाने वाले अल्प व मध्यकालीन ऋण कृषि उपज बढ़ाने में पूर्ण सफल हुए हैं।

(2) राजस्थान में विभिन्न जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों में संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव उनके उप-नियमों के अनुसार कराये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत कुल सदस्यों

(सहकारिता मंत्री)

का ⅓ प्रति वर्ष रिटायर होते हैं। सहकारी नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार एक निश्चित अवधि में संचालक की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

(3) जी हां, राज्य सरकार सहकारी अधिनियमों में संशोधन करने का विचार कर रही है। यथासंभव शीघ्र किये जावेंगे।

खनिज लीज

453. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी खनिज की लीज किन-किन को कब से कहां-कहां किन शर्तों पर सरकार ने दे रखी है ? क्या एक ही किस्म के खनिज की लीज अलग-अलग पार्टीज को अलग शर्तों पर दे रखी है ? यदि हां, तो किन-किन को और क्यों ?

(2) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को किन-किन खनिजों की लीज कहां-कहां किन-किन शर्तों पर कब से दे रखी है ? क्या बीकानेर जिप्सम लिमिटेड कं. में राज्य सरकार का भी हिस्सा है ? यदि हां, तो कब से कितना हिस्सा है तथा इसमें कितनी पूंजी लगी हुई है व उपरोक्त कम्पनी का संचालन किस तरह से होता है ? राज्य सरकार का इसके संचालन व नियंत्रण में कितना हिस्सा है ?

(3) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड में कुल कितने मजदूर काम करते हैं ? साल भर में कितना जिप्सम निकलता है ? सालाना आमदनी कितनी है व सरकार को इससे रॉयल्टी व आमदनी के रूप में कुल कितनी आय होती है ?

(4) क्या सरकार का उपरोक्त कम्पनी द्वारा निकाले गये जिप्सम की बिक्री की दर पर कोई नियंत्रण है ?

(5) क्या सरकार का उपरोक्त कम्पनी के व्यय पर किसी तरह का नियन्त्रण है? यदि हां, तो किस तरह का, यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या राज्य सरकार ने एफ. सी. आई. को भी जिप्सम खनिज की लीज दे रखी है ? यदि हां, तो कब से कहां-कहां पर किन-किन शर्तों पर ?

(7) क्या एफ. सी. आई. द्वारा ली गई जिप्सम की लीज पर कोई खास तरह का प्रतिबन्ध या शर्त लगाई है ? यदि हां, तो क्या और किस तरह की शर्त लगाई है ? क्या ऐसी ही शर्त बीकानेर जिप्सम लिमिटेड पर भी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या यह सही है कि एफ. सी. आई. को दी गई लीज की शर्त के कारण उनके द्वारा निकाले हुये खनिज में से काम में आने वाली किस्म जमीन में गाड़ दी जाती है ? यदि हां, तो उनके द्वारा कहां-कहां कितनी खनिज की मात्रा हर महीने जमीन में गाड़ दी जाती है ? इस तरह से गाड़े हुये खनिज की अनुमानतः क्या कीमत हो सकती है ?

(9) क्या एफ. सी. आई. ने कभी अपने काम न आने वाली किस्म को जो बेकार जमीन में गाड़ दी जाती है बिक्री करने के लिये आवेदन किया ? यदि हां, तो कब और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(स्थगित किया गया)

झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी

454. **श्री अजीतसिंह (टोंक)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में हुए राज्य सरकार एवं बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड के बीच हुए करार के खण्ड 15 के अनुसार एक लाख रुपये की सिक्योरिटी किस तारीख को कब और कहां जमा कराई गई ?

उत्तर

झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में हुए राज्य सरकार एवं मैसर्स बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के बीच हुए करार के खण्ड 15 के अनुसार एक लाख रुपये की इन्श्योरेन्स गारन्टी की पॉलिसी कम्पनी ने उनके पत्र 8-12-70 के साथ राज्य सरकार को भेजी थी जो कि 11-12-70 को प्राप्त हुई। गारन्टी 19-11-70 से प्रभावशील थी। कम्पनी के अनुरोध पर राज्य सरकार ने उन्हें गारन्टी इन्श्योरेन्स कम्पनी को देने की अनुमति दे दी थी।

लिक्वीडेटेड डेमेजेज के रूप में वसूल की गई राशि

455. **श्री अजीतसिंह (टोंक)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि झामर कोटड़ा रॉक-फास्फेट के सम्बन्ध में सरकार एवं बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड के बीच हुए करार के खण्ड 2 उप-खण्ड (1) में वर्णित (शिड्यूल) अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार वर्किंग कान्ट्रैक्टर ने कार्य नहीं किया है ? यदि हां, तो इसी करार के खण्ड 16 के अन्तर्गत वर्किंग कान्ट्रैक्टर से कब-कब कितने-कितने टन माल के लिये किस-किस रेट से लिक्वीडेटेड डेमेजेज के रूप में कितनी-कितनी धनराशि वसूल की गई ? यदि यह वसूली नहीं हुई तो क्यों ?

उत्तर

शिड्यूल के अनुसार कार्यवाही की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं, इसलिये लिक्वीडेटेड डेमेजेज के रूप में धनराशि वसूल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट की खानों से खनिज का ट्रान्सपोर्टेशन

456. **श्री अजीतसिंह (टोंक)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट की खानों से खनिज के ट्रान्सपोर्टेशन के लिये विभाग द्वारा किस-किस नम्बर के ट्रक के मालिक को किस-किस दर से किस-किस माह में कितने-कितने टन रॉक फास्फेट के ट्रान्सपोर्टेशन के लिये कितने-कितने रुपयों का भुगतान किया गया ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

रॉक फास्फेट ट्रान्सपोर्टेशन के ठेके समय-समय पर नियमानुसार विभिन्न ठेकेदारों को दिये जाते रहे हैं तथा ठेकेदार की आवश्यकतानुसार ट्रक काम में लेता है। अतः ट्रकों से सम्बन्धित सूचना विभाग में नहीं है और न ही ठेकेदार से मांगी जा सकती है क्योंकि ठेकेदारों के साथ हुए एग्रीमेन्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है।

ग्राइंडिग एवं ट्रांसपोर्टेशन का ठेका

457. श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड के मध्य हुए करार के खण्ड 7 उप-खण्ड (2) के अनुसार वकिंग कान्ट्रैक्टर द्वारा पिट्स माउथ पर किस-किस वर्ष में कितना कितना टन खनिज राज्य सरकार को दिया गया ?

(2) इस खनिज के ग्राइंडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन के सम्बन्ध में किस प्रक्रिया से कितना-कितना खर्च हुआ है और उसकी ग्राइंडिग तथा ट्रांसपोर्टेशन पर किस किस वर्ष में प्रति टन कितना-कितना खर्च हुआ है ?

(3) इस खनिज के ट्रांसपोर्टेशन के लिये विभाग द्वारा किस-किस नम्बर के ट्रक के किस-किस मालिक को कितने-कितने खनिज के ट्रांसपोर्टेशन के लिये किस दर से कितने-कितने रुपयों का भुगतान किया जा चुका है ?

(4) ग्राइंडिग एवं ट्रांसपोर्टेशन का विभाग द्वारा क्या कोई कान्ट्रैक्ट दिया गया था ? यदि हां, तो किस-किस को किस-किस दर से और कब-कब ?

(5) क्या उपरोक्त कार्य के लिये निविदा आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस के निविदा लोएस्ट होने पर भी मंजूर नहीं किये गये और क्यों ?

उत्तर

(1) मै. बीकानेर जिप्सम लिमिटेड तथा राज्य सरकार के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार विभिन्न वर्षों में रॉक फॉस्फेट की निम्नलिखित मात्रा राज्य सरकार को पिट्स माउथ पर दी गयी: -

वर्ष 1970–71	52537.696 टन
वर्ष 1971–72	31170.265 टन
वर्ष 1972–73 (15-3-73 तक)	35462.070 टन

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) खनिज के ट्रांसपोर्टेशन के लिये विभाग द्वारा मै. आर्यावर्त निर्माण लि., मै. भारत डीलर्स लि. तथा श्री महावीर ट्रांसपोर्ट कम्पनी को अलग-अलग समय पर ठेका दिया गया, किन्तु ट्रांसपोर्टेशन के लिये जो ट्रक कार्यों में लिये गये वे इन ठेकेदारों (कान्ट्रैक्टरों) ने अपने-अपने स्तर पर नियुक्त किये थे इसलिये किस-किस ट्रक के मालिक को कितने-कितने खनिज के ट्रांसपोर्टेशन के लिये किस दर से कितना-कितना भुगतान किया गया इसकी जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) ग्राइंडिग एवं ट्रांसपोर्टेशन के लिये विभाग द्वारा निम्नलिखित विभिन्न कान्ट्रैक्ट (ठेके) दिये गये थे:—

कोन्ट्रैक्टर का नाम	अवधि	प्रति टन ट्रांसपोर्ट की दर	प्रति टन ग्राइंडिग की दर	विवरण
1	2		4	5
मै. आर्यावर्त निर्माण लि.	17-4-69 से 23-1-71 तक	24 रु.	20 रु.	

(खनिज मन्त्री)

1	2	3	4	5
मै. भारत डीलर्स लि.	11-2-71 से 30-9-72 तक	रु. 34.98	यह दर ग्राइंडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन दोनों की सम्मिलित है।	–
मै. धरती-धन प्रा. लि.	23-11-72 से अभी तक चालू	–	16 रु.	
मै. श्री महावीर ट्रांसपोर्ट कं.	,,	10.85 पर टन	हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा तक।	–

(5) जी हां, 11-2-71 को दिये गए कान्ट्रेक्ट के लिए प्राप्त टेण्डरों में मैसर्स भारत डीलर्स लि. का टेन्डर लोएस्ट से चौथा था। प्रथम तीन टेन्डरर्स (मैसर्स महताबचन्द गोलेछा, उदयपुर, मैसर्स धरतीधन प्रा. लि., उदयपुर तथा मैसर्स राजस्थान मिनरल डवलपमेंट सिन्डीकेट, उदयपुर) के टेन्डर लोएस्ट होने पर भी स्वीकृत नहीं किये गये क्योंकि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने टेन्डर आमंत्रित करते समय अपनी दैनिक आवश्यकता 200 टन प्रति दिन बताई थी जबकि प्रथम तीन लोएस्ट के प्लान्ट की उस समय की उत्पादन क्षमता 200 टन प्रति दिन नहीं थी।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

रॉक फास्फेट का उत्खनन, ग्राइन्डिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन का ठेका

458. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) झामर कोटड़ा की रॉकफासफेट की खानों में खनिज विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर अब तक किस-किस माह में कितने-कितने रॉक फासफेट का उत्खनन, ग्राइंडिंग व ट्रांसपोर्टेशन हुआ है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त कार्यवाही में प्रति वर्ष प्रति टन किस-किस रूप में कितना-कितना व्यय हुआ है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के विभागीय स्तर पर झामर कोटड़ा (डी) एवं (बी) ब्लॉक खान से रॉक फासफेट का उत्खनन किया गया जिसकी सूची संलग्न है।

(2) क्रशिंग, ग्राइंडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

उत्खनन कार्य के क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि कार्य पर विभाग द्वारा प्रति टन निम्नांकित रेट से खर्च किया गया:—

सन्	लम्प्स पर प्राप्त टन दर	प्राप्त मटीरियल
1969–70	11.41	49.90
1970–71	25.78	56.74

(कृपया परिशिष्ट 20 देखिये)

मकराना खनिज क्षेत्र से आय

459. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस समय मकराना खनिज क्षेत्र से सालाना क्या आय होती है ?

(2) मकराना खनिज क्षेत्र के विकास के लिये खनिज विभाग ने आज तक कितना रुपया खर्च किन किन कामों पर किया है ?

उत्तर

(1) मकराना खनिज क्षेत्र की आय इस समय करीब 5,50,000 रुपये सालाना है।

(2) मकराना खानों के लिये जल प्रदाय हेतु एक कुए का निर्माण किया गया है, जिसमें 80,415.15 रुपये खर्च हुए हैं और इसको चलाने के लिये विभाग को करीब 3000 रुपये प्रति वर्ष खर्च करना पड़ता है।

खानों के विकास के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खानों के क्षेत्र में सड़कों का भी निर्माण कराया गया है। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है, अतः व्यय के आंकड़े इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि ....

(1) श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने उदयपुर नगर में वितरित किये गये पानी के कारण सैंकड़ों व्यक्तियों के पीलिया और अन्य बीमारियों के शिकार हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा उपाध्याय परीक्षा, 1972 के एक पर्चे की उत्तर-पुस्तिका के बिना जांचे ही परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य, विधान सभा ने बिजली की कटौती के कारण गंगानगर की कपास मीलों को उपलब्ध होने वाली लम्बी रेशे की कपास के भाव में कमी होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, केदारनाथ, गिरधारीलाल भार्गव व मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने गत 21 मार्च को टोंक थाने में गिरफ्तार किये गये एक छात्र तथा उसके 4 साथियों की पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय में एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना गत 23 मार्च को प्राप्त हुई थी जिस पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। अतः इस पर भी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

इन सभी स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

(5) सर्वश्री गुमानमल लोढा, केदारनाथ, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने राजकीय मुद्रणालय कर्मचारियों की हड़ताल को अवैधानिक करार दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में प्राप्त अन्य स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस पर भी जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(6) श्री झावरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा ने सीकर जिले की फतेहपुर नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षीय कमरे को गत 13 मार्च से ताला लगाकर रखने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(7) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने पाली में गत 21 व 22 मार्च को पुलिस द्वारा नेमीचन्द नाम के एक व्यक्ति की पिटाई के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। ये दोनों ही विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने चौमू ठिकाने के किले की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने शरणार्थी कैम्प तुखी में दाल, शक्कर व दवाइयों का प्रबन्ध न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(10) श्री बेगाराम चौहान, सदस्य, विधान सभा ने रायसिंहनगर के चक 52 एम. पी. क्षेत्र में गत 8 मार्च से पानी नहीं मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(11) श्री झावरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा ने सीकर जिले की नीम का थाना पंचायत समिति के गांव राजपुरा के बावरियों के सात परिवारों को विकास अधिकारी द्वारा सताये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(12) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा ने धोलपुर के समीप चम्बल का पुल बैठ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये प्रस्ताव अस्पष्ट हैं और इनमें से कुछ में सम्बन्धित घटना की तिथि नहीं दी गई है और ये अविलम्बनीय लोकमहत्व के भी नहीं हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(13) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और अजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान हाई-कोर्ट की बेंच जयपुर में स्थापित किये जाने के प्रश्न को लेकर वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार और धरना देने के सम्बन्ध मे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी प्रश्न पर पहले एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जा चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप दोनों में से कोई एक बोल लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रायोरिटी गिरधारीलालजी को है।

श्री जयकिशनलाल : आपस में ही संगठन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, 16-3-73 से वकीलों ने कोर्ट्स का बहिष्कार कर रखा है और पूरे राजस्थान के वकीलों का सम्मेलन 25-3-73 को हुआ।

श्री अध्यक्ष : This has been discussed so many times.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब कुछ परिस्थिति बदली है, माननीय अध्यक्षजी !

श्री अध्यक्ष : जो बदली है वही कह दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वकीलों के अदालतों में काम न करने से मुवक्किल्लों को कितनी कठिनाई हो रही है इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। असेम्बली के बाहर 26 और 27 को वकीलों का धरना है। कल से धरना प्रारम्भ हो गया है और जयपुर शहर के करीब 25 सम्माननीय वकील धरने पर बैठे हैं और आज दूसरा जत्था आकर बैठेगा। 27 को भूख हड़ताल और 30 को मांग दिवस किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : It is not in your adjournment motion.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा प्रश्न यह है कि यह दलगत प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Your adjournment motion is confined to closing of civil courts only.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज कांग्रेस विधायक दल ने भी गुप्त मतदान की बात की है और जयपुर देहात कांग्रेस कमेटी ने भी प्रस्ताव पास किया है, कांग्रेस के संसद सदस्यों ने भी मुख्य मंत्री को कहा है कि स्पष्ट घोषणा करें और राजस्थान पर अब जल्दी ही विचार होगा, मुख्य मंत्री ने कहा है कि वहां पर प्रश्न को रखूंगा। इसलिये मैं न्याय मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि उनको यह कहना चाहिये कि पिछली बार जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसके बाद पुनः विचार करेंगे और मुख्य मंत्री को भी यह आश्वासन देना चाहिये

Page No 57

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि जयपुर शहर में हाईकोर्ट की बेंच लाई जाये । जनता की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार रखते हुए सरकार को इसके बारे में आश्वासन देना चाहिये ।

एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के....

श्री अध्यक्ष : उसमें जानकारी चाही है । जानकारी चाही है उसमें, और जिनमें जानकारी नहीं चाही है, इन दोनों को आप सिमीलर ट्रीटमेंट देंगे ? जिसको मैंने रिजेक्ट किया है उस पर आप बोलें यह तो वाजिब है लेकिन जिस पर मैंने जानकारी चाही है उस पर भी आप बोलें ...

श्री खेतसिंह : इनको तो फुल पावर्स हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कुछ कापियां लेकर आया हूं, वे जांची नहीं गई हैं और बिना जांचे ही परीक्षा का परिणाम निकाला गया है । कापियां जांची नहीं गई और लड़के फेल हो गये ।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव चौमू नगर के बारे में है जहां किले की रजिस्ट्री 7 दिसम्बर....

श्री अध्यक्ष : 7 दिसम्बर को तो आज करीब चार महीने हो गये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब चौमू की बात कर रहे हैं, करने दीजिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 40 हजार में रजिस्ट्री कर दी तीन लाख वर्गगज जमीन की । वहां की नगरपालिका वहां पर मंडी बनाना चाहती है और वह किला खरीदना चाहती थी । वहां पर संघर्ष समिति ने हड़ताल कराई है और जनता में बहुत असन्तोष है । राजा-महाराजा इस तरह से अपनी सम्पत्ति बेचते, और आपको तो अच्छी तरह मालूम है, कि वहां पर सात मंजिलें हैं और इसे किसी संस्था को खरीदना चाहिये था, लेकिन उसको नहीं मिला, नगरपालिका को नहीं मिला और किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ मिल रहा है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यवाही को रोकना चाहिये और सम्बन्धित मंत्री महोदय को इसके बारे में वक्तव्य देने के लिये आप कहें ।

और जो मैंने पूर्व में कहा कि बाहर वकील धरने पर बैठे हैं, उनके लिये भी न्याय मंत्रीजी वक्तव्य दें ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर एक झीलों की नगरी है, लेकिन आज वहां पर भी पानी का अभाव हो रहा है । और वहां के वाटर वर्क्स वालों ने क्या किया है कि बिना फिल्टर किये डाइरेक्ट पानी देना शुरू कर दिया है । इस पानी में बैक्टेरिया होने से पीलिया की बीमारी हो जाती है । वोमिटिंग और दस्तें होती हैं । इसके लिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इसके बारे में शीघ्र से शीघ्र जांच करे और पानी को फिल्टर करके ही दिया जाये इसकी व्यवस्था कराये ।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव निवाई में पुलिस एटरासिटीज के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, जब से इस सदन में मुख्य मन्त्रीजी ने पुलिस वालों की तारीफ की है और इस सदन में जबसे पुलिस की मांगें पास हुई तबसे मैं समझता हूं कि मुख्य-मन्त्रीजी ने पुलिस को खुली छूट दे दी है कि वह सख्ती से काम करे। पुलिस सख्ती से काम करे उसकी कोई बात नहीं लेकिन इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये। मैं आपको उदाहरण दूं अध्यक्ष महोदय, कि निवाई के अन्दर अभी जो काण्ड हुआ है उसके लिये मैं खुद घटनास्थल पर गया हूं, वहां पर मैंने स्वयं ने उस दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है। वहां पर नीचे के अधिकारी की तो मैं शिकायत करूं तो कोई बात नहीं लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहां के एस. पी. ने वहां की स्कूल के हैडमास्टर से यह कहा कि आपने कलेक्टर से पुलिस की शिकायत क्यों की और उस हैडमास्टर को इन्सल्ट करके उसे अपने कमरे से बाहर कर दिया और उसे यह कह दिया कि आप मेरे कमरे से बाहर चले जाइये। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, वहां से यानी निवाई से एक नवीं क्लास के लड़के को जिसका नाम कमलजीतसिंह है जो कि सिर्फ 15 साल का ही है उसे और उसके साथ तीन लड़कों को पकड़ कर टोंक ले गये।

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी चाही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उस बच्चे को हथकड़ी डालकर ले गये और वहां पर टोंक में पुलिस थाने में उस 15 वर्ष के सरदार को जो कि सिख जाति का है उसके हाथ-पांव बान्ध दिये और उसके पैरों में डन्डे फंसा कर उसे पुलिस के अफसरों ने पीटा तथा उसके बाल नोचे। अध्यक्ष महोदय, सिख धर्म के अनुसार बाल उनके बहुत ही पवित्र होते हैं कम से कम ध्यान रखना चाहिये, वह भी नहीं रखा। बाल नोचना एक सिख धार्मिक दृष्टिकोण से जघन्य अपराध है। वह बाल मैं आपके सामने सदन की मेज पर रखना चाहूंगा और उसके साथ में फोटो भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह बाल आप देखलें कि पुलिस ने कितना अत्याचार उस मासूम बच्चे के साथ किया है। मैं अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसमें गौर करें कि एक 15 साल का बच्चा जो कि अपरिपक्व है उसको पुलिस ने बुरी तरह बान्ध कर, लिटा कर डन्डों से मारा। इस अत्याचार को बन्द किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उसको थानेदार ने और वहां सी. आई. ने खुद ने मारा इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप देखना चाहें तो मैं उस बच्चे को भी दिखा सकता हूं वह यहां पर बैठा हुआ है। आप खुद महसूस करेंगे कि कितना अत्याचार उस बच्चे के साथ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उस एस० एच० ओ० और सी० आई० को सस्पेन्ड करके उसके खिलाफ इस सारे मामले के लिये जांच बैठाकर उसे उचित दण्ड दिलाने की व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भारतवर्ष आजाद हो गया है फिर भी पुलिस इस तरह हथकन्डे अपना रही है। इसको तुरन्त बन्द किया जाय।

श्री झाबरमल सुन्डा (फतेहपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

श्री जयकिशन लाल, तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन बालों को नोचा है या काट कर ले आया गया है यह जरा देखलें। कहीं ऐसा न हो कि नोचे नहीं गये हों और यह काट कर लाया गया हो इन्हें सदन की मेज पर रख लिया जाय और इनकी जांच करवा ली जावे क्योंकि नोचे गये और काटे गये बालो में अन्तर होता है (एक साथ श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री जयकिशन और दो माननीय सदस्य के बोलने पर अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं।

(सदन की मेज पर नोचे हुए बाल व फोटो प्रस्तुत की गयी)

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये किस प्रकार का पुलिस द्वारा अन्याय किया जा रहा हैं। इस प्रकार एक सरदार के बाल नोचे और उस लड़के को बान्ध कर उसे लिटा कर बुरी तरह पीटा जाय उस लड़के के चोटें आयी हैं। सरकार को इसके लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो अभी आ रहे है मैंने पहले ही जानकारी मांग ली है। आप आये तो अभी हैं और आते ही शहीद हो गये हैं।

श्री झाबरमल सुन्डा !

श्री झाबरमल सुन्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह दुबारा इसलिये रखा है कि जो राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं उनकी अभी तक कोई पालना नहीं हो रही है और वहां पर नगरपालिका का काम ठप्प पड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने नगरपालिका अधिनियम 65 (6) के अन्तर्गत उस चेयरमैन को हटा दिया और उसके बदले जो वायस चेयरमैन था श्री मोहम्मद फारकहुसैन को काम करने के आदेश दिये लेकिन अभी तक पुराना चेयरमैन वहां पर काम कर रहा है, उसने फर्जी स्टाम्प्स बनाली है और अपने घर पर ही मीटिंग्ज कर रहा है। इसके अलावा पहले वाले चेयरमैन जो कि छुट्टी पर गया था करीब तेरह जनवरी से तीन मार्च तक उसको रेग्यूलेराइज कराने की कोशिश में है। सरकार की ओर से इस मामले में बहुत ही ढील बरती जा रही है और चेयरमैन जो कि अब सरकारी आदेशानुसार नहीं काम कर सकता है वह काम करने की वजह से एक प्रकार से चारसौ बीस इन्डियन पीनल कोड की कार्यवाही कर रहा है। उसने वहां पर ताला लगा रखा है और सारा सामान अलमारी में बन्द है जो कि उसने ही कर रखा है और जो बोर्ड का वायस चेअरमैन है उसको काम नहीं करने दे रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ जांच की जाकर उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। आज भी वहां ताला लगा हुआ है वहीं उनके अन्दर ही टेलीफोन वगैरह पड़ा हुआ है, बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हटाये गये चेअरमैन के खिलाफ जांच की जाकर शीघ्रातिशीघ्र उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये।

(श्री झाबरमल सून्डा)

इसके अलावा मैंने एक स्थगन प्रस्ताव बावरियों के बारे में दिया है लेकिन आपने उसे अस्वीकार इसलिये कर दिया कि मैंने उनके गांव और नाम वगैरह नहीं लिखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उनके नाम नहीं हैं, बावरियों के सात परिवार हैं, वे लोग पंचायत भवन में बैठे हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा उन्हें अनुदान भी स्वीकृत हुआ लेकिन जो मकान बनाने के लिये राशि प्रदान की वह 22 फरवरी को स्वीकृत हुई लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। आज 27 मार्च हो गयी है और 31 मार्च के बाद वह पैसा लेप्स हो जायेगा और वे बेचारे बिना मकान वहीं पड़े रहेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार बी. डी. ओ. के नाम आदेश देकर उन्हें तत्काल वह राशि भुगतान कराने की कृपा करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कि आज की परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, पाली नगर में अभी व्यापारियों की हड़ताल हुई थी। 21 तारीख को व्यापारीवर्ग अपने हड़ताल पर थे और उन्होंने बाद में पाली नगर में जलूस निकाला। जलूस के ऊपर लाठी चार्ज हुआ उसके लिये मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह तो पुलिस का आज कल आम काम हो गया है....

श्री शंकरलाल (पाली) : यह तो आपका ही कराया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी मौका दूंगा अभी आप स्थान ग्रहण कर लें। फर्स्ट लेट हिम फिनिश।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पाली से आया हूं यह कार्यवाही सभी जनसंघ के द्वारा की गयी है, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में जो कहना चाहते वह कह दें अभी इन्हें कहने दें। मैं आपको भी समय दूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य जो भी कहना चाहें बाद में कह दें लेकिन अभी मेरे बोलने में व्यवधान नहीं करें। तो अध्यक्ष महोदय, तारीख 21 को हड़ताल हुई, 22 को भी हड़ताल हुई, जब हड़ताल वाले लोग जलूस निकाल रहे थे तब पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया और बाद में उस हड़ताल की भीड़ में से एक व्यक्ति श्री नेमीचन्द को पुलिस पकड़ कर उसके हाथ में हथकड़ियां डाल कर ले गयी और बाद में उसे शहर के अन्दर से बीच बाजार से निकाला गया। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी मेरी बात से सहमत होंगे कि नेमीचन्द को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय में उसे ले जाया गया वहां पर उसको बान्ध कर उल्टा लेटाया गया फिर उसके ऊपर करीब पांच-पांच आदमी बैठ गये जिसमें पुलिस के सी० आई० भी थे और पुलिस के थानेदार भी थे फिर उसे बुरी तरह से पीटा गया....

श्री शंकरलाल : उसका बाद में डाक्टरी मुआयना भी कराया उसके बारे में आपने नही बताया कि क्या रिपोर्ट आयी ?

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं बोलें बाद में आप भी जो कहना चाहें कह देना।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहूंगा कि उसको बान्ध कर मारपीट की तथा उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, उसको इतना निर्दयता से पीटा गया कि उस लेटे हुए व्यक्ति को रबड़ के जूतों से उसकी पीठ पर बुरी तरह से पीटा तथा उसके पैरों में उसकी पगथली पर सैकड़ों डन्डों से प्रहार किया तथा उसको मार-मार कर बेहोश कर दिया। इसमें जनसंघ की बात नहीं है। यह प्रश्न मानवता का है। मैं खुद पाली गया था और उस व्यक्ति नेमीचन्द के घर पर गया और उससे मिला। उसने बताया कि उसको बान्ध कर लेटा कर उसकी पीठ पर व पैरों में रबड़ के जूतों से उसे बुरी तरह मारा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, उस बन्धे हुए व्यक्ति के सर पर तीन-चार बार बिजली का करेन्ट लगाया जिससे वह बहुत ही खराब हालत में हो गया। अध्यक्ष महोदय, उसकी जीभ बाहर आ गयी और उसके मुंह में खून-खून हो गया वह लुहलुहान हो गया और बाद में उन बिजली के करेन्टों के लगने से बेहोश होने की स्थिति में आ गया....

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विषय पर मतभेद हो सकते हैं और ईमानदारी से रख सकते हैं। प्रदर्शन भी होते हैं, लाठी चार्ज भी होते हैं। प्रदर्शन करने वालों को पुलिस की लाठी खाने के लिये भी तैयार रहना चाहिये लेकिन पुलिस के द्वारा इस प्रकार के अन्डर-हैंड मेथड्स काम में लेना, दिनदहाड़े एस. पी. के कार्यालय में उसको ले जाकर उसके ऊपर तीन-चार आदमियों का बैठ जाना और उसको रबड़ के जूतों से मारना, हाथों में हथकड़ियां लगा कर और उसके तीन-चार बार इलेक्ट्रिक शोक सिर पर लगाना यह फासिज्म है। मैं पाली गया था और उसके घर पर गया था। मैंने देखा कि उसकी जीभ सूजी हुई थी। डाक्टर ने मेडिकल एक्जामिनेशन नहीं किया और पुलिस ने आतंक फैला दिया। यह किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है। यह ऐसा मामला है कि जिस पर हम सब को बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना पड़ेगा। इस प्रकार के थर्ड डिग्री मेथड्स एडोप्ट करना, क्रिमिनल केसेज के मामले में कुछ नहीं कहना चाहता राजनैतिक कार्यकर्ता प्रदर्शन लेकर जायें, किसान जायें, चाहे कर्मचारी, छोटे कर्मचारी वहां जावें, इस प्रश्न को लेकर, उनको इस प्रकार पुलिस कस्टडी में लिया जाकर हाथों में हथकड़ियां डाल कर, उनके साथ मारपीट करके, सिर पर करेन्ट लगाये जायें, इन सब बातों पर माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विचारों में मतभेद हो सकता है। लाठी चार्ज के बारे में मतभेद हो सकते हैं। मैं वहां गया था, अध्यक्ष महोदय, 30 हजार की जनता थी। मैंने यह कहा है वहां पर कि जहां तक इस विषय का प्रश्न है, बिजली के करेन्ट लगाये गये हैं और मारपीट की गयी है नेमीचन्द के साथ, नेमीचन्द को यह करेन्ट नहीं लगाया है किन्तु यह करेन्ट लोकतन्त्र को लगाया है, संविधान को लगाया है, कानून और न्याय को लगाया है और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

विधान सभा में बैठे हुए माननीय सदस्य यदि हम लोकतन्त्र में हम कुछ भी आस्था रखते हैं तो जो सब-इन्सपेक्टर है, और सी. आई. हैं, मैं नाम किसी अधिकारी का नहीं लेना चाहूँगा, आपको उसको इमीजियेटली सस्पेन्ड करना चाहिये और नये रूप से जांच करानी चाहिये। यदि जनतन्त्र में आस्था समाप्त हो जावेगी, प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर जावेंगे तो बोलने की स्वतन्त्रता को बन्द करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जावेगा तो नाजिज्म और फासिज्म आने का एक कारण बन जावेगा जिसके लिये आप और हम चिन्तित होंगे। पाली में जो कुछ हुआ, राष्ट्रीयकरण के बारे में किसके क्या विचार हैं और क्या नहीं, मैंने वहां कहा था कि मैं इसको विधान सभा के सामने रखूंगा और विधान सभा से प्रार्थना करूंगा और मंत्री महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और मैं समझता हूं सब ही माननीय सदस्य मेरे साथ होंगे इसमें कि यह एक बड़ा गम्भीर विषय है स्वतन्त्रता के दिनों में, जनतन्त्र के दिनों में कि इस प्रकार पुलिस के द्वारा थर्ड डिग्री मेथड्स अपना कर मांग रखने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार बिजली के करेन्ट लगाना सिर पर, बड़ा ही निन्दनीय है और सब ही माननीय सदस्यों को दल का प्रश्न न बना कर पुलिस के उन अधिकारियों को, जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है तुरन्त सस्पेन्ड किया जावे और तुरन्त न्यायिक जांच बैठायी जाय। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। यद्यपि अध्यक्ष महोदय, आपने इसको अविलम्बनीय लोकमहत्व का न मान कर इसको अस्वीकार किया है लेकिन मैंने जो बात रखी है उस पर यह सदन अवश्य ध्यान देगा और मन्त्री महोदय तुरन्त सब-इन्सपेक्टर और सी. आई. को सस्पेन्ड करके जांच की कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि नागौर में डी. आई. जी. से मिला था। मैंने उनसे कहा कि पाली में इस प्रकार का काण्ड हुआ है। उससे पहले नाथूरामजी मिर्धा भी वहां आये थे। मिर्धा साहब ने शान्ति की अपील की थी और मैंने भी शांति की अपील की थी। मिर्धा साहब अन्दर थे और बाहर लाठी चार्ज कर दिया गया, इस पर विचार हो चुका है इसलिये मैं इस पर अब कुछ नहीं कहूंगा। डी. आई. जी. ने कहा कि ऐसी घटना नहीं हो सकती है और यह झूठी है। उसके बाद मैं पाली गया।

श्री दीपंकर : पाली में लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की ज्यादती है, यह बहुत चिन्ता का विषय है। मेरे खयाल में, यह थर्ड हैंड मेथड्स पुलिस अपना रही है, यह एक बड़ी गम्भीर बात है। लोकतन्त्र को चुनौती है। आखिरकार इस देश का समाज, एक स्वतन्त्र समाज है। उसके अन्दर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, यह सब रहेंगे, उनका यह अस्तित्व है। माननीय सदस्य मेरे सामने बिराजमान हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उदारता के साथ और सहिष्णुता के साथ वास्तविकता को अनुभव करते हुए

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अगर कोई संवैधानिक आजादी पर खतरा उत्पन्न होता है, नागरिक शान के खिलाफ कोई बात होती है, सरकार की पुलिस के द्वारा थर्ड हैंड मेथड्स एडोप्ट किये जाते हैं, वह एक गम्भीर और चिन्ता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा क्या विधान सभा के आगे, क्या टोंक में क्या नागौर में, क्या पाली में एक तरह के मेथड, एक तरह के प्रदर्शन, एक तरह का रवैया पुलिस ने अख्तियार किया है यह बहुत ही गम्भीर और चिन्ता का विषय है। पुलिस समाज की सेवक है। उसकी शोषक नहीं। डण्डे मारना, बिजली के करेन्ट से लोगों को ताड़ना देना, बाल नोचना–दिस इज ऑल बारबेरिज्म। यह कोई नागरिक शान के अनुकूल है? यह प्रतिकूल है। सरकार की पुलिस इस तरह से रवैया अपनाती है तो यह निन्दनीय है और सख्त भर्त्सना करता हूं। माननीय सदस्य, जो जोधपुर से आये हुए हैं, श्री गुमानमलजी लोढ़ा, जनसंघ के नेता हैं। उन्होंने जो कुछ मांग की उसके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। पुलिस के रवैये के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री गुमानमल लोढ़ा : वी ऑलसो वाक आउट।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री शंकरलाल : सही बात सुन कर जाइये।

श्री झाबरमल सुन्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को तो बहुत टाईम मिलेगा। मैं एक निवेदन कर दूं।

अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की कार्यवाही चल रही है, यह एक आम बात हो गयी है....

श्री अध्यक्ष : नतीजे की बात फरमा दें।

श्री झाबरमल सुन्डा : नतीजा सामने आने वाला है। सरकार डेमोक्रेसी की छत्रछाया में अधिनायकवाद लाना चाहती है। जयपुर में वकील प्रदर्शन करें उनको भी मारा जाय, व्यापारी अपने हितों के लिये लड़ें तो डण्डे बरसाये जायें। आज जो चोटी देखी है उससे मुझे औरंगजेब का जमाना याद आ गया। यदि जनेऊ पर भी पुलिस को यह ऑर्डर दे दिया तो आगे आने वाला समय बता देगा। यह फोर पार्टी अलाएन्स है इसको जिन्दा रखने के लिये मैं भी बहिर्गमन करता हूं।

(श्री झाबरमल द्वारा बहिर्गमन)

श्री श्रीराम गोटेवाला : निर्जीव हैं क्या इसलिये जिन्दा रखना चाहते हैं?

श्री केदारनाथ (गंगानगर): अध्यक्षजी, नागौर में बच्चों के साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ, उन पर लाठियां बरसायीं, क्या-क्या अत्याचार किये गये यह सब मालूम हो चुका है। उपनेता महोदय बिराजमान हैं। आज भी नागौर में देख लें तो मीडियवल डिवाइसेज अपनाये जा रहे हैं। बच्चों ने प्रदर्शन किया। मासूम बच्चे को कत्ल किया। मौत की फेन्जी

(श्री केदारनाथ)

थी। पुलिस कस्टडी में लाकर, थाने में बच्चे को पीटना गलत चीज है। मैं भी इसके प्रति विरोध प्रकट करता हूं। मान्यवर, दूसरी चीज, गवर्नमेंट एम्प्लोयीज की स्ट्राइक हो, उसको आपने इल्लीगल डिक्लेअर कर दिया। इसके बाद पुलिस का टेरर शुरू हो जाता है। पुलिस घरों में जाकर एम्प्लोयीज को लाये और ड्यूटी में शामिल करावे। इनका झगड़ा डेढ़-दो साल से चल रहा है और केवल एक छोटे से मुद्दे को लेकर चल रहा है कि उन पर आर. एस. आर. के रूल्स लागू हों। इसमें फाइनेन्शियल लाइबिलिटी कितनी है, यह मैं नहीं कह सकता, यह अलग बात है और एडवोकेट जनरल ने उनकी बात मानली। सरकार मानती है फिर मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार उनसे बातचीत करने से क्यों दूर भागतो है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मामले पर सरकार की तरफ से एक स्टेटमेन्ट दिलाया जाय।

श्री शंकरलाल : मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है। मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मन्त्री महोदय का वक्तव्य आना चाहिये कि वे क्या कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं 21 तारीख को वहां था और इस घटना के बारे में समाचार-पत्रों में भी समाचार आ चुका है। 21 तारीख को वहां के अनाज के व्यापारी कलेक्टर के यहां पर जत्था लेकर गये उनके साथ हमाल भी थे, बच्चे भी थे। उन बच्चों के हाथ में लकड़ियां दी गईं और पत्थर भी लेकर वे आये थे। वहां पर कहा कि हम कलेक्टर से मिलना चाहते हैं और उनको मेमोरेण्डम देना चाहते हैं। कलेक्टर को पुलिस ने इन्फोर्म किया। कलेक्टर ने कहा कि सभी आदमियों को तो मैं एकोमोडेट यहां नहीं कर सकता, उनमें से पांच-सात आदमी आ सकते हैं। यह बात पुलिस वालों ने जाकर उनको कह दी। और कहा कि आप में से जो पांच-सात आदमी मिलना चाहते हों वे आ जावें। इसके जवाब में लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिये। पुलिस के आदमियों के उससे चोटें आईं। जिसका मुकदमा पुलिस में दर्ज हुआ। अब चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। जब झगड़ा हुआ और पत्थर फेंके जाने लगे थे तो कलेक्टर भी मौके पर आ गये थे। इसके बाद लोग डिसबर्स हो गये थे यह तो हुई 21 तारीख की कहानी।

पेपर वाले भी वहां पर मौजूद थे, कई लोग थे कलक्टरी में। बाहर के लोग वहां आते ही हैं। प्रभुलालजी सरपंच थे, उन्होंने आंखों देखी बातें मुझे बताईं। उम्मेदसिहजी सरपंच थे, उन्होंने भी आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने सबने यही कहा कि इसमें पुलिस की गलती नहीं थी।

22 को मैं वहां नहीं था। पर इसके बाद मैं पाली आ गया। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस ने मारपीट नहीं की या की वास्तविकता जहां तक नेमीचन्द की है वह मैं निवेदन कर दूंगा यह वह आदमी है जिसके खिलाफ 8 मुकदमे चल रहे हैं। एक में कन्विक्ट हो चुका है, दूसरे में कम्प्रोमाईज

(श्री शंकरलाल)

हुआ है। पुलिस का हिस्ट्री-शीटर है। मैं इनके कारनामे आपको बताऊं। दिवाली के दिन यही नेमीचन्द और कुछ इसके साथी जो महिलाएं बाजार देखने, रोशनी देखने आईं उनसे छेड़छाड़ की। उन पर आतिशबाजी छोड़ी, जिससे उनकी साड़ियां जल गईं, गन्दे गाने गाये, गालियां दीं, उस नेमीचन्द की आप वकालत करते हैं। 22 तारीख को नेमीचन्द 21 तारीख की घटना को लेकर हड़ताल कराना चाहता था पर सिवाय अनाज के व्यापारियों के और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके वह गर्ल्स स्कूल में गया। वहां से सूचना मिली कि नेमीचन्द कुछ बच्चों को लेकर यहां हड़ताल कराने आया है। इस पर पुलिस ने नेमीचन्द को थाने में बिठा लिया। अनाज के व्यापारी थाने में गये और कहा कि इसे छोड़ दीजिये। पुलिस ने छोड़ दिया। वहां जनसंघ के एक वकील ने कहा कि इनको पुलिस ने चूंकि बुरी तरह से पीटा है थाने में इसलिये इनका डाक्टरी मुआयना होना चाहिये। कलेक्टर स्वयं पहुँचे और अपने रूबरू डाक्टरी मुआयना कराया। डॉक्टरी सर्टिफिकेट है, उसे मंगवा कर देख लीजिये, जितनी यह बातें कह रहे हैं आपसे पहले मैं उनसे मिलने गया हूं। आप तो बाद में आये हैं। मेरे से बातचीत की है, आप इतनी बात कह रहे हैं, इसलिये मैं यह सब कह रहा हूँ। यह तो हुआ नेमीचन्द के बारे में।

मेरे से भी बात की है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा बोलने खड़े हुए, शोर-गुल, अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, इससे भी एक घिनौना कार्य किया गया जिसको माननीय सदस्य ने छिपाया है। जनसंघ के नेता ने जनसंघ की मीटिंग की और मीटिंग करके लोगों को उकसाया। दो घंटे तक उकसाया। अगर इनके भाषण का टेप रेकार्ड होता तो पता लग जाता। इन्होंने कहा कि पुलिस को लाठियों से मारो। पुलिस वालों को पीटो। हम कोई जुडीशियल एन्क्वायरी नहीं चाहते। आप तो पुलिस को पीटो।

(श्री गुमानमल लोढ़ा के बोलने के लिये खड़े होने पर शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आठ बजे वहां कांग्रेस की तरफ से मीटिंग होने वाली थी। व्यापारियों से बात हो गई। हमने कह दिया था कि 21 तारीख की घटना की जांच करवाना चाहते हों तो करवा लीजिये, जुडीशियल एन्क्वायरी करवा लीजिये। सारी बातें तै हो गईं, कलेक्टर भी तैयार थे इसके लिये। पर जनसंघ के नेता ने कहा कि हम जुडीशियल एन्क्वायरी नहीं चाहते, हम तो कलेक्टर का यहां से टरमिनेशन चाहते हैं, पुलिस को पीटना चाहते हैं, हमारी वहां 8 बजे मीटिंग थी। उन्होंने वहां पर छः बजे मीटिंग की अपनी। वहां लोगों को उकसाया। इसके बाद जब 8 बजे हमारी मीटिंग हुई तो अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के नेता मौजूद थे। उनके लोगों ने मेरे पर हमला करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह सही है। अटैक करने की कोशिश की। मुझे वे पीटते अगर मैं पास के ही जगदीशजी के मन्दिर में नहीं चला जाता

(श्री शंकरलाल)

तो। वहां के कांग्रेस सेवादल के लोगों ने, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के लोगों ने सभी ने मिल कर मुझे कहा कि मैं वहां से मन्दिर में चला जाऊं। यहां झगड़ा होगा। मैं मन्दिर में चला गया। तो मन्दिर के दरवाजे उन लोगों ने खड़खड़ाये। कहा बाहर आओ, हम आपको पीटेंगे। इस तरह उकसाया और किस लिये? सिर्फ इसलिये कि मैं जब भाषण दे रहा था तो मेरी एक बात उनको अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा कि जो कुछ हुआ, उसकी जांच हो सकती है पर जनसंघ के लोग जांच नहीं कराना चाहते, वे तो झगड़ा कराना चाहते हैं और इस तरह से वोट चाहते हैं। आज जनसंघ की जमानतें जब्त हो गई हैं, पाली में। जनता ने जनसंघ को ठुकरा दिया है। इसलिये आज जनसंघ वाले इस झगड़े का राजनैतिक फायदा न उठावें। यह मैंने सीधी बात कही थी, यह उनको बर्दाश्त नहीं हुई और मेरे पर हमला बोल दिया तो यह एक घिनौना कार्य उनका था। उस वक्त वहां कोई पुलिस भी नहीं थी। झगड़े पर पुलिस आई। मेरी जान पर अटेक किया था। अब अपने पापों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सारा झगड़ा जनसंघ ने पैदा किया। मैं यह सूचना के लिये और कह दूं कि जैसी मुझे सूचना मिली है कि पाली के लोगों ने आगे से तै किया है कि संघर्ष समिति में से जनसंघ के लोगों को निकाल दिया जाय। जनसंघ के लोगों को उन्होंने निकाल दिया है। दूसरी संघर्ष समिति बनी है, जो अपनी मांगें लेकर सरकार से मिलेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऑन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मैंने भड़का कर हमला करने की बात कही यह जो कहा गया सरासर झूठ है। मेरे पर एस्परशन है। मुझे इसके स्पष्टीकरण में बोलने के लिये इजाजत दी जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : If you want to give your personal explanation that may be given but not in connection with the adjournment motion. During the debate you can speak.

श्री गुमानमल लोढ़ा : उतना ही कहूंगा....

श्री ग्रध्यक्ष : I don't want to lay down a bad precedent.

श्री गुमानमल लोढ़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर आपने इनको मौका दिया....

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने आपको भी दिया है, इनको भी दिया है, औरों को भी दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : इस एडजोर्नमेंट मोशन पर नहीं, एप्रोप्रियेशन मोशन में बोल लेना, उस समय आप चाहेंगे तो दे दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वाक-आउट किया। परम्परा के अनुसार वॉक आउट करते हैं, तो वह बोलते नहीं हैं, वह क्या है, आप बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : परम्परा यही रही है । मैंने तो आपको अकमोडेट किया है । वॉक आउट करते हैं तो समाप्ति हो जाती है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पाली के माननीय सदस्य ने श्री नेमीचन्द के बारे में कुछ कहा तो मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको भी दिया है, उनको भी दिया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उन्होंने यह कहा, जनता को भड़का कर हमला करवाया...

श्री अध्यक्ष : कितनी बार कहा पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये बाद में खड़े हो सकते हैं लेकिन एडजोर्नमेंट मोशन में वॉक आउट कर गये । डिबेट और डिबेट और उत्तर फिर प्रत्युत्तर यह परम्परा नहीं डालना चाहता हूं । During the course of debate on Appropriation Bill you can give that, not now. I don't say no but I say not at this time.

मैं बीच में मौका नहीं देना चाहता हूं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एडजोर्नमेंट मोशन तो समाप्त हो गया । इसके बाद एप्रोप्रियेशन पर डिस्कशन होगा फिर दे दीजिये ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थान/ श्री रामनारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं टौंक जिला स्थित मोती-सागर की मुख्य नहर में सीपेज से काश्तकारों की फसल को बचाने की व्यवस्था कराने से सम्बन्धित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल्वे स्टेशन बिग्गा, जिला चूरू से राष्ट्रीय पथ नम्बर 11 तक डामर की सड़क बनवाने से सम्बन्धित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति एवं राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सदन की समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

श्री सम्पतराम (सभापति, प्राक्कलन समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति,1972-73 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:—

(1) नगर आयोजना विभाग विषयक प्रथम प्रतिवेदन ।

(2) राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर, विभाग प्राक्कलन समिति 1968-69 से सम्बन्धित आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का द्वितीय प्रतिवेदन, तथा

(3) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर विषयक प्राक्कलन समिति, 1968-69 के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का तृतीय प्रतिवेदन ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (सभापति-राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1972-73 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम [अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1968-69 के पैरा 78 (क), 78 (ख), 90, 91, 92, 93, 104 व 115] विषयक समिति का तृतीय प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम [अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1969-70 के पैरा 99 (क), 99 (ख), 107, 108, 109, 110, व 122] विषयक समिति का चौथा प्रतिवेदन, तथा

(3) राजस्थान लघु उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष, 1969-70 के पैरा 111 तथा निगम से सम्बन्धित अन्य विषय) विषयक समिति का पांचवां प्रतिवेदन।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चूरू जिले में फेमिन योजनाओं के सड़क-निर्माण-कार्य पर लगे मजदूरों को कार्य-माप के अनुसार पारिश्रमिक न मिलने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत चूरू जिले में फेमिन योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों पर कार्यरत मजदूरों के कार्य का मेजरमेंट न किये जाने व उन्हें पारिश्रमिक न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामुदायिक विकास एवं पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्रीजी !

श्री हरिदेव जोशी (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री लूणाराम एवं अन्य पांच विधान सभा सदस्यों द्वारा रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार है :– जिलाधीश चूरू से तथ्यों की जानकारी लेने पर पाया गया है कि शेरूणा-सूढ़सर सड़क कार्य कोई बन्द नहीं किया और न ही आज तक कैम्प को बन्द किया गया है। कार्य यथावत् चालू है।

इस कैम्प पर केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान काम के आधार पर (टास्क बेसिस पर) किया जा रहा है और 15-16 गेंग काम कर रही हैं। इनमें से केवल 7 गेंगों ने जनवरी, 73 के दूसरे पक्ष में तीन प्रतिशत मजदूरी का ही कार्य पूर्ण किया है। अन्य गेंगों का प्रतिशत इससे अधिक है तथा सौ प्रतिशत भी है।

जो मजदूर अधिक काम करता है उसको अधिक पैसा मिलता है और जो कम काम करता है उसको कम मजदूरी मिलती है।

यह सही है कि उपरोक्त कैम्प पर मजदूरों को 16 जनवरी, 73 से मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है जबकि धनराशि विकास अधिकारी के पास मजदूरों को भुगतान करने के लिये भेज दी गई है। उन्होंने भुगतान लेने से इन्कार कर दिया

(श्री हरिदेव जोशी)

और दुबारा नपती चाही। अतएव दुबारा नपती करने के लिये दूसरे ओवरसियर श्री गौरीशंकर को भेज दिया गया। कलेक्टर, चूरू ने टेलीफोन पर दिनांक 26-3-73 को बताया कि दूसरे ओवरसियर द्वारा नाप लेने पर भी मजदूरी लेने से इन्कार कर दिया है। इसके पश्चात् भी ए. ई. एन. ने दुबारा नपती करली फिर भी चुकारा लेने से इन्कार किया है। अतः अब प्रधान की मौजूदगी में नाप लिवाकर चुकारे की व्यवस्था की जायेगी। लेबर ने पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बताई हुई जगह पर पत्थर नहीं निकाला किन्तु अन्य जगह से निकाला। जो अन्य जगह से निकाला उस पत्थर को भी पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा उनके उपयोग का होने पर ले लिया जाय ऐसा आदेश दे दिया है।

जनवरी मास के द्वितीय पक्ष के मस्टर रोल 28-2-73 को, फरवरी, 73 के प्रथम पक्ष के मस्टर रोल 9-3-73 को पास करके चुकारा करने के लिये विकास अधिकारी के पास भेज दिये गये हैं। इसी प्रकार फरवरी मास के मस्टर रोल द्वितीय पक्ष के विकास अधिकारी के पास 14-3-73 को भेज दिये गये हैं। इस प्रकार 16 जनवरी, 73 से 28 फरवरी, 73 के मस्टर रोल पास हो चुके हैं और रकम भुगतान हेतु विकास अधिकारी को दी जा चुकी है। परन्तु मजदूरों की पुनः नपती की मांग के कारण भुगतान रुका पड़ा है।

जिलाधीश ने अधिशासी अभियन्ता को मौके पर पहुँच नपती को फाइनल कर शीघ्र भुगतान कराने के आदेश दे दिये हैं।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय जो फरमा रहे हैं वह वास्तव में जांच करके भेजे आंकड़ों के आधार पर फरमा रहे हैं, वह सही नहीं हैं। उसमें वस्तुस्थिति यह है कि जैसा माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया हकीकत यह है कि जनवरी के द्वितीय पक्ष में 19 गैंगें काम कर रही थीं। उन 19 गैंगों के काम में एक का 27 प्रतिशत, दूसरी का 18 प्रतिशत, तीसरी का 10 प्रतिशत और बाकी का 5 प्रतिशत, 8 गैंगों का 3 प्रतिशत आया है। अध्यक्ष महोदय, 1.16 15 रोज की मजदूरी आई है। जिस वस्तुस्थिति में काम किया है वह यह है कि मजदूरों को उनके ओवरसियर द्वारा खान खोदी वह गोपालदास स्वामी गांव से तीन मील दूर पड़ता है। वह मिट्टी तीन रोज तक खुदाई नहीं हुई। ओवरसियर ने खुद ने काम करवाया है। मजदूर कतई नहीं चाहते थे खान स्वामीदास पर 6 फुट मिट्टी है, 13 रोज तक मिट्टी खोदी उसका कोई मेजरमेंट नहीं किया गया। इसी प्रकार सड़क के ऊपर शेरूणा-सूढ़सर गांव वालों ने यह कहा मिट्टी खोदने में दिक्कत आयेगी। ओवरसियर से सरपंच ने हाथ में लिया और विकास अधिकारी ने जाकर....

श्री अध्यक्ष : कोई सूचना देना चाहें तो दें।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जान-बूझकर किया और कार्यवाही इसलिये हो रही है कि उन लोगों ने ओवरसियर की शिकायत की कलेक्टर के यहां। उसी शिकायत से यह काम हो रहा है।

(श्री लूणाराम)

सिर्फ फरवरी के द्वितीय सप्ताह में स्टाफ के मस्टर रोल का भुगतान नहीं हुआ। आज कुल मिलाकर जनवरी का दूसरा सप्ताह, फरवरी का पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह इस तरह तीन सप्ताह की अधिक से अधिक मजदूरी आई है। तीन सप्ताह की 47.81 पैसे आई है जो सिर्फ 18-19 गैंगों में से एक गैंग की आनी चाहिये थी 150; इसी प्रकार 4.14 एक मजदूर की 2½ माह की मजदूरी आई है। आज 2½ माह में केवल चार दिन बाकी रहे हैं और भूखों को पैसा एक मिला नहीं, काम का नाप दिया नहीं। दूसरी बार ओवरसियर गया और फिर ए० ई० एन० गया वह रात को गया और रात को उसने क्या किया, क्या नहीं इसका पता नहीं और गांव में आकर लोगों से कहा कि दस्तखत कर दो। कोरे कागज पर लोगों ने दस्तखत नहीं किये। वहां पर अध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत भयंकर हो रही है और मंत्री महोदय कहते हैं कि प्रधान को साथ लेकर जांच करवा लेंगे। मैं तो कहता हूं कि चाहे कोई भी हो कम से कम गांव के लोगों के रूबरू बात करना चाहिये और 2½ महीने का समय हो गया। मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी इसकी कार्यवाही करायें और दोषी कोई भी हो उसको दण्ड मिलना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री हरिदेव जोशी (पंचायत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पूर्व निवेदन में काफी विस्तारपूर्वक निवेदन कर चुका हूं। जो ओवरसियर वर्क के ऊपर डेपुटेट है उसके नाप से मजदूर सतुष्ट नहीं हैं। उन्हें निश्चित रूप से अधिकार है कि दूसरे से नाप करवाने की बात करें। लेकिन दूसरे जैसे मैंने निवेदन किया कि ओवरसियर गौरीशंकर ने इसकी नाप की और जो पहले वाला नाप था वही आया। इसके बाद ए० ई० एन० ने जाकर जांच की और उससे भी मजदूर संतुष्ट नहीं हैं ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए कलेक्टर से कह दिया है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर जो कि सीनियर मोस्ट है उसके साथ में प्रधान को कर दें और फिर जांच करवा लें। मगर मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो यहां पर आंकड़े बताये हैं मैं नहीं जानता कि उसका आधार क्या है? लेकिन मैं आपको कह दूं कि 100 पर्सेन्ट पेमेन्ट हुआ है, 85 पर्सेन्ट हुआ है, 70 पर्सेन्ट हुआ है, 80 पर्सेन्ट हुआ है, 39 पर्सेन्ट हुआ है, 22 पर्सेन्ट हुआ है, 45 पर्सेन्ट हुआ है, 43 पर्सेन्ट हुआ है। केवल 3 पर्सेन्ट वर्क करने वाले लोग हैं वे इसको एजीटेट कर रहे हैं इसलिए देखना होगा कि दरअसल में गलती कहां पर है। मैं एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को जैसा कहा गया है उसकी रिपोर्ट की अपेक्षा कर रहा हूं और जल्दी से जल्दी वह मिल जायेगी, मजदूरों से एक ही चीज चाहता हूं कि वह पेमेन्ट जो डिस्प्यूटेड है उसको छोड़ दें और बाकी को ले लें ताकि उनका पैसा जो बी० डी० ओ० के पास पड़ा है; वह उनके पास नहीं पड़ा रहे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि ओवरसियर ने इनीशियली जांच की है उसमें कहीं कोई गलती पाई जायेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : No.

श्री लूणाराम : मैंने निवेदन किया था कि जो काम नाप का करवाया गया मैं

Page No 71

(श्री लूणाराम)

मंत्री महोदय से आशा करूंगा कि जो काम मजदूरों ने किया है....

श्री हरिदेव जोशी : नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! अब आप बैठिये। यह डिबेट नहीं है।

श्री लूणाराम : निवेदन है कि दूसरे हफ्ते में 27 पर्सेन्ट आया है हार्वेस्ट और जनवरी के पहले हफ्ते में 85 पर्सेन्ट आया है। सबमें 40 पर्सेन्ट से नीचे आया है। तीसरे हफ्ते में 24 पर्सेन्ट आया है। मजदूर क्या करें क्या नहीं करें। यह एक जिले का सवाल नहीं है, सारे जिलों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी !

शासकीय वक्तव्य

भारत-पाक युद्ध में गंगानगर जिले के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से राजस्व वसूली

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री योगेन्द्र-नाथ हांडा व श्री केदारनाथ द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है उसके विषय में निम्न निवेदन करता हूं:—

सन् 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान गंगानगर जिले में 1971 से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों में सेना की गतिविधियां रहीं और वे क्षेत्र भारतीय सेना के कब्जे में रहे जिनसे कि फसलों को नुकसान भी हुआ था। जिलाधीश, गंगानगर ने इस संबंध में राजस्व विभाग को सूचित किया कि जिन लोगों को यह नुकसान हुआ है उनके तीन वर्ग हैं:—

"अ" वर्ग उन काश्तकारों का है जिनकी क्षति शत-प्रतिशत हुई।

"ब" वर्ग उन काश्तकारों का है जिनको कि जमीन पर जाने ही नहीं दिया गया।

"स" वर्ग उन काश्तकारों का है जिनकी जमीन अंतरालों में उपयोग में आई।

वर्ग "अ" और "ब" के काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा जो मुआवजा स्वीकृत हुआ है उसमें फसल की क्षति के साथ-साथ भू-राजस्व और सिंचाई-कर को सम्मिलित कर लिया गया है। अतः उनसे भू-राजस्व व सिंचाई-कर लेना उचित है। वर्ग "स" में उन काश्तकारों का विवरण है जिनको कि अंतरालों में बोने व पानी देने से रोका गया था। यह सच है कि उनको सेना की इस कार्यवाही से कुछ नुकसान उठाना पड़ा हो लेकिन राज्य सरकार जब अभावग्रस्त क्षेत्रों में भी तीन वर्ष के मुतवातिर फसल के पूर्ण नाश के बाद ही रेमिशन स्वीकृत करती है। भारत-पाक सीमा के 10 मील के क्षेत्र में तहसील करणपुर एवं श्री गंगानगर के गांव पड़ते हैं। राज्य सरकार ने भारत सरकार से अगस्त, 72 में निवेदन कर दिया था कि लगान व सिंचाई-कर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया जाये। भारत सरकार ने इस संबंध में कोई

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

प्रत्युत्तर राज्य सरकार को नहीं दिया है।

इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने काश्तकारों से भू-राजस्व वसूल करने का निर्णय लिया है।

यह स्थगन प्रस्ताव की सूचना अविलम्बनीय लोकमहत्व की नहीं है अतः निरस्त करने की कृपा करें।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जैसे-नागी है उसके आसपास पाकिस्तान का हमारे क्षेत्र में कब्जा रहा है और बार-बार वायदा करने के बाद यह तो आपको ध्यान में होगा ही कि जो स्टेपल कपास की पिकिंग होती है वह दिसम्बर में होती है और दिसम्बर के दिनों में लड़ाई लगी हुई थी इसलिए लोग वहां पर पूरी पिकिंग नहीं कर सके और इसके कारण उनको बहुत बड़ी हानि हुई है और आबियाना और वाटर चार्जेज भी उनसे लिये गये जब कि सरकार बार-बार यकीन दिलाती रही है कि यह नहीं लिये जायेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और राज्य सरकार ने कहा था कि भारत सरकार हमको 2 करोड़ 66 लाख रुपया दे देगी और वह आज तक पूरा नहीं हुआ। आपने यह भी कहा कि 50 लाख रुपया उसमें से आ चुका है लेकिन आज तक किसी को कोई रकम नहीं दी गई और इस पर सरकार को सख्ती से ध्यान देना चाहिए।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि इसकी घोषणा राज्य सरकार ने की थी कि 1971 की खरीफ की फसल का न लैण्ड रेवेन्यू वसूल किया जावेगा और न इरिगेशन चार्जेज। और इसी ढंग की घोषणा पंजाब ने की तो वहां तो वह माफ हो गया। अब जब तक फसल का मुआवजा नहीं मिलता आपको वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। वसूल करना आपके हाथ में है तो एक तो आप उसको सस्पेण्ड कर दो। जब फसलों का मुआवजा मिल जावे तो उसमें कटौती कर लें। मान्यवर, आप स्वयं अस्वस्थ होने के कारण वहां रहे और बम्बार्डिंग हो रहा था। तो वहीं पर दो पिकिंग होती हैं न तो वह चुन सके और दूसरे जो आने वाली सोइंग होनी चाहिए वह टाइम पर कर सके–दोनों तरह से उनका नुकसान हुआ। शहरों में मकानों को टेक-ओवर किया उसका भी मुआवजा नहीं मिला। अगर देश की सुरक्षा के नाम से मुआवजा मांगे वह गलत है पर क्योंकि आपने घोषणा की और उसके माफिक फसल का मुआवजा दिया जायेगा, मकान टेक-ओवर किये उनका दिया जायेगा, मेन्टीनेन्स के नाम से दिया जायेगा तो वह चीज मांग रहे हैं। मान्यवर, इसी हाउस में 2 करोड़ 40 लाख रुपये का मुआवजा देने का आपने एलान किया जब ओंकारलालजी रिहेबिलिटेशन विभाग के मन्त्री थे और आपने कहा कि भारत सरकार से मांग की है अब फिर कहते हैं कि उनसे मांग कर रहे हैं। पहले लिस्ट बना ली कि इतना नुकसान हुआ, हमने फार्म भर कर भी दे दिये, पंजाब में बंटवारा हो गया और 10 मील के एरिया की रकम छूट हो जाये....

मान्यवर, मैं तो यह कहता हूं कि भारत सरकार उनको जब तक मुआवजा न

(श्री केदारनाथ)

दे तब तक आप खरीफ के मामले को जो आप वसूल कर रहे हैं उसको सस्पेंड कर दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से एक करोड़ से ऊपर मुआवजा दिया जा चुका है। बाकी जो मामले की फसल है सब आंकड़े इकट्ठे करके और जितना मुआवजा बनता है उसमें लेंड रेवेन्यू और इरिगेशन रेट्स सबको शामिल करके मुआवजा बनाया है और वह भारत सरकार को लिखा है, 72 के अगस्त में और अब हम फिर रिमाइन्ड कर रहे हैं और जैसे ही पैसा आ जाएगा, उनको दे दिया जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : वसूली तो बन्द कर दें।

श्री केदारनाथ : वसूली बन्द करना तो आपके हाथ में है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके लिए मैं कलेक्टर से बात करूंगा।

वित्तीय समितियों का गठन : समिति सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1973-74 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1973-74 के लिए इक्कीस सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान के विधान सभा के प्रक्रिया एव कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 9173-74 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य, विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। वित्त मंत्रीजी !

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गुमानमल लोढ़ा द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण करना

Page No 74

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

चाहूंगा। तारीख 25 को एक टेलीग्राम आया था पाली से, जो माननीय सदस्यों

(समय 1.2 बजे म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

के नाम पर, विधायकों के नाम पर भी आया है। वह इस प्रकार है:—

Police lathi charged peaceful demonstration on 21st injuring several persons and later on 22nd injuring tender aged children. Supdt. Police through third rate tactics and electric shocks got tortured one Nemichand Cochar. He has deployed battalions over battalions to demonstrate force over Public. Collector and other staff proving ineffective and inefficiently.

श्री शंकरलाल (पाली) : यह तो वही तार है जो आपने वहां से भिजवाया था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : Under his influence whole market closed and business remains suspended from 21st. Photographs of victims injury reports and factual accounts follows separately. You or your representative may conduct spot enquiry for ascertaining truths prayed for judicial enquiry and immediate suspension of C.O. SHT. Supdt. Police, Medico Jurist and others otherwise any enquiry would be nothing but a farce. Kindly plead our case in and outside the House and oblige.

Convennor-Action Committee.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तार के आने के बाद में जब मैं वहां पर गया यह आपके सामने जो बात रखी है आज सदन के अन्दर, उस बारे में, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि मैं परसों रात को वहां पहुँचा शाम को छः साढ़े छः सात के करीब। पाली में संसद सदस्य श्री मूलचन्दजी डागा जो कांग्रेस की ओर से हैं, उनकी सभा थी और उस सभा में स्पष्ट तौर से इस काण्ड की भर्त्सना की गई थी पुलिस एट्रासीटिज की और जो नेमीचंद कोचर के ऊपर बिजली के करंट लगाए उनके लिये उन्होंने यह कहा था कि यह जो बिजली के करंट नेमीचन्द कोचर के लगाये गए हैं वे मूलचन्द डागा पर लगाए गये हैं, वह राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्लाखां के लगाए गए हैं और मैं पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि इनको सस्पेन्ड करके जांच की जाय। उन्होंने यह बात वहां पर भाषण में भी कही और उन्हीं का एक वक्तव्य भी अखबारों में छपा है और उन्होंने इस काण्ड की भर्त्सना की है। दूसरे रोज मैं पहुँचा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य पहले दिन वहां पर थे।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पर किन्हीं कारणों से वे स्वयं मूलचन्दजी डागा की मीटिंग में नहीं गये और दूसरे रोज उन्होंने अपनी सभा की और अपनी सभा के अन्दर जब उन्होंने अपनी बात को कहना शुरू किया। यह बात किसी हद तक ठीक है कि उनकी सभा शान्तिपूर्ण तरीके से नहीं हुई। यह भी कहना किसी हद तक ठीक है कि ये सभा से किसी कमरे में, मंदिर में या किसी अन्य स्थान में जाकर छुपे और इनको बाद में निकाल कर ले जाया गया लेकिन यह जो बताया गया है कि मैंने अपनी सभा में किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें कहीं जिससे जनता भड़के या किसी को मारपीट करने की बात कही। मुझे इस बात का दुःख है। माननीय सदस्य स्वयं उपस्थित नहीं थे और इतनी गम्भीर बात वे यहां कहते हैं कि मैंने जनता को पुलिस के विरुद्ध भड़काने की बातें कीं और यह कहा कि पुलिस वालों को मार दो। पुलिस वाले चारों तरफ खड़े रहे मीटिंग में और बीस हजार की भीड़ हो और वह पुलिस के एक आदमी पर हमला नहीं करे। तो यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति है कि नेमीचन्द कोचर को टोरचर किया गया है। उस मीटिंग में पुलिस एट्रोसिटीज की भर्त्सना की गई है, लाठी चार्ज की भर्त्सना की गई और उस भर्त्सना करने में श्री मूलचन्दजी डागा, कांग्रेस के वर्कर और सभी शामिल हैं। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसमें कोई कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट, स्वतन्त्र पार्टी की बात नहीं है, इसमें सब भेदभाव को छोड़ करके इस पुलिस एट्रोसिटीज की एक होकर भर्त्सना करनी चाहिये और उसके विरुद्ध आवाज उठायें जिसमें आपके विधायक भी साथ में हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि या तो उनको गलत समाचार दिया गया या उनको गलत धारणा हो गई। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने पुलिस के विरुद्ध कोई मारपीट करने वाली बात नहीं कही और न किसी को कहा और न मैंने माननीय विधायक या कांग्रेस वर्कर्स के विरोध में कुछ कहा। मैंने यह बात कही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आपके यहां के विधायक यह बात कहे जाकर कि जिस प्रकार लालबहादुर शास्त्रीजी ने ट्रेन एक्सीडेन्ट पर त्याग-पत्र दे दिया था उसी प्रकार ये भी त्याग-पत्र की धमकी दें और माननीय डागाजी और पाली के माननीय विधायक महोदय इसके विरुद्ध आवाज उठावें। मैंने एक बात यह भी कही थी कि जो पुलिस एट्रोसिटीज हैं, जो बिजली के करन्ट लगाये गये हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं और जनसंघ के लोगों ने इसके अलावा कोई हुर्डल्ड नहीं किया। जनसंघ की सभा के बाद जब मैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ता सम्पतजी के मकान पर बैठा हुवा था तो हमारे पास यह खबर आई और यह बात कहां तक सही है यह तो जांच से मालूम होगा, लेकिन मुझे पता चला कि शंकरलालजी की मीटिंग में गड़बड़ी का कारण यह है कि शंकरलालजी ने जो दूसरी मीटिंग की, इसके कारण डागाजी के समर्थकों ने उनके विरोध में होहल्ला किया यह भी सही हो सकती है और गलती भी हो सकती है, इसका पता तो जांच से लगेगा। मैंने वहां पर किसी को नहीं भड़काया लेकिन पुलिस के विरुद्ध जो कुछ और उसको आज भी दोहराना चाहता हूं आपको और आपके एस. पी. साहब को कहना चाहता हूं, मेरा एस. पी. और दूसरे अधिकारियों से मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और दुर्भाव नहीं है, यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पद्मश्री और परमवीर चक्र पाये हुए लोगों से और अधिक जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है, वे अधिक सौजन्यता से काम लेंगे, अधिक मोतबिरपने से काम करेंगे, जनतन्त्री तरीकों को अधिक काम में लेंगे। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह कार्यालय में दिन-दहाड़े किसी व्यक्ति को उल्टा लटका कर और छः-छः पुलिस वाले उसके सीने पर बैठ जायें और उस पर बिजली के करन्ट लगायें। मैं स्वयं वहां पर गया हूं और उससे पूछताछ करके पता लगाया है और उसने मुझे यह बताया है कि उसके सीने पर छः-छः पुलिस वाले बैठ गये और बूटों से उसकी मारपीट की, उस पर बिजली के करन्ट लगाये गये। यह बात उसने मुझ से कही है और मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं। अगर आपने भी उससे बात की हो और उसके आधार पर आप प्रमाणिक तौर पर बात कह रहे हों तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। मैंने उसकी हालत देखी है। इसमें न कोई दल विशेष का प्रश्न है न कोई कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, कम्युनिस्ट किसी का प्रश्न नहीं है। न इसमें कोई जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं का सवाल है और न कोई अन्य व्यक्ति का। यह मानवीय प्रश्न है। दलगत राजनीति से दूर रह कर जो एक्शन कमेटी बनी है उसके द्वारा मामले को उठाने की बात है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी प्रकार की कोई बात भड़काने वाली नहीं की है, किसी प्रकार का प्रोत्साहन पुलिस के विरुद्ध भड़काने का नहीं दिया। इसके अलावा माननीय शंकरलालजी विधायक और उनकी सभा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं में से किसी द्वारा हमला किया गया हो यह बात भी गलत है। कहां पर चोट आई, कहां पर हमला हुआ? केवलमात्र यह कह देना कि हमला किया गया है, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यह असली मुद्दे को छोड़ कर, पुलिस एट्रोसिटीज की ओर से ध्यान हटा कर इस प्रकार से बातें करना गलत है। मुझे सूचना है कि माननीय डागाजी और माननीय शंकरलालजी के बीच कांग्रेस के ही दो वर्गों में लड़ाई है और उसको लेकर ही वहां पर कांग्रेस की ओर से दो तरह की मीटिंगें हुई हैं। दोनों एक दूसरे की मीटिंग तक में नहीं गए हैं। डागाजी ने वक्तव्य दिया है कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को सस्पेन्ड करना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा है वह मूलचन्दजी डागा के वक्तव्य के अनुसार ही है। अभी नागौर में नाथूरामजी मिर्धा के लाठी चार्ज के विरुद्ध कहा और उनको नहीं माना, तो यह तो आपके सोचने की बात है.... अतः मेरी प्रार्थना है उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं किया और न करना चाहता हूं, इसलिए मांग करूंगा कि इस मामले को आपसी विवाद न बनाकर टाला न जावे। इसके लिए मंत्री महोदय वक्तव्य दें। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, यह भी हो सकता है कि माननीय शंकरलालजी ने बातें यहां पर कही हैं वे गलत हों। क्योंकि न तो वे प्रत्यक्षदर्शी थे और न ही मैं प्रत्यक्षदर्शी था। परन्तु नेमीचन्द को करेन्ट लगाए गए हैं, व्यापारियों पर लाठी चार्ज किया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गया है। इसके बारे में मैं यह मांग करूंगा कि आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय इस संबंध में इस सदन में अपना वक्तव्य दें। यह गंभीर समस्या है। जनतन्त्र के अन्दर लोकतन्त्र के अन्दर, हमारी यह जो प्रणाली है उसके अन्दर आन्दोलन करने का, अहिंसात्मक आन्दोलन करने, प्रदर्शन करने का अधिकार है, उस पर इस प्रकार से आघात किया जाता है, तो मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है कि वे इस सम्बन्ध मे विश्वास पैदा करने के लिए, जनतंत्र में लोगों का विश्वास जमा रखने के लिए एस. एच. ओ. को सस्पेन्ड करे.... (समय समाप्ति सूचक घंटी)....और इसकी ज्यूडिशयली इन्क्वायरी करवाई जाए। यह भी कहना गलत है कि मैंने ज्यूडिशियली इन्क्वायरी का विरोध किया है। आप इन्क्वायरी करावें परन्तु सस्पेन्ड कर के करावें और यह इन्क्वायरी सस्पेन्ड करने के बाद ही इफेक्टिव हो सकती है और सरकार इसको स्वीकार करने के लिए कटिबद्ध हो, कृत संकल्प हो। ऐसा न हो जैसा बैरी कमीशन की रिपोर्ट का हुआ है। उसी तरह से इस रिपोर्ट को भी टाला जावे। अत: उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यक्ति के साथ जिस प्रकार की ज्यादती की गई है, उसके सम्बन्ध में तो, मैं मुख्य मंत्री महोदय से मिलूंगा, परन्तु इसे सदन के सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि आज पुलिस की एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है। पाली की यह घटना ज्वलंत है। अंग्रेजों के जमाने में हुए भयंकर अत्याचारों से भी यह भंयकर है। दिन दहाड़े इस प्रकार का अत्याचार किया गया है। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता परन्तु इस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर यह अवश्य कहूँगा कि पुलिस की यह एट्रोसिटीज हुई है और श्री मूलचन्द डागा के शब्दों को दोहराऊंगा कि कोचर पर हुआ अत्याचार है, मुख्य मंत्री बरकतुल्ला खां पर अत्याचार है। यह अत्याचार जनतत्र पर किया गया है और मूलचन्द डागा के शब्दों में एस. एच. ओ. को सस्पेन्ड किया जाकर इसकी जांच करायी जाए ताकि दोषी अधिकारियों को दंड दिया जा सके।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पर्सनल एक्सप्लेनेशन की ओट के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक किस्सा अपने ढग से कहा है और इस तरह पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह पर्दा आप टाल रहे हैं। मूलचन्द डागा की मीटिंग के समय आप घर में छिप कर बैठ गए थे....

श्री शंकरलाल : आप मेरी बात सुन लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे थे मैंने उनके भाषण को शांतिपूर्वक सुना है, मैंने कोई आपत्ति नहीं की है....आप मेरी बात सुन तो लीजिए....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप वहां से भाग कर आए हैं और यहां पर झूठ बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, ऐसा है, अभी आपने स्पष्टीकरण दिया है उसमें कुछ बातें नई आई है, इस-लिए मैंने उनको बोलने का मौका दिया

(श्री उपाध्यक्ष)

है। इसलिए आप इनको शांतिपूर्वक बोलने दीजिए, किसी प्रकार का व्यवधान न करें। जैसा उन्होंने सुना है, वैसा आप भी सुनिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कहना कि पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं....

श्री शंकरलाल : यह सही है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : इन्होंने जनता के ऊपर लाठी चार्ज करवाया है, मासूम बच्चों को पुलिस की लाठियों से पिटवाया है उसके बाद इस तरह की बात करते हैं। इस घटना की जांच मूलचन्द डागा कर रहे हैं, और जिसका समर्थन में कर रहा हूं और उस पर यह कहना कि पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं, गलत है पाप के ऊपर तो आप पर्दा डालना चाहते हैं। आपको यह मांग करना चाहिए कि पुलिस के एस. एच. ओ. को सस्पेन्ड किया जाए, ज्यूडिशियल इन्क्वारी करवाई जाए और जो उसकी रिपोर्ट हो वह इस सदन के पटल पर रखी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप उनको बचाना चाहते हैं, उनको इस प्रकार प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऐसा नियम है माननीय सदस्य, इसमें आप व्यवधान न करें। आप को भी मौका दिया गया है इसलिए आप भी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार रहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक्स्प्लेनेशन देने का मौका दिया है, आरोप लगाने का मौका नहीं दिया है। एक्स्प्लेनेशन देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनसंघ दल के नेता की तरह सारी घटना की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं परन्तु प्रत्यारोप के रूप में जो बात यहां पर कही गई है, उनके बारे में यहां पर स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। वह यह है। एक तो बात यह कही गई है मूलचन्द डागा के और मेरे बीच में कोई झगड़ा है, या उनके साथ कोई मेरी नाराजगी है और मैं इसलिए ही मूलचन्द डागा की मीटिंग में नहीं बोलने गया हूं। श्री मूलचन्द डागा द्वारा आयोजित मीटिंग में मेरे नहीं बोलने का कारण यह था कि मैंने स्वयं समाचार-पत्रों में यह पढ़ा था कि मूलचन्द डागा की राय अनाज के राष्ट्रीयकरण की नीति के बारे में कांग्रेस की जो नीति है, उससे मेल नहीं खाती है इसलिए उनके द्वारा आयोजित प्लेटफार्म से मैं नहीं बोलना चाहता था। श्री डागा अनाज के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं। उनकी मीटिंग में नहीं बोलने का एक कारण तो यह था।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेमीचन्द को रात्रि के समय कलक्टर की उपस्थिति में सरकारी डॉक्टर ने जांच कर सर्टीफिकेट दिया है। आप चाहें तो उसकी प्रतिलिपि मंगवा लीजिए उनसे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। न तो मैं वहां पर मौजूद था और न माननीय सदस्य ही वहां पर उपस्थित थे इसलिए डाक्टर ने कलक्टर की उपस्थिति में जो सर्टीफिकेट दिया है वह मंगवा लीजिए और इससे माननीय सदस्य को सन्तोष होना चाहिए....

श्री श्रीराम गोटेवाला : इससे तो आप सन्तुष्ट हैं ?

Page No 79

श्री गुमानमल लोढ़ा : ठीक है।

श्री शंकरलाल : यह तथ्य है। उपाध्यक्ष महोदय कि इनने लोगों को बहकाया है और मीटिंग शांतिपूर्वक नहीं हो पाई है और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विधान सभा की कार्यवाही के संचालन के जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम है, उनमें यह प्रावधान है कि एक माननीय सदस्य ने कोई बात कही है तो दूसरे माननीय सदस्य को उसका उत्तर देने का, स्पष्टीकरण करने का अधिकार है। अब दोनों सदस्यों ने स्पष्टीकरण कर दिया है। अतः यह सारी बात समाप्त हो गई है। अब इसके अलावा कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि इसका दुवारा उत्तर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो कार्यवाही आगे नहीं चलेगी। एक बात आपने कही उसके बारे में दूसरे सदस्य महोदय ने कह दिया। अब फिर आप कहें और फिर दूसरे माननीय सदस्य कहें तो यह उचित नहीं है। यह बात स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसा ही नियम है, प्रक्रिया है, प्रावधान है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बात को पुनः नहीं दोहराया जाय। जो बात रखी गई थी उसका स्पष्टीकरण हो गया है। जो बात नहीं कही गई थी उसके लिए भी आपको मौका दिया गया है और वह बात आप कह चुके हैं। इसकी पुनरावृत्ति के लिए मैं पुनः अवसर नहीं देना चाहूंगा।

श्री शंकरलाल : एक ही बात कहना चाहता हूं। जब सभा की कार्यवाही चल रही थी मैंने यह बात कही कि जनसंघ दल को राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए. उनको किसी प्रकार से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आम जनता ने चुनावों में जनसंघ की जमानत भी जप्त कर दी है। इस पर वहां जनसंघ दल के लोग आ गए और यह झगड़ा हुआ। यह कहना कि जनसंघ दल का कोई हाथ नहीं है, गलत है। जनसंघ दल के नेता महोदय ने अपनी सभा में गालियां दी है, मुख्य मन्त्री बरकतुल्ला खां को वहां पर गालियां दी है और मुझ से कहा कि इस्तिफा दो यह उन्होंने वहां पर मांग की है। परन्तु विधान सभा के लिए आपने चुन कर नहीं भेजा है। जनता ने चुनकर मुझे भेजा है। जनसंघ दल के नेता के वहां पर जाने के कारण, जनता को उकसाने के कारण ही मेरे पर हमला हुआ है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके काले कारनामों के कारण वहां की जनता आप से नाराज है....

श्री शंकरलाल : आप तो वहां पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए गए थे। आप पाली की जनता के लिए क्या बताएगें पाली की जनता ने जनसंघ की जमानत जप्त कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज.... माननीय सदस्य !

श्री शंकरलाल (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मूलचन्द डागा संसद सदस्य है, वह ये बात कह रहे हैं...

श्री शंकरलाल : मूलचन्द डागा का नाम लेकर आप अपनी बात कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य....

श्री मनोहरलाल : (अश्रव्य)....

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कांग्रेस की गलत नीतियों ने ही जनता को उकसाया है....

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य....

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य क्षमा करेंगे। एक मिनिट के लिए, माननीय शंकरलालजी उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह तो एक सामान्य बुद्धि की बात है कि माननीय सदस्य एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। गुमानमलजी लोढ़ा ने वहां पाली में जाकर क्या कहा इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है....

श्री शंकरलाल : उनसे मैं ज्यादा जिम्मेदार हू क्योंकि वहां की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। माननीय सदस्य (श्री लक्ष्मणसिंह) आप वहां पर, थे नहीं आपको मालूम नहीं कि वहां पर किस ने क्या कहा है। आप वहां जाकर पता लगाइये तो आपको पता हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे वकालत करने की जरूरत नहीं है। माननीय शंकरलालजी भी उतने ही जिम्मेदार है, जितने माननीय सदस्य गुमानमलजी लोढ़ा। लेकिन आप मानें या न मानें मेरा तो यह विचार है कि गुमानमलजी लोढ़ा खड़े होकर यह नहीं कह सकते कि पुलिस को मारो। इतना ही मुझे इसमें निवेदन करना है।

श्री शंकरलाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है कि वहां पर क्या हुआ है और गुमानमलजी ने जो कह दिया है वही कह रहे हैं। कार्य करने का कोई डेमोक्रेटिक तरीका है।

श्री मनोहरलाल (दोनों के साथ-साथ बोलने के कारण अश्रव्य....) : विधायक को किसी को भी पीटेंगे। लोढ़ा साहब तो कहते ही हैं मैं पिटवाऊंगा....

श्री शंकरलाल : लोग आपको पीटेंगे वहां पर आपकी जमानत जप्त हो चुकी है। जनता ने ठुकरा दिया....

श्री मनोहरलाल : यह सरकार पीटने के लिए ही है ....

श्री शंकरलाल : आपको जनता ने पीट दिया है। यहां पर आप कहना चाहते हैं।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ने अभी कहा है उससे साफ मालूम होना चाहिए कि वहां पर पाली में किस तरह की धारणा इन्होंने पैदा की है। जनता को भड़का कर वहां पर यह वातावरण पैदा किया है। वहां पर इस प्रकार का वातावरण तैयार किया है, एक माननीय सदस्य के खिलाफ इस तरह का वातावरण तैयार करके वहां पर झगड़ा कराया है....

श्री मनोहरलाल : झगड़े की बातें....

श्री जनार्दनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इसी तरह से पिटवायेंगे। माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है सदन में तो माननीय सदस्य को वार्निंग देना चाहिये।

श्री मनोहरलाल : अगर कोई ऐसी गैरकानूनी कार्यवाही करेंगे तो मारेंगे और बदले में मारेंगे।

श्री मोहनराज : इस बात से साफ झलक रहा है कि वहां पर इन्होंने इस तरह से कहा है।

श्री मनोहरलाल : आई. पी. सी. में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप चाहते हैं कि Should I take stern action ? There is a limit to patience also.

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 पर वादविवाद

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्क्ष महोदय, बजट के तृतीय वाचन के संबंध में मेरा निवेदन है कि अपना राजस्थान राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य है। प्रगति के जो भी मापदण्ड हैं उनके आकार पर मैं यह अनुभव करता हूं कि राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। इस राज्य की आर्थिक स्थिति के ऊपर दृष्टिपात किया जाय तो वह पिछड़ी हुई है और औद्योगिक स्थिति के ऊपर ध्यान दिया जाय तो वह बहुत पिछड़ा हुआ, शिक्षा के प्रसार के सम्बंध में भी पिछड़ा हुआ, बिजली के फैलाव के सम्बंध में पिछड़ा हुआ, सिचाई व्यवस्था के सम्बंध में भी अत्यधिक पिछड़ा हुआ और खेती के सम्बंध में भी पिछड़ा हुआ। पशुपालन और खेती दोनों साथ-साथ चलते हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों में भी हमारा राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा का प्रसार एक हद तक तो सरकार ने किया है, किन्तु अन्य राज्यों के अनुपात में, उनके मुकाबले में हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आधारभूत साधन हैं, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उस इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी अगर देखा जाय तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इतने पिछड़े हुए हैं कि राज्यों की सूची में अपना स्थान बहुत ही नीचे है। यदि बिल्कुल ही नीचे नहीं है तो भी बहुत नीचे स्थान हमारे राज्य का है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह शासन की विफलता का कारण है। इस सदन के अन्दर बार-बार यह कहा गया है कि शासन की विफलता के कारण राजस्थान प्रगति नहीं कर पा रहा है। कदाचित सरकार यह कहे कि अमुक विषयों के अन्दर राजस्थान बहुत अग्रणी है तो संभवतः यह मैं कहने को और मानने को तैयार हूं कि क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान समस्त राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। रेगिस्तान के सम्बंध में और अकाल के सम्बंध में तो राजस्थान सबसे पहला स्थान प्राप्त करता है। 1,88,00,000 वर्ग किलोमीटर में इस रेगिस्तान का फैलाव है और सारे राज्य के क्षेत्रफल के 55 पर्सेन्ट हिस्से के ऊपर इस रेगिस्तान का फैलाव है। 26 जिलों में से 10 जिले और 50 लाख की जनसंख्या इस रेगिस्तान के अन्दर रहती है। यह रेगिस्तान दिन प्रति दिन आगे बढ़ रहा है और पश्चिमी क्षेत्र से धीरे-धीरे और शनैः शनैः लेकिन निश्चित रूप से यह रेगिस्तान पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्रों में फैल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसे अरावली पर्वतमाला के अन्दर पहाड़ और नाले हैं जो आधे रेत से ढ़क गये हैं, इस सम्बंध में यह राजस्थान

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार की विफलता है कि यह सब आपत्तियां और स्थितियां शनैः शनैः उत्पन्न होती जा रही हैं और हम अनुभव कर रहे हैं।

एक पार्टी की सरकार 25 साल तक शासन करती आई है, जो सन् 52, सन् 62 और सन् 67 के तीन आम चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था लेकिन तिक्कड़मबाजी के जरिये से येनकेन प्रकारेण कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के शासन की बागडोर अपने हाथ में रखी। राजस्थान इस विषय में भी अग्रणी है। जब यह देखा गया है कि यू. पी., बिहार, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडू और केरल आदि राज्यों में सरकार की अदला-बदली हुई है। सिद्धान्ततः सरकारें जब बदलती है तभी जनतन्त्र की स्वतन्त्र प्रणाली स्थापित होती है। एक ही पार्टी की सरकार लगातार तिक्कड़मबाजी के जरिये शासनारूढ़ रहे, वह मैं समझता हूं, जनतन्त्र के अन्दर एक बहुत अस्वस्थ चीज है। उसके उपरान्त एक और विषय में राजस्थान सर्वोपरि है और वह विषय है माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सम्बंध में। माननीय सुखाड़ियाजी लगातार 17 साल तक राजस्थान के मुख्य मन्त्री रहे। कोई भी अन्य राज्यों में ऐसा उदाहरण शायद नहीं होगा कि उस राज्य का कोई मुख्य मन्त्री 17 साल तक लगातार मुख्य मन्त्री के पद पर आसीन रहा हो, नेतागण बार-बार यह कहते हैं कि यह तो भूतपूर्व राजाओं का पिछड़ापन, राजस्थान सरकार को विरासत में मिला है। इसके कारण राजस्थान प्रगति नहीं कर पाया है। सम्भवतया मैं भूतपूर्व राजाओं की वकालत करने के लिए एकमात्र व्यक्ति इस सदन में हूं। परन्तु सच्ची बात करने में कोई संकोच नहीं होगा। एक दो बार नहीं, यहां पर बार-बार कहा जाता है कि राजाओं का पिछड़ापन उत्तरदायित्व के रूप में राजस्थान सरकार ने लिया है। इसके कारण राजस्थान सरकार प्रगति नहीं कर पा रही है। यह मैं विनम्रतापूर्वक उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से राजस्थान की सरकार द्वारा अपनी विफलताओं पर परदा डालने की चेष्टा की जा रही है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूंगा। अभी हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि हम इन्द्रदेव की कृपा पर निर्भर रहते हैं। यदि वर्षा हो जाती है तो उसको तो आप अपनी हरित क्रान्ति कहते हैं। वर्षा नहीं होती है तो भूतपूर्व राजाओं पर आरोप लगाया जाता है। मैं समझता हूं कि यह निरर्थक, अवास्तविक और अशोभनीय सरकार के द्वारा प्रचार किया जाता है। यह सर्वथा अनुचित है, उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता के पहले 18-19 राजस्थान के अन्दर राज्य थे और राजस्थान के मुकाबिले में तो सभी राज्य बहुत छोटे थे। उनमें जनतन्त्र नहीं था। यह मैं मानता हूं कि आधुनिक व्यवस्था की कमी, सड़कें नहीं, बसें नहीं, हवाई जहाज नहीं, इतनी बिजली भी नहीं, लेकिन हर एक वस्तु के कई पहलू होते हैं और उसके अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन भूतपूर्व राज्यों में राजाशाही थी, जनतन्त्र नहीं था। जनतन्त्री उस समय का पोलिटिकल डिपार्टमेंट इजाजत भी नहीं देता था। खैर, यह एक अलग विषय है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अगर उस समय राजाशाही थी तो आज नौकरशाही हैं। लालफीताशाही

(श्री लक्ष्मणसिंह)

है। उस समय के राज्यों में ओवर ड्राफ्ट की व्यवस्था नहीं थी। कर्जा नहीं ले पाते थे। बेचारे छोटा-मोटा सन्तुलित आय-व्यय करके सस्ता अनाज, सस्ता कपड़ा, सस्ता न्याय और सस्ते इलाज की व्यवस्था करते थे। लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ता था, आज से तो वह अच्छी ही शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में सशक्त थे। नियन्त्रण भी उनका राज्यों में था, आज से कई गुना भला था। उन्होंने असेंट्स दिये। रेलवे दी, तालाब दिये, बिल्डिंग दी हैं। यह सब साज-सामान नहीं होते हुये भी वहां पर यह सब होता है। माननीय वित्त मन्त्रीजी यह कहते हैं कि हमारे टेक्निकल असैट्स हैं। लेकिन मैं उनको टेक्निकल असेंट्स स्ट्रिक्ट सेंस में, वह सचमुच असेंट्स हैं इसको मानने में विवश हूं। मेरा निवेदन करना है कि राजाओं ने जो विरासत में दिया है, वह आपकी प्रगति को रोकने वाला नहीं है। भूतपूर्व राजाओं ने करोड़ों रुपयों की वन सम्पदा आपको दी है वह करोड़ों रुपयों की वन सम्पदा इतनी है कि जो सदियों की वन सम्पदा थी, उस वन सम्पदा को 25 वर्षों में आपने इतना ह्रास करके बिल्कुल सत्यानाश, मटियामेट कर दिया। प्रकृति का सन्तुलन था वह भी आपने समाप्त कर दिया है। इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने इन 25 वर्षों में कुछ भी ऐसी चीज करने का विचार तक नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, 13 मार्च के इण्डियन एक्सप्रेस में एक लेख है। उसका नोट मैं पढ़कर सुनाता हूं—Taking drought through afforestation.

'It is noteworthy that in an experiment carried out in the Gir Sanctuary in Gujrat, it was found that in an enclosure which was free from cattle and human presence the total output of grass amounted to 4,500 lb. per year. On the other hand in areas near villages trampled by cattle and human feet and where land was over-grazed the output was only 416 lb. This gives an indication of how much more we can get out of our land by conserving its essential properties.'

राजस्थान सरकार ने एक स्थान पर भी ऐसा नहीं किया है। जंगल भी कट चुके हैं। अगर जंगल कट चुके हैं तो दो-तीन स्थानों पर घास उगाने की भी व्यवस्था की जाये तो बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन यह सरकार की ढिलाई है। लापरवाही है। जिससे ऐसा नहीं करना प्रतीत होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सब के फलस्वरूप हाई वेलोसिटी ऑफ विण्ड से भू-क्षरण होता जा रहा है। ऐसी आंधी आती है। बांसवाड़ा में ऐसी आंधी आई कि ऐसी आंधी 50 साल में भी नहीं आई थी। इस प्रकार की आंधियों से भू-क्षरण होता है। जिससे हमारी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, उसका भी ह्रास होता है। सरकार इस सम्बन्ध में कोई न कोई गम्भीरतापूर्वक विचार करें। शीघ्र ही सरकार को कदम उठाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस

(श्री लक्ष्मणसिंह)

राजस्थान का मुख्य उद्योग कृषि और पशुपालन है। कृषि और पशुपालन के सम्बन्ध में सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है, जो सन्तोषजनक हो। सरकार का सारा समय अकालराहत कार्यों के सम्बन्ध में और अकाल में खर्च हो जाता है। अकाल के अलावा, सरकार को और कोई विषय विचार करने के लिए बाकी नहीं रहता है। इस राजस्थान की नदियां पेरेनियल नहीं है। राजस्थान में कोई ऐसी नदी नहीं है जो कि 12 मास तक साल में बहती रहे। चम्बल और माही नदी है। उनका भी हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। माही का जो भी उपयोग किया जायगा वह भी गुजरात को अधिकांश लाभ मिलेगा। इस सम्बन्ध में, सदन में बार-बार चर्चा उठी है। कनाडा डेम के सम्बंध में, यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें तनिक भी स्वार्थ नहीं है। जो भी वहां के व्यक्ति विस्थापित होंगे, हजारों की तादाद में विस्थापित होंगे, वह मेरे मतदाता नहीं है, वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के भी नहीं है, माननीय सदस्य, भूतपूर्व मन्त्री भीखाभाई के निर्वाचन क्षेत्र के हैं। मुझे बड़ा दुःख है, मैं बहुत चिन्तित हूँ, इसका लाभ बारह आने रुपये में गुजरात उठाये और पांच सौ वर्ष से लोग बसे हुए डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, जैसा वहां के सदस्य माननीय श्री नाथूराम भी बार-बार इस सम्बन्ध में चर्चा उठा चुके हैं, गुजरात को क्या अधिकार है, उपाध्यक्ष महोदय, पांच सौ वर्ष से बसे हुए गांवों के खलिहान, कुए, फलदार वृक्ष, मकान सब डुबा कर उसका लाभ गुजरात उठाये और राजस्थान की सरकार को नुकसान हो। यह बड़े दुःख का विषय है। राजस्थान की सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं पुरजोर शब्दों में फिर निवेदन करूंगा, वह समय नजदीक आ रहा है, जून-जुलाई के समय के अन्दर वहां डूबने की परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को सतर्क करने के लिए यह एक एक्स्ट्रेक्ट हिन्दुस्तान टाइम्स का भी पढ़ कर आपके समक्ष सुनाऊंगा:

"The social costs of large dams, particularly the expense of relocating population uprooted by artificial lakes can cut a big hole into the benefits expected from irrigation and hydro-electric power project in developing countries.

This note of caution is sounded in a report on 'Man made lakes as modified eco-systems'. Just issued by SCOPE (The Scientific Committee on Problems of the Environment) set up by the International Council of Scientific Unions in paris.'

The SCOPE report, a resume of which is given in a UNESCO bulletin says "From the human point of

(श्री लक्ष्मणसिंह)

view, relocation has been one of the least satisfactory aspects of reservoir projects. Not only it is an incredibly complex process, but it is expensive in money, personnel and time."

"Sometimes" the report says, 'financial costs of re-settlement may be sufficiently great to offset expected benefits of dam construction in comparison to alternate uses of funds. This is the kind of judgment to be faced in future large projects such as the proposed Pa Mong project in the Lower Mekong basin."

"In the major African projects", it points out that final estimates of relocation expenses have varied from approximately 200 dollars per capita to more than 200 dollars. In all these projects, the relocation expenses have been at least three times the original estimates and sometimes substantially more.

"Had planners know from the start that relocation costs would rarely be less than 25 per cent of the combined cost of power generation and transmission and dam construction they would have approached feasibility studies in a rather differnt way."

The report has made three recommendation which have been transmitted to scienific associations and United Nations agencies working in this field. They are:

Any decision to build a man made lakes should be based on comparison of its likely effects with those which would result from other technical or social actions to reach the same public goals.

Any such decision should include an attempt, however redimentary, to canvass the full consequences of the dam and the new lake-consequences in the socio-cultural system and the earth's crust, hydrology and biological

(श्री लक्ष्मणसिंह)

production in the water of the reservoir

Consultation with the people affected; such assessment should treat the people directly affected by the reservoir as a dominant part of the eco-system to be transformed and should involve them appropriately in the decision-making process."

डिसीजन मैकिंग प्रोसेस के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, गरीब आदिवासियों को कभी किसी ने जाकर पूछा तक नहीं है, तुम्हारी दुर्दशा क्या होने वाली है, न उनकी कोई राय ली गई है, बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि उनकी दुर्दशा क्या होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं यह समझता हूं कि गुजरात तो फायदा उठाये, राजस्थान को नुकसान हो, हजारों आदिवासियों को विस्थापित किया जाय, और आखिरकार कौनसी ऐसी जगह राजस्थान के अन्दर है, जहां उनको बसाया जा सकेगा। यह भी सोचने का सवाल है। सरकार, मैं समझता हूं, सोचने की जरूरत नहीं समझती और आस्ट्रिच की तरह अपना सिर रेत के अन्दर दबा कर बैठी हुई है, कुछ करना नहीं चाहती। इस सम्बन्ध में सरकार का पुरजोर शब्दों के अन्दर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कुछ नहीं किया गया तो निश्चितरूप से इन लोगों की दुर्दशा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी का लेवल भी, भू-गर्भ जल का स्तर भी गहरा होता जा रहा है। पच्चीस वर्ष के अन्दर धीरे-धीरे राजस्थान की सरकार ने तीन चीजों के सम्बन्ध में उपलब्धियां प्राप्त की या बढ़ावा दिया है, एक तो कर्ज में बढ़ावा दिया है, एक भ्रष्टाचार में बढ़ावा दिया है, एक महंगवारी में बढ़ावा दिया है। यह तीन राजस्थान सरकार की मुख्य उपलब्धियां हैं।

सिंचाई के विस्तार के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सरकार का यह दावा है कि 12.8 पर्सेन्ट राजस्थान का क्षेत्र सिंचित है तो अन्य भूतपूर्व राज्यों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम उन भूतपूर्व राज्य में भी गंग केनाल जैसी व्यवस्था थी, तब भी बड़े-बड़े तालाब थे, उस जमाने में सैंकड़ों वर्ष पुराने तालाब थे। मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार ने यदि सिंचाई की व्यवस्था की है तो 6 पर्सेन्ट, 7 पर्सेन्ट से अधिक नहीं की है, 5 पर्सेन्ट भूतपूर्व राज्यों के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था होगी, यह निश्चय ही मेरा अभिमत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में 1901 से 1915 का समय देखा जाय तो औसत ढाई वर्ष के अन्दर एक वर्ष अकाल पड़ता था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अभी उल्लेख था, गत 10 वर्ष 1963 से 1973 तक, सात वर्ष तक अकाल पड़ा है, मुझे अच्छी तरह से याद है, उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व डूंगरपुर राज्य में 1918 से 1948 तक, तीस वर्ष के अन्दर तीन दुष्काल पड़े। उस समय छोटा सा डूंगरपुर जिला, उसमें इतना अनाज था कि तीन वर्ष तक अकाल पड़े

(श्री लक्ष्मणसिंह)

तो भी अनाज मिल सकता था, मक्का और तरह-तरह का अनाज, कोदो, कोदड़ा और जो आदिवासियों के खाने के अनाज थे, वह पर्याप्तरूप से वहां पर थे। वहां पर पर्याप्तरूप से शुद्ध दूध और शुद्ध घी मिलता था। आज शुद्ध दूध और शुद्ध घी के दर्शन दुलर्भ हो गये हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसका मूल कारण डीफारेस्टेशन है, इसका मूल कारण है, जंगल सब काटे जा रहे हैं, इसका कोई स्थाई हल सरकार पच्चीस वर्ष के शासन के अन्दर नहीं सोच पाई है। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करना चाहूंगा, एक छोटा सा, पिद्दी जैसा मुल्क, इजरायल है, उस इजरायल का जन्म कल-परसों ही हुआ है लेकिन इजरायल ने भी लहलहाते हरे खेतों का वहां पर इजरायल के अन्दर मीलों तक हजारों एकड़ तक विस्तार किया है। हम कुछ नहीं कर पाये हैं। हम गंग कैनाल के अलावा राजस्थान कैनाल की बहुत लम्बी-लम्बी बातें करते हैं लेकिन हमारी उपलब्धि भी उस सम्बन्ध में असंतोषजनक है।

बैंक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, महत्वपूर्ण यह विषय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एडवान्सेज, बैंक से एडवान्सेज में राजस्थान का भारत के स्तर पर शेअर, हिस्सा 1 पर्सेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, जबकि महाराष्ट्र का 17 पर्सेन्ट है, वेस्ट बंगाल का 19 पर्सेन्ट है, तमिलनाडू का 11 पर्सेन्ट है, गुजरात का 6 पर्सेन्ट है। गुजरात के छः पर्सेन्ट के मुकाबले राजस्थान 3 पर्सेन्ट भी होता तो मैं कहता, राजस्थान की उपलब्धि है। लेकिन राजस्थान का 1 पर्सेन्ट शेअर हिस्सा है। बड़ी लज्जाजनक स्थिति है। पर कैपिटा इन्वेस्टमेन्ट के सम्बन्ध में निवेदन करूं, पर कैपिटा इन्वेस्टमेन्ट राजस्थान का सिर्फ 18 रुपये है, जबकि महाराष्ट्र का 236 रुपये हैं, वेस्ट बंगाल का 136 रुपये हैं, तमिलनाडू का 160 रुपये हैं, गुजरात का 89.7 रुपये हैं यानि 90 रुपये हैं। 90 रुपये गुजरात का है, उसके मुकाबले में हमारा केवल 18 रुपये हैं, पांच गुना फर्क है।

क्या भूतपूर्व रियासतों और भूतपूर्व राजाओं ने यह पिछड़ापन आपको विरासत में दिया था। ये सब निराधार बाते हैं, निराधार आक्षेप है और मैं समझता हूं कि भूतपूर्व राजा चाहे उन्हें रावण कहें या प्रतिक्रियावादी कहें लेकिन जीवन के मूल्य जो होते थे जैसे खाने के लिये उनको अनाज दिया, शुद्ध सस्ता अनाज दिया, पहनने के लिये उनको कपड़ा दिया और रहने के लिए मकान दिया और सस्ता न्याय दिया। इसके उपरान्त उनमें खामियां थीं इसको मैं मानने के लिये तैयार हूं लेकिन जो बैसिक तीन मुद्दे हैं वह यदि आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो समाजवाद कब आएगा और गरीबी कब हटेगी, मुझे तो दीखता है कि भगवान ही उसका मालिक है।

बिजली के सम्बन्ध में निवेदन है कि 50 प्रतिशत कटौती तो हो चुकी। अब कटौती घरेलू उद्योगों के सम्बन्ध में भी 25 प्रतिशत होने वाली है। मैं राज्य सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि अगर विन्ध्य पहाड़ों की पर्वतमाला का जो जंगल है, वह आधा तो कट चुका और आधा और कट गया तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर डैम, इनके आगे बढ़ने में मुझे आशंका

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हो जायगी तो आपकी सब बिजली की योजनायें टाय-टाय फिश हो जायगी। तो समय रहते मैं सरकार को सजग करना चाहूंगा।

ओइल रिफाइनरी के लिये हम उत्सुक थे कि सवाई माधोपुर में स्थापित होगी, लेकिन सवाई माधोपुर को छोड़ कर वह मथुरा पहुंची। फर्टीलाइजर प्लांट का अब क्या होने वाला है, यह भी अनिश्चित है, वह आना चाहिये। राज्य सरकार को कहना चाहिये कि हमारा पिछड़ा हुआ प्रदेश है और राजस्थान को फर्टीलाइजर प्लांट मिलना चाहिये।

बंगला देश शरणार्थी कोष के लिये जो लेवी वित्त मन्त्री महोदय ने जारी रखी है, उसका औचित्य अब नहीं है। अन्य सब राज्यों ने, सारे देश के अन्दर इस लेवी को बन्द कर दिया है। इस अकालग्रस्त प्रदेश के अन्दर इस लेवी का जारी रखना मेरे खयाल से अत्याचार की पराकाष्ठा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस लेवी को शीघ्रातिशीघ्र बन्द करें।

बजट में कोई ठोस सुझाव नहीं है, कर्त्तव्य-विमूढ़ है, दिशाशून्य है। ऐसी हालत में मैं इसका समर्थन करने में सर्वथा विवश हूं। इन सब बातों को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित अभिमत है कि राजस्थान प्रदेश का विभाजन होना चाहिये, विलीनीकरण के समय पहले घोषणा हुई कि राजस्थान कोटा में बनेगा, फिर घोषणा हुई कि उदयपुर में बनेगा, फिर मत्स्य बना, उसके बाद वृहत् राजस्थान जयपुर में राजधानी के साथ बना। राज्यों के समूह कोविनेन्ट के द्वारा विलीनीकरण के फलस्वरूप पेप्सू बना, सौराष्ट्र बना, मध्य भारत बना, उन सबका पुनर्गठन हुआ और तावड़तोड़ से इन्टीग्रेशन हुआ, उसका मैं विरोध नहीं करता, वह अनिवार्य था, उसका स्वागत है लेकिन 25 वर्ष के अनुभव के पश्चात् अगर हम सोचें कि यह इन्टीग्रेशन जो राजस्थान राज्य का है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, वास्तविक दृष्टि से आर्थिक हितों को मद्देनजर रखते हुए है, रीजनल इम्बेलेन्स नहीं है तो मेरे खयाल से यह अवास्तविक है और इस परिस्थिति को जितनी दूर आप ले जायेंगे उतना ही आप दुःखी होंगे और जनता भी दुःखी होगी।

पूर्वी क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र पशुपालन प्रधान क्षेत्र है। इसमें क्षेत्रीय इम्बेलेन्स स्पष्टतया है। ये दोनों राजस्थान के हिस्से काम्पलीमेंटरी नहीं हैं, कन्फ्लिक्ट में हैं, नॉन-वायबल, अननेचुरल यूनियन है, फीजीबल नहीं है। मैं दस वर्ष से बराबर देखता आया हूं, हमारी आर्थिक स्थिति को जैसे एक टी.बी. ग्रस्त पेशन्ट हो, वह स्थिति हमारी आर्थिक रूप से है। दिन ब दिन ऋण बढ़ता ही जाता है जैसे टी. बी. का रोग बढ़ता जाता है। अगर बीच में थोड़े बहुत वर्षों के लिये ऋण की मात्रा में कमी हुई हो तो भी मैं कहूं कि स्थिति संतोषजनक है। पहले 400, फिर 800 अब एक हजार करोड़ तक पहुंच गया। कम से कम भूतपूर्व राजाओं ने, चाहे वे कुछ भी थे, 16 करोड़ आपके खजाने में विरासत में दिये थे, आपकी प्रगति में वह भी बाधा नहीं थी। यह तो राजस्थान बनने के बाद, राजस्थान की प्रगति में बाधा हुई है, वह कांग्रेस की सरकार है। मैं इतना भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक स्वतन्त्रता, अगर

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हमने प्राप्त की तो स्वागत है लेकिन आर्थिक परतन्त्रता बढ़ती जाए, राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता भी हमें प्राप्त न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है।

हाईकोर्ट बेंच के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जैसी राजधानी के अन्दर हाईकोर्ट बेंच तक नहो, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है और किन्हीं कारणों से मन्त्री महोदय कहे कि हम विवश हैं, जयपुर में हाईकोर्ट की व्यवस्था नहीं कर सकते, यह तो एक बिल्कुल हैरतअंगेज और समझ के बाहर है। मैं जोधपुर का बिल्कुल विरोध नहीं करता, जोधपुर में हाईकोर्ट अवश्य रहे। जोधपुर का स्थान हाईकोर्ट के द्वारा ज्यों का त्यों बना रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन हाईकोर्ट की समस्या को लेकर, यह विभाजन उस समस्या को भी हल करता है।

जैसलमेर जैसा जिला सारे विश्व में ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा कि 16 हजार वर्गमील के अन्दर केवलमात्र एक ही प्रतिनिधि विधान सभा में आकर बैठे। एक प्रतिनिधि 16 हजार वर्गमील को किस तरह से संभाल सकता है। एक तरफ भूतपूर्व जयपुर राज्य में 16 हजार वर्गमील वहां 60 विधायक, दूसरी तरफ जैसलमेर में 16 हजार वर्गमील में एक विधायक, यह भी एक रीजनल इम्बैलेन्स के फलस्वरूप है। अगर विभाजन होता है तो कम से कम जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र के दो-तीन विधायक वहां पर होंगे।

राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पश्चिमी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र विभाजन के पश्चात् बनता है तो राजस्थान कैनाल अवश्य आएगी क्योंकि केन्द्र उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा, उदारता के साथ पूर्ण सहयोग देकर राजस्थान कैनाल का निर्माण कराना पड़ेगा जिससे सारे देश का हित है। अन्यथा मुझे शक है कि यह ऋणग्रस्त वर्त्तमान राजस्थान राज्य, इसकी योजना केवलमात्र अकाल से लड़ना है और कर्जे को बढ़ाना है और भ्रष्टाचार बढ़ाना है, इससे कुछ नहीं हो सकता, यह मेरा निश्चित अभिमत है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

तो मैं चाहूंगा कि केन्द्र सुदृढ़ हो, राज्य हों, उनकी सरवाइवल्ट वैल्यू सेल्फ-सफीशियेल हो, उनका विभाजन हो, कम से कम दूसरे भी पुनर्गठित राज्य हुए हैं लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय प्रधानमन्त्री महोदया, और कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं आंध्र का विभाजन होगा तो देश कमजोर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर देश में कांग्रेस के द्वारा किसी भी प्रान्त का विभाजन किया जाता है तो हमारी भारत सरकार को ग्राह्य हो जाता है और हमारी सरकार और हमारी सरकार की प्रधान मन्त्री उसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन देश में दूसरी पार्टी या दूसरे लोग किसी भी प्रान्त के पुनर्गठन या किसी भी प्रान्त के विभाजन की बात करते हैं तो प्रधान मंत्री उसके लिये यह कहती है कि विभाजन से देश कमजोर होता है। प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से बिलकुल सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि इस में क्या गलत बात है। प्रधान मन्त्री कह देती है कि यह सभी बातें राजनैतिक कारणों से की जा रही है। अगर भारत सरकार

(श्री लक्ष्मणसिंह)

आन्ध्र के विभाजन के प्रश्न पर इतना खून खच्चर करा कर या लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट करा कर मानती है तो मैं इसे श्रेय की बात नहीं मानता हूं। मैं कांग्रेसाध्यक्ष और भारत के प्रधान मन्त्री से निवेदन करूंगा कि उनका आन्ध्र के बारे में जो विभाजन इतने दिन नहीं होने दिया वह बात अव्यवहारिक थी। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने ही छोटे-छोटे हिस्से होंगे उतने ही उन इलाकों में जीवनी आयेगी और उन्हें शक्ति मिलेगी। आज हम देख सकते हैं कि हरियाना भी बनाया गया और हरियाना ने कितनी तरक्की की और पन्जाब ने भी टुकड़े होने के बाद कितनी प्रगति की। आज महाराष्ट्र के विभाजन होने के बाद महाराष्ट्र ने भी बहुत ज्यादा तरक्की की है।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

प्रदर्शनकारी वकीलों द्वारा श्री मोहनलाल छंगाणी का घेराव व अपमान

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अहम मसला विधान सभा के सामने रखना चाहता हूं। अभी दिन को करीब डेढ़ बजे जब मैं विधान सभा के नीचे से आ रहा था तो कुछ वकीलों ने मेरा घेराव किया और मेरा कुर्ता फाड़ दिया और मेरे साथ मार-पीट की और मुझे घेराव करके वकीलों ने यह कहा कि मैं जयपुर में हाईकोर्ट बेन्च आये उसके लिये एक सदन में स्टेटमेन्ट उनके फेवर में दूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा एबसोल्यूट राईट है कि मैं किसी पक्ष में बोलूं और मुझे इस तरह विधान सभा में आने से रोका गया जो सर्वथा अनुचित है क्योंकि विधान सभा में आने का मेरा एबसोल्यूट राईट है। उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये। यह विधान सभा के सदस्यों की स्वतन्त्रता का प्रश्न है। हाईकोर्ट की मांग को लेकर उनके पक्ष में बोलूं या हाईकोर्ट, जोधपुर में रहे उनके पक्ष में कहूं यह मेरी फ्रीडम है। हो सकता है मैं किन्हीं कारणों से कमिटेड हूं कि हाईकोर्ट, जोधपुर में ही रहे। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। इस तरह विधान सभा के सदस्यों के साथ मार-पीट की जाय और कुर्ते फाड़ डाले जायें और विधान सभा के सदस्यों के जो प्रिविलेजेज है उनका हनन किया जाय। मैं उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह से जानता हूं कि उन घेराव करने वाले लोगों में और मेरे साथ मारपीट करने वाले लोगों में मेरे कुर्ता वगैरह जो फाड़ा है वे वही वकील हैं, जिनको कि यहां पर सजा दी गयी थी। उन्होंने मुझे प्रेस किया कि मैं विधान सभा में उनके पक्ष में बोलूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न है, मैं कमिटेड हो चुका हूं। वह कई कारणों से हो सकता हूं, चाहे पोलिटिकल कारण हो, चाहे भौगोलिक कारण हो। लेकिन इस तरह से किसी भी विधान सभा के सदस्यों को जबरन आप प्रेस नहीं कर सकते कि वे इनकी मांगों के बारे में अपना समर्थन दें। आखिर हमारी भी आजादी होनी चाहिये कि हम विधान सभा के अन्दर फ्रीली मूव कर सकें। हमें विधान सभा के अन्दर फ्रीली बोलने के अधिकार होने चाहिये इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये. जिन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े हैं, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और मुझे विधान सभा में आने के लिये रोका है तथा साथ में मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिये मैं आपके माध्यम से

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि वह इस बारे में सम्पूर्ण जांच कराकर उनके खिलाफ़ में कार्यवाही करे वह हमारे लिये स्वतन्त्रता से फिरने की व्यवस्था करें। शासन द्वारा व्यवस्था इस बारे में दी जानी चाहिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता...

श्री उपाध्यक्ष : अभी-अभी माननीय सदस्य श्री मोहनलाल छंगाणी ने एक व्यवस्था प्रश्न उठाया है। उसके लिये मेरा उनसे निवेदन है कि अपने यहां पर नियम ऐसे मामलों के लिये बनाये हुए हैं उनके अन्तर्गत वह इस मामले को हाउस में उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिये नियम हैं मैं उनका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं नियम 157 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उसके अन्तर्गत माननीय सदस्य लिख कर प्रिविलेज का मोशन मूव कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह तो लिखित में मैं मूव कर ही रहा हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेकर समाप्त करना चाहूंगा। जहां तक मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक बातों का सवाल है (एक साथ श्री मनोहरलाल, श्री मोहनलाल छंगाणी, श्री खेतसिंह व श्री सुरेन्द्र व्यास आदि माननीय सदस्यों के बोलने पर अश्रव्य। सदन में शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप सभी लोग स्थान ग्रहण करें। आवेश में नहीं आवें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य श्री मोहनलालजी छंगाणी के साथ जो शर्मनाक घटना घटी है उसको मैं बहुत ही खेदजनक मानता हूं। क्योंकि हमारे विधान सभा के सदस्यों को जो अधिकार दिये हुये हैं और इस प्रकार की जो घटनायें की जाती हैं वह बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य श्री छंगाणीजी को भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिये था।

(सदन में एक साथ कई माननीय सदस्यों के बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज!

श्री खेतसिंह : यह सभी आप लोगों ने ही करवाया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो चीफ विप साहब ने फरमाया है कि आप ही ने करवाया है यह बात बिलकुल नाकाबिल बर्दाश्त है। क्योंकि अगर वकील लोग या सदन के बाहर कोई आन्दोलन करते हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है। जिन्होंने भी यह अभद्र व्यवहार किया है उन्होंने पहले सदन के माननीय सदस्यों से अप्रूवल थोड़े ही लिया है....

श्री खेतसिंह : आप नीचे वकीलों को क्यों नहीं समझाते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये।

Page No 92

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर जो भी वकील कार्यवाही कर रहे हैं उसके पीछे हमारा हाथ हो, यह बात बिलकुल गलत है। क्योंकि वकील लोग किसी भी मांग को लेकर हड़ताल कर सकते हैं हो सकता है उन मांगों में हमारा भी समर्थन हो लेकिन उसके लिये ऐसे तौर-तरीके अपनाना मैं बहुत ही शर्मनाक मानता हूं। दूसरी इस प्रकार का जो खेतसिंहजी ने कहा कि आप ही लोगों ने करवाया है, यह गलत है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, एक और विधान सभा की सदस्या को रोका गया है ऐसी मुझे अभी सूचना मिली है।

(एक साथ कई सदस्य बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, उस माननीय सदस्या को बार एसोसियेशन के लोगों ने घेर रखा है यह प्रिविलेजेज का मामला है, बहुत ही अहम मसला है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो खेतसिंहजी ने कहा है कि आप ही लोगों ने कराया है यह आरोप इनका सरासर गलत है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि श्री खेतसिंहजी ने जो शब्द काम में लिये उन्हें वापिस लिया जाय।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ! उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(2.07) म. प.

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन, शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! आप विराजिये, आप बैठिये। आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष महोदय के बार-बार ऑर्डर प्लीज के कहने के बाद भी श्री गिरधारी-लाल भार्गव, श्री मनोहरलाल व श्री रघुनाथ विश्नोई बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक-एक सदस्य बोले।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन के बाहर जब श्री मोहनलाल छंगाणीजी सदन में आ रहे थे तो नीचे इनके साथ बार एसोसियेशन के लोगों ने दुर्व्यवहार किया वह बहुत ही खराब बात है। हम किन्हीं बातों के कारण किन्हीं मुद्दों पर आपस में मतभेद कर सकते हैं लेकिन जहां तक माननीय सदस्यों के सुरक्षा का सवाल है इसके लिये आसन को एसी व्यवस्था होनी चाहिये कि विधान सभा के माननीय सदस्य इधर उधर सुरक्षित रूप से घूम-फिर सके तथा अपने विचार प्रगट कर सके। इसके लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर अगर किसी

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

भी माननीय सदस्य का अपमान होता है और अगर सदन के माननीय सदस्यों के फ्रिली मूव करने में रोका जाता है और इस प्रकार की जो गुन्डागर्दी की जाती है उस पर रोक शीघ्रातिशीघ्र लगानी चाहिये। अगर विधान सभा के सदस्यों का अपमान किया जाता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। अध्यक्ष महोदय, किसी प्रश्न की मांग को लेकर आप उसका समर्थन करते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन किसी बात के लिये आप जबरदस्ती किसी सदस्य को समर्थन करने के लिये कहते हैं और घेराव करते हैं तो यह गलत है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सदन के माननीय सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ माननीय सदस्यों ने श्री छंगाणी-जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बारे में कहा है उसका मैं और मेरी पार्टी के सदस्य समर्थन करते हैं। और यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि श्री खेतसिंह जी ने जो आरोप लगाये हैं कि इसमे यहाँ के विधान सभा के सदस्यों का हाथ है वह आक्षेप गलत है उसे वापिस लिया जाना चाहिये। इन्होंने बहुत ही खराब शब्द काम में लिये हैं....

श्री रोशनलाल : इन्होंने क्या कहा हैं या खराब शब्द काम मे लिये हैं।

श्री अध्यक्ष : Please sit down प्रोफेसर केदार !

एक माननीय सदस्य : इसमें कांग्रेसी और नॉन-कांग्रेसी होने की बात नहीं है।

प्रोफेसर केदार : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माननीय सदस्यों को किसी विशेष मांग को लेकर लोग हड़ताल करते हैं और बाद में उस मांग के लिये अगर एसेम्बली के सदस्यों को परसुएड करते हैं कि वे उसका समर्थन करें, उसके लिये अगर फोर्स यूज में लेते हैं तो यह गलत तरीके हैं। यह डेमोक्रेसी के लिये घातक है और मैं इस तरह माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना बहुत ही खराब समझता हूं, काबिले एतराज है मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसका रास्ता निकालें।

श्री खेतसिंह : मैंने जो कुछ कहा इस आधार पर कहा कि गोटेवालाजी और छंगाणी दोनों साथ-साथ बैठते हैं, दोनों साथ-साथ प्रश्न पूछते हैं अकेले छंगाणीजी गये उनके लातें पड़ी, उनका कुर्ता फाड़ दिया और गोटेवालाजी के छींटा भी नहीं आया। इसलिये मुझे ऐसा मालूम पड़ा था और इसीलिये मैंने कहा था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसी बात कह कर मुख्य सचेतकजी इसकी गम्भीरता को समाप्त कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी गम्भीरता को रखते हुए इस सम्बन्ध में कोई सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मतभेद हो सकते हैं लेकिन जिस प्रकार की बात हो रही है उसको रोका जाना चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

मोहनलालजी छंगाणी के साथ जो घटना घटी उसको तो मैं अशोभनीय मानता हूं। एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न सदन में दो विचारों में बंटा हुआ है इसलिये इस प्रकार की घटना प्रदर्शित होती है। छंगाणीजी को कहा था ऐसे मामले में नहीं आना चाहिये....

श्री मोहनलाल छंगाणी : विचारों का प्रश्न नहीं है। यह मेरे राइट्स का प्रश्न है कि मैं कहीं भी जाऊं, मेरी आजादी का प्रश्न है। यह विचारों का प्रश्न नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। माननीय छंगाणीजी का रास्ता नहीं रोकना चाहिये था और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिये। यदि सदस्यों के आवागमन में इस प्रकार की रुकावटें आवेंगी तो यह सदन नहीं चल सकेगा। आज यह छंगाणीजी साहब के साथ हुआ, कल दूसरों के साथ हो सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य, जहां तक हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में हो उसमें दो राय हो सकती है लेकिन किसी मा. सदस्य के साथ दुर्व्यवहार हो, जो दुर्व्यवहार हुआ है उसमें कहीं दो राय नहीं। जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है उन्होंने डिप्लोरेबल काम किया है इसमें भी कोई दो राय नहीं। यह जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, वह कोई विवाद का विषय नहीं है। उसमें चाहे किसी भी दल का सदस्य हो, किसी भी विचारधारा का सदस्य हो, हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में चाहने वाले अथवा जोधपुर में चाहने वाले हो, सब के सब इस चीज को डिप्लोरेबल मानते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं इस भावना का समर्थन करता हूं और यह निर्विवादित विषय है। किसी माननीय सदस्य को सदन में आने से रोका जाता है तो यह तो एक बुरी बात है और एक प्रिविलेज का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा उनकी भावना का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सदन में यह दूसरा अवसर है। पहला अवसर था जब मनोहरलालजी गुप्ता के साथ में पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया जब वे प्रदर्शनकारियों को देखने के लिये नीचे गये थे और दूसरा अवसर है जब फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य के साथ अन्य लोगों ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया। उस समय भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था। चूंकि मनोहरलालजी गुप्ता विरोधी दल के थे इसलिये यह कह कर प्रश्न को छोड़ दिया कि याचिका कीजिये और इस पर निर्णय होगा। उस समय भी निवेदन किया था कि जो दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति हैं उनको सदन में लाया जाय और उनकी भर्त्सना की जाय। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो विषय है वह किसी तर्क का नहीं है किन्तु सदन की गरिमा और माननीय सदस्य की गरिमा का प्रश्न है। यदि माननीय छंगाणीजी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है....

कई माननीय सदस्य : हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सब निन्दा करते हैं। आप भी कन्डोम करें दूसरों पर।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इन्क्वायरी करके देख लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय होती है वहां इन्क्वायरी की बात होती है। दो राय नहीं है तो व्यवस्था करें कि किसी प्रकार माननीय सदस्यों के आने-जाने में, बोलने में और विचार स्वतन्त्र रूप से प्रकट करने में कोई बाधा उत्पन्न न करें। केवल इसकी भर्त्सना करके ही इसको छोड़ दिया जावेगा तो बार-बार प्रश्न आवेंगे जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है उनको रिप्रिमेन्ड करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस सदन के फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भी यहां बताया, उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, कुर्ता फाड़ा और सदन में आना चाहते थे, उनको सदन में आने से रोका। यह बात कही और सबही माननीय सदस्यों ने इस दुव्यवहार को अनुचित माना है। मैं भी सबकी भावना के साथ अपनी भी यही भावना प्रकट करता हूं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हर माननीय सदस्य को सदन में आने का मूलतः अधिकार है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसको नहीं रोका जाना चाहिये और रोका जाता है तो अनुचित है। इसलिये इस बात की व्यवस्था माकूल तरीके से की जावेगी कि जो भी सदस्य यहां आना चाहें उनके यहां आने में कोई व्यक्ति बाधक न हों और वे स्वतन्त्र रूप से यहां आयें।

इसके अलावा मैं अभी यहां अन्दर आ रहा था, वह भी सदन की जानकारी में ले आऊं कि यहां आने से पहले मेरे पास एक टेलीफोन आया। पहले तो किसी ने कहा कि कान्ता खथूरियाजी सदन की सदस्या हैं उनका कोई हितकारी आपको टेलीफोन कर रहा हूं। फिर कोई लेडी बोल रही थी। उन्होंने मुझे टेलीफोन पर यह कहा कि बार रूम में कान्ता खथूरियाजी को बैठा रखा है। वे आना चाहती है। उनको आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा उन्होंने टेलीफोन किया। इसकी सच्चाई और झूठाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सूचना तो आई वह मैंने कही। यह पहला ही मामला है। यह सदन की जानकारी के लिये मैंने बताया।

नीति की बात तो मैंने अभी कही कि सदन के माननीय सदस्य जो सदन के अन्दर यहां आना चाहें, आते हैं, उनके बीच में कोई रुकावट डालना अनुचित है। उनके अधिकारों के प्रतिकूल है। उनको अधिकार है वहां आवें, चाहे जावें, उनके आवागमन में बाधा डाली जावेगी तो उनके प्रति कार्यवाही की जावेगी। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो फैक्ट्स रिलेट किये हैं उनका नोटिस सदन लेगा। इसमें ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिये पूरी जानकारी के लिये प्रिविलेज मोशन के रूप में दें तो इफेक्ट ज्यादा हो सकेगा। जनरल बात में मुश्किलात आती हैं। जो कुछ भी वाक्या हुआ हो वह आप कृपया लिखित रूप में दे दें।

गवर्नमेंट को मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी यहां आयें उनको यहां आने की स्वतन्त्रता रहे और उनकी सुरक्षा का उचित प्रबन्ध करें। सदन में हम देखेंगे कि किसी प्रकार की रुकावट न हो और बाहर गवर्नमेंट व्यवस्था करे। ताकि वे सुरक्षित रूप से आ सकें और उनके आने में कोई बाधा न हो।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्यों के प्रिविलेजेज के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गर्वनमेंट अपनी शक्ति भर उस प्रकार से काम करने का प्रयत्न करेगी।

आपने माननीय सदस्या कान्ता कथूरिया का उल्लेख भी अभी किया। चेयर से जैसे ही मुझे सूचना मिली। मैंने होम कमिश्नर को, आप से जो सूचना मिली, उसकी इत्तला देदी और उनसे जो सूचना मिलेगी उससे अवगत कराता रहूंगा।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : आगे चलें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना भाषण समाप्त कर दिया।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

सबसे पहले राजस्थान का जो डेट बरडन है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। 9 तारीख को वित्त मन्त्रीजी ने जवाब देते समय कहा था कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब नहीं है और डेट बरडन के लिये भी कहा था कि चिन्ता की बात नहीं है।

(2.21 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन्होंने कहा था कि 31 मार्च, 74 तक कर्जे का भार हमारे पर 825 करोड़ रुपया होगा। और हमारा असैट्स हो जावेगा 866 करोड़ रुपया। सौ करोड़ रुपया अधिक असैट्स समझें।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो असैट्स का विवरण दिया और कर्जे का विवरण दिया उसमें एक आइटम यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारा बजट 203 करोड़ रुपये का होगा। नॉन-प्लान और नॉन फेमीन का बजट 203 करोड़ का होगा। मैं समझता हूं इस बात को हम समझना चाहते हैं कि बजट का नॉन-प्लान और नॉन-फेमीन 203 करोड़ क्यों हुआ ? तीसरी बात जो उन्होंने असैट्स बताये 866 करोड़ के इसमें फेमीन का 121 करोड़ रह जाता है, इसको भी असैट मानकर चलें हैं। फेमीन के इस कर्जे को असेट साबित नहीं कर सकते। आज तक तो इससे असेट कायम नहीं हुए हुए हों तो बतावें।

रेवेन्यू में हमारा 352 करोड़ है। इसमें हमारी रेवेन्यू 300 करोड़ की है। पचास करोड़ हैं प्लान एक्सपेण्डीचर और 250 करोड़ रुपया जो है नॉन-प्लान नान फेमीन का है और इससे जाकर हमारा रेवेन्यू अकाउन्ट में 48½ करोड़ का घाटा होता है और इस प्रकार से यह जो 203 करोड़ रुपया वित्त मन्त्रीजी ने बताया है कर्जा होगा। बजट की वजह से वह खास तौर से नॉन-प्लान की, नॉन-फेमीन की हमारी जो रेवेन्यू आप दिखाते जा रहे हैं उससे होगा। इसलिये मैं इसको चिन्ता का विषय मानता हूँ। वित्त मन्त्रीजी भले ही न मानें।

दूसरी बात असैट्स, जो उन्होंने बताये हैं उसमें से एक दो आइटम बताता हूं।

(श्री पी. के. चौधरी)

एक बताया राजस्थान केनाल प्रोजैक्ट। इसके हमारे असैट्स बताये हैं, 277 करोड़ 25 लाख रुपया। भाखरा और चम्बल का 34 करोड़ 57 लाख रुपया इस प्रकार से यह जो मेजर इरिगेशन प्रोजैक्ट्स का असैट हो जावेगा 311 करोड़ 82 लाख रुपये। अब यह तो असैट बता दिये। मैंने देखा कर्जा आपने कितना लिया है। यह जो भाखरा, चम्बल, राजस्थान कैनाल का आज तक हमने जो कर्जा लिया है वह 243 करोड़ 42 लाख लिया है और 31 मार्च, 72 तक आउटस्टेंडिंग कर्जा प्रोजैक्ट के लिये 210 करोड़ रुपये रह जाता है तो आउटस्टेंडिंग कर्जा तो रहता है 210 करोड़ और असैट आपने कर लिया 311 करोड़। बाकी का तो चिन्ता का विषय है नहीं। यह जो कर्जा है और यह जो प्रोजैक्ट्स हैं उनसे उपाध्यक्ष महोदय, जो आज इस साल का बजट है मेजर प्रोजैक्ट्स हैं उनसे हमारी टोटल इन्कम भाखरा, चम्बल, राजस्थान कैनाल से 265 लाख रुपये इस साल हैं और 240 लाख रुपये वकिंग एक्सपेन्सेज ऑफ प्रोजैक्ट का सालाना खर्चा होता है। मतलब 15 लाख रुपये हैं। पर इसमें एक बात रह जाती है, 210 करोड़ का कर्जा है इस पर. आउटस्टेण्डिंग का 5 पर्सेन्ट से ब्याज आता है वह आता है साढ़े दस करोड़ रुपये सालाना का ब्याज का भार हमारे पर पड़ता है। ब्याज का भार ये प्रोजैक्ट्स उठा नहीं रहे हैं। ब्याज इन्कम वकिंग एक्सपेन्सेज निकाल कर 15 लाख रुपये बचते हैं इन्टरेस्ट चार्ज के लिये। पर सही माने में न इन्टरेस्ट ही देना है बल्कि कैपिटल री-पेमेन्ट की इन्स्टालमेन्ट भी देनी चाहिये और वह इसमें आनी चाहिये। कायदे से तो यह होता है।

दूसरा असैट बताते हैं 311 करोड़ प्रोजैक्ट्स का। इसमें भी मेरा अलग से विचार है। फिर भी इसको सही भी मान लें तो मैं कहता हूं कि वकिंग परफोर्मेन्सेज होते हैं जो प्रोजैक्ट हमने क्रिएट किये हैं उनके तो वह तो सामने आना चाहिये। जैसे हमने एक मकान बनाया। एक लाख का बनाया और कहा कि मकान तैयार कर दिया। पर मेरा कहना यह है कि आपने यह जो एक लाख का बिल्डिंग बना कर खड़ा किया वह पचास हजार में भी तो हो सकती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि असैट हमने क्रिएट किये हैं पर मैं पूछता हूं वेदर दीज आर कमैंसुरेटिंग विथ देट ऑफ इन्वेस्टमेन्ट ऑफ दी मनी। Whether they are commensurate with the money that we have invested.

दूसरा सवाल यह रहता है कि आपका मैनेजमेन्ट है उससे कन्साइल होता है या नहीं। इन्टरेस्ट लाइबिलिटी री-पेमेन्ट की इन्स्टालमेन्ट यह सब मीट कर सकते हैं या नहीं। यह नहीं करते। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि बजट डिस्कस कर लिया। एप्रोप्रियेशन बिल पास कर लिया पर ऑडिट रिपोर्ट 71-72 की हमारे सामने पेश नहीं हुई।

एक साल पहले की ऑडिट रिपोर्ट सरकूलेट की जानी चाहिये। पर हमारे यहां 71-72 की भी नहीं आई है जबकि एप्रोप्रियेशन बिल पास होने जा रहा है। मैं इस पर ऐतराज करता हूं। एक साल पहले की ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिये।

(श्री पी. के. चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, ऑडिट रिपोर्ट 70-71 में फाइनेन्शियल परफोर्मेन्सेज इन दी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा है। सब के उपाध्यक्ष महोदय, परफार्मेन्सेज दिये हैं, वर्किंग परफोर्मेन्सेज 70-71 के।

"Working expenses during 1970-71 of Chambal Project, Ganga Canal and Rajasthan Canal Project (Classed productive) exceeded the revenue assessed from these projects by Rs. 2.48 lakhs, Rs. 9.35 lakhs and Rs. 1.01 lakhs respectively.

Except Bakhra-Nangal Project, none of these works was able to meet interest liability on the capital invested."

यह 70-71 की ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि इन्टरेस्ट लायबिलिटीज और री-पेमेन्ट इन्स्टालमेन्ट को भी मीट नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्रीजी इस पर गहराई से सोचें और इसका स्पष्टीकरण साफ-साफ सदन को दें। वैसे वित्त मन्त्रीजी ने सफाई से सारी बातें छिपाई हैं। बिना नमक, मिर्च के मैंने ये सारी बातें साफ-साफ रखी हैं। असैट्स के आपके परफोर्मेन्सेज ठीक नहीं हैं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कर्ज के सम्बन्ध में। वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में बताया कि सैकण्ड थर्ड प्लान की शुरूआत से पहले शुरूआत हुई उस समय 31 मार्च, 61 को हमारा कर्जा जो था वह 151 करोड़ रुपये था और पिछले साल में हमको यह बताया गया था 31 मार्च, 1972 तक 643 करोड़ रुपये और इस साल बजट वर्ष में वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया है 31 मार्च, 1974 तक 818 करोड़ रुपये होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसका निष्कर्ष निकलता है पिछले 61 से लेकर 72 तक 11 साल में हमारा जो कर्जा हुआ 488 करोड़ का हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्रति वर्ष 44 करोड़ की वृद्धि की रेट से कर्जा बढ़ा है और जो चालू साल है इन दो साल 31 मार्च, 1972 और 31 मार्च, 1974 तक दो साल में उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कर्जा बढ़ेगा 215 करोड़ रुपये यह एडीशन होगा। उसका मतलब यह हुआ प्रति वर्ष इन दो साल में 77 करोड़ कर्जा बढ़ेगा। अब हम देखते हैं यह जायज है या नाजायज है। उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड प्लान शुरू हुआ उस समय 154 करोड़ हुआ। थर्ड प्लान से 31 मार्च, 1972 तक 212 करोड़ प्लान में। तीन एन्युअल प्लान में 334 करोड़ और पहले तीन साल में 174 करोड़ रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, 520 करोड़ रुपये 11 साल में प्लान में खर्चा हुआ है और कर्जा कितना हुआ 488 करोड़। जितना प्लान में खर्च हुआ उससे कम हुआ है परन्तु जो दो साल हैं, इन दो साल में 215 करोड़ रुपये बढ़ गये और खर्च हुआ प्लान में 72-73 में 67 करोड़ रुपये, 73-74 में 77 करोड़ रुपये और कर्जा बढ़ता है 215 करोड़। हमने पिछले 11 साल में 520 करोड़ कर्जा लिया और 488 इन दो सालों में तो पहले से परफार्मेन्स अच्छा नहीं है।

(श्री पी. के. चौधरी)

आप कहेंगे फेमीन में खर्चा हुआ है। इस फेमीन में 175 करोड़ खर्चा हुआ जो आपने फाइनेन्स कमीशन के सामने मेमोरेन्डम दिया उस हिसाब से और दो साले में कितना हुआ ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ तो भी मैं समझता हूं फाइनेन्स पोजीशन के ऊपर, खर्चे के ऊपर, एक्सपेण्डिचर के ऊपर, वित्त मन्त्री के ऊपर स्लेकनेस जाता है और इन कम्पेरिजन टू दी प्रीवियस इलेविन ईयर्स, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद रीजनल इम्बैलेन्स के सम्बन्ध में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। रीजनल इम्बैलेन्स से मतलब क्या ? रीजनल इम्बैलेन्स को प्लान प्रायरिटी के साथ जोड़ कर देखना चाहिये। यानी प्लान प्रायरिटी मेरा मतलब— greatest good of the greatest number, हमारा प्लान प्रायरिटी इस प्रकार मान लीजिये--100 खर्च किया, हजार रुपया खर्च किया या एक करोड़ खर्च किया उससे जो पांच साल में फायदा पहुँचता है 500 आदमियों को और एक करोड़ खर्च करके मान लीजिये फायदा पहुँचता है 200 आदमियों को 200 का फायदा मिलता है तो उसे प्लान प्रायरिटी नहीं मानते हैं इसलिये बेसिक प्रिन्सिपल हो जाना चाहिये। हजार रुपया खर्च करने से ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है तो उसको हम मानते हैं और ज्यादा रुपया खर्च करने से कम लोगों को फायदा मिलता है तो उसको हम नहीं मानते हैं। प्लान प्रायरिटी का मतलब यह नहीं है जहां रिसोर्सेज हैं वहां का विकास अवरुद्ध कर दिया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आज उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल का इन्सटान्स लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में जो फिफ्थ ईयर प्लान का अप्रोच पेपर है उसमें राजस्थान केनाल को तैयार करने में 240 करोड़ रुपया खर्च हुआ और प्रोजेक्ट एरिया डवलप करने में एडीशनल 200 करोड़ मतलब साढ़े चार-सौ करोड़ राजस्थान केनाल में खर्च किया। अब उपाध्यक्ष महोदय, उस बजट से फायदा किसको मिलता है 9.80 लाख को फायदा मिलेगा और आधा लाख और बावजूद उसके फायदा मिलेगा यानी 10 लाख को फायदा मिला। साढ़े चार-सौ करोड़ खर्चा करने के बाद। उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम नहीं कहना चाहते हैं जहां प्रोविन्शियलिज्म है, क्या राजस्थान केनाल को डेवलप करने के लिये यह जरूरी है इरिगेशन के और कोई महत्वपूर्ण साधन आसानी से उपलब्ध हों, नेचुरल रिसोर्सेज आसानी से उपलब्ध हों उसको डेवलप नहीं किया जाय। रेगिस्तान में हरा भरा बगीचा बनाया जाय, स्वागत है। उसमें अनाज पैदा करें, स्वागत है लेकिन जहां 50 फुट पानी नीचे है उनको कोई साधन नहीं दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में इरिगेशन मंत्री से पूछा गया कि जयपुर जिले में प्लान से पहले क्या-क्या सिंचाई के साधन थे और प्लान के बाद क्या-क्या साधन हुये हैं। वह अखबार मेरे पास है। प्लान से पहले जो जयपुर जिले में सिंचाई होती थी वह 39 हजार एकड़ एरिया में सिंचाई हुआ करती थी और पिछली तीन प्लान बाद उपाध्यक्ष महोदय, वहां सिंचाई उपलब्ध हुआ है एडीशनल सिंचाई 7 हजार 390 एकड़ में उपलब्ध हुआ है परन्तु साथ

(श्री पी. के. चौधरी)

ही जमवारामगढ़ जहां से 719 एकड़ की सिंचाई होती थी वह बन्द हो गई। यानी पिछले तीन साल जयपुर जिले में लघु सिंचाई के जो साधन उपलब्ध कराये इससे ज्यादा एरिया जमवारामगढ़ का बन्द हो गया। इसका मतलब जयपुर जिले के सिंचाई साधनों पर कुछ खर्च नहीं किया और आज लघु सिंचाई के लिये जयपुर में 40-50 लाख कुल खर्च किया है जब कि जयपुर जिले में 25 लाख आदमी रहते हैं और राजस्थान के राजस्व का 25 प्रतिशत हम देते हैं चाहे लगान के रूप में दें, चाहे इन्कम टैक्स के रूप में दें, चाहे पेसेन्जर गुड्स टैक्स के रूप में दें, चाहे सेल्स टैक्स के रूप में दें और चाहे एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के रूप में हम दें।

प्लान प्रायोरिटी का मतलब यह है कि जो जिले में साधन उपलब्ध हैं उनका कोई उपयोग नहीं करें और उसके विकास को अवरुद्ध कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट डिस्कशन पर भी नहीं बोला, डिमान्ड्स पर भी कुछ नहीं बोला, इसलिये कुछ दे दीजियेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा प्लान प्रायरिटी का मतलब यह नहीं है कि जिस जिले का विकास है, वह रुक जाय और जहां रेगिस्तान है वहां पानी पहुँचायें। तो पहुँचाओ हम मना नहीं करते लेकिन हम चाहते हैं और हम मांग करते हैं कि जयपुर जिले में हर कुए में बिजली लग जाये। 5 करोड़ रुपया हमको दो और फिर देखो कि कुओं में बिजली पहुँचेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में 450 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे 25 लाख एकड़ की सिंचाई होगी और इस प्रकार से प्रत्येक एकड़ पर 1600 रुपया खर्च आता है और जयपुर में 3000 रुपया खर्च करो जिससे एक कुए में बिजली पहुँचती है और 12 एकड़ की उससे सिंचाई होती है। यानी जयपुर जिले में 250 रुपये में एक एकड़ में सिंचाई होती है और उधर 1600 रुपये में एक एकड़ की सिंचाई होती है। यहां बिजली दो और फौरन फसल लो और वहां इतने अरसे तक रुपया लगाते जाओ और उसके बाद फसल लो। इसलिए जो प्लान प्रायोरिटी है उसकी तरफ भी आप को गौर करना पड़ेगा। डवलपमेन्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और जो नॉन-डवलप्ड एरिया है वहां डवलपमेन्ट किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की पॉलिसी है कि वह बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित करती जा रही है। वहां पर इन्फ्रा-स्ट्रक्चर पहले तैयार होगा, सड़कें बनेंगी, बिजली आयेगी और पानी की व्यवस्था होगी लेकिन जयपुर के आसपास इन्फ्रा-स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है लेकिन यहां पर कुछ डवलपमेन्ट नहीं करते हैं। यहां इन्डस्ट्री लगाते नहीं हैं, न प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बात की तरफ मैं राज्य सरकार का और वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर जिले के विकास के लिए और यह अच्छा डवलप्ड एरिया है, कुदरत की इस पर महरबानी है इसलिए यहां जयपुर जिले में इन्डस्ट्री के डवलपमेन्ट के लिए कुछ करें। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बज सेशन में बताया गया था कि मिनरल

(श्री पी. के. चौधरी)

डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन को 6 लाइसेन्सेज मिले हैं, लेटर ग्रॉफ इंडेन्ट मिले हैं, ज्वाइन्ट सेक्टर में फैक्टरी स्टार्ट करने के लिए उसमें से एक भी मेटेरियेलाइज नहीं हुई है। मेटेरियेलाइज हुई है तो सिर्फ अलवर की स्कूटर फैक्टरी। लेकिन सांभर में सोडा-एश फैक्टरी का डवलपमेन्ट नहीं हुग्रा।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो गवर्नर महोदय का भाषण था उस समय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीज को भी नेशनेलाइज कर रहे हैं। हमने ताली बजा कर उसका स्वागत किया था लेकिन इस डाइरेक्शन में भी कुछ नहीं किया गया। जो कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीज हैं उसके पब्लिक सेक्टर में लेने का मतलब यह था कि जो प्राइजेज राइज होती हैं एसेन्शियल कमोडिटीज की उसको रोकने का एक ही तरीका था कि कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर एन्टर करें। लेकिन हमने इस साल का बजट देखा तो किसी भी कन्ज्यूमर्स इन्डस्ट्री को हाथ में लेने की योजना नजर नहीं ग्राई। इसलिए चाहता हूं कि सांभर में सोडा-एश की फैक्टरी हो, सलादीपुरा में एक फर्टीलाइजर का कारखाना लगे। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी की तरफ से कोई भी इन्डस्ट्री का जिक्र नहीं है। यह बात हमारे दिमाग में ग्रभी एक्सरसाइज करती है ग्रौर मंत्रीजी इस सम्बन्ध में चुप रहे ग्रौर एक भी शब्द नहीं कहा, वह हमारे लिए खेद का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में भी दो बात कहना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ग्राज हम एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देते हैं ग्रौर करप्शन की बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमको तरक्की करनी है ग्रौर इन शिकायतों को दूर करना है तो इसमें कम्प्लीट ग्रोवरहालिंग जरूरी है। उसमें री-स्ट्रक्चर की जरूरत है क्योंकि हम देखते हैं ग्राज जो ग्राई० ए० एस० हैं वह ग्राई० सी० एस० का दूसरा नाम है। ब्रिटिश के जमाने में हम कहा करते थे कि it is the steelfram of British imperialism जो स्टील फ्रेम था ब्रिटिश इम्पीरियेलिज्म का जिसका काम था लॉ एण्ड ग्रॉर्डर मेन्टेन करना ग्रौर हुकूमत करना उसी चीज का नाम ग्राज ग्राई० सी० एस० से ग्राई० ए० एस० हो गया। तो उनके बेसिक करेक्टर में कोई परिवर्तन ग्रा गया हो, उनके फंक्शनिंग में कोई परिवर्तन ग्रा गया हो, इसको मैं नहीं मानता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें खास परिवर्तन होना चाहिए। उनका फंक्शनिंग कैसा होता है; मैं मिसाल के तौर पर कहूंगा ग्रौर यह बात सदन में भी ग्राई थी कि सदन में घोषणा की कि हम हरिजनों को 4 हजार रुपया बिना ब्याज के कर्जा देंगे। 100 रुपया जमा कराके सोसाइटी बनाई ग्रौर सरकार ने घोषणा की कि भूमिहीन हरिजनों को फ्री प्लाट देंगे तो गांवों में फ्री प्लाट दे दिये। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत ग्राई। वह कहने लगे कि मुफ्त का पट्टा है इसलिए रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इसी बात पर ग्रड़ गये। फिर 500 रुपया ग्रौर हजार रुपया लीगल चार्जेज ग्रायेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो-

(श्री पी. के. चौधरी)

स्टील फ्रेम है उनकी मेन्टैलिटी दे ग्रार फ्रेम्ड इन सच ए फैशन कि वह हमारी डिमाण्ड को मीट नहीं कर सकते हैं। हम दोष दें कि वह करप्ट हैं, वह नहीं चल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की घोषणा कर दी कि हरिजनों की बस्तियों में इलेक्ट्रिसिटी लगायेंगे तो मंत्री महोदय कहते हैं कि पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है। समाज कल्याण मंत्री कहते हैं कि बस्ता नहीं ग्राता। तो क्या हरिराम रेगर लायेगा या मंत्री लायेगा। ग्राप घोषणा मत करें। मैंने एक साल पहले मंत्री महोदय को तीन प्रपोजल्स दिये। सब के दस्तखत करा के दिये ग्राज 'वह कहते हैं कि पानी नहीं मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ग्रनाउन्समेन्ट करते हैं, करना सब कुछ चाहते हैं लेकिन सब कुछ फेल हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि यह जो स्टील फ्रेम है यह सिर्फ लॉ एन्ड ग्रॉर्डर के लिए ठीक है ग्रौर बाकी किसी काम के लिए डवलपमेन्ट वर्क के लिए दे ग्रौर नोट फिट फोर इट इसलिए ग्राप को दूसरी सर्विसेस को डवलप करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि जो हैड ग्रॉफ दी डिपार्टमेन्ट की पोस्ट है वह प्रमोशन पोस्ट नहीं होनी चाहिए। It should be a political post. मिनिस्टर के साथ-साथ हैड ग्राफ दी डिपार्टमेन्ट ग्राये ग्रौर गवर्नमेन्ट के बदलने के साथ साथ ही वह बदल जायें। यह सिस्टम लायें तो मैं समझूंगा कि कुछ-कुछ तेजी ग्रा सकती है डवलपमेन्ट के काम में तो नहीं ग्रा सकते...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए। काफी समय हो गया है।

श्री पी० के० चौधरी : ग्रभी करता हूं। दो सब्जैक्ट पर एक-एक पाइन्ट कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन के सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी ने कहा कि 1976 तक सारा कर देंगे। 76 तक कम्पलसरी कर देंगे। हमारा इलेक्शन मेनीफेस्टो था कि 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए 1975 तक कम्पलसरी कर देंगे। ग्रब स्थिति यह है कि इस साल की रिपोर्ट में भी हम देखते हैं कि लड़कियों का जो परसेन्टेज है इस साल 35.2 परसेन्ट है। 1972-73 में वह स्कूल में जायेंगी ग्रौर 74 में भी जाकर वही हमारा 35.2 परसेन्ट रहता है। क्योंकि इन दो साल में लड़कियों की संख्या भी 20 हजार बढ़ती है। 6 लाख 65 हजार से 6 लाख 85 हजार हो जाती है यानी 20 हजार की संख्या बढ़ती है लेकिन उसके साथ ही साथ में टोटल पापुलेशन भी बढ़ती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़कियों का जो 65 परसेन्ट बाकी है वह न तो स्कूल बढ़ने से जायगा। एक बात ग्रौर मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि कुछ साल पहले इस सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि लड़कियों की स्कूलों को प्रोत्साहन देने के लिए गावों में लेडी टीचर्स होनी चाहिएं ग्रौर लेडी टीचर्स को गांवों में जाने के लिए जरूरी था कि उनके लिए रेजीडेन्शल क्वार्टर्स हों। ग्राज गांवों में टीचर्स जाते हैं तो उनके रहने के लिए मकान नहीं मिलता ग्रौर लेडी टीचर्स इसलिए नहीं जाती हैं कि वहां पर किराये का मकान मिलता नहीं ग्रौर किसी के साथ वह रहना नहीं चाहती। तो यह घोषणा की गयी थी कि गर्ल्स स्कूल के लिए टीचर्स

(श्री पी. के. चौधरी)

जो गावों में जायेंगी उनके लिए क्वार्टर्स बनायेंगे।

दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दस साल पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि हम लड़कियों की प्राईमरी स्कूल अलग से नहीं खोलेंगे, कम्बाइण्ड लड़के और लडकियां साथ में पढ़ेंगी । मैं मानता हूं कि सेंट परसेंट लड़कियों को स्कूल में लाना चाहते हैं तो सरकार को अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और उस निर्णय को बदलना पड़ेगा । क्योंकि लास्ट ईयर भी, मैं इस बात के लिए तो आपकी तारीफ करूंगा कि आपने एम. एल. एज. को इसमें शामिल किया है लेकिन लास्ट ईयर जब इसकी कमेटी की मीटिंग हुई और हमने कहा कि लड़कियों की फलां जगह अलग स्कूल खोलनी चाहिए तो कहा गया कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलने की सरकार की नीति नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियों की प्राईमरी स्कूल अलग से खोलनी चाहिए मेरा निवेदन है कि गांवों में लड़कियों को स्कूल में अगर हम लाना चाहते हैं सिक्स टू इलेवन एज ग्रुप में तो हमें लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलना चाहिए और लड़कियों की स्कूल के लिए लेडी टीचर्स अपॉइन्ट किया जाना चाहिए और लेडी टीचर्स के लिए रेजिडेंशल क्वार्टर की अरेंजमेंट करना चाहिए । यह नहीं करते हैं तो जो आपकी यह घोषणा है कि 75 या 78 तक

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की वह पूरा नहीं कर सकेंगे ।

एक-एक पोइन्ट उपाध्यक्ष महोदय !

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केलेमिटी फण्ड के बारे में कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए अलग से दो दिन फैमीन रिलीफ की बहस होगी, उस समय मिल सकेगा।

श्री पी० के० चौधरी : Just passing reference. माननीय वित्त मंत्री ने इसके लिए दो करोड़ रुपये कलेक्ट करने का बताया है जो दो करोड़ का एडीशनल खर्चा उसमें से 1 करोड़ 25 लाख केलेमिटी फण्ड का पैसा है और 75 लाख एडीशनल टैक्सेशन प्रपोजल से आता है। यह हम देखते हैं कि जो केलेमिटी फण्ड का पैसा आएगा 1 करोड़ 25 लाख का, उसमें 30 लाख एण्टरटेनमेंट टैक्स से, 90 लाख रुपया गुड्स ट्रांसपोर्ट और 5 लाख रुपया दूसरे फण्ड से, इस प्रकार 1 करोड़ 25 लाख रुपया आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उ नेता महोदय !

विशेषाधिकार प्रश्न

प्रदर्शनकारी कोर्सों द्वारा श्रीमती कान्ता कथूरि का घेराव न किये जाने की सूचना

श्री हरिदेव जोशी : I am sorry to interrupt you उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले इस सदन के समक्ष यह सूचना आई थी कि इस सदन की माननीय सदस्या श्रीमती कान्ता कथूरि । बार रूम में घेराव किया गया है । और मैंने कहा था कि होम कमिश्नर को मैंने कहा है और जो भी इत्तला आएगी मैं आपको अवगत कराऊंगा । मैं समझता हूं

(श्री हरिदेव जोशी)

कि कोई भी इस प्रकार की चिन्ता इस सदन को न रहे इसलिए अरलिएस्ट पोसिबल जो सूचना आ गई है, मैं उसकी खबर सदन को कर देना चाहता हूं। इस प्रकार का कोई घेराव हुआ हो ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता यह बात सही है कि वे वहां गई और घण्टे डेढ़ घण्टे तक वहां रही और सब लोगों से बातें हुई और बड़े सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। यही सूचना मुझे देनी है।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 पर अग्रेतर वादविवाद

श्री उपाध्यक्ष (श्री. पी. के चौधरी की ओर मुखापेक्ष) : आप प्रारम्भ रखें।

श्री पी. के. चौधरी : जो कैलेमिटी फण्ड है और उसको जिस आइडिया से लिया गया है, उस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि कम से कम इस कैलेमिटी फण्ड में जो 1 करोड़ 25 लाख या जो भी रुपया आता है उसको रेगुलर फैमीन में खर्च न करके इतना चाहूंगा कि आप कोई परमानेंट असैट्स क्रियेट करें। या तो वह ट्यूबवेलमें हो, पाश्चर डवलपमेंट में हो, किसी परमानेंट काम पर खर्च करें न कि रुटिन फैमीन के कामों पर खर्च करें। उसमें खर्च करते हैं तो हम मानते हैं कि जिस प्रकार फैमीन में वेस्टेज होता है वैसे ही यह पैसा भी उसमें वेस्ट हो जाएगा। कम से कम जिस सद्भाव से वह पैसा आता है, जो बंगला देश के सिलसिले में पैसा लिया उसको अब आप केलेमिटी फण्ड में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अश्योर करें कि इसका खर्चा सिर्फ परमानेंट असैट्स क्रियेट करने में, ट्यूबवेल लगाने में, पाश्चर डवलपमेंट में, स्टेबलाइज्ड वर्क में खर्च करें जिससे कोंकरीट रिजल्ट सामने आवे। इस प्रकार इस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाईकोर्ट की बेंच के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज जो छंगाणीजी के साथ वारदात हुई उसकी मैं निंदा करता हूं लेकिन साथ ही यह बात भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई डेमोक्रेटिक तरीका निकाले जिससे यह समस्या हल हो। मैं निवेदन करता हूं कि जयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव किया है और सरकार से निवेदन किया है कि आप इसको कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से इस बारे में फैसला लेने के लिए स्टेप लें। लेकिन सरकार कोई स्टेप नहीं लेना चाहती है। जयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि कम से कम जो कांग्रेस लेजिस्लेचर्स हैं, कांग्रेस पार्टी में वहां पर सिक्रेट बैलेट से यह मसला तय होना चाहिए। मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के मसलों को हम फर्म में तय नहीं करेंगे तो वह सड़क पर जाता है और सड़क पर जाने से यह स्थिति पैदा होती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस बात को सोचे और सोच कर जैसा हमने सुझाव दिया है कि हाउस इस मसले को तय नहीं कर सके तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारे लेजिस्लेचर्स की पार्टी में फ्री बैलेट करके वहां पर इस मसले को तय करें। बस मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सदन का उन विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिन मदों पर बजट के अवसर पर मैं ध्यान आकर्षित नहीं करा सका था। हमारे वित्त मंत्रीजी चाहे किसी भी रूप में इस बजट की किसी भी ढंग से प्रशंसा हांसिल कर लें और कुछ भी कह लें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे वित्त मंत्री के साथ शिक्षा मंत्रीजी भी हैं और इसलिए शिक्षा के मामले में उठाए गए कदमों के बारे में शिक्षा की प्रगति के

(समय 2.56 मिनिट म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

बारे में कितनी भी प्रशंसा कर लें लेकिन जो सही तथ्य हैं उनको आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस आर्थिक संकट में भी कुछ ऑफिसेज की एफिशियेंसी से हम जो व्यय आज शिक्षा के बजट में कर रहे हैं उसको अधिक सुचारुरूप में कर सकते हैं। कई बार हमारी इनएफिशियेंसी के कारण, हमारी चैकिंग प्रोपर न होने के कारण, हमारा सुपरविजन पूरा न होने के कारण होता यह है कि विभाग उच्छृङ्खलता के साथ कार्य करता है और हम जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं वह पूर्ति नहीं होती। मैं सरकार का ध्यान भाषा विभाग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार ने यह निर्णय लिया था और विशेष कर मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया था 8 दिसम्बर, 1967 को कि इस 26 जनवरी, 1968 तक सभी विभागों में समस्त राजकीय कार्य हिन्दी में किया जाएगा। मैं भाषा के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। भाषा अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। मैं समझता हूं कि अपनी आन्तरिक जो शक्ति है उसको प्रगट करने में सहायक है और जनता की भावनाओं को प्रगट करने के लिए जनतांत्रिक रूप में भाषा हमारे काम में आती है। इसमें विवाद नहीं हो सकता कि जो हम सोचते हैं उसकी अभिव्यक्ति का भाषा साधन है और उस अभिव्यक्ति में जितनी सुविधा होगी उतना ही हमारा कार्य सुचारुरूप से हो सकेगा। आज राज्य सरकार ने अपनी इस हिन्दी भाषा को सारे राजस्थान के अन्दर व्यापक रूप देने को और जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं उनको देखने से कहा जा सकता है कि काफी कार्य हो चुका है और सभी विभागों में कहीं 70 प्रतिशत, कहीं 90 प्रतिशत और कहीं शत-प्रतिशत हिन्दी का प्रचलन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़े गलत हैं और वास्तविकता से दूर हैं। शायद हमें केवल देखने के लिए यह बतलाया जाता है लेकिन है कुछ नहीं। जैसा उन्होंने यह लिखा है कि राजस्व विभाग के अन्दर शत-प्रतिशत हिन्दी चलती है। मैं नहीं समझता कि वह चलती है और साधारणतया जितने अधिकारी इस विभाग के अन्दर शायद तीन-चार साल पहले जितनी हिन्दी का प्रचलन था वह भी हमारी शिथिलता के कारण हट गया है और पूरी अंग्रेजी प्रारम्भ हो गई है। और हम उस हिन्दी के प्रचार से दूर हो गये हैं।

दूसरा हमारी राज्य सरकार ने भाषा के विस्तार के लिए जो आयोजना बनाई और उस आयोजना के अन्दर भी जो क्लासेज प्रशिक्षण की खोलनी थीं, स्टेनो

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

टाइपिंग की वह भी दो साल से बन्द पड़ी हैं। नए लोगों को स्टेनो टाइपिंग का प्रशिक्षण देने के बारे में राज्य सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हिन्दी टाइपिंग के निकले हैं, क्या राज्य सरकार इसके बारे में प्रकाश डाल सकेगी।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम का अभाव है।

(गणाभाव-सूचक घण्टी)

(गण-पूर्ति के पश्चात्)

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसलिये राज्य सरकार यदि सुचारूरूप से इस मामले पर प्रयास करेगी तो मैं समझता हूं कि हम आने वाले वर्षों में जो राष्ट्रभाषा हिन्दी को स्वीकार किया गया है, या अल्पसंख्यकों को भाषा के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उन सब भाषाओं का पूरा विकास कर सकेंगे, उन सब के बारे में जो निर्णय लिया गया है उनको लागू करवा सकेंगे।

इस राष्ट्रभाषा का विकास करने के लिए अनेक प्रकार की योजनायें हाथ में ली गई हैं। जैसे साहित्य अकेडेमी, ललित कला अकेडेमी, हिन्दी ग्रन्थ अकेडेमी और नाट्य कला अकेडेमी है। मैं इन अकेडमियों के कार्यकलापों के बारे में तो गहराई से नहीं जाना चाहता हूं परन्तु हमारे शिक्षा मन्त्रीजी थोड़ा समय निकाल कर, वैसे मैं मानता हूं कि उनके पास वित्त मन्त्रालय है और यह मन्त्रालय काफी महत्वपूर्ण है लेकिन शिक्षा का मन्त्रालय भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि थोड़ा समय निकाल कर इसको उन्हें देखना चाहिये कि इन अकेडमियों में कितनी अनियमितताएं बढ़ गई हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा। हिन्दी ग्रन्थ अकेडमी को शत-प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार की योजना से मिलती है। इस योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि हमारे विश्वविद्यालयों के पास जो उच्चस्तरीय ग्रन्थ हैं वे हिन्दी में उपलब्ध कराये जायं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस अकेडेमी के द्वारा अब तक कितने ग्रन्थ प्रकाशित किये गये हैं, तो इसका उत्तर सन्तोषजनक नहीं मिलेगा। बड़ा पुअर रेस्पांस मिलेगा। दरिद्र उत्तर मिलेगा, नकारात्मक उत्तर मिलेगा। इसके साथ-साथ सभापति महोदय, यह भी आश्चर्यजनक बात है, सराहनीय बात है इस अकेडेमी ने 14 लाख में से चार लाख रुपये प्रेस को दे रखे हैं। चार लाख रुपयों के कागज खरीद कर प्रिन्टिग प्रेस को दे रखे हैं। अब चार लाख रुपये का यह कागज है या नहीं है, क्या वास्तव में चार लाख रुपयों का कागज प्रेस में पड़ा हुआ है, या वहां पर यह कागज सड़ गया है, इसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। आज इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि यह जो 14 लाख रुपया व्यय किया गया है वह कहां तक सही व्यय हुआ है। मैं तो यह समझता हूं कि यह सारा चिन्तन शुरू हो गया तो इस दिशा में काफी काम होगा।

ललित कला अकेडेमी का जहां तक प्रश्न है, यह भी आज एक विचारणीय प्रश्न बन गया है। मैं इसका उल्लेख तो नहीं करना चाहता था परन्तु आज एक

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

व्यक्ति ने इसको अपनी जैवी संस्था बना रखा है और वे हैं श्री रामनिवास मिर्धा। वे इस ललित कला अकेडेमो के अध्यक्ष हैं। आज वे एक सम्माननीय पद पर विराजमान हैं परन्तु इसके अध्यक्ष पद पर भी वे ही हैं और इस कारण वे इसकी पूरी देखभाल नहीं कर पाते हैं। एशिया-72 में राजस्थान के मण्डप का इन्टर डेकोरेशन करना था। इस संस्था के अध्यक्ष ने उसका सारा खर्चा करवाया। इसमें क्यां अनियमितताएं हुई हैं, यह तो मैं नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इस ललित कला अकेडेमी के अध्यक्ष ने यह सारा पैसा सरकार से लिया और इस संस्था में जमा करा कर खर्च करवाया है। इस संस्था ने जो कार्य करवाया है इसके बारे में राज्य सरकार को चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, अनियमितताएं हैं उनको राज्य सरकार दूर करेगी तो हिंन्दी भाषा का पूरा विकास हो पाएगा।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं मैंने कई बार इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रीजी को निवेदन किया है, पत्र लिख कर निवेदन किया है, उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कि वहां पर जो अनियमितताएं चल रही हैं उनके बारे में निर्णय लिया जाय। यह सब मैंने पत्र लिख कर राज्य सरकार को सूचित किया था। मैं धन्यवाद दूंगा शिक्षा मन्त्रीजी को उन्होंने शीघ्र ही 7 दिन के अन्दर मेरे पत्र का उत्तर दिया। उत्तर यह दिया कि जांच करा रहा हूं और उसके बाद उत्तर लिखूंगा। उसके बाद दूसरा पत्र लिखा तो उन्होंने यह लिखा कि ये जो अनियमितताएं हुई हैं, वे कृषि विभाग से सम्बन्धित हैं इसलिये यह पत्र कृषि मन्त्रीजी को भेज दिया गया है। फिर मैं कृषि विभाग के मन्त्रीजी से मिला। उन्होंने भी गम्भीरता से मेरी बात को सुना और इन अनियमितताओं को स्वीकार किया। फिर बाद में कहा कि नियमपूर्वक मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं? आप राज्यपाल महोदय को जो कि इसके चांसलर हैं, उनको पत्र लिखें। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री महोदय को पत्र लिखा किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय की तरह उदयपुर विश्वविद्यालय में भी सेक्शन एक के अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रीजी हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनको यह अधिकार है। कल मैंने कुछ अनियमितताओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। आज की बात सुन कर आप आश्चर्य करेंगे, यह भारत के इतिहास मे एक अनहोनी बात है। एक विद्यार्थी जो बड़ौदा विश्वविद्यालय में मौजूद है, वहां पर फैल हो गया और वह उदयपुर विश्वविद्यालय में आकर थर्ड ईयर में, आगे की क्लास में आकर भर्ती हो जाता है। उसका प्रोमोशन हो गया बिना परीक्षा पास किये। यह एक आश्चर्य की बात है कि एक विद्यार्थी एक क्लास में असफल हो जाता है उसको एक श्रेणी आगे बी. एससी. में बिठा दिया जाता है। तो यह सोचने की बात है। इसके बारे में बड़ौदा विश्वविद्यालय की ओरिजिनल मार्कशीट मैंने मन्त्री महोदय की सेवा में भेजी थी और यह कहा था कि आप इसके बारे में विचार करें क्योंकि यह एक गम्भीर प्रश्न है। एक विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में बी. एससी. के सैकण्ड ईयर में असफल हो जाए और परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना ही तृतीय वर्ष में उसक

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

प्रवेश हो जाये, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर कोई गम्भीर बात नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय में आज कई महीनों से वाइस चांसलर नहीं है। सुना है कि वे आने वाले हैं लेकिन 18 महीनों से वाइस चांसलर न होने के कारण, इस प्रकार विश्वविद्यायल को छोड़ देना, जिसका कोई मालिक न हो, तो यह अवश्यम्भावी है कि विभागाध्यक्ष वहां पर अपनी मनमानी करते हैं। इससे सारा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त हो गया है। मैं इस विश्वविद्यालय की मेरिट और डि-मेरिट में न जाकर एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। वहां जो आम चीज चल रही है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी मैंने एक विद्यार्थी का उदाहरण दिया है। ऐसी बात कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। नीदरलैंड के एग्जामिनर को, पीएच. डी. की डिग्री के लिये एक थीसिस भेजी गई और वह वहां भेजी गई तो वह रिजैक्ट होकर आ गई। उसके बाद हमारी फेकल्टी के डीन ने उस पर अनुचित रूप से दबाव डलवाकर मैं समझता हूं कि उसको वापिस स्वीकार करने के लिये जो लिखा है, वह अनुचित है। डीन के द्वारा उठाया गया यह तरीका गलत है। वह चिट्ठी जो लिखी गई है वह मेरे पास में है और उसके बाद में ही यह पीएच. डी. मिली है। इसमें वाइस चांसलर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। वह मैं पढ़कर यहां पर सुनाता हूं। 18 अक्तूबर, 68 की यह चिट्ठी है डॉक्टर महाजनी को लिखा है।

"I am writing this to express my heart-felt thanks and deep and sincere gratitude to you for taking unusual interest to revive the matter of rejection of my thesis."

यह उस व्यक्ति ने लिखा है जिसकी थीसिज रिजैक्ट हो गई है। एक पत्र वहां के जो डीन डॉ० प्रसाद हैं, उन्होंने उसके एग्जामिनर को लिखा है कि यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इस बच्चे के जीवन का विचार कर इसको रिजैक्ट न किया जाये, इसको रिवाइज किया जाये। इसके बारे में उन्होंने स्वयं ने लिखा है, फोरेन के जो एग्जामिनर हैं उनको लिखा है। फोरेन के एग्जामिनर ने लिखा है कि यह ठीक नहीं है। यह थीसिस ओरिजिनल नहीं है। कॉपी की हुई है।

किसी की कॉपी की हुई है, किसी की नकल की हुई है इसलिये इसको पीएच. डी. की डिग्री नहीं दी जा सकती, लेकिन इस प्रकार का कार्य वहां पर चल रहा है। उस प्रोफेसर ने जिसका नाम मेजर पाल है लिखा है—

"Capacity for the critical examination, analysis and sound judgment is not sufficient for the award to him of Ph. D. degree."

तो इस बारे में मुझे यह कहना है कि यदि राज्य सरकार इस बारे में कदम नहीं उठायेगी तो ऐसी अव्यवस्थाएं फैलेंगी। उसको कोई रोक नहीं सकता।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी एक रोचक घटना है। उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर अमेरिका से एड आई और हमारे उदयपुर विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक स्टूडेन्ट्स की टीम माउन्ट आबू गई और माउन्ट आबू से वापस आ गई और माउन्ट आबू पर ठहरने वगैरह का खर्चा उन्होंने विश्वविद्यालय से 3500 रुपया चार्ज किया। चार्ज करने के बाद में यू० एस० ए० एड वालों ने एक पत्र लिखा है कि छात्रों में लीडरशिप क्रियेट करने के लिये माउन्ट आबू जाने का जो बिल दिया है वह ठीक नहीं है इसलिये आप यह पैसा लौटा दें। उसमें डॉ० पारीख जो उदयपुर विश्वविद्यालय के प्रिन्सिपल हैं, उन्होंने प्रिंसिपल महाजनी को पत्र लिख कर स्थिति स्पष्ट बता दी कि मुख्य मन्त्रीजी की कृपा से उनकी माउन्ट आबू में व्यवस्था फ्री आॅफ चार्ज हो गई थी और वे डाक बंगले में जाकर ठहरे हैं। भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी माननीय सुखाड़ियाजी ने विद्यार्थियों के लिये व्यवस्था कर दी उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि यदि लीडरशिप क्रियेट करने के लिये कॉलेज की एक टीम माउन्ट आबू गई और जाकर माननीय मुख्य मन्त्रीजी की कृपा से उसने डाक बंगले में जाकर निवास किया।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे कोई एतराज नहीं है माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहें कहें उदयपुर से आने वाले लेकिन परम्परा यही रही है कि जो विषय डिमाण्ड पर पेश किये जा चुके हैं तो एप्रोप्रियेशन बिल पर आम तौर पर उन विषयों की चर्चा नहीं की जा सकती है। शिक्षा की डिमाण्ड पर एक दिन तक पूरी बहस हो चुकी है। यदि वे फिर कहना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय सभापतिजी, मैं इसलिये निर्दिष्ट कर रहा हूं कि आप माननीय शिक्षा मंत्रीजी शिक्षा जगत में सुधार लाने में उससे सक्षम होंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हमारा शिक्षा-जगत ठीक तरह से चले इसलिये मैं संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं, और बाकी की चीजें मैं आगे रखूंगा। उस समय भी मैंने बहुत कुछ नहीं कहा है। आपने मेरे कटमोशन्स देखे होंगे।

अब वहां माउन्ट आबू पर हमारे कॉलेज के प्रिन्सिपल महोदय गये और वहां जाकर डाक बंगले में ठहरे। उस डाक बंगले का यह ओरिजिनल रेकार्ड है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं वहां जाकर रहा और मैंने इतना-इतना पेमेन्ट किया। डॉ० महाजनी को चिट्ठी लिख कर सारे फीगर्स बता दिये और उन्होंने बिल लेकर 3500 रुपये का बिल यूनिवर्सिटी से लिया। यदि इस प्रकार का कार्य हमारे वह करेंगे और यदि इस प्रकार की चीज होगी तो ठीक नहीं होगी और हमारे विभाग के अधिकारी अधिक से अधिक करते जायेंगे। विश्वविद्यालय के अन्दर नैतिकता के आधार पर जिस चीज को हम खड़ी करना चाहते हैं और जहां पर विद्यार्थियों का भावी जीवन हम नैतिक बनाना चाहते हैं उसकी नींव हम खड़ी इस तरह से नहीं कर सकते हैं।

इस संबंध में मैंने एक पत्र भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भेजा था। दुर्भाग्य

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

से उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज चाहूँगा कि इसके बारे में एक्शन लें। हमारे वल्लभनगर फार्म के बारे में मैंने कहा था। आप आश्चर्य करेंगे कि लगभग 1 लाख रुपये के मकान एक विभाग के अध्यक्ष ने अपने फार्म के अन्दर बना लिये और कोई पूछने वाला नहीं है, युनिवर्सिटी के किसी अधिकारी के नालेज में नहीं है एक लाख रुपये के मकान बन गये हैं। एक तरफ तो डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर, डॉ० श्री वास्तव, डा० पारीख इनकी एन्क्वायरी कर रहे हैं इसके कारण से उदयपुर विश्वविद्यालय गुटबन्दी का शिकार बन गया है। मैं भी उस कमेटी के सामने पेश हुआ था। तारीफ तो यह है कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट उसके अन्दर बैठा हुआ नहीं था। आप देखेंगे कि इसके अन्दर एक लाख रुपये की बिल्डिंग बनीं और किसी को नालेज तक नहीं।

और उसके अन्दर एक अवसर आया था जब कि अकाल पड़ा था तो गायें वहां पर कुछ आई तो विश्वविद्यालय को भेजी गई। उनके चारे और उनके खाने के नाम पर उन्होंने जो अपना बिल कलेक्टर को दिया था वह 5688 क्विन्टल का और पैसा चार्ज किया था 5996 क्विन्टल का और 308 क्विन्टल एक्सेस माना था। वह बिल जो दिया वह भी प्लेन पेपर पर दिया था यद्यपि छपे हुए बिल अकाल सहायता के थे। प्लेन पेपर पर बिल लिखकर दिया गया और उस पर लिख दिया गया कि लेजर के पेज 67 पर शामिल है उसकी फोटो स्टेट कापी लाया हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से लेजर के उस पेज पर वह पैसा जमा नहीं है। एक प्लेन पेपर पर लिखकर कलेक्टर से पैसा वसूल कर लिया गया।

इतना ही नहीं यह नाथ कमेटी बैठी थी और नाथ कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें उन्होंने बताया है कि सारा अकाल के नाम से जो पैसा लिया गया है और खर्च किया गया है वह अनियमितताओं से भरा हुआ है। उसमें यहां तक लिखा गया है मस्टर रोल और जो रजिस्टर रखे गये हैं उनका कोई तालमेल नहीं मस्टर रोल और रजिस्टर की एक साथ भरती की गई है इस कारण से नवम्बर के महीने में 30 दिन होते हैं लेकिन 31 दिन भरकर पास कर दिये हैं। यह चीज जो मैं रख रहा हूं यह कोई नई चीज नहीं है। यह सारी चीजें राज्यपाल महोदय की सेवा में प्रेषित की जा चुकी हैं। उसके बाद में कोई कदम नहीं उठाया। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कार्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगी। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको वह ठीक करें और शिक्षा विभाग में सुधार करके आगे लायें।

उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में मैं कहना चाहूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 20 मिनिट से ज्यादा नहीं मिलेंगे इसलिए और कोई बात आपको और सब्जैक्ट पर बोलना है तो उसको ध्यान में रखेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं समाप्त कर देता हूं।

(श्री मानुकुमार शास्त्री)

मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय पूर्णरूप से बनना चाहिए इसलिए उन्होंने पहले-पहल उदयपुर के अन्दर एक कृषि का विभाग खोला है। पहले कृषि विश्वविद्यालय बनाया था वापस उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम पर उदयपुर विश्वविद्यालय बन गया। परिस्थिति ऐसी बनी कि कृषि विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण कृषि का उत्तरदायित्व सरकार ने इधर-उधर विभक्त कर दिया, और उदयपुर विश्वविद्यालय के पास कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर यह उदयपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। गंगानगर और कोटा को इस प्रकार से अलग-अलग जोड़ दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय बना कर पूरा देंगे तो सारी जिम्मेदारी के साथ यह बना सकता है। अधिक शिक्षा का प्रसार हो, विस्तार हो, लेकिन एक महाविद्यालय बन जाय तो मैं समझता हूं कि महाविद्यालय बनने का जिस वक्त होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बात वहां पर हो और जो मानवी की संकाय वह भी गौण रूप में बनी रहेगी और दूसरी फेकल्टीज भी गौण रूप में चलती रहेगी। कृषि विश्वविद्यालय खोलने के साथ-साथ सारे राजस्थान के उत्तरदायित्व के आधार पर किया गया तो कृषि के आधार पर रिसर्च के अन्दर, एक्सपेरीमेंट के अन्दर प्रगति करके आगे बढ़ जायगा।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को खत्म करता हुआ मैं एक पाइंट और कहना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत पुरानी फाइल है। माननीय मुख्य मंत्रीजी सदा यह कहते रहते हैं कि वह भ्रष्टाचार को निर्मूल करना चाहते हैं और उनका सदन में यह कहना है कि वह बताएं तो सही। तो मैं वह बताने के लिए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सदन के अन्दर हमारे माइन्स विभाग के जो डाइरेक्टर हैं उनके ऊपर सी. बी. आई. के द्वारा 66 से ज्यादा चार्जशीट दिये गये और वह चार्जशीट लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा रुपये के मिसएप्रोप्रियेशन, गबन के और सरकारी पैसे का नुकसान करने के बारे में 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के चार्जशीट दिये गये थे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि आपके विभागाध्यक्ष के बारे में सी. बी. आई. द्वारा की गई जांच के अन्दर इस प्रकार की चार्जशीट दी जाय और उसको आज सस्पेण्ड तक नहीं किया जाय, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाय इससे बढ़कर और भ्रष्टाचार का नमूना क्या मिल सकता है।

दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे पास ओरिजिनल रेकार्ड है और मैं समझता हूं कि यह गम्भीर बात है। वह यह है कि जिस समय संकट देश पर उत्पन्न होता है और हम अपने देश की रक्षा करने के लिए धन संग्रह करते हैं तो नेशनल डिफेंस फण्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए पूरा दिल खोल कर लोगों ने दिया है। लेकिन उदयपुर में जो गड़बड़ियां इस फण्ड में हुई हैं। 5,22,358 रुपया नकद इस फण्ड में आये थे, जो ट्रेजरी में जमा नहीं हुये हैं। रसीदें कट चुकी हैं।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

रेडियो पर आया है। अमुक-अमुक ने दिये हैं। मेरे पास ओरिजिनल फाइल है। उस समय 2,629 का सोना इकट्ठा किया गया है। वह सोना भी आज ट्रेजरी में जमा नहीं है। नेशनल डिफेंस फण्ड में यह घटना घटे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य मंत्री महोदय, इसकी जांच करायें। यह कितना सही है। यदि कुछ आदमियों ने कह दिया है कि हमने पैसा नहीं दिया है, उनसे लिखवा भी लिया हो कि हमने पैसा नहीं दिया तो कम से कम उनके इन्कम टैक्स रिटर्न में यह देखा जाये कि उन्होंने पैसा दिया या नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि इस सारी अव्यवस्था को दूर करें। तभी जो हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है, वह ठीक कर पायेंगे। बाकी यह जो बजट हुआ, हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आरम्भ किया इन्द्र भगवान की कृपा से, और राइट ऑफ करने की स्थिति में उसका अन्त हुआ। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है। तीसरे दौर में विचार के लिए पेश है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि बजट बनाते समय और उसके बाद सम्पूर्ण बजट का समावेश करते हुए विनियोग विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। वह स्वागत योग्य है। राजस्थान मे इण्टेग्रेशन के बाद, स्वतन्त्रता के बाद काफी प्रगति की है। अगी पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से चर्चा की गई है। जो इण्टेग्रेशन के बाद राजस्थान का सर्वांगीण विकास हुआ है, उसके ऊपर नजर डालें तो हम यह कहने की स्थिति में हैं कि राजस्थान काफी आगे बढ़ रहा है। उसके कदम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हर एक प्रदेश की अलग-अलग समस्याएं होती हैं। और मान्यवर, राजस्थान की भौगोलिक और राजनैतिक स्थिति अलग है, जिसका मुकाबला दूसरे किसी भी प्रदेश से नहीं किया जा सकता है। आज यहां हम 73–74 के विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। वहां हमें यह भी देखना है कि इण्टेग्रेशन के पहले 30 करोड़ रुपये था। आज शिक्षा का बजट 56 करोड़ का है। पहले जहां टोटल 30 करोड़ रुपया था, आज हमारा जो अमाउण्ट है, वह 70 करोड़ रुपये का है। हर क्षेत्र के अन्दर राजस्थान ने प्रगति की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बहस के समय इस बात को उठाया गया है, दोनों ही तरफ से कि राजस्थान पर भारी कर्जा है। राजस्थान दिवालिया स्टेट है। राजस्थान को भारी रकम कर्जे में मिली है इसकी आमदनी में जो खर्चा हुआ है, वह प्रॉपर्टी कम्युन्सरेट नहीं करती है आदि बातें कही गई हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूं कि यह जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और उनसे जो आमदनी होती है, जितना कैपिटल इन प्रोजैक्ट पर लगाते हैं, जो प्रोजैक्ट, राष्ट्रीय प्रोजैक्ट पब्लिक इण्ट्रेस्ट और राष्ट्र के सर्वाइवल के एक्जीस्टेंस के लिए होता है, उन पर काफी रकम लगाते हैं, तो उन पर हम यह सोचें कि जितना खर्चा हुआ है, उतना लाभ नहीं हुआ है। इस प्रकार से राजस्थान कैनाल पर करोड़ों रुपये लगाये गये हैं तो वह हम किसानों से वसूल करें यह उचित नहीं है। फूड प्राब्लम, खाद्य समस्या के लिए हमें जनता

(श्री रामनारायण चौधरी)

को स्वावलम्बी बनाना है तो उसके बदले में क्या आयेगा, यह नहीं होता है। इसी तरह से जो प्लाण्ट है, उनका खर्चा देखें तो वह मार्केट वेल्यू से नहीं होता है। यह राष्ट्र के लिए होता है। यह राष्ट्र के लिए जरूरी होता है। इसलिए खर्चा होता है। यह कहना कि राजस्थान दिवालिया हो गया है। राजस्थान एक दिवालिया स्टेट है, उसने कोई प्रगति नहीं की है। यह मैं नहीं मानता हूं। आज राजस्थान वह स्टेट है, जिस पर ओवर ड्राफ्ट का पैसा नहीं है। आज यह पहला अवसर है जब कि बहस के अन्दर इस प्रश्न को नहीं उठाया गया है। यह कहा जाता था कि राजस्थान पर बड़ा भारी ओवर ड्राफ्ट है। वह प्रति वर्ष चला जाता था। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कहे जाने वाले प्रश्न को उन्होंने हल कर दिया है। राजस्थान में इण्डस्ट्रीज के मामले में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई है। लेकिन वह क्यों नहीं हुई है। हमारे जो प्रवासी उद्योगपति बॉम्बे, कलकत्ता में रहते हैं उन्होंने इण्डस्ट्रीज का काफी अनुभव लिया है। उससे हम लाभ उठायें। लेकिन उनका कहना है कि राजस्थान के अन्दर उनको वे सुविधाएं नहीं हैं। ऋण के अन्दर जो मिलने वाला था इण्डस्ट्रीज के लिए, जमीन का मामला है जो कि उनको आवश्यकता होती है, उनको इस प्रकार की सुविधायें यहां पर उपलब्ध नहीं हैं, जैसी कि हरियाणा साइड में हैं। जहां तक वित्त मंत्री महोदय, राजस्थान के कार्य-कलापों में, बजट की धारणा में बहुत बड़ा हिस्सा आता है तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जो उद्योगपति, राजस्थान के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनको वित्त मंत्री महोदय निमन्त्रण दें कि वे राजस्थान के विकास में अपना योगदान दें। मान्यवर, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसको पिछड़ा हुआ डिक्लेयर किया गया है। यह पिछड़ा दो प्रकार से है—एक तो राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनको केन्द्रीय सरकार की ओर से बैकवर्ड घोषित किया गया है। नागौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर इनको किस आधार पर घोषित किया गया है, मुझे यह नहीं कहना है। लेकिन एक ओर जिले को जो आगे हैं, उनको इस प्रकार घोषित किया है। सीकर, झुंझुनूं, चूरू दूसरे जिले हैं, जिन आधारों पर बैकवर्ड घोषित किया गया है, यह समझ में नहीं आता है। भीलवाड़ा इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है वह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है, वहां उद्योग को एस्टेब्लिश करें तो 15 पर्सेन्ट सब्सीडी भारत सरकार देगी और चूरू, झुंझुनूं और सीकर—इन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है। इनमें उद्योग स्थापित करने के लिए कर्ज, लोन की व्यवस्था है। यहां पर जो भी व्यक्ति इण्डस्ट्री लगायेगा, उसको लोन दिया जायेगा, सब्सीडी की व्यवस्था नहीं है। यह फर्क रखा गया है, यह फर्क समझ में आने लायक नहीं है फिर भी वित्त मंत्री को मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के उद्योगपति, जो दूसरे राज्यों में काफी काम कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दें कि राजस्थान के औद्योगिक विकास में वे हाथ बटावें।

राजस्थान में बिजली की दृष्टि से जो अभी कहा गया है कि राजस्थान में उतनी

Page No 114

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रगति बिजली के हिसाब से नहीं की जितनी दूसरे प्रदेशों ने की है। मान्यवर, मैंने जानकारी करने की कोशिश की है। राजस्थान से हरियाणा के मुकाबले की स्थिति हो नहीं सकती है क्योंकि हरियाणा के अन्दर 33 के. वी. स्टेशन हैं, उतने हमारे यहां 132 के. वी. लाइन के स्टेशन हैं। राजस्थान में ट्रान्समीशन लाइन है, वह बिजली की ट्रान्समीशन लाइन हरियाणा के मुकाबले में चौगुणी है। यह नहीं कह सकते कि राजस्थान ने बिजली के मामले में प्रगति नहीं की। राजस्थान ने बिजली के मामले में काफी प्रगति की है लेकिन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जहां ट्रांसमीशन लाइन है वह गांव दूसरे गांव से दूर है, सैलाइन वाटर है, डैजर्ट है, सेमी डैजर्ट है आदि ऐसी प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से ये रिजल्ट नहीं आ सकते जो हरियाणा या पंजाब में आते हैं। इसलिए कोई कारण नहीं कि हम यह महसूस करें, राजस्थान में बिजली का प्रसार, एक्सपेंशन हुआ है, वह इतना नगण्य है। उसके बारे में यह कह कर नहीं चलें कि हम कुछ कर नहीं सके।

सभापति महोदय, यहां आज पहली बार विपक्ष के माननीय सदस्य, जो डूंगरपुर से स्वतंत्र पार्टी के टिकट से जीत कर आये हैं, उनके मुंह से मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात के लिए हुआ कि उन्होंने यह मांग की कि राजस्थान के विकास के लिए, डवलपमेंट के लिए जरूरी है, राजस्थान का विभाजन, विभाजन अनिवार्य है। उन्होंने यह बताया कि राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ था, वह गलत हुआ था, वह मुनासिब नहीं था, वह सही नहीं था। यह बात पचीस-छब्बीस साल बाद उनके मुंह से निकली। जाहिरा तौर से मैं समझता हूं, उस समय की अवस्था में राजस्थान के रजवाड़ों और देशी रियासतों के रूलर्स की इच्छा कब थी कि वे देशी रियासतों की बागडोर, वहां का शासन यूनियन गवर्नमेंट को सौंपें, जनता को सौंपें, मेरा ऐसा खयाल है, राजस्थान के कुछ रूलर्स ऐसे थे जो इन्टीग्रेशन के खिलाफ थे, और इन्टीग्रेशन के खिलाफ ही नहीं, ऐसे राजा भी थे, राजस्थान के, जो छिप कर जाहिरा तौर से पाकिस्तान से साठगांठ कर रहे थे कि हमारी शर्त मान जायें तो पाकिस्तान में मिलने को तैयार हैं। इसलिए इस प्रकार की आवाज अब उठाई जाय, राजस्थान के विभाजन के बारे में तो उससे आश्चर्य होता है। जब राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ था तब यह आवाज दब गई थी, एक तरह से जनबल के अन्दर, जनता की जो आवाज थी, उसके कारण इस प्रकार की आवाज नहीं उठ सकी थी और जनता की आवाज के हिसाब से राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ था। मैं इस बात को मानता हूं, राजस्थान के विकास के लिए यह जरूरी है कि हम राजस्थान को चारों तरफ आगे बढ़ायें और जिन क्षेत्रों में हम पिछड़े हुए हैं, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, पीने के पानी की दृष्टि से हम प्रायोरिटी फिक्स करें। हर जिले के लिए यह तय करें। उनके बारे में क्लिअर लक्ष्य, क्लिअर विजन होना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि किस जिले में कौनसी चीज की प्रायोरिटी पहले फिक्स करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर

(श्री रामनारायण चौधरी)

ध्यान दें: जहां पीने के पानी की समस्या है, वहां पहले इसे प्रायोरिटी देना जरूरी है। कई इलाके ऐसे हैं, जहां एग्रीकल्चर को आप प्रायोरिटी दें। कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां बिजली को पहले प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए। मैं सरकार का और वित्त मंत्री का ध्यान आपके द्वारा इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आगे आने वाले वर्ष में जो आप बजट खर्च करवायेंगे, उसमें राजस्थान के हर क्षेत्र में क्षेत्रवाइज प्रायोरिटी, लोकल प्रायोरिटी, डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। उसके हिसाब से उनके लिए खर्च तय होना चाहिए।

मुझे इस बात का अफसोस है, उधर से आने वाले एक माननीय सदस्य कह रहे थे राजाओं के जमाने के अन्दर अच्छा न्याय था, अच्छा प्रशासन था. अच्छा लॉ एण्ड आर्डर था। उस जमाने की मैं आलोचना करूंगा, तो मैं समझता हूं गलत बात होगी क्योंकि जमाना गुजर गया है और वह जमाना बेकार इतिहास की बात रह गई है। उस जमाने की तुलना आज के समय से करूं, तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। लेकिन यह जरूरी है कि हम राजस्थान के सर्वांगीण विकास, राजस्थान की तरक्की और राजस्थान के डवलपमेंट के लिए लोकल प्रायोरिटी दें, डिस्ट्रिक्टवाइज उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है और मैं शिक्षा मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार इस आवश्यकता को महसूस किया कि जिलों के अन्दर लोकल प्रायोरिटी को तय करने के लिए हम एम. एल. एज. की कमेटी बनाई है शिक्षा के मामले में। पिछली बार एक हजार प्राईमरी स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूल के निर्माण के लिए लोकल कमेटी की मारफत निर्णय होने के बाद जो नतीजा आया, जो लोकल मामले तय हुए, वह इससे पहले राजस्थान में कभी नहीं हुआ। मान्यवर, हर जुलाई के महीने में हजारों, झुण्ड के झुण्ड लोग मंत्रियों और अधिकारियों के यहां एम. एल. ए. को साथ में लेकर घूमा करते थे लेकिन जुलाई, अगस्त के अन्दर पिछली बार एक भी डेपूटेशन, हाई स्कूल बनाने के लिए, मिडिल स्कूल बनाने के लिए, प्राईमरी स्कूल बनाने के लिए किसी मंत्री या अधिकारी से नहीं मिला। यह सोचा गया, जितने अच्छी तरह मामले स्थानीय तौर पर तय होते हैं, वह यहां नहीं होते हैं। इस बार राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पिछली बार कुछ अधिकार अपने पास रखे थे, इस बार सम्पूर्ण अधिकार जिला कमेटी को सौंप दिए हैं। यह ऐसी चीज है जिससे वहां के लोगों को संतोष मिलेगा और आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, वर्डन बढ़ने वाला था, उससे मुक्त हुए और लोगों की भलाई के लिए कुछ करने के लिए आपको समय मिलेगा। इसी प्रकार के कदम प्रशासन में उठाते चले जायें, तो इसमें सन्देह नहीं है कि प्रशासन गति पायेगा, प्रशासन सुदृढ़ होगा और प्रशासन में स्वच्छता आयेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, जिन जिलों में औद्योगिक दृष्टि से कुछ नहीं हुआ है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, चूरू, सीकर और झुंझुनूं, जहां से मेरा सम्बन्ध है और मैं आता हूं, वहां पर इण्डस्ट्री का नाम नहीं है, कॉटेज इण्डस्ट्री में जो पहले जुलाहे कपड़े बनाया करते थे, गाडा बनाते थे जो लोकल काम में आते थे, वह इण्डस्ट्री

(श्री रामनारायण चौधरी)

बन्द हो गई है और लोग बेकार हो गये हैं इसलिए इण्डस्ट्रियली आगे बढ़ाना चाहिए, औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहिए। जहां छोटे कुटीर उद्योग थे, जहां काम होता था, वह बन्द हो जाय और बड़ी इण्डस्ट्री लग जाय तो बात समझ में आ सकती है लेकिन छोटी कॉटेज इण्डस्ट्री समाप्त हो जाय और बड़ी इण्डस्ट्री की स्थापना नहीं हो तो वहां के लोगों में बेकारी बढ़ने वाली है। मैं दो (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इसलिए जो जिले राजस्थान में पिछड़े हुए हैं, वहां औद्योगिक यूनिट चालू करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिये और जिलों की प्राथमिकता फिक्स करनी चाहिए उसी हिसाब से बजट का डिस्ट्रिब्यूशन, बजट का एक्सपेंडीचर आगे आने वाले वर्षों के लिए तय होना चाहिए। इस तरह लोकल प्रायोरिटी तय हो जाय तो लोगों को संतोष होगा और राजस्थान के विकास में इससे बल मिलेगा।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापतिजी, अभी पिछले दोनों सत्रों में इस विधान सभा के माननीय सदस्यों के मुंह से सुना है कि राजस्थान का विभाजन होना चाहिए। उनकी इस मांग के पीछे एक ही तर्क रहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है। यह सही है कि कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में विकास अधिक हुआ है और कुछ में कम हुआ है। इस बात को लेकर विभाजन की मांग की जाती है तो वह अत्यन्त अनुचित है। विभाजन की मांग करने वाले हैं वे पराजित हैं, निराश हैं और ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो विकास का, निर्माण का रास्ता नहीं अपना सकते। तो वे अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए एक सस्ता और सुन्दर नारा लगाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां-जहां विभाजन हुआ है, जहां-जहां छोटे-छोटे टुकड़े हुए हैं वहां विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, सभी जगह इतिहास ने शिक्षा दी है कि जो लोग टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनकी हालत उन दो औरतों जैसी है जिनमें झगड़ा था कि यह बच्चा किसका है। एक औरत बच्चे की सच्ची माता थी और दूसरी नकली माता थी जो बच्चे को हड़पना चाहती थी। काजी के पास फैसला गया तो जब उनको और कोई रास्ता नहीं दीखा तो उन्होंने कहा कि बच्चे के दो टुकड़े करवाता हूं, दोनों औरतें एक-एक टुकडा ले जाइए। इस पर जो असली मां थी उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप बच्चा दूसरी औरत को दीजिए। तो इस प्रकार का निर्माण हमें नहीं चाहिए। आप पिछड़े क्षेत्रों से, रेगिस्तानी क्षेत्र से नाराज हैं और चाहते हैं कि जब देश की सुरक्षा का काम हो, देश की रक्षा करनी पड़े तब पिछड़े क्षेत्र के लोग तब पिछड़े क्षेत्र के–जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के लोग दुःख पायें, संकट झेलें और जब विकास का फायदा उठाना हो तब जो चतुर विधायक डूंगरपुर जैसे क्षेत्र में आराम से रहते हैं, उनके पास और कोई प्रोग्राम नहीं है। स्वतंत्र पार्टी के पास तो वे विभाजन की मांग करते हैं। इसी प्रकार से जयपुर क्षेत्र के कुछ विधायक हैं जिनके पास काम करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वे जानते हैं कि आज से 23 साल

(श्री मोहरसिंह)

पहले क्या हालत थी, कितना विकास हुआ है, आज कहते हैं कि पूर्वी राजस्थान का अलग से निर्माण हो तो मेरा सुझाव है और पुरजोर शब्दों में अपील और मांग है कि आप एक आयोग गठन करें जो पता लगाये कि किस जिले में किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, उस क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ है और वास्तव में अगर कहीं कमी हुई है तो उस क्षेत्र में कमी को पूरा किया जाना चाहिए और जो निर्माण में, क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है, उसको ठीक किया जाना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जो भी योजना बन सकती हो बनाई जानी चाहिए। एक तरफ जयपुर से आने वाले सदस्य कहते हैं कि हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर में आज से 23 साल पहले कितना इन्फ्रास्ट्रक्चर था, यह इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां से बन गया और यदि वह राजस्थान के पैसे से इन्फ्रास्ट्रक्चर बना तो सदस्यों को कहने का अधिकार नहीं है कि हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर है। यदि मेरे यहां पीने का पानी है तो मैं कहता हूं कि दूसरी जगह कुआ नहीं बने, वहां पीने का पानी नहीं दिया जाना चहिए। मैंने इस सदन में मांग की है कि हमें अगर अकाल के समय में चारा और पीने का पानी दे सकें तो कृपा होगी। एक तरफ जब त्याग का प्रश्न आता है, रक्षा का प्रश्न आता है तो रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोग तकलीफ बरदाश्त करते हैं और दूसरी तरफ विकास और निर्माण का प्रश्न आता है तो कहते हैं कि हम बटवारा चाहेंगे। आप बटवारा मत करो, सरकार चाहे तो इनको और पैसा विकास के लिए दे दें। पिछड़े क्षेत्र की मांग न कभी रही है न रहेगी कि बटवारा करो। हम त्याग करना जानते हैं और पूर्वी क्षेत्र वालों ने कभी त्याग नहीं किया और आज भी तैयार नहीं हैं और ऐतिहासिक परम्पराओं को निभा नहीं सकते। इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार का आयोग गठित किया जाना चाहिए जो देखे कि जहां पर कम पैसा खर्च हुआ है, वहां पूर्ति की जाए और मेरी मान्यता है कि सबसे ज्यादा हैंग और है वनाट्स की समस्या है। जिनके लिए ज्यादा खर्च हुआ है वही मांग करते हैं कि हमारा यहां कम हुआ है। गरीबों के पीने का पानी नहीं, काम नहीं, रोटी नहीं, निरक्षर लोग ज्यादा हैं, वर्षा नहीं होती है, पिछले 23 साल में 16 साल अकाल पड़ा, वहां के लोग क्या आंदोलन करेंगे? क्योंकि सरकार आंदोलन के आगे झुकना जानती है। आज देश के करोड़ों अनपढ़ लोग आंदोलन नहीं कर सकते, खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, यूनियन नहीं बना सकते, उनके लिए सरकार छोटी से छोटी व्यवस्था भी नहीं कर सकती कि उनको काम मिल सके। दूसरे पढ़े-लिखे लोग शिक्षक संघ बनाकर आंदोलन करने के लिए आ जाते हैं। पढ़े-लिखे लोग, मजदूर संगठित होकर मिनिमम वेजेज की मांग करते हैं। और मैं जब देखता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की पैरवी करते हैं कम्यूनिस्ट, जनसंघ वाले भी और कांग्रेस वाले भी तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या ये 10 लाख सरकारी कर्मचारी राजस्थान का निर्माण करते हैं, इनकी तनख्वाह बढ़ाने से बाकी ढ़ाई करोड़ लोग जो राजस्थान में बसते हैं, उनकी समस्याओं

(श्री मोहरसिंह)

का समाधान हो जाएगा ? उनके लिए कोई योजना नहीं बनती कि हम मिनिमम गैरंटी दे सकते हैं काम देने की ताकि किसी तरह से अपना गुजर कर सकें तो सरकार आंदोलनों के सामने झुक जाती है। जो गरीब आदमी सर्दी, गर्मी, बारिश में मेहनत करके अन्न पैदा करता है और जिस पर सारा टैक्स लगता है, वह गरीब आदमी, क्योंकि उनके पास यूनियन नहीं है और स्कूल खोलने के लिए सहयोग देते हैं कर के रूप में। उधर 10 लाख पढ़े-लिखे लोग इन ढाई करोड़ लोगों को नजरअंदाज करना चाहते हैं और अपने लिए चाहते हैं कि स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़े, रहने के लिए मकान हो, हमारे मकान में बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए लेकिन इन ढाई करोड़ मूक लोगों के लिए क्या होना चाहिए ? क्या उनके लिए जो अकाल पीड़ित लोग हैं उस समय आंदोलन करें कि एक नया हाई कोर्ट स्थापित हो जबकि विकास और निर्माण योजनाओं को चलाने के लिए....

श्री मूलचंद सामरिया : हाई कोर्ट बेंच जयपुर में होने से कौनसा प्रभाव विकास के कामों पर पड़ने वाला है, कौनसे विकास के काम अवरुद्ध हो जायेंगे ?

श्री मोहरसिंह : ढाई करोड़ आदमियों का मुकदमेबाजी से लेना देना नहीं, उनके तो रोटी के लाले पड़ते हैं, पीने के पानी के लाले पड़ते हैं, आंदोलन करने वाले लोग, बटवारे की मांग करने वाले देश के गद्दार हैं, वे नहीं चाहते कि गरीबों....

श्री मूलचंद सामरिया : पैरवी करने वाले गद्दार हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचंद सामरिया : मेरा निवेदन है कि गद्दार शब्द को कार्यवाही से डिलीट करें। माननीय सदस्य ने कहा है कि हाई-कोर्ट की जो मांग करते हैं, वे गद्दार हैं, इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : विभाजन चाहने वालों के लिए कहा है।

श्री मूलचंद सामरिया : पाइन्ट ऑफ आर्डर ! मैं निवेदन करूंगा कि जो गद्दार शब्द माननीय सदस्य ने काम में लिया है उसको वापस लें या कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूं कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारी प्रोसीडिंग्स से निकालने की स्थिति का हो। इसलिए मैं आपकी बात मानने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मोहरसिंह : करोड़ों लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं, उस समय....

श्री मनोहरलाल : अपने आप को लानत दे दो, 25 साल में क्या किया ?

श्री मोहरसिंह : आप उन गरीबों के लिए आंसू भी नहीं बहा सकते, सहयोग नहीं दे सकते, दुःख घटा नहीं सकते।

श्री मूलचंद सामरिया : आप गद्दार हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहरसिंह : मैं समझता हूं, हमने अकाल के निवारण के लिए कोई स्थाई

(श्री मोहरसिंह)

हल के लिए आज तक इंतजाम नहीं किया। अनेक अकाल पड़े, पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति और पैसे की कमी। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष इसके स्थाई हल के लिए सरकार आवश्यक व्यवस्था करेगी वरना यह जो अकालों की पुनरावृत्ति है यह नहीं रुकेगी तो सारे राजस्थान का विकास रुकेगा और हमारे लिए सबसे बड़ा काम यदि सरकार कर सकती है तो वह है राजस्थान नहर का निर्माण, जो इसमें ढिलाई हुई है, देरी हुई है, गबन और घोटाले हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसको रोका जाए। सभापति महोदय, राजस्थान नहर देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है और अभी तक राज्य सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर सकी है। आज जबकि भारत सरकार पैसे दे रही है लेकिन उस पैसे को डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर सका है। कभी तो कोई कारण बता देते हैं और कभी कोई कारण बता देते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार ऐसी फायदेमन्द नहर को प्राथमिकता क्यों नहीं देती है। आज वहां लाखों रुपयों का घोटाला है, इतना गबन हो गया है लेकिन कोई जांच नहीं की जा रही है। और न ही इस योजना को पूरा करने के लिये शीघ्रता बरती जा रही है। आज कभी तो सीमेंट खरीदने में पैसे खर्च कर देते हैं, कभी मशीनें खरीदने में खर्चा करते हैं, कभी ईंटें खरीद रहे हैं लेकिन दूसरे काम्पोनेन्ट जो इसके साथ चाहियें वे नहीं खरीदे जा रहे हैं, जिससे कि आज जो मशीनें खरीदी हुई हैं वे बेकार पड़ी हैं जिससे उनके जंग लग रहा है। आखिर राज्य सरकार ने लाखों रुपये खर्च किये हैं उन मशीनों को काम में तो लिया जाना चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1960 में भारत के सिंचाई मन्त्री ने यह आदेश दिया था कि इस नहर को जल्दी से पूरा किया जाय। और इस नहर को दोसौ फीट ऊपर उठाकर उसका पानी चूरू जिले को दिया जाना चाहिये लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री ने जो सुझाव दिये थे उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह एक प्रभावशाली योजना है जिससे राजस्थान का इलाका हरा-भरा हो सकता है, स्थाई हल अकाल की समस्या के लिये कुछ क्षेत्र में हो सकता है। फिर भी राज्य सरकार इस योजना को पूरा करने में असफल रही है। और होता यह है कि झूठे-सच्चे आंकड़े पेश किये जाते हैं और कागजी कार्यवाही की खाना पूर्ति की जाती है। मैं सिंचाई मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के जो सिंचाई मन्त्री ने जो सुझाव दिये हैं उनकी क्रियान्विति जल्दी से जल्दी की जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप वहां पर लूणी नदी पर बांध बनाकर वहां के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करें। लेकिन अच्छा तो यह रहे कि आप राजस्थान नहर से या भाखरा नहर से पीने के पानी की व्यवस्था करने की कार्यवाही करें। अगर आप पानी को ऊपर उठाकर यह व्यवस्था करेंगे तो वहां के एरिया में करीब 350 गांव हैं जो अकाल से हर साल भयंकर रूप से पीड़ित होते हैं वे बच जायेंगे और उस एरिया को आप उत्पादक बना सकेंगे। अभी जैसा

(श्री मोहरसिंह)

कि मैंने ऊपर निवेदन किया है कि आप यह व्यवस्था नहीं कर सकें तो आप सिद्धमुख नहर से पीने के पानी की व्यवस्था उस नहर को पूरी करके करदें। इसमें कम खर्चा लगेगा और राज्य सरकार को कोई विशेष घाटा नहीं होने वाला है। वहां पर कैपेसिटी के बारे में कहा जाता है कि वन थाउजैन्ड क्यूसेक्स की कैपेसिटी है वहां पर चाहिये ढ़ाई हजार क्यूसेक्स कैपेसिटी तो इसमें क्या बात है आप चाहें तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। और इस सिद्धमुख नहर के पक्का बनने से कम खर्च में राज्य सरकार इस अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों के लिये काम, बड़ा काम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने भ्रष्टाचार का सबसे बढ़िया उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हमारे जयपुर में एक राजकीय प्रवास भवन बना हुआ है, जिसके हिसाब-किताब के रजिस्टर आज पिछले तीस साल के उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। रजिस्टर्स उपलब्ध नहीं होने की वजह से आज जिन एम० एल० ए० के अन्दर पैसे नहीं निकलते थे उनके नाम भी पैसे बाकी निकाल कर लोगों के पास नोटिसेज भेजे जा रहे हैं। इसमें कई माननीय सदस्यों के खिलाफ में पैसे निकाले जा रहे हैं। मेरे पेटे भी इन्होंने करीब 1700 रुपये बकाया निकाल कर भेजे हैं, जबकि मैं हर महीने पेमेन्ट करता था। जब मैंने इनसे रजिस्टर के बारे में बात की तो वह कहने लगे कि रजिस्टर तो गुम हो गया है। इसी प्रकार उन्होंने श्री मेघराजजी एम० एल० ए० थे उनको भी बकाया के बारे में नोटिसेज दिये हैं उन्होंने भी हिसाब का रजिस्टर मांगा तो देने में असमर्थ रहे तो उन्होंने जो कि हर महीने पेमेन्ट करते थे उसकी रसीदें जो कि उनके पास थीं वह जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी जी० ए० डी० से लिया हुआ था बताया। इसी प्रकार यहां पर श्री पृथ्वीराज जी जो एम० एल ०ए० थे उनके लिये पुरानी बकाया बतायी और सैंकड़ों रुपयों की बकाया श्री जैयेन्द्रसिंह एम० एल० ए० के अन्दर निकाली उन्होंने भी हिसाब रजिस्टर का पूछा तो कोई भी हिसाब बताने को तैयार नहीं होता। जबकि उनके पास जी० ए० डी० से नो ड्यूज सर्टिफिकेट व और जो पैसा उन्होंने जमा कराया था हर माह उसकी रसीदें भी उनके पास मौजूद हैं उन रसीदों में साफ लिखा हुआ है कि क्या खर्च हुआ क्या-क्या खरीदा गया। मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जी. ए. डी. डिपार्टमेंट राजस्थान का इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और राजकीय प्रवास भवन में एम० एल० ए० के साथ इस प्रकार का अन्याय व धोखा धड़ी हो रही है। उनसे ज्यादा पैसे वसूल करने की कार्यवाही की जाने की कोशिश की जा रही है। अगर उनके खिलाफ में कोई शिकायत की जाती है तो जी० ए० डी० कुछ भी एक्शन नहीं लेता है और वहां के लोग यह कहते हैं कि आपने शिकायत करके हमारा क्या बिगाड़ लिया और हम तो यहीं हैं। इस प्रकार वहां के लोग हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं। आज राजकीय प्रवास भवन की यह हालत है कि उसकी कभी पुताई नहीं होती, वहां पर इस तरह से खटमल और मच्छर हैं कि आप आराम से वहां नहीं रह सकते हैं। वहां पर जो पानी पीने का आता है वह भी बहुत ही दूषित है, अच्छा खाना

(श्री मोहरसिंह)

आज वहां पर एम. एल. एज़ को नहीं मिल पा रहा है जिससे कई प्रकार की बीमारियों के होने की सम्भावना रहती है। अगर उसके लिये लिखा-पढ़ी की जाती है तो कोई सुनवायी नहीं हो रही है। आज जब राजस्थान में एम. एल. एज. की यह हालत है तो दूसरों की क्या हालत होगी? आज दूसरे प्रांतों में नहीं मालूम कितनी सहूलियतें एम. एल एज. को दी जाती हैं पर वह तो दूर रही कम से कम अच्छा खाना तो एम. एल. एज. को दिया जाना चाहिये। अगर केटरार को कहते हैं तो वह सुनता नहीं है। शिकायत करते हैं तो राज्य सरकार कोई एक्शन दोषी लोगों के खिलाफ में लेने को तैयार नहीं। उल्टे दोषी वे लोग यह कहते हैं कि आपने हमारी शिकायत करके क्या किया। आखिर गवर्नमेन्ट होस्टल की स्थिति सुधरनी चाहिये; वहां पर फोरेनर्स भी आते हैं वे क्या इम्प्रेशन लेकर जायेंगे। मैं तो समझता हूं कि इससे अच्छी सुविधायें तो जैल के कैदियों को भी मिलती है लेकिन यहां पर उससे भी खराब हालत एम.एल.एज की है। आखिर मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह क्या तमाशा बना रखा है कि एम. एल. एज. के साथ ही इस प्रकार की दुर्व्यवस्था है तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कहीं और लोगों की तरह एम. एल. एज. को भी आन्दोलन करना पड़ेगा। मुझे दुःख के साथ में कहना पड़ता है कि अच्छा इन्तजाम आपने किया है क्या यही व्यवस्था है जन-प्रतिनिधियों को सुविधा के लिये। क्या आप इन्तजाम पब्लिक के नुमाइन्दों के लिये दिखाना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री **सभापति** : श्री रावतराम !

श्री **रावतराम** (छापर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दे दिया....

श्री **सभापति महोदय** : मुझे तो बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री **रावतराम** (छापर) : सभापति महोदय, कोई बात नहीं मामे की शादी और मां परोसने वाली बात है। सभापति महोदय, आज राजस्थान में सभी जगह अकाल की चर्चा है। अभी भी यहां पर जो सदस्य बोल रहे थे वह अकाल की चर्चा कर रहे थे। मैं अकाल के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, अकाल की बात हमारे लिये कोई नयी बात नहीं है क्योंकि राजस्थान में हर एक-दो साल छोड़कर अकाल पड़ता है। यह कोई नयी स्थिति नहीं है। ज्यादातर अकाल-बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर डिविजन की तरफ पड़ता है और इन अकाल से गांवों में रहने वाले काश्तकारों पर बहुत ही भयंकर असर पड़ता है और धीरे-धीरे आज इन पन्द्रह सालों में राजस्थान का काश्तकार धीरे-धीरे बरबाद हो गया है। आज पिछले 15 सालों से राजस्थान में बराबर अकाल पड़ रहा है। पिछले सालों से हमारे यहां पर हर साल अकाल की चर्चा होती है लेकिन आज तक इस अकाल का कोई भी स्थायी हल हम नहीं निकाल सके हैं। हालांकि हमने अकाल के लिये जो लोग अकालग्रसित थे उनके लिये खर्च करोड़ों रुपया किया है परन्तु अभी तक कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाये हैं कि जिससे अकाल को हमेशा के लिये हम रोक सकें। मैं मानता हूं कि अकाल से बचने के लिये हमने अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों को राहत कार्य में मजदूरी देकर उन्हें भूखे मरने से बचाया

(श्री रावतराम)

है। अभी भी अकाल राहत कार्य हमारे राजस्थान के अन्दर चल रहे हैं। अभी जो पिछले अर्से हमारे यहां जो दो बार अकाल पड़ा उससे हमने करीब 185 करोड़ रुपये का खर्चा किया और लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है लेकिन इन रिलीफ कार्यों में कितने रुपये का काम हुआ यह देखें तो हमें पता लगेगा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, इतने रुपये लगाकर भी कि जिससे अकाला का हमेशा के लिये कोई स्थायी हल निकल सके। सभापति महोदय, आज हर दूसरे साल अकाल पड़ जाता है जिससे काश्तकार की पोजीशन बहुत ही ख़राब होती जा रही है, आज उसकी आर्थिक हालत व सामाजिक दोनों ही बिगड़ती जा रही है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अकाल के लिये ऐसे स्थायी हल निकाले कि जिससे अकाल का स्थायी हल निकल सके। अभी हमारे बजट में भी जो जिक्र किया गया है उससे भी कुछ मास्टर प्लान वगैरह की व्यवस्था का जिक्र किया है लेकिन इस तरह की कोई ठोस बात उसमें नजर नहीं आती है कि जिससे यह समझा जा सके कि हमने अकाल से बचने के लिये हमेशा के लिये योजना बना ली है। करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी हमारे यहां पर अकाल की समस्या यों की यों ही बनी हुई है। अभी भी हमारे यहां के बुढ़े बुजुर्ग यह बात करते हैं अकाल के बारे में कि 56 का अकाल बहुत ही भयंकर था उसमें काफी लोग भूख से मरे थे लेकिन उस जमाने में अनाज था पर लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिये भूख से मरे। लेकिन अब का अकाल 56 से भी अधिक भयंकर है क्योंकि उस वक्त पैसा नहीं था और अनाज पर अब लोगों के पास न तो पैसा ही अनाज खरीदने के लिये और नहीं अनाज ही है। इस साल ढबल मार हुई है। अनाज नहीं है और लोगों के पास खरीदने के लिये पैसा नहीं है। मैं खास तौर से उस इलाके के लिये, उस एरिया के बारे में कहना चाहता हूं, चूरू जिला है, बीकानेर जिला है। इस एरिया के गांवों में जितनी अकाल की भयंकर स्थिति है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी उम्र में हमने उस एरिया में नहीं देखा है ऐसा भयंकर अकाल। खाने के लिये दो-दो तीन-तीन दिन तक रोटी नहीं मिलती और अनाज खरीदने के लिये पैसा नहीं। 150 रुपये क्विन्टल का बाजरा हो गया, वह लोग कैसे खरीदेंगे? यह हालत लोगों की इस बार अकाल के कारण हुई है। मेरा आप से निवेदन करना है राजस्थान सरकार को चाहिये कि रोजाना लोग अकाल से परेशान होते हैं, काश्तकार दुःखी हो जाते हैं, उनको और उनके पशुओं को बचाने के लिये कोई न कोई रास्ता निकालें। माननीय सदस्य भी जिक्र कर रहे थे और पर्सनली मैंने भी कहा है, भारत सरकार भी कहती है कि आपको उत्पादित कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये लेकिन राजस्थान सरकार मिट्टी में पैसा फेंकती है, सड़कों पर फेंकती है और दूसरे साल वे सड़कें वहां नहीं रहती हैं। इसलिये आपको चाहिये कि उत्पादक कार्य आप अपने हाथ में लें और उसके लिये कार्यक्रम बनायें। सिद्धमुख कैनाल का काम आपके पास है। इस कार्य से एक तो लोगों को पीने के लिये पानी मिलता है और दूसरा इर्रिगेशन के लिये पानी मिलता है। आपने

(श्री रावतराम).

इसको भी हाथ में नहीं लिया है। ट्यूबवेल के कार्य भी उत्पादक कार्यों में आते हैं। दूसरे ऐसे ही उत्पादक कार्य आ सकते हैं जिनको आपने हाथ में नहीं लिया और उस ओर ध्यान नहीं दिया है। पालियामेन्ट में भी सवाल उठते हैं कि राजस्थान सरकार उत्पादक कार्य अपने हाथ में नहीं लेती है। यदि आपको लोगों को अकाल से बचाना है और खास कर चूरू और बीकानेर डिविजन को अकाल से और भूखमरी से बचाना है तो आपको इसके लिये विशेष कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपने केवल इस साल रिलीफ दे दी और आगे धीरे-धीरे काम करेंगे तो अगले साल बाद फिर अकाल रहेगा और वही हालत रहेगी जो आज है और जैसा हम रोजाना हाउस में कहते आये हैं वैसी ही स्थिति हो जावेगी। उस इलाके को पानी देना चाहते हैं इरिगेशन और पीने के लिये एवं पशुओं से ज्यादा फायदा उठा सकें इनके लिये कोई न कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिये जिससे अकाल से छुटकारा पा सकें।

इसके अलावा माननीय सभापतिजी, इस बजट में यह भी कहा गया है कि राजस्थान बांध की योजना समाप्त होगी तब तक बहुत कार्य छिड़ जावेंगे। 854 करोड़ का इतना खर्चा सामने है, आर्थिक स्थिति खराब है उस हालत में भी इस बजट को ऐसा बनाने की कोशिश की गई है, प्रोग्रेसिव बजट दिखाने की कोशिश की है, इससे अधिक बजट रख भी नहीं सकते थे। भारत सरकार का सारा खर्चा है और भारत सरकार को इसको राइट ऑफ करने के लिये भी कह सकते हैं। स्टेट पर जो बजट है, वह समाप्त हो जावेगा।

इसके अलावा सभापति महोदय, अकाल के बारे में, फेमीन के बारे में जो काम चलते हैं उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि काफी मात्रा में आपने काम-धन्धे चला दिये हैं लेकिन अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही है। क्योंकि प्रोपर चैकिंग नहीं होने से वह नहीं हो पाते हैं। मजदूरों की मजदूरी की रेट भी बढ़ा दी है और डबल मजदूरी कर दी है। 70 पर्सेन्ट के हिसाब से पेमेन्ट मजदूरी का करने के आदेश दिये गये हैं। यह अच्छा काम किया है। हाउस में चर्चा होती है और हम जब मौके पर जाते हैं तो देखते हैं कि 40-50 पर्सेन्ट तक ही पेमेन्ट होता है। 15 दिन तक काम करते हैं तो 10 रुपये का पेमेन्ट होता है। दस रुपये का छः किलो अनाज आता है। गांवों में दो पार्टीज होती हैं। ओवरसीयर, इन्सपेक्टर, जो रोड साइड पर काम करते हैं, ऐसी हालत पैदा करते हैं कि एक जगह उतने ही काम का डबल पेमेन्ट हो जाता है और दूसरी जगह उतने ही काम का दस पर्सेन्ट हो पेमेन्ट होता है। उसके लिये जिला हैडक्वार्टर पर जाएं और एक्स.ई.एन. को लेजा कर बतायें तब जाकर दुबारा सुनवाई होती है। इसलिये प्रोपर चैकिंग होना चाहिये और नहीं होता है तो जितना आपने काम करवाया है लोगों को रिलीफ मिलना चाहिये, लोगों के दिमाग में यह हो रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिये प्रोपर चैकिंग की आवश्यकता है। जिनके साथ में अनजस्टिस होता है उनको आपको बचाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

माननीय सभापतिजी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। इस बजट में पीने के पानी के लिये काफी कुछ कहा गया है और

(श्री रावतराम)

यह बात सही भी है कि पिछले साल रूरल एरिया में पीने के पानी के लिये काफी काम हुआ है। काफी स्कीमें मन्जूर हुई। पहला साल था राजस्थान में काफी मात्रा में रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम गांवों में चालू हुई। इस साल भी हुई है। रेगिस्तानी एरिया है जहां खारे पानी के गांव हैं वहां पर इसके लिये प्रायोरिटी देना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें।

श्री रावतराम : जहां ज्यादा जरूरत है वहां सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिये और उस प्रायोरिटी के हिसाब से मैं यह समझता हूं कि चूरू जिला और बीकानेर जिला, इन दोनों जिलों में पीने के पानी के लिये प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। चूरू जिले में, इसके लिये बताना चाहता हूं कि वहां कुए नहीं हैं इसलिये नहीं हैं और लोग नहीं बनाते हैं कि वहां बिलकुल खारा पानी है। सुजानगढ़ के गांव का नाम लेता हूं। अरना गांव हैं वहां लोग इसलिये कुआ नहीं बनाते कि वहां पर कुआ बनाने से कोई लाभ नहीं क्योंकि वहां पर बिलकुल खारा पानी है। लोग बनाते नहीं। इसलिये ऐसे कामों को प्रायोरिटी देना चाहिये और यह जरूरी भी है।

इस बजट में यह भी बताया गया है कि कुछ डेयरीज चलाने के बारे में कार्यक्रम है। इन्डियन डेयरी कार्पोरेशन के अन्तर्गत नागौर जिले में डेयरी प्लान्ट स्थापित किये गये हैं। वित्त मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि चूरू जिले में भी काफी पशु धन है और दूध का प्रोडक्शन भी वहां पर काफी होता है इसलिये दूध के मामले में भी चूरू जिले को रखा जाय तो काफी लाभ मिलेगा।

क्योंकि आवागमन के लिहाज से और दूरी के लिहाज से भी चूरू जिला दिल्ली से जुड़ा हुआ है इसलिये इस डेयरी प्लान्ट के मामले में चूरू जिले को भी शामिल कर लिया जावे तो वहां के लोगों को रिलीफ मिलेगा तथा अकाल के समय में भी राहत मिलेगी। यह भी अकालग्रस्त एरिया है। आये साल अकाल की चपेट में आता रहता है। पशुधन ही वहां अधिकांश में व्यवसाय का साधन है। दूध भी काफी होता है।

इसके अलावा माननीय सभापतिजी, इस बजट में दलित वर्ग के लोगों के लिये काफी कहा गया पर यह तो हर बजट में कहा जाता है। इसमें एक बात विशेष दिखाई देती है और वह यह है कि जहां-जहां आपकी पानी की योजनाएं चल रही हैं वहां हरिजन बस्तियों में और कस्बों में हरिजन बस्तियों को भी इसमें शामिल किया जावेगा और बिजली भी पहले हरिजन मोहल्लों में दी जावेगी। इसके अलावा कोई खास योजना मुझे तो लगी नहीं।

मेरा ऐसा सोचना है कि अलग से पाइप लाइन हरिजन बस्तियों में देने की आवश्यकता नहीं है। आप तो यह प्रबन्ध करें कि जहां पानी की योजनाएं हों वहां सबसे पहले हरिजन बस्तियों को कवर किया जाय। यही बिजली के लिये करें। पर फिर भी आपने अलग से कुछ प्रावधान किया है कि इतना पैसा पानी की योजनाओं के लिये और कुछ पैसा बिजली लगाने के लिये अलग से रखा है। इसका स्वागत

(श्री रावतराम)

तो करता हूं। पर साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे जो लाभ हरिजनों को मिलना चाहिये वह नहीं मिलने वाला है क्योंकि आलरेडी हरिजनों की आर्थिक स्थिति पहले से अधिक गिर चुकी है। इस रियायत का लाभ उठाने की स्थिति में वे आज नहीं रहे हैं।

इसके लिये तो इस बजट में हम यह उम्मीद करते थे कि ग्रामोद्योगों के लिये इसमें कुछ किया जावेगा। आज गांवों के हाथ उद्योग समाप्त हो जाने से हरिजन की हालत खराब हो गई है। पुरातन उद्योग धन्धे–जूते बनाना, चमड़ा कमाना आदि का जो था वह समाप्त हो गया है। उनके पास सिवाय मजदूरो के और कोई उद्योग नहीं रह गया है। मजदूरी या तो वहां खेतों में करें या अपने गांवों को छोड़कर दूर शहरों में जाकर मजदूरी करें इसके सिवाय आज उनके लिये कोई रास्ता नहीं रह गया है।

आपने उद्योग-धन्धों के नाम पर लाखों रुपया दिया होगा। करोडों रुपयों की सहायता दी होगी पर उन लोगों के लिये आजकल आप ने कुछ नहीं सोचा है। आज अगर सबसे अधिक नुकसान गांवों में किसी वर्ग का हुआ है तो इन हाथ से काम करने वाले वर्गों का हुआ है। हाथ उद्योग लुप्त प्रायः हो गया है। इसे आप पुनः जीवित करें ताकि इन हरिजन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। नहीं तो आज उनका क्या है, या तो किसी काश्तकार के खेतों में जाकर लेबर का काम करें। या चेजे आदि का काम करें या अपना गांव छोड़ कर बाहर चले जावें रोजी-रोटी की तलाश में, मजदूरी की तलाश में। तो आपने ओरिजिनल गांवों के लोगों के लिये आपने कुछ नहीं दिया। उनके पुराने उद्योग-धन्धों को पुनर्जीवित आप करें। इस दृष्टि से गांवों के पिछड़े लोगों के लिये आपके इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। पानी, बिजली जरूर आपने दिया है। पर कोरी पानी बिजली से वे क्या करें, जबकि आजीविका के उनके साधन लुप्त हो गये हैं। फिर बिजली का भी क्या है कि खम्भा लग गया तो बल्ब नहीं लगता। पंचायत समिति कहती है कि इसके लिये प्रोवीजन उसके पास नहीं है। बिजली विभाग कहता है कि जब तक पहले का आउटस्टेंडिंग है तब तक नये बल्ब वे नहीं लगावेंगे। तो आज राजस्थान के गरीब हरिजन लोगों की आर्थिक हालत खराब है। उसको सुधारने के लिये आप कोई ठोस कार्यक्रम बनावें पुराने गांवों के उद्योगों को पुनर्जीवित करके।

उनकी नौकरियों का सवाल आता है। 28 पर्सेन्ट की आपने व्यवस्था जरूर की है। पर अधिकारी लोग करते नहीं उसका पालन ईमानदारी से। आप आदेश दे देते हैं पर उन लोगों ने रास्ते निकाल रखे हैं। आप उस रास्ते को पकड़ ही नहीं पाते। न इन जगहों का एडवर्टाइजमेन्ट होता है न मालूम ही पड़ता है कि किस विभाग में कितनी जगह कब खाली होती है। यदि पांच खाली जगह होगी तो उनमें से तीन का हवाला देंगे। फिर दो निकालेंगे, फिर एक निकालेंगे। इस तरह नहीं मालूम होने से यह 28 पर्सेन्ट की बात वैसे ही धरी रह जाती है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि हरिजनों के हित के लिये इस नौकरी के दिलाने में जो

(श्री रावतराम)

तरीका है वह ठीक किया जावे और उनके पुराने उद्योग-धन्धों को पुनर्जीवित किया जाय और इसके लिये स्पेशल व्यवस्था की जावे। नहीं तो खेत उनके पास हैं नहीं, वे धीरे-धीरे लेबर में परिवर्तित होते जा रहे हैं और अपने गांव छोड़ कर मजदूरी जहां मिलती है उन शहरों की ओर भागे जा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको काफी समय दिया जा चुका है। जिन बातों पर आप बोल रहे हैं, उन पर डिमाण्ड पर बोल नहीं पाये। अब समाप्त करें।

श्री रावतराम : गांवों में जितनी बिजली हमारे डेजर्ट इलाकों में मिलनी चाहिये, नहीं मिल रही है। अगले साल के बजट में एक हजार गांवों को बिजली देने का प्रावधान है। पर खेद है कि इस मामले में चूरू जिले के साथ काफी अन्याय किया जा रहा है। इसमें एक टैक्निकल कठिनाई आ रही है। आपने नियम बना रखा है कि जहां बिजली जाय वहां 15 परसेन्ट रिटर्न मिलना चाहिये कम से कम। यह 15 परसेन्ट आप जयपुर सरीखे शहर में ले सकते हैं, आसपास में मिल सकता है पर चूरू जैसे डेजर्ट एरिया में इस नियम में ढ़ील देनी होगी, डेजर्ट एरिया के लिये इसे आप आठ परसेन्ट या दस परसेन्ट रखेंगे तभी हमारे इलाकों को बिजली मिलेगी। वहां इस दृष्टिकोण से आप सर्वे करावें।

आपस में बातें करते हैं माननीय सदस्य इससे पता नहीं चलता मेरी बातें सरकार तक पहुंच रही है या नहीं। खास तौर से सुमित्राजी। दूसरों की बातें नहीं सुनना चाहती।

श्री सभापति : आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें तो आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्रीमती सुमित्रा : मैं तो मदद कर रही हूं आपकी।

श्री रावतराम : तो जयपुर और इसके आसपास के इलाकों जितनी आमदनी तो उस डेजर्ट इलाके से नहीं हो सकती। पर हमें बिजली की निहायत जरूरत है इरिगेशन के मामलों में। हमारे वहां तीन-तीन सौ फीट गहरे कुओं से पानी निकालने की समस्या है। काफी नीचे पानी मिलता है तो इसके लिये हमें बिजली दिखाई जावे चाहे उसका रिटर्न आपको कम मिले। क्योंकि यह एरिया रेगिस्तानी है और दूर-दूर तक वीरान सा है। लाइनें आपको लम्बी ले जानी पड़ती हैं। तो जयपुर, भरतपुर आदि दूसरे जिलों जैसी आशा तो रिटर्न की यहां से नहीं करनी चाहिये। आप आठ-दस परसेन्ट का रिटर्न का नियम यहां लागू करें तो चुरू जिला भी आगे आ सकता है। और वहां गांवों का बिजलीकरण हो सकता है।

इतनी बात कहकर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरलाल !

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ घटनाओं के बारे में, शान्ति व्यवस्था के बारे में पाली में क्या हुआ, निवाई में क्या हुआ

(श्री मनोहरलाल)

और विधान सभा के बाहर माननीय सदस्य के साथ क्या हुआ, उनकी अशान्ति और असुरक्षा की भावना, यह सब के दिमाग में है। सभापति महोदय, इस समाज में सभी लोगों ने मिलकर जिस सरकार की स्थापना की उसके पीछे एक उद्देश्य है कि सबसे पहले सरकार का काम जनता की सुरक्षा करना होगा लेकिन जिन्होंने सरकार की स्थापना की, इस खयाल को बल दिया, इस खयाल को बढ़ावा दिया और आज भी कहते हैं समाज व्यवस्था में सरकार का स्थान है और सरकार रहनी चाहिये-जनता की सुरक्षा के लिये। कई बार विधान सभा में यह प्रश्न आता है, सभी दलों की तरफ से दिये जाते हैं हत्या हो गई। स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिये जाते है, चर्चाएं होती हैं, बयान होते हैं, उसको मार दिया, बड़ी भंयकर बात हो गई। एक तरफ तो लोग जब हत्यायें होती हैं, चिल्लाते हैं। सरकार भी हत्याओं को गंभीर रूप में लेती है तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हत्यायें चाहे कांग्रेसी की हो, चाहे जन संघी की और चाहे कम्यूनिस्ट की हो, हत्या अपने आप में हत्या है और इसलिये अगर हमने हत्याओं को नहीं रोका, हत्यारों को बढ़ावा दिया तो एक सिलसिला है जो हत्यायें करता है और कराता है, हत्यारों को मदद देता है वही चीज उस पर लागू हो जाती है तो समाज में सबसे ज्यादा जो भयंकर अपराध माना है और दो अपराध भयंकर माने हैं सभापति महोदय, एक हत्या का और एक बलात्कार का। इन दोनों अपराधों को जो बढ़ावा देता है, इन दोनों अपराधियों को नहीं रोकते है वे दोनों ही अपराधों को बढ़ावा देने वाले हैं।

मैं सभापति महोदय, निवेदन करूं वे शासन में बैठने के अधिकारी नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा सभापति महोदय, आज से सात साल पहले 25 अप्रेल, 66 को भरतपुर में एक हत्या हुई। सभापति महोदय एक व्यक्ति भरतपुर में है, उसका नाम विजय बहादुर गौड़ है। एक बच्चा है अखबार निकाला करता था और वह लिखा करता था इस सरकार को गोलियों से ठीक किया जा सकता है, इस सरकार के नेताओं को गोलियों से ठीक किया जा सकता है। मानसिक परेशानी थी या क्या बात थी लेकिन हर चीज का इलाज गोलियों से किया करता था। उनकी जबान थी, हमने विरोध किया। हम भी कांग्रेस के खिलाफ हैं, आज भी हैं-दोनों हैं। हम नाराज थे और कहा करते थे गोलियों की बात मत करो। चुनाव से लड़ कर करो, जनतन्त्र में गोलियों की बात मत करो नाराजगी थी, चूंकि हम भी विरोधी थे। सरकार के अधिकारियों ने उसे उकसाया, 19 अप्रेल, 66 की शाम को भरतपुर के शहर में उसी हत्यारे ने गोली मार कर हत्या कर दी। राजस्थान सरकार ने मुकदमा चलाया। मैं सभापति महोदय, निवेदन करूंगा, राजस्थान की ही सरकार ने मुकदमा चलाया। हत्यारे को आजीवन कारावास हुआ। राजस्थान सरकार ने पर्याप्त नहीं माना और यह कहा हत्या पूर्व नियोजित है। इसमें अधिकारी शामिल हैं, इसमें कुछ मनचले नेता शामिल हैं और जानबूझ कर षड़यन्त्र करने की बात है। इसलिये राजस्थान सरकार ने फैसला किया, अपील हुई, सजा बढ़ाई जाय। राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की और नतीजा यह हुआ है

(श्री मनोहरलाल)

राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय में यह माना कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी इसलिये इसको सजा कम मिली और उसको मृत्यु दण्ड में बदल दिया गया। राजस्थान सरकार से उस हत्यारे को मृत्यु दण्ड मिला। सभापति महोदय, उस फैसले को अपील बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दण्ड को बहाल रखा और अपील रद्द कर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरा भाई मरेगा, मेरे गांव का आदमी मरेगा। मुझे मालूम है, जोधपुर में बैठने वाले, उदयपुर में बैठने वाले यह नहीं जानते हत्या किसने की और कैसे हुई। समुचित बात को नहीं देखी। बहुत से विधायकों ने जाने-अनजाने में दस्तखत कर दिये। मैं कहता हूं 30-35 विधायकों ने जाने अनजाने में लिख दिया और उसको मृत्यु दण्ड से छोड़ दिया गया। अब हालत यह है कि उसको जैल से छोड़ना चाहते हैं। इस सरकार को गोली से ही ठीक किया जा सकता है और फिर उसको मृत्यु दण्ड से बचाया गया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। विधायकों ने अनजाने में दस्तखत कर दिये। मैं यह जानना चाहता हूं 30-35 विधायक एक अन्याय करने को बचा सकते हैं लेकिन 117 विधायकों ने दस्तखत किये हैं....

श्री दीपंकर : गलती से किये हैं, बहका करके।

श्री मनोहरलाल : मैं विधायकों की बात कह रहा हूं। आप अन्याय कर सकते हैं। विधायकों के दस्तखतों से जाने अनजाने में लेकिन जान बूझकर 125 विधायक दस्तखत करते हैं-- हाईकोर्ट के लिये। मैं इस विषय को नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, मृत्यु दण्ड माना और मैं यह पूछना चाहता हूं प्रोबेशन ऑफिसर को लगाया गया सजा कम दी जाय। आज समाज इतना बड़ा है उसको तो सुधार नहीं सकते यहां चर्चा होती है जैलों का सुधार करें। मैं पूछना चाहता हूं लोगों की हालत जो इस समाज में रहते हैं, उनकी हालत जैलियों से ज्यादा बदतर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस विषय को इसलिये पूछना चाहता हूं, हत्या की जाती है, हत्यायें होती है और लोग मदद करते हैं। खुद की पार्टी का आदमी मारा जाता है तो लोग कहते हैं जुल्म हो गया, अन्याय हो गया। हत्या सबकी एक सी है। आज एक बात फिर चलाई जा रही है उसके कोई भाई नहीं है। विजय बहादुर इसको जैल से छोड़ दिया जाय। डाकू बलात्कारी उनका कोई भाई होगा मैं निवेदन करूं, उसका एक बड़ा भाई मौजूद है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप कहना क्या चाहते हैं एप्रोप्रियेशन बिल पर?

श्री मनोहरलाल : मैं यह कहना चाहता हूं शान्ति व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं। यह सरकार हत्यारों को बढ़ावा देना चाहती है। पुलिस के अधिकारी बड़े-बड़े अधिकारी इन षड्यन्त्रों में काम करते हैं। पाली में करंट लगाकर मारा। पुलिस हत्या और डकैतों को बन्द करने के लिये नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उस केस को मैं उठा सकता हूं, नियमों में भी है और मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप कह सकते हैं मैंने यह नहीं कहा आप उठा नहीं सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज इस एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर आप कुछ और प्रकाश डालें तो ठीक रहेगा।

श्री मनोहरलाल : मैं यह कहना चाहता हूं एप्रोप्रियेशन में नहीं बल्कि मिस एप्रोप्रियेशन में जाता हूं। ऐसे अधिकारी रखे जाते हैं जो हत्याओं को बढ़ावा देता है और माफी दिलवा देते हैं और फिर हत्याओं के लिये साजिश करते हैं। हत्यायें कीजिये तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं इस सम्बन्ध में उस हत्यारे को छोड़ दीजिये, बढ़ावा दीजिये। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका नम्बर भी आ जायगा जितने और हैं, औरों का नम्बर आ जायगा—सबका आ जायगा। उस हत्यारे के पास पाइन्ट 38 बोर की रिवोल्वर कहां से आई। सब जानते हैं वह कहीं ऐसे वैसे नहीं मिलती है। अब वह किसने भेजी, उस बात की जांच आज तक मुकदमे में नहीं हुई है। मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि हत्यारों को आप छोड़ें मत छोड़ें यह काम आपका है लेकिन जनता की भावना, उसके घर वालों की भावना को देखकर, उसकी पत्नी की भावनाओं को देखकर, उसकी मातृ भावना को देखकर, उस इलाके के लोगों की भावनाओं को देखकर फैसला लेना चाहिए था कि मृत्यु दण्ड से कैसे छोड़ा जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं दो मिनट में ही समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदय, 38 पाइन्ट बोर की रिवाल्वर थी और जब अधिकारी जानते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए सी.बी.आई. से और मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं वह बहुत कहते हैं कि हमारे शासन में ईमानदारी है, वह बतायें कि 38 पाइन्ट की रिवाल्वर कहां से आई, किसके पास से आई ?

इसके बाद एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, भरतपुर के बारे में भरतपुर को विकसित जिला मान लिया गया है। उद्योगों के मामले में कहते हैं कि भरतपुर का विकास बहुत हो चुका है, भरतपुर में अब तरक्की की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है इसलिए कि बिड़ला ने वहां पर कारखाना लगा दिया। रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना खोल दिया उससे कहते हैं कि भरतपुर में बहुत विकास हो गया। ऐसे तो हिन्दुस्तान की गरीबी मिट गयी। कैसे मिट गयी कि यहां पर बिड़ला रहते हैं, टाटा रहते हैं। अगर इसी से इलाके को नापते हैं, अगर उनके रहने से ही भारत की तरक्की हो गयी तो फिर क्यों गरीबी हटाओ का नारा लगाते हो। जब एक कारखाना लगने से भरतपुर की तरक्की हो गयी तो मैं समझता हूं कि यह कोई दृष्टिकोण स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस बात का विरोधी नहीं कि किस जिले में क्या हो। सब जिलों में काम करने चाहिए लेकिन यह मानकर चलना कि भरतपुर का विकास हो चुका और यहां अब उद्योग धंधे नहीं लगें, इसका मैं विरोधी हूं।

एक बात सभापति महोदय, छूआछूत के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इलाके में खास तौर से यह समस्या है और वैसी सभी जगह होगी। मेरे यहां इसका बहुत

(श्री मनोहरलाल)

ओर है । 25 साल के बाद भी वित्त मंत्री जी कर रहे थे अपना मुकाबला राजाओं से और कह रहे थे कि हमने यह काम किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपना राजाओं से कैसे मुकाबला करते हैं? उस समय विज्ञान नहीं था, उस समय लोग पाखण्ड में ज्यादा विश्वास करते थे, आज तो आप समाजवादी हो, आज तो आप प्रगतिशील हो, धर्म निर्पेक्ष शासन में विश्वास करते हो। आज भी आजादी के 25 साल बाद छूआछूत चलती है, लोगों को कुओं पर नहीं चढ़ने दिया जाता, मन्दिरों में नहीं घुसने दिया जाता और लोगों को आजादी से अपने धर्म पालने की छूट नहीं मिलती। सभापति महोदय, इस छूआछूत के सम्बन्ध में मैं सरकार की निन्दा करना चाहूंगा कि छूआछूत को मिटाने में सरकार असफल रही है और इस सम्बन्ध में किसी ने सफलता प्राप्त की है तो वह आज की होटल है। आप वहां जाइये हर आदमी बिना छूआछूत के वहां चला जाता है। वही समाजवादी है। वह छूआछूत मिटाने का काम होटलों में कर रहे हैं लेकिन यह सरकार होटल से भी ज्यादा निकम्मी साबित हुई है। वह छूआछूत मिटाने में कोई प्रयास नहीं करती और इसमें मदद नहीं करती।

इसके साथ ही सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां नगरपालिका नल लगायेगी और बिजली लगायेगी अछूतों के मोहल्लों में। वहां पर लट्ठे लगे हुए हैं लेकिन उन पर तार नहीं हैं। अछूतों के मोहल्लों में, हरिजनों के मोहल्लों में लट्ठे गाड़ दिये कि वोट दो बल्ब लगेंगे लेकिन उनमें तार नहीं लगे, बल्ब नहीं लगे। पहाड़ी में भी यही हाल है कि वहां पर लट्ठे पटक दिये गये लेकिन न वह लगे और न तार लगे। लोग ठोकरें खा रहे हैं, अछूत तमाशा देख रहे हैं कि लट्ठे लगेंगे और बिजली आयेगी। इसके बाद सभापति महोदय, मैं नावां गया था और वहां हरिजनों ने, रेगरों ने, बलाइयों ने अपने पैसों को जोड़ कर आम रास्ते पर नल लगवाया है। उसका पैसा वह खुद अपनी जेब से भरते हैं। वहां पर आम रास्ते पर जमीन नगरपालिका ने पैसा लेकर दी है और वहां पर उन्होंने नल लगाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री दीपंकर : नागौर जिले की क्या बात करते हैं।

श्री मनोहरलाल : मैं नावां की बात कर रहा हूं। आप बीच में क्यों बोलते हैं? अगर गलत हुआ तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। नावां में आम रास्ते में नल लगा है और उस नल का हरिजन लोग पेमेन्ट करते हैं।

श्री दीपंकर : पॉइन्ट आफ ऑर्डर सर! बात तो छोटी सी कहनी है और गालियां और निकालना चाहते हैं।

श्री मनोहरलाल : मुझे कहें या नहीं यह बतादूं आपको। मेरे नेता महोदय क्या बतायेंगे, मैं ही आपको पढ़ा दूं।

श्री सभापति : वह इजाजत नहीं देंगे। आप समाप्त कीजिये।

श्री मनोहरलाल : सभापति महोदय, रेगिस्तान में विकास को, रेगिस्तान को

(श्री मनोहरलाल)

पानी मिले, वहां खेत लहलहायें, हमारी उनके साथ हमदर्दी है लेकिन कोई यह कहे कि रेगिस्तान पिछड़ा हुआ है इसलिए भरतपुर का विकास नहीं करेंगे, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक रेगिस्तान का सवाल है आप उसके लिए अलग से फण्ड्स कायम करलें, हम भरतपुर के लोग और इधर के लोग ऐसी सूरत में शोषण नहीं चाहते। रेगिस्तान के नाम पर काम तो करो नहीं और हमारा शोषण करो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम मांग करते हैं कि राजस्थान का विभाजन होना चाहिए और रेगिस्तान का अलग से विकास करने के लिए आप अधिकरण बनाओ, केन्द्र के हवाले कर दो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : श्री झावरमल !

श्री झावरमल सूण्डा (फतेहपुर) : सभापति महोदय, तृतीय वाचन पर जो बात चल रही है मैं इसमें सबसे अहम प्रश्न जो है वह समाजवादी नीतियों का सरकार कहां तक पालन कर रही है इस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा।

महात्मा गांधी जब गांवों का और शहरों का दौरा करते थे तो हरिजन बस्ती में निवास करते थे लेकिन आज चाहे हमारे मुख्य मंत्री हों, चाहे केन्द्र के गृह मंत्री हों और वह शहरों का दौरा करते हैं तो आलीशान कोठियों में निवास करते हैं। इससे साधारण कार्यकर्त्ताओं के दिलों में क्या टीस है यह रोजमर्रा अखबारों में आता है और अभी जो ताजा घटना घटी है सभापति महोदय, मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमें प्रतिक्रिया वादी कह करके पुकारा जाता है लेकिन पिछले दिनों जब इस प्रान्तीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का अरड़ावता में दीक्षान्त समारोह हुआ, सरला बिड़ला और दूसरे जो उनके हस्बेण्ड थे उनके सम्मुख यह स्वीकार किया एलानिया कि हम तो बिड़ला परिवार के गुलाम हैं और यह कह कर 2 लाख रुपये ले लिए। सभापति महोदय, हमारे बड़े से बड़े या कनिष्ट से कनिष्ट सदस्य का अगर कहीं इस तरह का बयान है तो आप जाहिर कर दीजिये। मैं कहता हूं जिस सरकार के कोषाध्यक्ष सरे आम पूंजीपतियों का गुलाम कहे और फिर उनकी बात को पुष्ट करने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वयं जायें और वह भी बिड़ला उस धन के मुकाबले में सरकार को और धन देने का वादा करें, किन के लिए सभापति महोदय, जिन्होंने मध्यावधि चुनावों में बिड़ला के पक्ष में काम किया, प्रचार किया और उनको पुरस्कार स्वरूप अकाल सहायता के नाम पर पैसा दिया जाये और उस पैसे की मेरे पास लिस्ट है उन्हीं लोगों को पैसा दिया गया है अकाल के नाम पर जिन्होंने बिड़लाजी का समर्थन किया था और अगर अकाल के नाम पर....

श्री मोहर्रासह : आपने किस का समर्थन किया था ?

श्री झावरमल : हमने समर्थन किया था वह तो सर्वविदित है।

श्री चन्दनमल वैद : मध्यावधि चुनावों में आपका और आपके नेता कुम्भाराम ने बिड़ला का समर्थन किया था फिर उसके नाम पर क्यों परेशान हो रहे हो।

श्री झाबरमल सूण्डा : हमारे वित्त मंत्री महोदय को थोड़ा भ्रम हो गया है। मैंने कभी कुम्भारामजी का जब वे बी० के० डी० में थे कभी समर्थन नहीं किया था। मैं 52 से 72 तक लगातार कांग्रेस में रहा हूं और इसलिए मेरे पर यह इल्जाम लगाना कि मैं कुम्भारामजी का समर्थक हूं, यह निहायत खराब है, वित्त मंत्रीजी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए। उनको भान नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे कहने का मकसद यह है कि अकाल के नाम पर जो सबसे ज्यादा अकाल है तो वह है मण्डावा कांस्टीट्यूएंसी में जो मेरे से लगती हुई है अलसीसर, मलसीसर पंचायत समिति में और उसकी ओर अगर ध्यान दिया जाता तो इसके बारे मे हमारी समझ में बात आ सकती थी। लेकिन इस तरह से समाजवाद के ढोल पीटने वाले, ढकोसला करने वाले और इस केबिनेट की जो मिसाल कल हमने नग्न रूप में देखी वह तो और भी भयावह है। इस केबिनेट की एक सदस्या श्रीमती कमला बेनीवाल जिन पर मुझे थोड़ा भरोसा था, सिम्बल के रूप में जिनको मैं मानता हूं, उन्होंने जिस तरह साई बाबा के सामने हाथ जोड़ कर मीरा सी तल्लीनता दिखाई मुझे अफसोस हुआ कि यह समाजवाद लाने वाली केबिनेट कितनी प्रभावी है। सभापति महोदय, हजारों कारों की कतारें और ऐसे लोग वहां मौजूद जैसे आज ही कल्याण होने वाला है उनका। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस केबिनेट के अन्दर सुधार नहीं किया गया तो यह समाजवाद लाने में तो अक्षम है ही, पिछड़ जाने वाली भी है।

श्री मुंशीलाल महावर : यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, इसमें किसी माननीय सदस्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर !

श्री चन्दनमल वैद : ये भी साई बाबा के दर्शन करने गए थे।

श्री सभापति : गये बिना कहते कैसे।

श्री झाबरमल सूण्डा : सभापति महोदय, यह तो मेरी बात से ही पता लगाया जा सकता है कि मैं किसकी कितनी इज्जत करता हूं। लेकिन दूसरा मुख्य मंत्री पर मेरा सीधा आक्षेप है और वह यह है कि बजट की डिमाण्ड के टाइम पर मैंने उन पर चार्ज लगाया था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले मुख्य मंत्री खुद भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने में लगे हुए हैं और उसका एक इन्स्टांस दिया था लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए विस्तार से बात कहनी पड़ रही है। सभापति महोदय, उनका एक गनमैन है यासीन और उसने वहां के एक किसान शम्भु जो कि लोटू का रहने वाला है उसकी भैंस....

श्री सभापति : जो आप पहले कह चुके हैं तो उसको नहीं दोहरायें और रेफरेंस के बारे में बता देवें।

श्री झाबरमल सूण्डा : सभापति महोदय, उसका जवाब नहीं दिया गया....

श्री सभापति : सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि वह हर बात का जवाब दे ही। अगर जवाब नहीं दिया है तो रेफरेंस के रूप में कह दें।

श्री झाबरमल सुण्डा : मुझे रंज हुआ कि इतनी बड़ी बात यहां पर कही गई संदन में और मुख्य मंत्री पर चार्ज लगाया उसको मुस्करा कर टाल दिया तो इससे मुझे चोट लगी और इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं ।

श्री दीपंकर : यह हमारी आदत है । फालतू बातें नहीं सुनते हम ।

श्री झाबरमल सुण्डा : सभापति महोदय, जिस तरह से उस किसान की भैंस को हमारे मुख्य मंत्रीजी के गनमैन यासीन को दिलाई गई है उसको वे भी जानते हैं । और उस भैंस के लिए उस किसान के घर पर जैसे जिहाद हो गया, सारी की सारी पंचायत समिति जिसके प्रधान थे वे भी उसमें मौजूद थे, जब गवाही का सवाल आया तो वे भी मुकर गए कि हम गवाही जाब्ते में तो नहीं दिला सकते क्यों कि वहां का जो सरपंच था वह भी एक मुसलमान है इसलिए उसका एक भी गवाह नहीं है । उनका भतीजा जिसका नाम गवाही में दिया गया था उसने भी गवाही नहीं दी जब गवाह नहीं मिल सके तो और क्या तरीका हो सकता था बराबर यहां से टेलिफोन खटके एस. पी. ने जाकर खुद जाकर निवेदन किया कि मुझे यह भैंस दान में ही दे दो क्योंकि यह मुझे मुख्य मंत्री के गनमैन को देनी है नहीं तो मुझे और भी बुरा दिन देखना पड़ेगा । अगर यह बात झूठ हो तो मण्डावर कांस्टीट्यूएंसी के जो विधायक महोदय हैं वे यहां मौजूद हों तो वे गवाही दे दें कि मैं यह तो इल्जाम लगा रहा हूं यह झूठ है कि सच है । जब यह चार्ज लगाया गया तो मुख्य मंत्री ने जांच की नहीं बल्कि उसका बचाव किया है । सभापति महोदय, जिस मुख्य मंत्री के लिए गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले के बच्चे-बच्चे के मुख पर इस प्रकार की बात आए और समाज की ऐसी मान्यता बने तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि भ्रष्टाचार को मिटा सकेंगे । उस भैंस के लिए यह कहावत है कि यह दो कांस्टेबल, एक हैड कांस्टेबल और एक थानेदार को खा गई, एक एस. पी. की तरफ मुंह बायें खड़ी है और सभापति महोदय, अगर न्याय नहीं किया गया तो वह भैंस मुख्य मंत्री को खायगी, न्याय के नाम पर ।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ासा धर्म निरपेक्षता के बारे में भी कुछ कह देना चाहता हूं जब एजूकेशन की डिमाण्ड चल रही थी, सामान्य प्रशासन की डिमाण्ड चल रही थी उस समय बार-बार आग्रह करने पर भी मुझे मौका नहीं दिया गया था मैं उस मामले में भी एक बात उससे मेल खाने वाली कहना चाहता हूं । इन्द्राजी की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने, दोनों ने आदर्श विद्या मन्दिर के ऊपर इतना जहर उगला जैसे इस बात को रोकने का भार कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पर ही है लेकिन सभापति महोदय, जो एक इस कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से जो दक्षिणी पाकिस्तान मेलापुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है और उसके लिए सतारूढ़ दल की जिम्मेदारी रही है । मेलापुर में दक्षिणी पाकिस्तान की रचना करने वाले आज यह कहें, सभापति महोदय कि छाला तो बोले पर चलनी

(व्यवधान अश्रव्य)

भी बोले जिसमें हजार छेद हो । यह कांग्रेस पार्टी और यह कम्युनिस्ट पार्टी

(श्री झाबरमल सून्डा)

मुस्लिम लीग को जिन्दा रहने की चेष्टा करे और वहां आदर्श विद्या मन्दिर पर आक्षेप करे। मुझे अफसोस है इस बात का कि स्वयं मुख्य मंत्री के कारण इस मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिल रहा है, यह मुख्य मंत्री की शह से मिल रहा है उन्होंने एक रोज यहां कहा भी था कि मुस्लिम लीग के सभापति इस वक्त सिण्डीकेटी हैं। सभापति महोदय, यहां पांच आदमियों को छोड़ कर सारे के सारे सिण्डीकेटी बैठे हैं जो अपने स्वार्थ के कारण छोड़ कर इधर उधर चले गये लेकिन चुनाव के समय वे इसलिये छोड़कर चले गये थे कि वहां उनके भाई लिकायतुल्ला के सामने चुनाव नहीं लड़ें इसलिए उन्होंने विद्रो कर लिया। आज मैं मानने को कतई तैयार नहीं कि वह मुस्लिम लीग बनी वह मुख्य मंत्री की शह के बिना बन गई ....

श्री दीपंकर : यह चार्ज झूठा है, सरासर झूठ है। चैलेन्ज करते हैं हम इसको।

श्री झाबरमल सूण्डा : आप मुख्य मंत्री को कहने दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

(निरन्तर व्यवधान अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : सभापति महोदय, एक बहुत गम्भीर चार्ज लगाया गया है मुख्य मंत्री पर। माननीय सदस्य गवर्नमेंट के खिलाफ चार्ज लगावें तो दूसरी बात है लेकिन मुख्य मंत्री के खिलाफ व्यक्तिश: इस प्रकार जहर उगालना और इस प्रकार गम्भीर आरोप लगाना, पूरे राजस्थान की जनता ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान की जनता जानती है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : यह बहुत आपत्तिजनक है सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : नहीं सभापति महोदय, गवर्नमेंट के खिलाफ चार्ज लगाये अपोजीशन के मेम्बर गवर्नमेंन्ट के बारे में कह सकते हैं, गवर्नमेंट की पालिसी को क्रिटीसाइज कर सकते हैं लेकिन मुख्य मंत्री पर व्यक्तिश: इस प्रकार परसनल चार्ज लगाना ठीक बात नहीं है

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर।

श्री झाबरमल सूण्डा : मैंने इस बात पर ज्यादा जोर इसलिए दिया कि इस देश के अन्दर, इस प्रान्त के अन्दर अगर दो बड़ी जमातें हैं तो एक है हिन्दु और दूसरे मुसलमान। सभापति महोदय, जब हम इण्डो रश्या संगठन कायम कर सकते हैं, परिषद् कायम कर सकते हैं, रशिया और हिन्दुस्तान एक दूसरे की बात को समझने के लिए। तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी बात को जैसा कल नागौर में हुआ है। परसों दूसरी जगह पर होगा। एक लड़का जो कि मुसलमान है हिन्दु लड़की को छेड़ देता है तो उसमें हिन्दु-मुस्लिम राईट हो जावे, एक

(श्री झाबरमल सुन्डा)

मुस्लिम लड़का एक हिन्दु लड़के का खून कर दे तो उसमें हिन्दु मुस्लिम राईट हो जावे। मैं यह कहता हूं कि हिन्दुओं और मुसलमानों को इस देश में रहना है न हिन्दु छोड़ कर जा सकते हैं और न मुसलमान छोड़ कर जा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिन्दु मुस्लिम एकता परिषद् कायम हो और इस तरह का हमारा मानस बनाया जावे कि हमको एक साथ रहना है और इस तरह का बवाल खड़ा नहीं करना है। वित्त मंत्रीजी ने शराब खोरी रोकने के लिए जोधपुर में एक लाख रुपया दिया कि वहां वातावरण बनायें कि जिससे शराबखोरी बन्द होवे तो एक लाख तो क्या एक करोड़ भी अगर हिन्दु-मुस्लिम एकता परिषद् के लिए दिया जाय और उसका बजट में प्रावधान किया जाय तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री **मूलचन्द सामरिया** : वित्त मंत्रीजी तो ताश की जोड़ियों के लिए पैसे दे सकते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री **सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : जनसंघ अपनी कार्यवाहियां बन्द कर दे तो हिन्दु मुस्लिम एकता तो अपने आप हो जाय।

श्री **चन्दनमल वैद** : एकाध भेंट कर दो काम आ जायेगी।

श्री **सभापति** : ऑर्डर प्लीज।

श्री **झाबरमल सुण्डा** : एक बात और कह देना चाहता हूं एजूकेशन के बारे में। मेरे को हमारे पहले के सभापति श्री ढढाजी की एक बात याद आ गई कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं, क्या और होंगे, अब आइये, हम मिलकर के विचार करें। आज इस मेटेरियलिज्म के भूत ने हमारे समाज को किस तरह से झकझोर रखा है और जिस तरह का क्रिमिनल माइण्ड हमारा बना है ठगने का, ज्यादा पैसा एक्यूमेलेट करने का, कोई भी तरीका हो. उसमें शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है। जो मेकाले की शिक्षा प्रणाली थी उसमें प्राइमरी क्लास में बच्चों के सेन्टीमेण्टस् को जगाने के लिए धार्मिक भावना उभार कर रखी जाती थी। परन्तु आज धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम इतने भयभीत हैं कि किसी भी धर्म को इतना सम्मान हमारी जो प्राइमरी की किताबें हैं, उनमें नहीं दिया गया है हम हमारे बच्चों के सेन्टीमेन्ट को मेन्टेन कर सकें, जगा सकें। सब से पहली बात यह है बच्चों के सेन्टीमेन्टस् को जगाने लिए, जाग्रत करने के लिए, कोई धार्मिक सब्जेक्ट रखा जाए। आज के मैट्रिकुलेट को अपनी आवश्यकता को समझने के लिए यह आवश्यक है। इससे आगे कॉलेज एजूकेशन, टैक्नीकल एजूकेशन में चाहे वित्त मंत्री का लड़का हो, चाहे किसी का भी लड़का हो, इस टैक्नीकल एजूकेशन में प्रवेश पाने के लिए जो तरीका पी. एम. टी. का आपने अपनाया है, डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो प्रवेश देने का तरीका अपनाया गया है वह गलत है। डाक्टरी पढ़ने के लिए वह पिछली क्लास से सक्षम है। अब उसको रोकने के लिए एक पी. एम. टी. का तरीका निकाला गया है। एक एजूकेशन की परीक्षा वह देकर आता है फिर दुबारा उसकी क्यों परीक्षा ली जाती है। यह इस तरह की कलाबाजी है कि लड़कों को रोका जाए। अगर हम अपने बच्चों को टैक्नीकल नॉलिज देना

(श्री झाबरमल सुंडा)

चाहते हैं, प्रोडक्शन में उससे सहायता लेना चाहते हैं तो यह जो तरीका निकाला गया है उसको हटा देना चाहिए। पब्लिक स्कूलों के बारे में यह महसूस किया गया है, यह माना गया है कि गांवों में भी पब्लिक स्कूल कायम किये जाएं। परन्तु गांवों में क्यों हो। गांवों में जो स्कूल हैं उनका आप इतना स्टेन्डर्ड बढ़ा दीजिए कि वह प्रतिभावान बच्चा बन सके। सिर्फ अच्छे कपड़े पहिनने, बाल संवारने की बात सिखा देना ही कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो तमीज छोड़ रहा है। सभापति महोदय, मुस्लिम काल में जो तमीज और तहजीब थी उसकी भी एक शान थी लेकिन आज इस युग में एक बड़े से बड़ा बच्चा अपने बाप की अच्छी से अच्छी बात को नहीं मानता है। अच्छी नहीं समझता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज एजूकेशन को इस तरह से बदलना चाहिए कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं उनको कायम रखा जाए। जब हम पढ़ते थे, यह पढ़ाया जाता था कि दस हजार वर्ष तक हमारी संस्कृति जिन्दा रह सकेगी इसलिए कि यह गांवों में थी। अब आज का यह एजूकेशन गांवों को तबाह कर रहा है। पंचायत समितियों की मार्फत आप जो यह एजूकेशन देने जा रहे हैं उससे प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं एक मिनिट और लूंगा। सामान्य प्रशासन के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : पहले आपने कहा है।

श्री झाबरमल सुंडा : सिर्फ एक मिनिट निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे यहां पर जो काम-काज चलाने का तरीका है, जो ढंग है उससे देरी होती है। कुछ काम ऐसा है जिसमें देरी बर्दाश्त की जा सकती है परन्तु किसी समय समय का मूल्य ज्यादा होता है। पांच रुपया किसी गाड़ी में जाने के लिए लगता है किन्तु उसी काम के लिए हम पचास रुपया खर्च कर प्लेन से जाते हैं। समय की बचत के लिए यह रुपया खर्च करते हैं। याने आज हम द्रुत-गति से आगे बढ़ रहे हैं प्रगति कर रहे हैं, परन्तु हमारी फाइलें जब ही निकलती है जबकि नीचे से नोट आ जावे। नीचे से नोट नहीं आने पर सीनियर ऑफिसर ऑर्डर नहीं देता है और इससे समय लग जाता है, देरी हो जाती है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि हम अपने किये हुए वचन से मुकर जाते हैं। मिनिस्टर जुबानी ऑर्डर देकर कोई काम करवाता है और फिर कोई गलत ऑर्डर हो गया तो मिनिस्टर उससे बचना चाहता है—इस गलत ऑर्डर के लिऐ कौन जिम्मेदार हो? तो मिनिस्टर को इसके लिए लिखित ऑर्डर करना चाहिए या फिर एक दूसरे का कान्फीडेन्स गेन करना चाहिए। मेरी खास मंशा यह है कि जो यह फाइल का सिलसिला है, हमको कोई काम करना है तो वह दस, बीस जगह जाकर होता है। हमें डाइरेक्ट एक्जीक्युशन का कोई तरीका निकालना चाहिए जिसमें कि हमारे समय की बचत हो सके। परन्तु आज पुनर्गठन के नाम पर गड़बड़ियां होती हैं।

टैक्सेज के बारे में भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं ...

श्री सभापति : कल आप सप्लीमेन्टरी पर बोल सकते हैं।

श्री झाबरमल सुण्डा : एक जनरल बात ही निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपनी आलोचना से बचने के लिए टैक्स बहुत ही कम इम्पोज किया है। वह ठीक ही है। जिस तबके के वित मंत्री आए हैं उसके अनुसार तो यह ठीक है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बजट में कोई डाइरेक्ट टैक्स वित्त मंत्री महोदय ने नहीं लगाया है....

श्री चन्दनमल वैद : अगली दफा आपकी भावनाओं का ध्यान रखूंगा।

श्री झाबरमल सुन्डा : परन्तु अध्यादेश की मारफत भी आप टैक्स लगा देते हैं। वह नहीं होना चाहिए। यह जो बजट है उससे ही आप अपना काम चलावें और कोई टैक्स नहीं लगावें।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, फोर्थ फाइव ईयर प्लान पर तीन, चार महीनों के बाद फाइनल डेलिब्रेशन होने जा रहे हैं। मैं आपकी मारफत दो तीन टैक्नीकल प्रश्न रखना चाहता हूं। प्राइस इन्डेक्स के फारमूलेशन का वेसिस वही है जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में था, यह तो हुई बात नम्बर एक। जो पर केपिटा इन्कम थी, स्टेट इन्कम थी उसको असेस करने का भी वही फारमूला है, वही पेटर्न जो कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में था। उसके बाद बहुत चेन्जैज हो गए हैं परन्तु बेसिकली इसमें तब्दीली नहीं आयी है। इसलिए मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइस इन्डेक्स के लिए जो कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज को हम लेते हैं, वह कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज हरेक कन्जूमर तक नहीं पहुँचती है। इसलिए ओपन मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करती है वह वेसिस बनाकर, उसके ऊपर प्राइस इन्डैक्स को असेस करेंगे तो एक सही तस्वीर हमारे सामने आएगी।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पर-केपिटा इन्कम कितनी है। अगर इसके लिए भी बेस ईयर 1950–51 को मानेंगे, यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि उस वक्त न तो रुपये का डीवेल्यूएशन ही हुआ था और न किसी चीज का डीवेल्यूएशन हुआ था, उस वक्त हमारे जो वेजैज थे वे सही रूप में थे।

(4.57 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इरोजन इन रियल वेजैज में नहीं था। इसलिए जो पर-केपिटा इन्कम फारमूलेट करें, केलकुलेट करें, स्टेट इन्कम को केलकुलेट करें तो इसके लिए बेस ईयर 1950–51 को ही मानें। अगर इन दोनों चीजों को फारमूलेशन में, केलकुलेशन में मान लेंगे तो हमारे राजस्थान की जो इकोनोमिक लाइफ है, जो इसका इकोनोमिक डवलपमेन्ट हुआ है उसके सही आंकड़े फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के डेलिब्रेशन में काम आएंगे।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो भाषण पिछली बार यहां पर दिया था, वह मैं नहीं सुन पाया था। अखबारों में

(श्री केदारनाथ)

जरूर इसको पढ़ा है। असेट्स के बारे में उन्होंने अपने भाषण में यहां पर कहा था। असेट्स में फर्क होगा मान्यवर ! असेट्स पर आपने कितना खर्च किया है कायम करने में, अगर उसका इन्टरेस्ट री-पे नहीं करते हैं तो उनको हम असेट्स की केटेगरी में नहीं ले सकते है।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है-एक घंटा समय बढ़ा देने के लिए।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री केदारनाथ : तो मान्यवर, वह असेट्स डेड मानी जाएगी। ये डेड असेट्स हैं। लीविंग असेट्स से मेरा मतलब यह है कि जिस असेट्स की मारफत सरप्लस मिलता है, रिटर्न मिलता है और केपिटल फारमुलेट होती हो वह असेट्स की परिभाषा में आएगी। आठ सौ करोड़ की असेट्स कायम कर दी, यह जो वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है, वह गलत है।

मान्यवर, तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यहां पर कहा है कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन को आपने मेमोरेन्डम पेश कर दिया है। मैं भी इसकी तारीफ करता हूं। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय ने जो स्पीच दी है, वित्त मंत्री महोदय ने जो स्पीच दी है कि हमने फाइनेन्स कमीशन के सामने यह प्राब्लम पेश की है। मान्यवर, पिछली बार यहां पर नेशनल केलेमिटी फंड कायम करने के बारे में चर्चा हुई थी और आपने, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस मसले को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को रख दिया है और इसको भी फाइनेन्स कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेन्स में रखा है। परन्तु मान्यवर, इतना ही काफी नहीं है। मान्यवर, इतना ही कहना काफी नहीं है कि हमारी केन्द्र की सरकार वह सारा स्पेशल वेज एण्ड मीन्स का कर्जा, जितने मिसलेनियस एडवान्सेज हैं, लोन हैं और जितने स्पेशल एकोमोडेशन का है उसको राइट ऑफ कर दें। इसके पहले, मान्यवर, तरीका यह होना चाहिए कि आयन्दा आप लोन की एजेन्सी कौनसी क्रियेट करने जा रहे हैं। अगर सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने एक डेफिनिट प्रोपोजल लेकर जाते कि राष्ट्र के आधार पर एक नेशनल लोन आर्गेनाइजेशन होना चाहिये। स्टेट की गारन्टी हो चाहे सेन्ट्रल की सरकार की गारन्टी हो वह सारे राष्ट्र के आधार पर हो। वहां पर एक्सपर्ट्स का पर्सोनल हों। जो प्रोजेक्ट्स इरिगेशन के हों जो प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी के है, जो प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स हों वह वहां पर रखें। वे प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स हों तो उनको वहां से लोन मिलेगा। यह हो तो मैं समझता हूं कि इससे काफी फायदा मिलेगा।

मान्यवर, सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने हमारी सरकार को स्टेट को यह कहना चाहिए कि जो ग्रान्ट-इन एड का एलोकेशन है 275 आर्टीकल ऑफ कान्स्टीट्यूशन के तहत उसका कुल एलोकेशन उन स्टेट्स को

(श्री केदारनाथ)

होना चाहिए जो दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में आल इण्डिया लेवल पर जो सोशियल सर्विसेज में बैकवर्ड हों, कमी हो, डिस्पैरिटी पर हों उसको मेकअप करने के लिए 275 आर्टीकल के तहत उन्हें ग्रान्ट-इन एड होना चाहिए। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि बैकवर्डनेस स्टेट की रिमूव हो तो आपको सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने सरकार के सामने यानी केन्द्र की सरकार के सामने एक डेफिनिट मजबूत स्टेण्ड लेकर चलना है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक्साइज ड्यूटी सैन्ट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है उसके बारे में सही नक्शा आपके सामने नहीं है। जो कोई भी एक्साइज ड्यूटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है उसका डिस्ट्रिब्यूशन मान्यवर, जो करती है तो स्टेट्स का हिस्सा 45 पर्सेन्ट होना चाहिए।

अगर यह तीनों बातें लेकर सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने जाते— ठीक है कि दो-एक बातें आपने रखी हैं सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने तो हमारी स्टेट की सही पिक्चर आती कि जो स्टेट में डिस्पेरिटीज हैं, जो बेकवर्ड हैं, आल इंडिया लेवल से बहुत कम हैं, उसकी सही पिक्चर आप पेश करते।

मान्यवर, मैं यह बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सामने फिफ्थ फाइव ईअर प्लान को कम्प्लीट करने के लिए, उसकी डेलिब्रेशन्स को कम्प्लीट करने के लिए समय आ रहा है। आपने घोषणा की थी प्लानिंग बोर्ड की वह कब बनेगा? उसका आपने एप्रोच पेश कर दिया। अक्तूबर, नवम्बर में होंगे उसके डेलिब्रेशन्स, केल्क्यूलेशन्स होंगे और फाइनल स्टेज पर आ जायेगा। इसके पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोजैक्ट फार्म्यूलेटिंग ब्यूरोज का कायम कर दें, और वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौनसे प्रोजैक्ट वाइबल होंगे, कौन से प्रोजैक्ट अच्छे हैं, कौन सा प्रोजैक्ट रिटर्न ज्यादा लायेगा, कौन सा प्रोजैक्ट प्रोडक्शन से वास्ता रखता है, उसकी फार्म्यूलेशन वहां पर होता और उसके बिना पर एप्रोच फिफ्थ फाइव ईअर प्लान का तैयार करना चाहिए, और स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड है, उसका नाम कुछ भी ले लें प्लानिंग कमेटी कह दें, उसमें डिसकशन के बाद अगर एप्रोच सेन्टर के पास जाता तो मेरे खयाल से काफी दिक्कतें आप दूर कर पाते। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोजैक्ट फार्म्यूलेटिंग ब्यूरोज कायम कर दें। उसका मतलब होगा कि जितने भी आपके बेकार इन्जीनियर्स हैं उनको आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि अगर आप एक लाख आदमियों को लगा दें ताकि जो प्रोडक्शन के काम हैं वे करेंगे, डेवलपमेंट के काम करेंगे, अकाल के एरिया में काम करेंगे। मैं समझता हूं कि सारे इन्जीनियर्स को आप उन ब्यूरोज में एम्प्लाय कर लेगें। स्टाइपेंड तो आप उनको देते हैं तो उनका इस्तेमाल ऐसे कर लें ताकि वे लोग लोक कन्डीशन्स को ज्यादा समझते है, उनको इन्टरेस्ट है और उस इलाके के साथ उनकी एफिनिटी है, इसलिए वह ज्यादा ग्रास्प करके आपको अच्छा प्लान पेश करेंगे। उन ब्यूरोज के मारफत जो एप्रोच आपके

(श्री केदारनाथ)

सामने आयेगा वह सही आपके राजस्थान के डेवलपमेंट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में स्कीम्स पेश करेगा।

तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिफ्थ फाइव ईअर प्लान में 600 करोड़ का एलोकेशन आपको सेन्ट्रल असिस्टेन्स से आ जायेगा, बाकी और रिसोर्सेज आप मोबिलाइज करेंगे 135 या 300 करोड़ के। स्टेट की जो मौजूदा हालत है उसमें 7 पर्सेन्ट स्टेट की इन्कम इन्क्रीज होती है। यह काफी नहीं हैं। 2.5 पर्सेन्ट तो पापुलेशन बढ़ रही है और फिर कितना बचेगा? बहुत कम बचता है। और आप कहते हैं कि हमारे राजस्थान में 50 पर्सेन्ट बिलो पावर्टी लाइन हैं तो आयन्दा 20 साल तक आल इण्डिया एवरेज के साथ नहीं मिल पायेंगे सोशियल सर्विसेज के बारे में और इकोनामिक थिंग्स के बारे में। इसलिए 7 पर्सेन्ट के बजाय 11 पर्सेन्ट करेंगे तो कहीं समस्या हल हो सकती है। इस गेप को आप फिल अप नहीं कर पाये हैं।

दूसरी बात, आखिर रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज कर पायेंगे? मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि जितनी सेल के लिए म्युनिसिपैलिटीज के पास वेकेन्ट प्लाट्स, खाली जगह पड़ी हुई है, जितनी यू. आई. टी. के पास है वह सारी नेशनेलाइज कर लें और नेशनेलाइज करने के बाद वह जमीन उन लोगों को दे दें जो कि इकोनामिकली बेकवर्ड हैं कन्सेशन रेट पर। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फोर्थ क्लास एम्प्लाईज और साधारण स्थिति के लोग हैं और बाकी को आक्शन कर दें। हरियाणे ने इसका एक्सपेरीमेंट किया है, दिल्ली ने एक डेवलपमेंट आथोरिटी कायम करके जो सरप्लस लैण्ड है अरबन उनको नेशनेलाइज कर दिया। अब क्या हो रहा है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने जमीन ले ली और जहां तहां जमीन पर एन्क्रोचमेंट कर लिया और आपके पास कोई अपने प्लोट्स नहीं मिलते हैं। तो आप इससे म्युनिसिपैलिटीज को फाइनेन्स करना चाहते हैं तो और किसी तरीके से कर दें। तो यह सारी जो ओपन लैण्ड है और जितनी आज इसकी वेल्यू हो रही है उसको सारी को नेशनेलाइज करने के बाद आप अपनी आथोरिटी कायम करते हैं और उनका आक्शन करें तो आपको उससे कम से कम करोड़ों रुपया मिल जायगा। इसका एक्सपेरीमेंट हरियाणे ने भी किया है और दिल्ली ने भी किया है।

दूसरा मेरा सुझाव है देहातों के बारे में। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राज कमेटी के बाद यह हमारे सामने आ गया कि लोग जो खेती-बाड़ी में हैं, जिनके नाम पर ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है उसका फायदा सिर्फ 5 पर्सेन्ट लोगों को मिला है। आप उनको टैक्स करने नहीं जा रहे हैं। सेन्टर ने उनका पार्शल इन्टेग्रेशन किया है। अगर एग्रीकल्चर साइड में स्पेशली राज कमेटी के बाद तो कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठाते कि राजस्थान में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इस आमदनी के लेवल के ऊपर आमदनी होती है, उनके सरप्लस को कैसे एम्प्लाय करेंगे, कैसे डेवलप करने जा रहे हैं, उनको कैसे टैक्स करने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई लफ्ज न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है, न फाइनेन्स मिनिस्टर की बजट स्पीच में है और न रिप्लाई में।

(श्री केदारनाथ)

मैं आपके मारफत निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का इस बारे में क्या स्टेण्ड है ? उसने क्या तय किया है ? मैं यह नहीं मान कर चलता हूं कि 5 पर्सेन्ट को छोड़ दें। 95 पर्सेन्ट तो इसकी एक्जैम्पशन लिमिट में आते हैं जिनके पास स्माल होल्डिंग्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वे सारे इस लेवल से नीचे आ गये। केवल वही ऊपर आयेंगे जिन्होंने कैपिटेलिस्ट फार्मिंग किया है। उन लोगों ने ही इसका पूरा फायदा उठाया है टेक्निकल नालेज का और इरिगेशन का तो इससे जो उनकी आमदनी बढ़ी है तो उसको टैक्स किया जाय।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ मान्यवर, कि एक स्कीम और भी है। आप अपने लेवल पर लोन फ्लोट कीजिये। वह इसलिये अर्ज कर रहा हूँ कि गंगानगर में एक ऐसी एजैन्सी क्रियेट कर दें कि इतना पैसा अगर इकट्ठा हो जायगा व आप इकट्ठा करके इतना पैसा दे देंगे तो हम आपके इलाके में यह प्रोजेक्ट कायम कर देंगे। इससे आपके पास काफी पैसा इकट्ठा हो जायगा क्योंकि हमारे पास सरप्लस मनी है। आप 6 पर्सेन्ट देते हैं इसलिये कम लोग आते हैं। अगर आप रेट 8-10 पर्सेन्ट कर देते हैं तो लोगों के दिलों में इन्ट्रेस्ट पैदा हो जायगा। जितना लोन दिया जा रहा है, कर्जा दिया जा रहा है वह वापिस मिल जायगा किसी न किसी प्रोजेक्ट के मारफत, इरिगेशन स्कीम हो, इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम हो सकती है, लैण्ड डेवलपमेन्ट की स्कीम हो सकती है, कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है। उनका इन्ट्रेस्ट उस इलाके की ग्रोथ में है, उनका इन्ट्रेस्ट उस इलाके की प्रोडक्शन के एनहान्समेंट से है, बढ़ाने में है। इससे उनके इलाके में एम्पलायमेन्ट के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, उनकी आमदनी बढ़ेगी और इसका लाभ बहुत बड़ा यह होगा कि उनकी इकोनामिक कन्डीशन अच्छी होगी। इसलिये आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां आपको पैसा सरप्लस मालूम होता है जहां सेविंग का रेश्यो ज्यादा है, वहां इस ढंग से 10-12 लोन फ्लोट कर सकते हैं। मद्रास में ऐसा किया गया है। वह स्कीम वहां पर बड़ी सक्सेसफुल रही है। सेन्ट्रल असिस्टेन्स 600 करोड़ को हो जाय तो इसमें काफी मिसगिविंग्स हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह डेवलपमेन्ट लोन आप डिस्ट्रिक्ट के इलाके के बेसिस पर अगर कायम करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको काफी पैसा मिलेगा।

तो मान्यवर, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं आपके एरियर्स के बारे में। आपका एरियर कितना बकाया है। जितना कर्जा आपने दिया है उसके बेड डेट्स अलग कर लीजिये। उसकी वसूली क्यों नहीं हो रही है। आप टाइटन क्यों नहीं करते हैं मशीनरी को। वह लोन चाहे पंचायतों में हो, चाहे को-आपरेटिव सोसाइटीज में हो, चाहे इन्डस्ट्रीज में हो, चाहे जनरल एजैन्सी से पैसा दिया हो। 10-12 साल की हमारे सामने राजस्थान की सही पिक्चर सामने आना चाहिये कि टैक्सेज का इतना बकाया है, लोन का इतना एरियर है। इतना लोन बैड डेट में चला गया है उसको कम करके बाकी के पैसे को इकट्ठा किया जाय। उनको पेन्डिंग मत रखिये। तभी जाकर इकानामिक स्थिति पेश होगी। मान्यवर, अन्त में यह कहता हुआ कि ओवरड्राफ्ट इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारी लाइफ पर। हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने बहुत

(श्री केदारनाथ)

मेहनत की है। उन्होंने ग्रेप करने की कोशिश की है। कुछ एरियर्स वसूल किये हैं। पहली बार इस मेमोरेण्डम के तहत राजस्थान की सही पिक्चर दिल्ली के सामने पेश की है। इसके अलावा थोड़ी कोशिश और करें। इसमें पीपुल्स पार्टिसिपेट कैसे हो। इसको उसी रास्ते से बदला गया है। इसको रिज्यूमिनिलेट करते हुए कैसा भी ग्रेप हो। मेन पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लैण्ड ग्राफ दी टिलर हैं। तो माननीय वित्त मन्त्रीजी इस बारे में रिफलेक्शन डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ग्रमृतलाल गहलोत !

श्री ग्रमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज बजट के प्रति हम ग्रन्तिम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वित्त मन्त्रीजी को बधाई देता हूं। पिछले वर्ष उन्होंने कठोर परिश्रम किया है। काफी कटौतियां की हैं। काफी काम सम्भाला है। इसलिए वह और उनके सचिव दोनों ही बधाई के पात्र हैं। एक चीज जो पहले ग्रानी चाहिए थी जिसके बारे में माननीय चौधरी साहब ने भी जिक्र किया है। ग्रॉडीटर ग्राफ कन्ट्रोलर डेटेड जनरल के वित्त लेखे 71-72 के सामने नहीं ग्राये हैं। उसके बिना कुछ भी मालूम नहीं पड़ सकता है। यह पता नहीं चल सकता है कि हमारी परिस्थितियां क्या है? दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रभी प्रोफेसर केदार ने सुझाव दिया। मुझे सुनकर ताज्जुब भी हुग्रा है और हंसी भी हुई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में वार्षिक ग्रार्थिक वृद्धि बताया है, वह 7% बतायी गई है। उसके लिए यह बताया गया है कि वह 13% होना चाहिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 7% ग्रार्थिक वृद्धि बताई है। 13% हो, तभी तो हम दूसरे राज्यों के बराबर जा सकते हैं। ताज्जुब इस बात का हुग्रा है कि पिछले 22 वर्षों में ग्रार्थिक वृद्धि 3.3% चक्रवृद्धि दर से थी। ग्रब 3 से 13 पर पहुँच जाना यह हो नहीं सकता है। सोवियत रशिया ने 5% की है। संयुक्त राज्य ग्रमेरिका ने ग्रपने तरीके से 5% की है। 13-14% तो केवल जापान कर पाया है। वह सपना ग्राप नहीं देख सकते है। जितना हमने योजनाग्रों पर खर्च किया है, उतना ही कर्जा लिया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्त तक 825 करोड़ रुपये का कर्जा हो जायेगा। ग्रगर ग्रलग-ग्रलग करेंगे तो भी वहीं पहुँच जायेंगे। एक्जैक्टली जितना हम कर्जा ले रहे हैं, वही व्यय करेंगे। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में 54 करोड़ खर्चा किया। सैकेण्ड फाइव-ईयर प्लान में 105 करोड़ किया। थर्ड में 313 करोड़ और तीन वार्षिक योजनाग्रों में 137 करोड़। चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रनुमान है कि हम 315 करोड़ खर्च करेंगे। कुल इस प्रकार 824 करोड़ तक करेंगे। 23 वर्षों में हम यह खर्चा करेंगे। जो भारत सरकार का कर्जा है, जो ग्रसैट्स लगाये हैं, वह कम हैं। इसके ग्रलावा जो फेमीन पर लगाया है, वह जोड़ दें तो बराबर हो जायेगा। जो फेमीन पर पैसा खर्च किया जाता है, वह राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। ग्राप ग्रगर ग्रपने को समाजवादी होने का दावा करते हैं, किसी भी समाजवादी राज्य की यह प्रथम ग्रावश्यकताएं हैं—भोजन, वस्त्र, ग्रावास

(श्री अमृतलाल गहलोत)

शिक्षा और दिक्षा। इनका न्यूनतम हिस्सा हर नागरिक को उपलब्ध कराया जाये। बाकी चीजें छोड़ दीजिये तो कम से कम 5½ सौ ग्राम अनाज हर नागरिक को उपलब्ध हो सके। तो मैं समझूंगा कि कल्याणकारी राज्य होगा। आज प्रदेश के नागरिक को 550 ग्राम अनाज नहीं मिल रहा है। 18 सौ कैलोरी उष्णता नहीं मिल रही है। अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी बेलेन्स्ड डाइट नहीं मिल रही है। इतना अनाज देने के लिए राहत कार्य खोले जा रहे हैं, ताकि इन्सान जिन्दा रहे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जो पैसा दिया है, वह उन्हीं का उत्तरदायित्व है। वह कर्जा नहीं है। हिन्दुस्तानी ही वह लोग भी हैं। देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। जो फेमीन पर खर्च कर किया है वह किस फण्ड से होना चाहिए। नेशनल केलोमिटी फण्ड से हो या किसी से हो। मैंने आंकड़ों को दिया है। राजस्थान में राजस्थान केनाल के अलावा सिंचाई पर 300 करोड़ रुपये का खर्चा किया है। 3 करोड़ की आमदनी होती है। भूतकाल में 3.3./' ग्रोथ हुई। अगर कठोर परिश्रम नहीं किया और अपने को नहीं सम्भाला तो 3.3% ग्रोथ को मेंण्टेन करना मुश्किल हो जायेगा। दो चीजें हैं। इन दो चीजों का कोई सब्सीट्यूट नहीं है— ईमानदारी, और कठोर परिश्रम। वित्त मन्त्रीजी बिराजे हैं। परिस्थिति कैसी है। हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर नहीं पायेंगे। 33% पावर कट कर दी है। अक्टूबर से करते तो 11./' कट हुई होती। अब यह एकदम झटका लग गया है।

उधर प्रदर्शन हो रहा है बेकार और इधर उत्पादन गिर रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमें संयमी बनना पड़ेगा, अनुशासित बनना पड़ेगा हर एक एक चीज के बारे में डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। यह नहीं कि अन्धाधुन्ध प्राजेक्ट बना दें और पैसा डम्प कर दें। डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत केन्द्र से पैसा आ रहा है, वह खर्च हो रहा है। यह नहीं सोचते कि कहां पैसा जा रहा है। जिन कन्ट्रीज ने भी डवलपमेंट किया है, वहां पर प्राजेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी की जाती है, उस डिटेल स्टडी में कई वर्ष लग जाते हैं, यह स्टडी करते हैं कि कितना रुपया लगने के बाद में कितना रिटर्न होगा। यह तमाम स्टडी हो जाती है तब प्राजेक्ट को शुरू करते हैं और उससे इकानामिक ग्रोथ होती है। इसलिए आपको चयन करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, किस सेक्टर में कितनी इकानामिक ग्रोथ हो सकती है। मेक्जिमम इकानामिक ग्रोथ जिसके अन्दर है उसको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैंने जैसे पहले कहा, सड़कों में इकानामिक ग्रोथ है, मैंने कहा, माइनिंग में इकानामिक ग्रोथ है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इन पर करते जायं तो ठीक है। प्राइमरी एजूकेशन पांच पर्सेन्ट लोएस्ट। पर-कैपिटा पावर कन्जम्पशन 50 किलोवाट घटा साल भर में। जीरो सड़कें पांच किलोमीटर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर, लोएस्ट, जब कि देश में दस है और केरल में 50। पीपुल रेश्यो राजस्थान का बारह सौ दिया है और आॅल इंडिया का पांच हजार है लोएस्ट। किसी क्षेत्र में आगे हैं तो हम गरीबी में आगे हैं। हमारे राज्य का इस साल का उत्पादन 1450 करोड़ है, और पर-कैपिटा

(श्री अमृतलाल गहलोत)

इन्कम करेन्ट प्राइस में 590, अमंग द लोएस्ट। सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं और सबसे नीचे बैठे हुए हैं। इसलिए तेजी से प्रगति करनी चाहिए। मैं यह निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को जो प्लानिंग बोर्ड बनाया है, जो पैसा जुटाया है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पहले पैसा खर्च किया है उससे उत्पादन क्या हो रहा है और नया पैसा खर्च करने जा रहे हैं, वह ऐसे प्राजैक्ट पर हो तो उत्पादन बढ़ाने वाले हों। आपको प्राडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन की परिभाषा है, प्राडक्टिविटी इज द रेश्यो ऑफ द आउटपुट एण्ड इन-पुट। आपको यह आउट-पुट बढ़ाना पड़ेगा और प्राडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके हैं, उद्योग, व्यापार और यातायात। यह नहीं किया और इकानामिक ग्रोथ के बेसिस पर नहीं किया तो कर्जा मिल जाता है, वह लगाते जायें। मैं समझता हूं कि इससे बैंक्रप्टसी में जायेंगे और इससे खराब नतीजे निकलेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि हमें एक चीज का खयाल रखना पड़ेगा। वह यह है कि प्राजैक्ट्स ऐसे हों जिनका इकानामिक रिटर्न हो। चार पांच प्राजैक्ट्स प्लान के होते हैं, एक तेजी से आर्थिक वृद्धि हो, दूसरे में यह होना चाहिए, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, रीजनल इम्बेलेंस हैं। वह नहीं हो, मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, एम्प्लायमेंट अपार्चुनिटी जनरेट हो। इसके साथ हमें देखना चाहिए कि जो इकानामिक ग्रोथ का प्रश्न है उसमें राजनैतिक दृष्टि से कोई बाधा न आये। लोकतन्त्र की कई परिभाषाएं की जाती हैं, उन कई परिभाषाओं में से एक परिभाषा यह है कि सेल्फ डिसीप्लीन हो। लोकतंत्र तभी सफल होगा, जब विधायकों में जनता में, राज्य-कर्मचारियों और अधिकारियों में सेल्फ डिसीप्लीन रहे। सेल्फ डिसीप्लीन नहीं होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं होता। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री !

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर विचार विमर्श करते वक्त आम तौर पर यह परम्परा रहती है कि कुछ नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर या ऐसे प्रश्नों पर, या ऐसे विषयों पर, जिनके ऊपर विचार-विमर्श नहीं हुआ है, वह होता है और चर्चा की जाती है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कुछ ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ जिन पर इस सदन में काफी विचार-विमर्श पहले हो चुका था, जैसे शिक्षा विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय उन चीजों का जिक्र करके नहीं लेना चाहूंगा। उन माननीय सदस्यों को, जो चीजें सदन में पूरी तरह से चर्चित की जा चुकी थीं, उन पर विचार-विमर्श करना था पहले से कट मोशन देना चाहिए था और कट मोशन देकर सदन में समय लेना चाहिए था। मैं दो चार नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर चर्चा करके आज जो विचार-विमर्श हुआ है उसका अन्त करना चाहूंगा। एक बात जो कही गई है और मुझे सचमुच इस बात का दुःख है कि हमारे इस सदन के जो विपक्षी दल के नेता हैं, बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वे कई बार

(श्री चन्दनमल वैद)

कुछ बातें कहते हैं। मैं चाहता हूँ, वे जो बातें कहते हैं, उनको ध्यान से सुनूं और जो कुछ उनका मुझसे जवाब बन पड़े वह दे सकूं। लेकिन शायद वृद्धावस्था के कारण या किसी दूसरे कारण ज्यादा देर वे ठहर नहीं सकते और चले जाते हैं और मैं जवाब देता हूं, उसके बाद दुबारा आकर वे वही बातें उठाते हैं। मेरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वे बातें कहते हैं, चूंकि माननीय सदस्य हैं, इस बात से अखबारों के जरिये जनता में वे बातें जाती हैं और मैं जवाब नहीं दूं तो ऐसा माना जाता है कि सरकार के पास जवाब नहीं है। इसलिए उस बात का एक दफा जवाब देने के बावजूद मेरा फर्ज हो जाता है कि सदन का विशेष समय लेकर, जो बातें उन्होंने कही हैं उनके बारे में चर्चा करूं।

एक बात कही गई है, खास तौर से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, हमने जो फाइनेन्स कमीशन को मेमोरेण्डम दिया था, उसमें कहा, 825 करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर होगा। उसके बाद जब मैंने बजट पेश किया, उसमें मैंने 858 रु० की राशि का उल्लेख किया है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, इतने थोड़े दिनों में यह संख्या बढ़ी कैसे, फाइनेन्स कमीशन को 825 करोड़ की संख्या दे रहे हैं और बजट पेश करते हैं तो 858 की संख्या देते हैं। फाइनेन्स कमीशन को देने के लिए मेमोरेन्डम बनाया, वह नवम्बर, दिसम्बर में और बजट पेश किया फरवरी के महीने में उस वक्त ऐसा अन्दाज था कि हमको भारत सरकार से अकाल के बारे में बहुत कम राशि मिल सकेगी। उसके बाद ज्यों-ज्यों भारत सरकार के दूसरे नेताओं से बात करते गये, हमें ऐसा महसूस हुआ कि जहां तक अकाल पर काम करने के लिए धनराशि का सवाल है, उसके बारे में हमें परेशानी नहीं होगी। इस वास्ते बजट में जितनी राशि की जरूरत थी, इस साल, अगले साल, उस राशि को रखा, इसलिए 825 और 858 का फर्क देख रहे हैं। इस तरह से फर्क है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आम तौर पर जो राशि मिलती है भारत सरकार से, चाहे प्लान के लिए मिले, चाहे फेमिन के कार्य के लिए मिले, चाहे फ्लड के काम के लिये मिले, अधिकांश रूप में कर्जा मिलता है अभी 5 करोड़ 38 लाख की राशि भरतपुर, अलवर के लिए हिस्से, सवाई माधोपुर के हिस्से, जयपुर के हिस्से में फ्लड आया था, तब मिली थी। राजस्थान के सारे लोगों को बड़ी खुशी हुई कि 5 करोड़ 38 लाख की राशि मिली है, जिससे सड़कों की मरम्मत हो सकती है, बांध टूट गये हैं उनकी मरम्मत हो सकती है और दूसरे काम हो सकते है। अच्छा काम हुवा और अच्छे काम हम कर सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ 38 लाख में से ग्रान्ट के 45 लाख हैं और बाकी के 4 करोड़ लेकिन 93 लाख कर्जा है। अब मैं सदन से यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या हमें जो 4 करोड़ 93 लाख का कर्ज मिल रहा है, वह कर्ज नहीं ले और जो हमारी सड़कें टूट गई हैं, बांध टूट गये हैं और दूसरी चीजों का नुकसान हो गया है, उस नुकसान को वैसे ही रहने दे या 4 करोड़ 93 लाख का कर्ज मिल रहा है वह ले लें और लेकर बांध की मरम्मत कर दें, सड़कों की मरम्मत

(श्री चन्दनमल वैद)

कर दें, जो नुकसान हुवा है, उसको पूरा करले और नुक्सान के साथ जो किसानों को तकलीफ हुई है उसको पूरा करके विकास और प्राडक्शन में जो नुक्सान हुवा है, उसको दूर करें । मैं समझता हूं कि यह नीति बुरी नहीं है और भारत सरकार की नीति भी इस मायने में बुरी नहीं है, सारे हिन्दुस्तान के साथ एक तरह से न्याय अपना रहे हैं । हमने कोशिश की है, जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था और जब बजट के भाषण पर विचार-विमर्श हो रहा था, उसका मैंने जवाब दिया था, तब भी रेफर किया था, मैंने केलेमिटी फण्ड की स्थापना पर जोर दिया, भारत सरकार ने मना कर दिया तो मैंने सारे देश के वित्त मन्त्रियों की लाबी बनाई और वित्त मन्त्रियों को पत्र लिखे । और सारे वित्त मन्त्रियों ने भारत सरकार को पत्र लिखे और लाबी बनने के बाद सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन को विपदा का प्रश्न सौंपना पड़ा तो यह हम चाहते जरूर हैं कि जो देश पर विपत्ति आती है, उसका सारा खर्चा सारे देश को करना चाहिये लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक भारत सरकार सारे देश के साथ एक जैसा रवैया अपनाती है तब तक हम यह कहें कि क्योंकि यह कर्जा है, 800 करोड़ का कर्जा है, इसलिये कर्जा न लें चाहे सड़कें टूट जायं, किसान परेशानी में रहे, उसके उत्पादन के जो साधन हैं वे चाहे किसी तरह से खराब हो गए, ऐसा संभव नहीं है ।

इसी तरह से अकाल की बात है । उसमें जो पैसा मिल रहा है, अधिकांश रूप में 80-70 प्रतिशत हमें कर्जे के रूप में मिल रहा है लेकिन जनता की तकलीफ दूर करने के लिए चाहे कर्जे के रूप में, चाहे ग्रांट के रूप में मिले तो हमें लेना पड़ता है और लेना चाहिये । इसी तरह से आज जो प्लान के रूप में पैसा मिल रहा है, अलग-अलग जो मुद्दे हैं, अलग-अलग राशियां हैं किसको कितना ग्रांट है, कितना लोन है लेकिन अगर मोटे तौर पर कहें तो 70 प्रतिशत ऋण है और 30 प्रतिशत ग्रांट है । सारे देश में एक ही पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से आज जो कर्जे की बात है, वह केवल राजस्थान पर हो, ऐसी बात नहीं है, मोस्ट प्रोसपेरस, विकसित जो प्रदेश हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडू, गुजरात कहिए, उन पर भी कर्जा हैं आखिर उनको भी प्लान के लिए कुछ न कुछ रकम भारत सरकार से लेनी पड़ती है और उसमें अधिकांश लोन होता है और कुछ ग्रांट होती है । तो कर्जे की समस्या केवल राजस्थान की ही नहीं है बल्कि सारे देश की है । मैं मानता हूं कि राजस्थान में ज्यादा है क्योंकि यहां समस्यायें भी ज्यादा है । राजस्थान के पास हिन्दुस्तान का 65 प्रतिशत डेजर्ट है। राजस्थान के 85 प्रतिशत आदमी डेजर्ट में रहते हैं । 5 साल में 4 भयंकर अकाल पड़े हैं । हमारी समस्यायें गम्भीर हैं इस कारण कर्जा ज्यादा है । इसलिये हमने भारत सरकार से कहा है कि जब आपने सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में कहा है कि हर राज्य के कर्जे की स्थिति के बारे में विचार किया जाए तो हमारे कर्जे की स्थिति पर भी विचार किया जाए और हमें जो अकाल के लिए कर्जा दिया गया है और उस कर्जे पर ब्याज देना पड़ता है, स्पेशल अकोमोडेशन दी गई है उस पर ब्याज देना पड़ता है, सारी चीजों को माफ

(श्री चन्दनमल वैद)

किया जाए और सारे कामों के लिए जो कर्जा दिया गया है अनप्रोडक्टिव है, वह भी माफ किया जाए। कुछ ऐसे कर्जे होते हैं जैसे राजस्थान कैनाल। अब बिल्कुल उस पर कर्जा नहीं रहा है। किश्तें चुकानी पड़ती है, रिटर्न्स मिलने शुरू नहीं, उधर कर्जे की किश्त के साथ-साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, किसी ने अगर हमारे मेमोरेन्डम को ध्यान से पढ़ा है तो देखा होगा कि हमने सारी बातों को बहुत समझदारी के साथ और साफ तरीके से पहली बार उनके सामने रखा है और उनको बताने की कोशिश की है कि कैसे विशस सर्किल में हम फंस गए हैं।

पिछली बार जब एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही थी तो मैंने पांच सूत्री कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है और दुख भी है कि किसी माननीय सदस्य ने उसकी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। जो मैंने बात कही थी, उसको पूरा करने की कोशिश की, मैंने कहा था कि खर्चे में कमी करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां तक प्रशासन का खर्चा है, जहां तक सड़कों की मरम्मत व भवनों की मरम्मत का खर्चा है, वह सारे हिन्दुस्तान की एवरेज से हमारे यहां कम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने प्रशासन पर खर्चे में कमी की है और अगर आप चाहें तो मैं ब्योरेवार बता सकता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मन्त्री): मुझे क्षमा करें। मैं कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन का उपस्थापन हुआ।

श्री हरिदेव जोशी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन को जो दिनांक 27 मार्च को दिया गया है, वह स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

रिपोर्ट स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 पर विचार एवं उसका पारण

श्री चन्दनमल वैद: मैं निवेदन कर रहा था इकोनोमी के बारे में। इस साल हमने 1,34,24000) की इकोनोमी का प्रस्ताव किया है उसके विपरीत 1,04, 56,000 के हमने इम्प्लोमेन्ट किये हैं। यह नहीं कि हमने प्रस्ताव तैयार ही किये हैं, हमने इम्प्लीमेन्ट भी किये हैं। आप चाहें तो ब्योरेवार बता सकता हूं कि किस-किस विभाग में कितने प्रस्ताव तैयार किये, कितने इम्पलीमेन्ट किये। यह सही है कि जितने प्रस्ताव हमने तैयार किये, सारे के सारे इम्पलीमेन्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिट्रेंचमेन्ट का सवाल आता है, आज के जमाने में नौकरी से निकालना सम्भव नहीं है। इसलिए जहां हमने 1.34 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किये वहां हमने 1.04 करोड़ के प्रस्तावों को इम्पलीमेन्ट भी

(श्री चन्दनमल वैद)

किया। इसी तरह से जो बात मैंने बताई थी कि एडस्टेड लेविल ग्रॉफ टैक्सेशन की, लीकेज को रोकने की और अपनी मशीनरी को कसकर ज्यादा टैक्स वसूल करने की कोशिश करेंगे, मुझे दुःख है कि इस साल भयंकर अकाल पड़ा और उस कारण कुछ बातों में हमें सफलता नहीं मिली लेकिन फिर भी कई चीजों में सफलता प्राप्त की है, खास तौर से स्टेट एक्साइज ड्यूटी में पिछले साल एक्चूएलस 2.38 करोड़ थे, इस साल 12 करोड़ के होंगे। सेल्स टैक्स पिछले साल 33.10 करोड़, इस साल 38.43 करोड़, पिछले साल एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के एक्चुएल्स थे 1.53 करोड़, इस साल 1.62 करोड़ होंगे। पिछले साल विद्युत् शुल्क के एक्चुएल्स थे 1.03 करोड़, इस साल 1.14 करोड़, दूसरे करों में एक्चूएल्स 4.70 करोड़, इस साल 5.15 करोड़। बावजूद इसके कि इस साल इतना बड़ा अकाल पड़ा, हमने लीकेज को रोकर टैक्स बढ़ाया। सदन को नहीं भूलना चाहिये कि हर साल शिकायत आती थी कि मार्च के महीने में एडवान्स टैक्स लेते थे, अप्रैल, मई व जून की टैक्स ले लेते थे, इस साल मार्च महीने में केवल मार्च तक टैक्स लिया। एडवान्स टैक्स न लेकर ये फिगर्स अचीव किये हैं। यह अचीवमेन्ट है जो नजरअंदाज करने योग्य नहीं है। जिस चीज में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके वह है लोन्स, एडवान्सेज और लैंड रेवेन्यू। आप जानते हैं कि 26 जिलों में से 25 में अकाल है। इसलिये बहुत जिलों में लैंड रेवेन्यू सस्पेन्ड किया इसलिये फिगर्स कम आई हैं। हमने 11.68 करोड़ के बजट एस्टीमेट्स बनाये थे उसके अगेन्स्ट में मुश्किल से 7 करोड़ की वसूली हो सकेगी, ऐसा मेरा प्रयास है। हो सकता है कि 7 करोड़ से भी कम हो जाए तो ताज्जुब की बात नहीं। इसी तरह से लोन्स एण्ड एडवान्सेज जो किसानों के पास हैं उसमें जैसी वसूली हम चाहते थे वह नहीं हुई।

श्री **केदारनाथ** : हमारे यहां तो 80 परसेन्ट रिकवरी हुई है।

श्री **चन्दनमल वैद** : आपके यहां 80 परसेन्ट रिकवरी हुई तो ज्यादा नहीं हुई है। क्योंकि आपके यहां पर तो सरसब्ज इलाका है वहां तो 101 परसेन्ट रिकवरी होनी चाहिये। इसके अलावा भी उपाध्यक्ष महोदय, हमने नेशनेलाइजैशन ग्रॉफ रोडवेज के बारे में हमने निर्णय लिया है कि हम हमारे राजस्थान का 25 प्रतिशत रूट्स को नेशनेलाईज 73 के एन्ड तक कम से कम कर लेंगे और हमारे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ने यहां सदन में ऐसा भी कहा है कि हम पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सेन्ट परसेन्ट बसेज का नेशनेलाईज कर लेंगे। हमें जो नेशनेलाईज रूट्स से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है वह सन् 71-72 में हुआ है, 2 करोड़ 89 लाख रुपये और सन् 72-73 में रेवेन्यू इसका तीन करोड़ और 78 लाख रुपया हुआ है। अब थोड़ा मैं राज्य के अन्दर जो अभी सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन आया था और उसके सामने राज्य सरकार ने जो विशेष बात रखी जो कि किसी के भी बारे में भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त ने नहीं रखी वह आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह है 'केलेमिटी' फंड जिसको फाइनेन्स कमीशन ने काफी गम्भीरतापूर्वक सुना और उसका फल यह हुआ कि हमें तो इससे

(श्री चन्दनमल वैद)

फायदा हुआ ही पर दूसरे स्टेट् को भी करोड़ों रुपये का लाभ हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि आज के जमाने से तो पुरानी स्टेट्स के जमाने में भी आज से अच्छी हालत सड़कों की थी, बहुत ही अच्छा लॉ एण्ड आॅर्डर था और सामन्ती युग के समय की व्यवस्था को अच्छा बताया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसका ज्यादा याद नहीं क्योंकि मैं तो उस समय बच्चा था ....

श्री केदारनाथ : वह सब था पर डेमोक्रेशी नहीं थी।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने इन 22 वर्षों में काफी प्रोग्रेस की है। हमने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की है। हमने 22 वर्षों में जितना विकास राजस्थान का किया उतना विकास, मैं डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं जोकि अभी सदन में मौजूद नहीं है कि उनसे कहना चाहूंगा कि आपके राजा महाराजा के 22 पीढ़ियों ने राजस्थान में राज्य करके नहीं किया होगा उतना विकास हमने किया। मैं मानता हूं कि उस समय भी बिजली लगती थी पर राजमहलों के लिये सड़कें भी बनती थी लेकिन उन राजा महारजाओं के शिकारगाहों के लिये। उन्होंने आम जनता के लिये कुछ नहीं किया। लेकिन हमने जो कुछ भी किया वह आम जनता के लिये वे चाहें तो देख सकते हैं कि हमारी राज्य सरकार ने जितना इन 22 वर्षों में सड़के बनायी, वाटर वर्क्स के काम किये, बिजली की व्यवस्था आम जनता के लिये की है और उनके पूर्वजों ने जो 22 पीढ़ी तक राज किया उसमें इतना आम जनता के लिये काम किया है क्या ? वे चाहें तो आंकड़े उठा कर देख सकते हैं। मैं सदन में पहले आंकड़े भी उसके बारे में दे चुका हूं। इसके अलावा डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अगर राजस्थान के टुकड़े कर दिये जाय तो काफी विकास हो सकता है। मैं श्री लक्ष्मणसिंहजी जो कि हमारे सदन के काफी समझदार सदस्यों में से हैं और मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं और वे अगर ऐसा कहते हैं कि राजस्थान के एक भाग पूर्वी भाग को अलग कर दिया जाय और पश्चिमी भाग को भी अलग कर दिया जाय तो रेगिस्तान का विकास हो सकता है। उसका उदयमान हो जायेगा, मुझे बहुत ही दुख होता है जब वे इस प्रकार की बातें करते हैं। आज अब जब कि राजस्थान बने इतने साल हो गये हैं, आज 25 वर्ष के बाद यह वापिस विभाजन की बात करते हैं मुझे इनके यह कहने पर उन पर दया आती है। क्योंकि आज जो राजा महाराजा लोग हैं वह चाहते कब थे कि राजस्थान का एकीकरण हो वह तो पहले से इसके खिलाफ थे वो तो चाहते थे राजस्थान के 25 भाग जो, स्टेट्स थी वह अलग ही रहे। वे तो चाहते थे कि राजस्थान के 25 नहीं 50, 100 दो सौ चारसौ या उनका जोर चलता तो 500 टुकड़े राजस्थान के कर देते और आपने तो अपने जागीरदारों को जागीरे देकर राजस्थान के टुकड़े किये ही थे। आपके यहा पर जो बड़े-बड़े जागीरदार थे हमारे बीकानेर में तो इतने बड़े जागीरदार नहीं थे लेकिन जोधपुर, जयपुर में इतने बड़े-बड़े

(श्री चन्दनमल वैद)

जागीरदार थे जिनको कि काफी रेवेन्यू होती थी और उसके साथ में उनको आपने पॉवर्स दे रखी थी कि जिसके अन्तर्गत वे लोगों को 5 साल, सात साल और दस साल व पन्द्रह साल तक की जैल कर सकते थे। तो यह भी उनके यहां पर एक हाईकोर्ट को जो पॉवर्स होती है वह थी ही है। इसके अलावा उनको भी कई अधिकार दिये हुए थे। लेकिन हमने राजस्थान के विकास के लिये सभी का एकीकरण करके राजस्थान बनाया। आज हाईकोर्ट की वेन्च के प्रश्न को लेकर ऐसा सुना है कि किसी माननीय सदस्य के कपड़े फाड़ दिये और उन्हें पीटा भी यह एक अच्छी घटना नहीं है। यह समझदारी की बात नहीं है। आज हाई-कोर्ट का मामला इतना भारी नहीं है कि हम इसको निबटा नहीं सके। हम आपस में बैठ कर मिलजुल कर इसको निबटा सकते हैं। हमने कोई लक्ष्य लेकर काम किया है और हमारे अपने राजनैतिक उद्देश्यों के बारे में कोई भी काम करने का ढंग अलग-अलग है। यह कोई ढंग नहीं है कि आप किसी माननीय सदस्य को पीटें या उसका घेराव करें। लेकिन हाइकोर्ट की बैन्च को लेकर इस तरह से बद अमनी फैलाना शोभाजनक बात नहीं है। पहले ऐसी बात में किसी जमाने में कम्युनिस्टों के बारे में सोचता था लेकिन अब जब विभाजन की बात स्वतन्त्र पार्टी वाले जब करते हैं तो मुझे बहुत ही पीड़ा होती है लेकिन इनका दोष नहीं है क्योंकि अब इनमें ऐसा शायद इसलिए हो रहा कि स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों को अब सही राय देने वाले जो महान और वयोवृद्ध नेता थे अब नहीं रहे। इसलिए यह बहकी-बहकी बातें करते हैं और जब चाहे जब बहकने लग जाते हैं। और जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से बक देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं दो मिनिट और लेना चाहूंगा और फिर बाद में इसके बारे में वादविवाद बन्द कर दूंगा। आज सबसे असन्तोषजनक बात जो है वह राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के सब्जैक्ट्स के इन्कम के बटवारे के बारे में। आज जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में जो बंटवारा इन्कम का होता है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। आज जो इन्कम के खास सोर्सेज हैं वे सभी केन्द्रीय सरकार के पास हैं और खर्चे के जो आइटम्स हैं वह सभी राज्य सरकार के पास है। आज आम जनता का जो राज्य सरकार का संबंध होता है वह खर्च सभी राज्य सरकारों को करना पड़ता है जैसे शिक्षा, इरिगेशन, कृषि ड्रिंकिंग, वाटर आदि के बारे में। यह सभी आम जनता के काम की चीज है जिसका डाइरेक्ट संबंध राज्य सरकारों से होता है। और भारत सरकार के पास भी खर्चे के आइटम्स है जैसे डिफेन्स वगैरह लेकिन अगर हम आय को देखें तो हमें पता लगेगा कि भारत सरकार को सालाना आय चार हजार करोड़ रुपयों की होती है जबकि राज्य सरकारों को जो कि सारी स्टेट्स हैं उनको सालाना इन्कम सब मिलाकर 22 सौ करोड़ रुपये ही होती है। तो अब आप अनुपात देख लीजिये कितना है। अब इतनी इन्कम में राज्य सरकारों को अपने राज्य की कृषि, सिंचाई, शिक्षा, सड़क आदि के विकास का काम करना पड़ता है जो कि बेसिक नीड्स हैं। और उनका सीधा जनता से संबंध है, आज भारत

(श्री चन्दनमल वैद)

सरकार तो दिल्ली में बैठी है उनके पास तो कोई जाता नहीं है हमारे पास अगर एक प्राईमरी स्कूल भी खोलना चाहते हैं तो जनता हमारे पास आयेगी-इसी प्रकार किसी मीडिल स्कूल के खोलने के बारे में भी जनता हमारे पास आयेगी, आज गांवों में सड़क बनानी है, बिजली लगानी है तो राज्य सरकार के पास जनता आयेगी। और इसमें हमारा अधिकांश रेवेन्यू समाप्त हो जाता हैं। जबकि भारत सरकार को जो आय होती है उसमें से अधिकांश आय आप रखकर बहुत ही कम अनुपात में राज्य सरकारों को धन देती है। इसलिए हमने अबकी बार सिक्स्थ फाईनेन्स कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे उसमें हमने मांग की बेसिक नीड्स के लिये भारत सरकार राज्य सरकार को अधिक धन दे और उसमें पिछड़े हुए प्रदेशों को ज्यादा धनराशि दी जानी चाहिये। हमने उनसे पुरजोर मांग की कि हमारे यहां पर अकाल हर वर्ष पड़ता रहा है और उसके लिये राज्य सरकार को खर्चा करना पड़ता है जिससे काफी कर्जा होता है उसके लिये भारत सरकार का जो पुराना कर्जा है उसमें छूट दे तथा इन पिछड़ी हुई स्टेट्स को ज्यादा धनराशि देने की व्यवस्था करें। इसके अलावा हमने यह भी निवेदन किया कि एक अकाल और बाढ़ जैसी विकट समस्याओं के निपटने के लिये एक नेशनल डेट फण्ड होना चाहिये। और इसी प्रकार हमने केलेमिटी फण्ड के बारे में भी फाईनेन्स कमीशन के सामने रखा। मैं तो यह सोचता हूं कि इस बारे में वित्त मंत्रियों की लार्बी तैयार की जाय और इस बारे में भारत सरकार से और भी मुद्दों पर बातचीत करके ज्यादा धन स्टेट्स को मिले ऐसे प्रयत्न करने चाहिये। वैसे यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कर्जे के बारे में काफी कहा। मैं खुद मानता हूं कि कर्जा हुआ है पर किस बात के लिये तो विकास के लिये या अकाल और बाढ़ से निपटने के लिये। इनके मुकाबले के लिये कर्जा लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन भारत सरकार हमें जो पैसा इन बातों के लिये देती है वह सभी अनुदान के रूप में नहीं देती है वह जो पैसा देती है उसमें 30 प्रतिशत अनुदान होता है और 70 प्रतिशत कर्जा होता है। इसलिये हमने केलेमिटी फण्ड की बात की जो कि हम नेशनल डेट फन्ड से जब कोई केलेमिटी आवे तब पैसा ले सकें। मैं भारत सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि हमें ज्यादा धन-राशि जो रेवेन्यू हो उसमें से दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री केदारनाथ : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ऐसा सुना है कि दिल्ली में एक फैसला हुआ है जिसमें आप राजस्थान केनाल को ओटोनोमस बोर्ड बनाने जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई फैसला दिल्ली में हुआ है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : राजस्थान केनाल के लिये नहीं कर रहे हैं। राजस्थान केनाल में एरिया डवलपमेन्ट के लिये एक बोडी बना रहे हैं, जिसके लिये अध्यक्ष, मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम सम्भवतः हमारे मुख्य मंत्रीजी हों।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विचारार्थ लिया गया ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग, (संख्या 4) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.52 बजे बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 772 की सूची)

सन्	उत्खनन एवं खान पर प्रदत्त खनिज की मात्रा (प्रोडक्शन व पिट्स माउथ पर डिलिवरी)	भुगतान की रकम	उत्खनन, क्रशिग, ट्रान्सपोर्टेशन एवं लदान की मात्रा	भुगतान की रकम
1970-71	50487.125	757306-87	123401.641	5676475-50
1971-72	30601.820	459027-43	187809.493	8639236-68
1972-73	32841.640	492624-60	144049.616	6626282-35

Page No 154

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 776 की सूची)

Comparative Statement of Prices quoted by the Firms

S. No.	Name of the Firm	Quoted Price in Rs. per K.M.	Adjusted price in Rs. F. O. R. destination per K.M.
1	2	3	3
1.	M/s Universal Cables Ltd., Satna	10,886.00	11,212.58 (11,100.45 after allowing 1% cash dis. for 100% payment).
2.	M/s Jaipur Metals and Electricals	11,025.00	12,416.36 (12,385.32 after allowing ½% rebate for alternated term of payment).
3.	M/s Power Cable Pvt. Ltd., Bombay	(A) 10,797.00 for delivery upto and including 31-3-1968	(i) 11,676.95 (ii) (11,647.77) with ½% rebate for (iii) (11,560.18) with 1% rebate if the charges for open L/C is borne by purchaser.
		(B) 10,411.00 for delivery after 31-3-68	(i) 11,259.50 (ii) 11.231.35—as (ii) above (iii) 11,147.00—as (iii) above.
4.	M/s E. M. C. Projects Pvt. Ltd., Calcutta	10,434.00 for (i) 750 K.M.	11,284.37 on its own base 11,636.81 after allowing concession charge 11,578.63 with ½% rebate if their term & condition are accepted.
		10,791.00 for next 750 K.M.	12,022.90 11,962.79 with ½% rebate as above.

1	2	3	4
5.	M/s Hindustan Brouwn Bovery Ltd., Bombay	10,800.00	11,745.09 11,510.19 with 2% qty. rebate for 100 Kms. minimum 11,481.41 with ½% more rebate, if payment made through L/C.
6.	M/s Hindustan Conductors Pvt. Ltd., Bombay	10,298.00 I/L to be provided by Board	(i) 11,137.29 (ii) 11,109.45, 11,025.92 ½% rebate if L/C opened by firm 1% (iii) Rebate if L/C opened by Board.
		10,801.00 firms own material	(i) 11,681.28 (ii) 11,652.08—as (ii) above. (iii) 11,564.47—as (iii) above.
7.	M/s Oriental Power Cables Ltd, Kota	11,025.00	12,416.36 12,343.24 with ½% rebate for 100% payment.
8.	M/s Omega Insulated Cable Co. (India) Ltd., Madras	10,700.00 for first 500 K.M.	(i) 11,572.05 with ½% rebate 50 lacs & through L/C* (ii) 11,543.12 (iii) 11,485.41 ½% rebate if 100% payment is made.
		11,000.00 for next 1000 K.M.	11,896.50 as above 11,866.76 (ii) & (iii). 11,807.43
9.	M/s Power Equipments Pvt. Ltd., Paragaon	10,819.00	11,484.44
10.	M/s Aluminium Cables & Conductor Pvt. Ltd.	10,619.00	11,484.44

1	2	3	4
11.	M/s Prem Industrial Corporation, Pali	10,551.00	11,743.27 11,508.40 with 2% dis. for 100% Payment.
12.	M/s Indian Aluminium Cables Ltd., New Delhi	11,011.00	11,908.40
13.	M/s Premier Cables Co. Ltd, New Delhi	10,421.00	11,696.09 11,463.17 with 2% dis. for 100% payment.
14.	M/s Bombay Conductor & Elec. Pvt. Ltd., Ahmedabad	Not quoted	
15.	M/s Ram Kishan Metal Works, Bombay	Not quoted	
16	M/s Super Metals, Bombay	Not quoted	
17.	M/s Modi & Modi, Bombay	19,740,00	21,872.44
18.	M/s Aluminium Industries Ltd., Kundara	11,905.00	13,640.77
19.	M/s Industrial Development Corp. of Orrissa Ltd., Sambalpur	14,100.00	15,653.94
20.	M/s Madras Electrical Conductors Pvt. Ltd., Madras	11,464.00	12,518.69
21.	M/s Bombay Wire & Metal Products., Bombay-3	16,230.00	18,136.41
22.	M/s Cabcon Agencies, Banglore	Not quoted	
23.	M/s Deora Pucalimeon, Indore	10,512.00	12,749.34

1	2	3	4
24.	M/s Incab, Calcutta	Not quoted	
25.	M/s Assam Conductor & Tubes Pvt. Ltd., Wehati	11,900.00	13,766.96
26.	M/s Industrial Cables Ltd., New Delhi	10,965.00	12,255.65
27.	M/s Industrial Orident Cable Co., Canada	% 1169.70 = Rs. 3772.75 C. I. F., Bombay	13,986.24
28.	M/s Richards International Corporation, U. S. A.	% 1124.34 Rs. 8432.55 C. I. F., Calcutta	13,557.23
		Late receipt Tender :	
29	M/s Asian Cables Corpo., Thana	11,880.00	14,026.64

———

परिशिष्ट-3

(ता० प्र० सं० 780 की सूची)

श्री भागसिंह, सरपंच पंचायत मांडासी के विरुद्ध आरोप-पत्र

(1) कि श्री भागसिंह ने पंचायत मांडासी के पद पर कार्य करते हुये केसरदेव बनाम रामकुमार की पत्रावली से तहसील उदयपुरवाटी का मूल नक्शा निकाल लिया जो कि श्री रामकुमार द्वारा 8-3-65 को प्रस्तुत किया गया था और ऐसा करते हुए उक्त श्री भागसिंह ने अनाधिकृत कार्य किया तथा अपने पद का दुरुपयोग किया।

(2) कि उक्त श्री भागसिंह ने उक्त पद पर कार्य करते हुए श्री केसरदेव बनाम रामकुमार की पत्रावली में से श्री रामकुमार के हस्ताक्षर किये हुए बयान निकाल कर दूसरे बयान श्री रामकुमार की अंगूठा निशानी बता कर लगा दिये जब कि वास्तविकता यह है कि श्री रामकुमार सदैव हस्ताक्षर करते हैं। इस प्रकार उक्त श्री भागसिंह ने गम्भीर दुराचरण किया।

(3) कि उक्त श्री भागसिंह ने सरपंच के रूप में कार्य करते हुए श्री केसरदेव बनाम भूरा के मामले में श्री भूराराम के आवेदन-पत्र में आदि शब्द अनाधिकृत रूप से बढ़ा दिया, इस आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि जो दी गई उसमें बढ़ाये हुए शब्द नहीं थे और इस तरह प्रतिलिपि जारी करने के पश्चात् रेकार्ड में हेरफेर कर कर्त्तव्यपालन में दुराचरण किया।

(4) कि उक्त श्री भागसिंह ने अपने सरपंच पद के पूर्व कार्यकाल में 12-3-62 को उप जिला विकास अधिकारी, झुन्झुनूं को लिखकर दिया कि उन्होंने श्री सांवलराम बनाम वासदेव के मामले में कोई निर्णय नहीं लिखा है परन्तु पत्रावली में 25-6-61 के दिनांक का निर्णय शामिल पाया गया। प्रारम्भिक जाँच से पाया गया कि निर्णय 12-3-62 के पश्चात् लिखा गया और पुरानी तारीख अंकित की गई इस प्रकार उक्त श्री भागसिंह ने फर्जी कार्यवाही कर गम्भीर दुराचरण किया।

(5) कि उक्त श्री भागसिंह ने अपने सरपंच पद के पूर्व कार्यकाल में श्री भूराराम बनाम केसरदेव के मामले में श्री भूराराम के 28-7-63 को उपस्थित न होते हुए भी 28-7-63 के दिनों का बयान पत्रावली में शामिल किया जब कि भूराराम का आवेदन-पत्र पत्रावली में मौजूद है कि वह दिनांक 28-7-63 को उपस्थित नहीं हो सका अतएव गवाहान को अगले दिनांक को प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार श्री भूराराम के 28-7-63 को उपस्थित नहीं होते हुए भी बाद में उस दिनांक का बयान पत्रावली में लगाकर गम्भीर दुराचरण किया।

(6) कि उक्त श्री भागसिंह ने उपरोक्त पद पर कार्य करते हुए श्री केसरदेव द्वारा 19-7-66 को प्रस्तुत किया गया आवेदन-पत्र पत्रावली से गायब कर दिया।

(7) कि उक्त श्री भागसिंह ने 21-8-1961 की कार्यवाही में अपनी स्वयं की भूमि का क्षेत्र "दो हाथ" परिवर्तन कर क्षेत्र बढ़ा दिया और इस प्रकार पद का दुरुपयोग किया।

(8) कि उक्त श्री भागसिंह ने माह दिसम्बर, 1963 में पंचायतों के सदस्यों द्वारा लिखाए गए श्री भगवानाराम के सम्बन्धित फैसले में 15 लाइनें बाद में बढ़ादीं और ऐसा करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया।

(9) कि उक्त श्री भागसिंह ने सरपंच के पद पर कार्य करते हुए अपने नजदीकी रिश्तेदार श्री सुरेन्द्रसिंह को 23-9-62 से 5-10-65 तक तथा श्री सुभाष को 6-10-65 से जांच होने तक पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दी। ये दोनों व्यक्ति क्रमशः राजकीय पाठशाला में अध्यापक तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में एम० ए० का विद्यार्थी हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के राजकीय सेवा में होते हुए तथा दूसरे के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होते हुए उनके नाम के वेतन उठाकर गम्भीर दुराचरण किया साथ ही राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 23 (एफ) का उल्लंघन किया।

(10) कि उक्त श्री भागसिंह ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं कर कर्त्तव्यपालन में विफल रहे तथा इस आरोप के बचने के लिये झूठे सूचना-पत्र तैयार कर दुराचरण किया।

(11) कि पंचायत मांडासी के सरपंच पद पर कार्य करते हुए उक्त श्री भागसिंह ने पंचायत की रोकड़ व वाउचर में जालसाजी की 5-3-68 को 100 रु० श्री दुर्गाराम को देना बताया परन्तु बाद में दुर्गा काटकर नारायण बनाया और इस प्रकार श्री नारायण राम को 100 रु० देना दिखाया। सर्वश्री रूगाराम तथा नारायण राम ने 5-3-68 को कोई भी राशि प्राप्त करने से इन्कारी की। श्री नारायनराम ने बताया कि उसे 100 रु० 15-12-68 को मिले हैं। इस प्रकार 5-3-68 को रोकड़ में 100 रु० का फर्जी इन्द्राज कर रकम वास्तविक रूप से 15-12-68 को दी जब कि जांच शुरू हो चुकी थी। और 9 माह तक रकम का दुरुपयोग किया। ऐसा करने में श्री भागसिंह ने अपने कर्त्तव्यपालन में गम्भीर दुराचरण किया।

(12) कि उक्त श्री भागसिंह ने गांव वालों से राशन कार्डों के 15 रु० से 20 रु० तक वसूल किये और पंचायत में जमा नहीं करवाये और इस तथ्य को श्री भागसिंह ने भी स्वीकार किया है इस प्रकार श्री भागसिंह ने उपरोक्त राशि का गबन किया।

(13) कि श्री भागसिंह ने बतौर सरपंच मांडासी 6-9-65 को पंचायत समिति, नवलगढ़ से 500 रु० सार्वजनिक कुए पर ऋण का निर्माण करवाने हेतु प्राप्त किये परन्तु इस राशि का उक्त कार्यार्थ उपयोग नहीं किया और अपने चचेरे भाई को

20-9-65 को अनुदान के रूप में उक्त कार्य के लिये दे दिये जिसका अब तक उपयोग नहीं हुआ है। ऐसा करते हुए उक्त श्री भागसिंह ने रकम का दुरुपयोग कर अस्थाई गबन किया।

(14) कि श्री भागसिंह ने श्री किशनसिंह पंच के विरुद्ध मामले में दिनांक 6-6-65 21-8-65, 8-10-65, 18-11-66, 12-12-66, 15-3-67, 30-5-67, 15-4-67 तथा 30-4-67 की तारीखों के सूचना-पत्रों पर श्री किशनसिंह के फर्जी दस्तखत बनवाए और ऐसा करते हुए श्री भागसिंह ने गम्भीर दुराचरण किया।

परिशिष्ट–4

(ता. प्र. सं. 787 की सूची)

अधिकारियों की सूची

1.	श्री जगदीश गेहलोत	अधिशासी अभियन्ता (वर्तमान पद अधिक्षण अभियन्ता)
2.	,, एम. पी. रांकावत	अधिशासी अभियन्ता
3.	,, अखलाक बेग	सहायक अभियन्ता
4.	,, डी. डी. शर्मा	सहायक अभियन्ता
5.	,, बी. एल. खत्री	सहायक अभियन्ता
6.	,, एच. के. हिन्गोरानी	सहायक अभियन्ता
7.	,, एस. एस. कल्ला	अधिशासी अभियन्ता
8.	,, पी. आर. भण्डारी	सहायक अभियन्ता
9.	,, ओ. पी. गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
10.	,, पी. सी. खुटेटा	सहायक अभियन्ता
11.	,, वी. पी. एस. मलहोत्रा	अधिशासी अभियन्ता
12.	,, गिरराजसिंह	अधिक्षण अभियन्ता
13.	,, आर. सी. लाल	सहायक अभियन्ता
14.	,, बी. डी. चावला	सहायक अभियन्ता (रिटायर्ड हो चुके हैं)
15	,, श्री बल्लभ	अधिशासी अभियन्ता (रिटायर्ड हो चुके हैं)
16.	,, पी. एल. रूंगटा	अधिशासी अभियन्ता
17.	,, एस. डी. व्यास	अधिशासी अभियन्ता
18.	,, एस. एम. अग्रवाल	अधिक्षण अभियन्ता
19.	,, ओ. पी. कनोडिया	सहायक अभियन्ता
20.	,, के. पी. एस. मितल	सहायक अभियन्ता
21.	,, मेहरसिंह	सहायक अभियन्ता
22.	,, एस. सी. अडवानी	अधिशासी अभियन्ता

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 790 की सूची)

प्रश्न के भाग 1 की सूची

1. डा. (मिस) राजकुमारी
2. ,, श्यामलाल बोहरा
3. ,, सी. एल. सबलीक
4. ,, (मिस) शान्ति माथुर
5. ,, (मिस) तारा माथुर
6. ,, एच. एम. रावत
7. ,, वैशम्पायन
8. डा. वी. एस. सक्सेना
9. ,, के. डी. शर्मा
10. ,, पी. एम. भटनागर
11. ,, जे. एन. उपाध्याय
12. ,, एच. एस. बोहरा
13. ,, दर्शनसिंह सारोया

प्रश्न के भाग 2 की सूची

डी० एम० एण्ड एच० ओ० जिन्होंने चयनित किये पद का भार सम्भालने से मना किया, की सूची)

	नाम	कारण
1.	डा. (मिस) तारा माथुर	व्यक्तिगत एवं निजी समस्याओं के कारण
2.	,, एच. एम. रावत	,,
3.	,, वी. एस. सक्सेना	,,
4.	,, शान्ति माथुर	सेवा निवृत्त हो गई है

————

परिशिष्ट–6

(ता. प्र. सं. 791 की जिलेवार सूची)

क्रमांक	नाम जिला	कुल भूमिहीनों की संख्या	अनुसूचित जाति के भूमिहीनों की संख्या	अनुसूचित जन-जाति के भूमिहीनों की संख्या
1.	अजमेर	3762	2591	*
2.	अलवर	36559	15959	7743
3.	बांसवाड़ा	15174	1895	10787
4.	बाडमेर	6924	1855	1017
5.	भरतपुर	44052	15784	3723
6.	भीलवाड़ा	30000	4777	2492
7.	बीकानेर	7704	निल	निल
8.	बूंदी	7768	3245	1679
9.	चित्तौड़गढ़	19790	2441	2225
10.	चूरू	9371	1513	*
11.	डूंगरपुर	27749	3608	16170
12.	गंगानगर	69818	37277	निल
13.	जयपुर	37637	11620	8385
14.	जैसलमेर	961	262	166
15.	जालौर	3443	3063	1940
16.	झालावाड़	9404	4327	993
17.	झुन्झुनू	8963	6194	524
18.	जोधपुर	10359	2678	728
19.	कोटा	17544	7607	7269
20.	नागौर	6746	2610	*
21.	पाली	4783	2844	816
22.	स. माधोपुर	16220	6497	4222
23.	सीकर	37514	4871	237
24.	सिरोही	5960	926	853
25.	टौंक	8716	आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है	
26.	उदयपुर	40455	8276	20040
	योग....	4,87,384	1,52,720	[illegible]8,009

नोटः –*अजमेर, चूरू एवं नागौर के जिलाधीशों ने अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन-जाति के आंकड़े शामिल दिये हैं, जिनको अनुसूचित जाति के कॉलम में दिखाया गया है।

परिशिष्ट–7

(ता० प्र० सं० 794 की सूची)

राज्य में राजस्व खण्डों में रोगी शैयाएं एवं प्रति रोगी का अनुपात निम्न प्रकार है: —

नाम खण्ड	जन संख्या 1971	रोगी शय्याएं	प्रति रोगी शय्या	अनुपात प्रति हजार
अजमेर	1,03,02,718	6,443	1,599	0.62
जोधपुर	54,18,202	2,697	2,009	0.49
बीकानेर	28,41 599	2,111	1,346	0.74
उदयपुर	49,88,395	2,398	2,080	0.48
कोटा	22,14,892	1,012	2,189	0.46
राजस्थान	2,57,65,806	15,061	1,711	0.58

————

परिशिष्ट–8

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

जिला बूंदी में सेटलमेन्ट का कार्य

795. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में नैनवा, केशवराय पाटन, हिण्डौली एवं तालेड़ा तहसीलों का सेटलमेन्ट कब-कब हुआ और कब से लागू किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि जो सेटलमेन्ट हुआ है उसमें सवाया लगान बढ़ाये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इस जिले में कहां-कहां कितना-कितना लगान किस किस्म की कृषि भूमि में किस प्रकार बढ़ाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सेटलमेन्ट से पूर्व प्रत्येक तहसील में क्या भू-राजस्व की दर थी और सेटलमेन्ट होने के पश्चात् कितना भू-राजस्व बढ़ गया ? प्रत्येक तहसीलवार बढ़ाये गये लगान एवं पूर्व लगान की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस सेटलमेन्ट के विरोध में जिले में आन्दोलन किया जा रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार के पास कहां-कहां से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

(5) क्या यह भी सही है कि सिंचित भूमि के मुकाबले असिंचित भूमि की दर भी समान कर दी गई है ? यदि हां, तो चम्बल कमाण्ड एरिया में जो भूमि टैल पर है जिसमें सिंचाई नहीं होती है उसकी भी लगान की दर समान रखी जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी की तहसीलें-नैनवा, केशोरायपाटन हिण्डौली एवं तालेड़ा का सेटलमेन्ट कार्य क्रमशः 1964-65, 1962-63, 1964-65 व 1963-64 में प्रारम्भ हुवा तथा अवधि बन्दोबस्त तहसील नैनवा, हिण्डौली, बूंदी (तालेड़ा) में 1 जुलाई, 1971 से लागू की गई एवं तहसील केशोरायपाटन में 1 जुलाई, 1972 से लागू किया गया।

(2) हां। किस-किस किस्म में कितना लगान बढ़ा है यह बताना असम्भव है क्योंकि पूर्व सेटलमेन्ट में भारी मात्रा में भूमिवर्ग थे और दरें भी तदनुसार ही थी। मौजूदा सेटलमेन्ट में यानि पुनः संशोधन में उनका विलीनीकरण किया जाकर किस्म जमीन कम कर दी गई और गोलांक में दरें स्वीकृत की गई हैं।

(3) गत भू-प्रबन्ध के समय किस्म जमीन के उप-वर्ग काफी थे और दरें भी तदनुसार थी। सेटलमेन्ट होने के पश्चात् जो भू-राजस्व बढ़ा है उसकी सूची संलग्न है।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(4) कहां-कहां आन्दोलन हो रहा है इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है केवल जिला कांग्रेस कमेटी बून्दी से एक ज्ञापन राजस्व मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया था वह इस विभाग में प्राप्त हुआ जिस पर भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को दिनांक 27-1-73 को बून्दी भेजा गया, कोई तथ्य सामने नहीं आए, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को उन्होंने भेज दी है।

(5) यह सही नहीं है किन्तु तथ्य यह है कि जो भूमि सिंचित हो चुकी है उस पर सिंचित भूमि की किस्त अंकित की जाकर सिंचित की दर लगाई गई है। असिंचित भूमि असिंचित की दर लगाई गई है। सिंचित व असिंचित की दरों में उपज के अनुसार भिन्नता रखी गई है।

चम्बल कमाण्ड एरिया में जो भूमि टेल पर है राजस्व विभाग के 5 साला रेकार्ड को देखा जाकर व मौके की स्थिति का निरीक्षण कर जैसी स्थिति होगी, नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रश्न 3 की सूची प्राप्त नहीं हुई)

ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र, गोविन्दगढ़

796. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र, गोविन्दगढ़, जिला अलवर के कर्मचारियों ने चिकित्सा अधिकारी, परिवार नियोजन केन्द्र, गोविन्दगढ़ के खिलाफ एक सामूहिक शिकायत माह जुलाई, 1972 में राज्य परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु कल्याण अधिकारी के पास लिखित रूप में भेजी थी? कृपया शिकायत पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायत पर कोई जांच की गई? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की थी? यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों के बाद उक्त चिकित्सा अधिकारी ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी के खिलाफ तथा उक्त कर्मचारियों के खिलाफ क्या शिकायतें थी?

(4) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई जांच की है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं?

(5) क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ रविसुता शर्मा ए. एन. एम. ने तारीख 2-12-72 को जिला परिवार नियोजन अधिकारी व पी. एम. ओ. को शिकायत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की थी तथा 1–12–72 व 10–12–72 को सुमेरसिंह चांवरिया एफ. पी. एच. ए, गोविन्दगढ़ ने भी उक्त अधिकारी के खिलाफ उच्चाधिकारियों को शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गई ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, भिनाय द्वारा आवंटित भूमि

797. **श्रीमती भगवतीदेवी** (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की भिनाय पंचायत समिति ने बांदनबाड़ा में भू. पू. प्रधान श्री रतनलाल वर्मा को 18 फरवरी, 1965 को कृषि उद्योग हेतु भूमि आवंटित की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि बांदनवाड़ा इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित नहीं किया गया है और उसके बावजूद यह जमीन कृषि उद्योग के लिये आवंटित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि लीजडींड की धारा 4 (IV) के अन्तर्गत श्री रतन लाल वर्मा को लीजडीड के अनुसार दो वर्षों के भीतर-भीतर उद्योग चालू करना था ?

(4) क्या यह सही है कि श्री रतनलाल वर्मा ने आज 8 साल के उपरान्त भी उद्योग नहीं लगाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आधार पर इस लीज को रद्द करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव द्वारा तथा तत्तकालीन एम. एल ए. प्रधान और अन्य स्थानीय व्यक्तियों ने इस लीज को कई बार कैन्सिल करने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि भू. पू. मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया ने भी इस लीज को रद्द करने के आदेश जिलाधीश को 17–1–67 को दिये थे उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार अब भी इस लीज को रद्द करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 में प्रावधान है कि औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुए बिना ही उद्योग हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटन की जा सकती है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां।

(4) जी हां। लेकिन मामला दीवानी अदालत, केकड़ी के समक्ष विचाराधीन है।

(5) जी हां। परन्तु मामला दीवानी अदालत, केकड़ी में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(6) इस संबंध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया के आदेशों का रेकार्ड से कुछ मालूम नहीं पड़ता। दीवानी अदालत, केकड़ी का निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

अलवर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

798. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में क्रेश प्रोग्राम (रूरल एम्पलायमेन्ट प्रोग्राम) के अन्तर्गत किस-किस साल में कितने-कितने रुपये सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं और उनमें से कितने-कितने रुपये किस-किस साल में खर्च किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस धन-राशि में बहुत सी धनराशि खर्च नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो किस-किस साल के कितने-कितने रुपये लैप्स हुये हैं और उसके क्या कारण हैं और उसके कौन जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971-72 में 12.50 लाख एवं 1972-73 में 9.50 लाख रुपये अन्तिम रूप से राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1971-72 में 63,798,93 एवं 1972-73 में 9,49,731.74 व्यय किये गये हैं।

(2) जी हां। वर्ष 1971-72 में 11,86,201 07 की राशि व्यय नहीं हो सकी। कार्य वर्ष के प्रारम्भ में आरम्भ नहीं किये गये एवं कार्य देर से आरम्भ होने के कारण समस्त राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

तहसीलदार, दांतारामगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

799. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डांसरोली, कांकरा, मण्ढ़ा, सुरेरा और नौसाल की जनता द्वारा तहसीलदार, दांतारामगढ़ के खिलाफ जिलाधीश, सीकर को कई शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री मूलचन्द सामरया)

(2) उक्त तहसीलदार द्वारा सितम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 तक उपरोक्त गांवों के दौरे कब-कब किस-किस प्रयोजनार्थ किये ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री महेशचन्द्र शर्मा, तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जब से इस तहसील में आकर चार्ज सम्भाला है उसके पश्चात् इन्होंने नाजायज तौर पर कई गांवों में कुर्की की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कुर्की की कार्यवाही की गई और क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, सीकर द्वारा श्री हुसेन पुत्र श्री दीना तेली, ग्राम दांता का अनाधिकृत कब्जा हटाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं, तहसीलदार दांतारामगढ़ के विरुद्ध जिलाधीश, सीकर के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं, कोई नाजायज कुर्की किसी ग्राम में नहीं की गई है।

(4) जी हां, यह सही है कि नाजायज कब्जा हटाने के आदेश हो चुके हैं परन्तु कब्जा अभी तक नहीं हटाया गया है। कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम डांसरोली, कांकरा मंढा सुरेरा व नौसाल का भ्रमण विवरण माह सितम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 तक द्वारा श्री महेशचन्द्र शर्मा, तहसीलदार दांतारामगढ़

क्रमांक 1	नाम ग्राम 2	समय 3	कार्य जो वक्त दौरा किया 4
5-9-72	मंढा सुरेरा, कांकरा	10 ए. एम. टू 5-30 पी. एम.	निरीक्षण फसल सं० 2030
11-10-72	मंढा सुरेरा, भारीजा	पूर्ण दिवस	जॉच गस्त गिरदावरी फसल
19-10-72	मंढा सुरेरा, कांकरा	7 ए. एम. टू 11 ए. एम.	रिलीफ कार्य की जाच

1	2	3	4
28-10-72	मंढा सुरेरा व सुरेरा	12 पी. एम. टू 8 पी. एम.	निरीक्षण पटवारी मंढा व सुरेरा पंचायत, मंढा व सुरेरा के राशन कार्ड रजिस्टरों की जांच तथा रजिस्टर फूड ग्रेन डीलरों की जांच व मौके पर केसेज की सुनवाई।
31-10-72	मंढा सुरेरा वाणियों का बास	12 पी. एम. टू 6 पी. एम.	फेमिन कार्य की जांच फेमिन वर्क्स (तलाई मौका)
7-11-72	सुरेरा, भारीजा मंढा सुरेरा	10 ए. एम. टू 5 पी. एम.	फेमिन कार्य की जांच राजस्व मुकद्दमात भू० अ० रिकार्ड की जांच
14-11-72	सुरेरा, मंढा करड़ डांसरोली, कांकरा	12 पी.. एम. टू 8 पी. एम.	फेमिन कार्य की जांच राजस्व मुकद्दमात (भू० अ० रिकार्ड की जांच)
26-11-72	मंढा सुरेरा व सुरेरा	11 ए. एम. टू 7 पी. एम.	फेमिन कार्य की जांच।
10-12-72	कांकरा करड़	10 ए. एम. टू 8 पी. एम.	परिवार नियोजन कार्य व भू० अ० रिकार्ड की जांच।
8-1-73	मंढा वाया पिल्या की ढ़ाणी	12-30 पी. एम. टू 7 पी. एम.	फेमिन कार्य की जांच जिलाधीश महोदय के साथ।
25-1-73	डांसरोली, दांता, गोपीनाथपुरा कुली आदि	2 पी. एम. टू 8 पी. एम.	परिवार नियोजन कार्य
26-1-73	मंढ़ा सुरेरा	पूर्ण दिवस	परिवार नियोजन कार्य
29-1-73	धोलासरी, करड़ कुली कांकरा	11 ए. एम. टू. 7 पी. एम.	परिवार नियोजन कार्य

श्री डूंगरगढ़-बिग्गा के बीच 33 हजार के. वी. लाइन का कार्य

800. श्री लूनाराम (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् विभाग द्वारा गत वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में चूरू जिले के श्री डूंगरगढ़ व बिग्गा के बीच से 33 हजार के. वी. की लाइन को टेपकर रिड़ी की ओर 8 मील ले जाने की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो किस सन् में ?

(2) आज तक इस लाइन का कार्य आरम्भ न करवाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ग्राम सामरिया व ग्राम अलावा की लघु सिंचाई योजना

801. श्री हाजीजान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लघु सिंचाई योजना ग्राम सामरिया, तहसील पिड़ावा व ग्राम अलावा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ का काम क्यों पूरा नहीं किया गया ?

(2) उक्त दोनों योजनाओं में कितनी-कितनी रकम, खर्च की जा चुकी है व कितने बजट का प्रावधान था तथा कितने का काम किया गया है ?

(3) क्या उक्त योजनाओं का काम चालू वर्ष में पूरा करने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विशेष कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) धन अभाव के कारण कार्य पूरे नहीं कराये जा सके ।

(2) इन योजनाओं पर अब तक हुआ व्यय इस प्रकार है:—

(1) सामरिया लिफ्ट योजना .... 149574 रु० 71-72 तक खर्च किए गये ।

(2) अलावा लिफ्ट योजना .... 119464 रु० 71-72 तक खर्च किए गए ।

लिफ्ट योजनाओं के लिए प्रावधान योजनावार नहीं किया जाता । वह जिले के लिए लम्पसम आधार पर किया गया था ।

(3) जी नहीं ।

भूमि विकास बैंक, सवाई माधोपुर द्वारा सिंचाई इंजिन लगाने के लिये दी गई धनराशि

802. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, सवाई माधोपुर ने ग्राम खिरनी (तहसील बौंली) के श्री हरदेव रैगर, श्री रामनिवास माली, श्री भोला मीणा, श्री देवकिशन, श्री भोंरिया गूजर तथा श्री रामनारायण को बिजली की मोटर (सिंचाई इंजिन) लगाने हेतु ऋण के रूप में तीन-तीन हजार रुपये स्वीकार किये थे ?

(2) क्या यह भी सच है कि बैंक कर्मचारियों ने बिना मोटर लगाये तथा उसके यंत्र मोटर व्यापारी से पूर्ति कराये झूठे प्रमाण-पत्रों के आधार पर रिकार्ड में धनराशि का भुगतान कर दिया था जब कि वास्तव में सम्बन्धित व्यक्तियों के मोटर नहीं लगी थी और उन्हें ऋण की किस्त एवं ब्याज का नोटिस दे दिया गया था ?

(3) क्या यह भी सच है कि बैंक के भूमि मूल्यांकन अधिकारी, सुपरवाईजर तथा शाखा सचिव, बौंली ने मिलकर इस धनराशि का दुरुपयोग किया है और इसकी मौके पर जांच हो चुकी है ?

(4) क्या यह भी सच है कि मौके की जांच में बैंक कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें निलम्बित कर जांच पूर्ण करने की सोच रही है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक निलम्बित कर दिया जावेगा और कब तक जांच पूर्ण हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया गया था, जांच हो चुकी है ।

(4) जी हां, जांच हो चुकी है । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

बारां शाहबाद सड़क

803. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां से शाहबाद जाने वाली सड़क पर मील नबर 49 व 50 की मरम्मत पिछले 8 वर्षों से नहीं कराई गई है ?

Page No 173

(श्री शिवनारायण)

(2) क्या यह भी सही है कि 2 वर्ष पूर्व इसको ठीक कराने हेतु ठेका भी दे दिया गया था ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त काम बाद में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो इस सड़क को ठीक करवाने का सरकार कब तक का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) साधारण मरम्मत उपलब्ध धनराशि के अनुसार प्रति वर्ष की जाती है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

ठेका दे दिया गया है।

परिशिष्ट—9

(तारांकित प्रश्न संख्या 777 की सूची)

खण्डा, गिट्टी, बोल्डर खनन पट्टों की सूची, तहसील बयाना व रूपवास

क्रमांक	नाम पट्टाधारी	खनिज क्षेत्र का स्थान	खनिज का नाम	डेडरेन्ट	अवधि	सीमांकन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री गौतमसिंह, तहसील रूपवास	ग्राम इब्राहिमपुर, त० रूपवास	खण्डा, गिट्टी, बोल्डर	105.00	27-1-71 से 26-1-76	क्षेत्र राजस्व सीमा से दिये जाने के कारण सीमांकन नहीं किया गया है	
2.	श्री ओमप्रकाश गोयल, रूपवास	पाटोली, त० रूपवास	,,	3111.00	26-3-71 से 25-3-76	,,	
3.	श्री कस्तूरचन्द जैन, बयाना	मरक्की 100×50 फुट के प्लॉट को छोड़ कर तहसील बयाना	,,	200.00	25-11-60 से 24-11-63	,,	प्रथम नवीनीकरण
				400.00	25-11-63 से 24-11-66	,,	द्वितीय नवीनीकरण
				600.00	25-11-66 से 24-11-69	,,	तृतीय नवीनीकरण
				800.00	25-11-69 से 24-11-72	,,	चतुर्थ नवीनीकरण
				1000.00	25-11-72 से 24-11-75	,,	

4. श्री कस्तूरचन्द जैन, बयाना	मुरक्की 100×50 फुट का एक प्लॉट, त० बयाना	,,	75.00	25-11-63 से 24-11-66	,,	
			150.00	25-11-66 से 24-11-69	,,	प्रथम नवीनीकरण
			225.00	25-11-69 से 24-11-72	,,	द्वितीय नवीनीकरण
			300.00	25-11-72 से 24-11-75	,,	तृतीय नवीनीकरण
5. श्री जीतसिंह, इब्राहिमपुर	खान खेरिया, रूपवास	,,	4550.00	20-5-71 से 19-5-76	,,	
6. श्री सुरेशचन्द्र पुत्र फूलचन्द जैन, बयाना	गाजीपुर, बयाना	,,	350.00	28-5-71 से 27-5-76	,,	
7. श्री श्यामसुन्दर वैश्य, बयाना	लोटवाड़ा, बयाना	,,	3210.00	28-5-71 से 27-5-76	,,	
8. श्री रामस्वरूप अग्रवाल, बयाना	सि.सा. प्लॉट नं० 1, बयाना 1000×450 फुट	,,	2860.00	28-5-71 से 27-5-76	सीमांकन कर प्लॉट बनाया गया है	
9. श्री कल्याणप्रसाद, बयाना	डुमरिया, त० बयाना	,,	550.00	30-4-71 से 29-4-76	क्षेत्र राजस्व सीमा से दिये जाने के कारण सीमांकन नहीं किया गया	
10. श्री गोपालचन्द सिंघल, भरतपुर	कान्होली, त० रूपवास,	,,	3410.00	8-6-71 से 7-6-76	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	सर्वश्री राजस्थान उद्योग संघ, बयाना	कस्बा बयाना मय कुन्डा हील, बयाना	खण्ड, गिट्टी, बोल्डर	1600.00	31-7-61 से 30-7-66	क्षेत्र राजस्व सीमा से दिये जाने के कारण सीमांकन नहीं किया गया है	
				3200.00	31-7-66 से 30-7-71		प्रथम नवीनीकरण
				4000.00	31-7-71 से 30-7-76		द्वितीय नवीनीकरण
12.	,,	कोटा पट्टी, त०, बयाना	,,	2025.00	15-1-66 से 14-1-71	,,	प्रथम नवीनीकरण
				3038.00	15-1-71 से 14-1-76	,,	
13.	,,	दमदमा, त० बयाना	,,	130.00	19-12-58 से 18-12-63	,,	प्रथम नवीनीकरण
				260.00	19-12-63 से 18-12-68	,,	द्वितीय नवीनीकरण
				390.00	19-12-68 से 18-12-73	,,	
14.	,,	बन्द बारेठा, त० बयाना	,,	270.00	19-12-58 से 18-12-63	,,	प्रथम नवीनीकरण
				486.00	19-12-63 से 18-12-68	,,	द्वितीय नवीनीकरण
				810.00	19-12-68 से 18-12-73	,,	
15.	श्री श्यामसुन्दर वैद्य, बयाना	भगावाला, त० बयाना	,,	355.00	29-5-67 से 28-5-72	,,	प्रथम नवीनीकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।
16.	श्री द्वारकाप्रसाद, बयाना	जरखोर, त० बयाना	,,	1230.00	13-2-69 से 12-2-74	,,	

17. श्री भगवतप्रसाद, बयाना (भगोरी)	भगोरी, त० बयाना	,,	2008.00	18-2-69 से 17-2-74	,,
18. श्री हरिशंकर ठे०, पाईबाग, भरतपुर	सेवला वरेठा, त० बयाना	,,	255.00	20-1-70 से 19-1-75	,,
19. श्री फूलचन्द द्वारका-प्रसाद, बयाना	सि० सा० प्लाट नं० 2 1000×450 फुट, बयाना	,,	5500.00	4-2-70 से 3-2-75	सीमांकन कर प्लाट बनाये गये
20. श्री श्यामसुन्दर वैश्य	सि० सा० प्लाट नं० 6 1000×450 फुट, बयाना	,,	2120.00	1-10-70 से 30-9-76	,,
21. श्री ओमप्रकाश, बयाना	खोरा त० बयाना	,	135.00	29-3-71 से 28-3-76	क्षेत्र राजस्व सीमा से दिये जाने के कारण सीमांकन नहीं किया गया है
22. श्री देवीप्रसाद, भरतपुर	वाजोली, त० बयाना	,,	525.00	21-9-72 से 20-9-77	,,
23. श्री नानगा, ग्राम चेकोरा, रूपवास	चेकोरा, रूपवास	,,	155.00	15-9-72 से 14-9-77	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	श्री स्नेहीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद, रूपवास	भोडल नदी, रूपवास	खण्डा, गिट्टी, बोल्डर	600.00	16-11-72 से 15-11-77	क्षेत्र राजस्व सीमा से दिये जाने के कारण सीमांकन नहीं किया गया है।	
25.	श्री बाबूलाल शर्मा, रूपवास	कस्बा रूपवास	,,	115.00	16-11-72 से 15-11-77	,,	
26.	श्री गोपालराम, रूपवास	वाकोनी, रूपवास	,,	5500.00	1-3-73 से 26-2-77	,,	

परिशिष्ट–10

(तारांकित प्रश्न संख्या 785 की सूची)

सूची भूमि विकास बैंक लि०, ब्यावर

क्रमांक	वर्ष	सदस्य संख्या	राशि
1.	1928	21	4126
2.	1928–29	42	10215
3.	29–30	34	8597
4.	30–31	28	6130
5.	31–32	1	100
6.	32–33	3	342
7.	33–34	7	1550
8.	34–35	9	1230
9.	35–36	4	135
10.	36–37	2	75
11.	37–38	2	400
12.	38–39	7	230
13.	39–40	1	40
14.	60–61	35	73600
15.	61–62	17	34500
16.	62–63	17	36890
17.	63–64	16	25650
18.	64–65	57	133540
19.	65–66	36	86905
20.	66–67	36	135780
21.	67–68	27	69150
22.	68–69	55	156450
23.	69–70	5	33400
24.	70–71	11	20275
25.	71–72	4	16500

सूची अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, अजमेर

संख्या	वर्ष	सदस्य संख्या	राशि
–	8-6-24 से 59-60	263	57411-74
6	60-61	21	38750-00
3	61-62	54	90770-00
4	62-63	59	866290-00
1	63-64	28	36500-00
4	64-65	48	84750-00
9	65-66	52	88200-00
10	66-67	30	79085-00
29	67-68	59	182900-00
4	68-69	19	93600-00
10	69-70	37	213950-00
8	70-71	25	188600-00
3	71-72	8	48250-00
–	21-12-72	1	4000-00
91			1242696-00

सूची केकड़ी सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, केकड़ी

क्रमांक	वर्ष	सदस्य संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	57-58	10	7175-00
2.	58-59	8	5600-00
3.	59-60	—	—
4.	60-61	28	41850-00
5.	61-62	22	37786-00

1	2	3	4
6.	62-63	24	52986-00
7.	63-64	7	9520-00
8.	64-65	26	66100-00
9.	65-66	93	202320-00
10.	66-67	88	222140-00
11.	67-68	88	267395-00
12.	68-69	123	404150-00
13.	69-70	145	509473-00
14.	70-71	191	624037-00
15.	71-72	57	256456-00

————

Page No 182

परिशिष्ट—11

(तारांकित प्रश्न संख्या 788 की सूची)

LIST

Stage Carriages :—

1. 'A' Class Route

(a) Ordinary Service

(i) For first 250 K.M.	3.5 paisa per K. M. per passenger.
(ii) Beyond 250 K.M.	3 paisa per K. M. per passenger.

(b) Express Mail

(i) For first 250 K.M.	4 paisa per K. M. per passenger.
(ii) Beyond 250 K.M.	3 paisa per K. M. per passenger.

2. 'B' Class Route	4 paisa per K. M. per passenger.
3. 'C' Class Route	5 paisa per K. M. per passenger.

Explanation No. 1 —These rates shall be the maximum rates subject to the condition that the minimum fare chargeable shall be 40 paisa upto 10 K.M.

Explanation No. 2 —"Express Service" means a service that does not stop at any place before running at least 40 Kms. except at stops specially permitted by the Regional Transport Authority or the State Transport Authority as the cases may be. Express Buses shall be fitted with Dunlop Rubber Seats.

———

परिशिष्ट—12

(प्र. सा. प्र. सं. 425 की सूची)

List of the Villages included in the R. E. C. Scheme of Panchayat Samiti Bakani, District Jhalawar

S. No	Name of the Village	Date of electrification
1	2	3
1.	Keralgaon	
2.	Garwara	
3.	Morukheri	
4.	Koli	
5.	Kheriya	
6.	Sanwalpura	
7.	Ratlai	
8.	Gopalpura	
9.	Deodungari	
10.	Dudhalya	
11.	Chardungari	
12.	Rajpura	
13.	Peeplya Nagga	
14.	Banskheri	
15.	Deonagar	
16.	Khachrod	
17.	Motipura	
18.	Bhumdra	
19.	Kotraghata	
20.	Maheshpura	
21.	Surajpura	
22.	Nanor	
23.	Lodakhera	
24.	Damakpura (Kishoripura)	
25.	Moyakheri	
26.	Neukheri	
27.	Baday	
28.	Kotra Radi	
29.	Barkhera Kalan	
30.	Barkhera Khurd	
31.	Amjhar Khurd	
32.	Kankriya	
33.	Rampuriya	
34.	Modi	
35.	Kushalpura	
36.	Borkheri (J)	
37.	Agariya	
38.	Daulatpura	
39.	Nrisinghpura	
40.	Amarpura	
41.	Umariya	
42.	Soori	
43.	Narainpura (Kherdanta)	
44.	Rankra	
45.	Panchankheri	
46.	Baheri Khurd	
47.	Baheri Kalan	

1	2	3	1	2	3
48.	Bindkhera		65.	Jeetapura	
49.	Padlya		66.	Soori	
50.	Patri Khera		67.	Kotara	
51.	Bhalta		68.	Gadagaon	
52.	Punyakheri		69.	Napanya Gujaran	
53.	Molkya Khurd		70.	Koli	
54.	Molkya Kalan		71.	Dewar	
55.	Shivpura		72.	Kishanpura	
56.	Napanya Dalla		73.	Bhanpura	
57.	Ratya Doongari		74.	Dinyakheri	
58.	Brahmpura		75.	Rajpura	
59.	Jagpura		76.	Parlya	
60.	Khatkar		77.	Barkheri	
61.	Ummedpura		78.	Jhoomki	
62.	Motipura		79.	Bagwara	
63.	Reejon		80.	Ramniwas	
64	Lalya Kheri				

Villages—80

Wells—1340

Cost—55.404 Lacs.

परिशिष्ट –13

(अ. ता. प्र. सं. 428 की सूची)

सन् 1967 से 72 तक अधिकारियों की एक से ज्यादा
फियेट कार अलॉट हुई की सूची

1. श्री आनन्द मोहनलाल, सचिव, मुख्य मंत्री
2. श्री गोपीनाथ गुप्ता, उप सचिव, राजस्व
3. श्री ब्रिजेन्द्रसिंह, निदेशक, राजस्थान स्टेट लोटरी, जयपुर
4. श्री सी० बी० भार्गव, जज, राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर
5. श्री जी० सी० कासलीवाल, एडवोकेट जनरल, जयपुर
6. डॉ० गौरीशंकर शर्मा, प्रोफेसर, चेस्ट हॉस्पिटल, जयपुर
7. श्री गोरधनसिंह चौधरी, सदस्य, राजस्व मंडल, अजमेर
8. डॉ० के० पी० खूटेटा, प्रोफेसर, एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर
9. श्री गोकुललाल मेहता, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, अजमेर
10. श्री नन्दन भार्गव, वन परियोजना अधिकारी, कोटा
11. श्री पी० एन० सेठ, उप सचिव, गृह
12. डॉ० पी० डी० माथुर, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर
13. श्री वी० पी० त्यागी, जज, राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर
14. श्री कुलवन्तसिंह, ए० जी० राजस्थान, जयपुर
15. श्री के० डी० भार्गव, मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान
16. श्री लहरसिंह मेहता, जज, हाई कोर्ट, जोधपुर
17. श्री मुन्नालाल गोयल, संचालक, लघु उद्योग निगम, जयपुर
18. डॉ० आर० पी० शारदा, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एस. एम. एस. हॉस्पिटल, जयपुर
19. डॉ० एस० आर० मेहता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर
20. श्री एस० एन० मोदी, जज, हाई कोर्ट, जोधपुर

परिशिष्ट–14

(अ० ता० प्र० सं० 431 की सूची)

Name of the Contractor:—Sh. Gumani Ram Agarwal

Name of work:—Constt. of Jaisalmer/Kuri/Maijlar road KM32/0 to 69/0.

S. No.	Items	Rate	Amount Up-to-date
1	2	3	4
1.	Earth work is in cutting or embankment in ordinary soil with lead up to 25 M (80'.0 including dag belling breaking clods laying in 20 cm. layers finishing of formation and grade disposed soil to be levelled	7.00	9661.20
2.	—do— Hard soil.	9.50	260029.20
3.	—do— Hard Soil mix with Kankar gravel etc.	13.50	1291.96
4.	—do— ordinary soil with lead up to 25 m (80') and extra lift 1.5m (5')	8.00	310.00
5.	—do— Hard soil —do—	10.50	2946.62
6.	Removal of blown up sand including making out and disposal of excavated material with lead upto 25M. (80') and lift up to 1.5M (5') disposed to be levelled and dressed	55.00	6114.56

Page No 187

1	2		3	4
7.	Making service of tem. diversion of road including execution spreading of road material *i. e.* gravel, murruam, watering etc, complete including maintaining it properly	(i)	8.00	3528.00
		(ii)	10.00	42486.00
8.	Add extra 3rd lead water for consolidation of metal beyond 10 KM every 5 Km 66, 67, 68, 69 with all leads of 22, 23, 24 KM. from tube well at Kuri		1.80	1616.40
9.	Add 2nd extra lead of water for consolidation of metal beyond 10 KM every 5 km in 61, 62, 63 64 & 65 KM with lead of 16 to 20 KM respectively from tube well Kuri		1.20	2690.40
10.	Add 8th extra lead of water from graval consolidation for berms in KM 36 to 39 with lead of 47 to 50 Km respectively from Dabla tube well		4.80	10182.32
11.	Add 9th extra lead of water -do- in KM 40 to 44 with a lead of 51 to 55 —do—		5.40	8791.20
12.	Add 10th extra lead of water -do- in Km 45 to 49 with a lead of 56 to 60 respectively from -do-		6.00	16134.74

1	2	3	4
13.	Add 11 extra lead of -do- 50. 51, 52, 53, 54 with lead of 61 to 65 Km respectively —do—	6.60	16057.60
14.	Add 12th extra lead of water for gravel consolidation for berms in KM 55 to 59 with lead of 65 to 70 Km respectively from Dabla from Dabla Tube well	7.20	19699.20
15.	Add 13th extra lead of water -do- in Km 60 to 64 with lead of 71 to 75 respectively --do-	7.80	2309.60
16.	Add 14th extra lead of water in KM 65 to 69 with lead of 76 to 80 KM -do-	8.40	20139.84
17.	Supplying & stacking of stone soiling from querry at KM 30 with all leads.		
	(i) In KM 33	8.00	54.08
	(ii) In KM 34	8.60	47.64
18.	Laying and patching of stone soiling to proper camver	1.20	14.76
19.	Consolidation of stone soling with road roller spreading earth rolling watering etc., complete as per specification	2.80	479.89
20.	Add 7th extra lead of water for soling consolidation in KM 38 & 34 with a lead of 44 and 45 KM respectively from Dabla tube well	4.20	719.84

1	2	3	4
21.	Add 7th lead of water for gravel consolidation in KM 33 and 34 with lead of 44 and 45 Km from Dabla tube well	4.20	806.40
22.	Add 8th extra lead of water for gravel consolidation in KM 35 & 36 with lead of 46 and 47 Km -do-	4.80	432.00
23.	Add 10th extra lead of water in KM 45 with lead of 56 KM —do—	6.00	780.00
24.	Add 10th extra lead of metal consolidation beyond 10 KM for every 5 KM in KM 45 with lead of 56 KM from Dabla tube well	6.00	780.00
25.	Add 11th extra lead in metal consolidation in KM 53 and 54 with lead of 64 and 65 KM -do-	6.00	5913.60

परिशिष्ट—15

(अ. ता. प्र. सं. 435 की सूची)

तालिका 'म'

क्र. सं. 1	व्यक्ति का नाम 2	राशि 3
	1967–68	
1.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री	181.00
2.	श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मन्त्री	11.00
3.	श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्य मन्त्री	6.4
	1968–69	
1.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं परिवार, मुख्य मन्त्री	150.37
2.	श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्य मन्त्री	154.91
3.	श्री मुन्नालाल गोयल, निदेशक, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज	58.86
		364.14
	1969–70	
1.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं परिवार, मुख्य मन्त्री	1756.17
2.	श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्य मन्त्री	325.41
		2081.58
	1970–71	
1.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं परिवार, मुख्य मन्त्री	142.97
2.	श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मन्त्री	51.15
3.	श्री बरकतुल्ला खां	537.73
		730.95

1	2	3
	1971-72	
1.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं परिवार. मुख्य मन्त्री	1032.82
2.	श्री मथुरादास माथुर, वित्त मन्त्री	233.97
3.	श्री रामकिशोर व्यास, स्वास्थ्य मन्त्री	1255.76
4.	श्री बरकतुल्ला खां	1442.18
5.	श्री रमाकान्त व्यास	426.15
6.	श्री मुन्नालाल गोयल	114.25
		4505.13
	1972-73 (6-2-73 तक)	
1.	श्री बरकतुल्ला खां	3690.00
2.	श्री रामकिशोर व्यास	2730.62
3.	श्री मुन्नालाल गोयल	154.50

परिशिष्ट—16

(ग्र. ता. प्र. सं. 437 की सूची)

खर्चे की सूची

क्रमांक	काम का नाम	रकम
1	2	3
1.	खानवा बांध के घोरे भरने के लिये	1172.00
2.	पत्थर की सप्लाई के लिये	480.00
3.	खानवा बांध के वेस्ट वियर पर मिट्टी का काम	720.00
4.	रूपवास सेक्शन के बांधों की देखभाल के लिये	860.00
5.	कट्टों का बिल	1200.00
6.	रूडावल ग्रौर घाटा साइड के बांधों की देख-रेख के लिये लेबर का भुगतान	927.00
7.	ग्रोनडेल नहर को ठीक कराने के लिये लेबर का भुगतान	654.00
8.	खानवा वेस्ट वियर के बचाव के लिये मिट्टी का काम	546.00
9.	जिन्दपुरा बन्दली पर जून, 72 में मिट्टी का काम	894.00
10.	सिघरावली साइड के बांधों की देख-रेख के लिये लेबर का भुगतान	741.00
11.	रूपवास सैक्शन में सरकारी सामान की देख-रेख के लिये लेबर का भुगतान	436.00
12.	मेरथा प्रोटेक्शन बांध की देख-रेख ग्रौर बचाव के लिये लेबर का भुगतान	1073.00
13.	कटाव वाले भाग के बचाव के लिये लेबर को जुलाई, 72 का भुगतान	1114. 00
14.	डोरडा बांध, बोकोली बांध व घाटा बंदली की देख-भाल के के लिये लेबर को भुगतान	172.00

1	2	3
15.	वर्क चार्ज कर्मचारियों का अगस्त, 72 का वेतन	963.25
16.	खेरली, सज्जनवास, समाथ बंध कॉलोनी अपर एवं लोवर बंध की सुरक्षा एवं देखभाल के लिये	1760.00
17.	चैकोरा बंध की वेस्ट वियर सुनाधी बंध और खानसुरजापुर बंध, सिघरावली बंध, समेधा बंध, आदि की सुरक्षा एवं देखभाल करने हेतु	1752.00
18.	खानुवा के कटाव को रोकने के लिये	92.00
19.	घाटा बांध के लिये बोल्डर सप्लाई	210.30
20.	खानुवा बांध के कटाव वाले भाग की सुरक्षा के लिये अगस्त, 72 का भुगतान	508.00
21.	खानुवा वेस्ट वियर व खानुवा प्रोटेक्शन बदली की देख-रेख के लिये (बलदार व गेज रीडर)	631.00
22.	रूपवास सैक्शन में सरकारी माल की देखभाल व खानुवा बांध और वाकोलो नहर पर धोरे भरने का अगस्त, 72 का भुगतान	496.00
23.	महलपुर, काछी वगरी, लाखनपुर समाधी लोवर भाकर के दूर बंध खानुवा ओवर अपर इब्राहिमपुर बंध, चिकोरा कैनाल की सुरक्षा एवं देखभाल के लिये	1619.00
24.	कस्बा रूपवास, कुन्दनवाड़ा बंध, वोकोली बंध, दोरदा बंध, कोदाली, महलपुर काछी, दोरदा, दाहिनी कैनाल, घाटीली कैनाल, ओडेल कैनाल आदि की सुरक्षा एवं देखभाल के लिये	1483.00
25.	वोकोली कैनाल, वोकोली बंध, घाटा कैनाल व दोरदा बंध की सुरक्षा व देखभाल के लिये	1484.00
26.	मेरथा गाइड बंध की देखभाल के लिये अगस्त, 72 का भुगतान	584.00
	कुल योग ...	22571.55

टिप्पणीः—कुछ धनराशि अधिदर्शक के पास पिछले महीने से बची हुई थी।

भरतपुर को बाढ़ से बचाने हेतु खर्च की गई राशि का विवरण

1. भरतपुर शहर के बचाव के लिये किये गये काम पर व्यय:—

(1)	खाली सीमेन्ट के कट्टे	47469.00
(2)	बल्ली	2821.00
(3)	बांस	2821.00
(4)	मजदूर	44976.00
(5)	विविध व्यय	12096.00
	योग....	110183.00

2. नदवई कस्बे के बचाव के लिये किया गया काम 1232.00

कुल योग.... 111415.00

परिशिष्ट—17
(ग्र. ता. प्र. सं. 441 की सूची)

सूची 25 वर्गमील वाले क्षेत्र से अधिक ग्रामों की तहसीलवार, जिला बाड़मेर

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्षेत्रफल वर्गमिलों में	जन संख्या वर्ष 1971 के अनुसार	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	पचपदरा	जसोल	35.01	4917	
2.	,,	दुधवा	35.07	1492	
3.	,,	बागवास	29.06	1700	
4.	,,	पाटोदी	49.02	9450	
5.	,,	शोब	30.00	1743	
6.	,,	कोरना	29.03	2053	
7.	शिव	बलाई	33	612	
8.	,,	निम्बला	26	808	
9.	,,	नागडदा	54	447	
10.	,,	साजीतड़ा	29	307	
11.	,,	घासी खुर्द	37	573	
12.	,,	घासी कलां	29	803	
13.	,,	अण्डू	51	2796	
14.	,,	कानासर	33	1433	
15.	,,	काश्मिर	42	1965	
16.	,,	भीयाड	73	2540	
17.	,,	मोसाव कलां	30	677	
18.	,,	मचकसी	35	242	
19.	,,	उमखेड़	25	688	
20.	,,	भारग	36	942	
21.	,,	चोचरा	31	912	
22.	,,	जैसीधर	143	3447	
23.	,,	डावड	52	345	
24.	,,	बन्धडा	41	703	
25.	,,	सुन्दरा	519	2197	
26.	,,	शिव	37	1905	
27.	,,	गूंगा	28	1437	

1	2	3	4	5	6
28.	शिव	पड़वा	28	615	
29.	,,	इस्सापी	155	4461	
30.	,,	झुणोरिया	47	1015	
31.	,,	कोटड़ा	101	2657	
32.	,,	बालेबा	36	686	
33.	,,	रेडावा	41	1101	
34.	,,	गिराब	157	2197	
35.	,,	मेदूसर	124	2934	
36.	,,	तामलार	38	726	
37.	,,	बाडासर	31	653	
38.	सिवाना	पादरू	40	5546	
39.	,,	कुण्डल	45	1729	
40.	चोहटन	तासतरा	44	3048	
41.	,,	भेतराड	39	3638	
42.	,,	विसाविया	61	3707	
43.	,,	भालमसर	29	2316	
44.	,,	वाखासर	26	2375	
45.	,,	धमाऊ	31	2867	
46.	,,	देदूसर	30	1536	
47.	,,	चौहटन	31	4475	
48.	,,	लीलसर	29	2972	
49.	,,	बिजराज	38	2333	
50.	,,	धारासर	27	2062	
51.	,,	बावड़ी कलां	25	1628	
52.	बाड़मेर	बाड़मेर	44	—	
53.	,,	शिवकर	26	2311	
54.	,,	बादरा	53	2914	
55.	,,	महाबार	62	4623	
56.	,,	भाडसा	44	3262	
57.	,,	बूठिया	27	838	
58.	,,	सहीन	37	2155	
59.	,,	सेताराऊ	26	1104	
60.	,,	बिसाल	46	2979	
61.	,,	नोद	39	1297	

Page No 197

1	2	3	4	5	6
62.	बाड़मेर	जूमापतरासर	29	1055	
63.	,,	बाबत पंडी	20	2403	
64.	,,	बाबत भोंपसी	26	3750	
65.	,,	कोल	30	2349	
66.	,,	अकदेडा	35	2472	
67.	,,	कानोड़	28	1902	
68.	,,	जाजया	31	1611	
69.	,,	पाक	34	1751	
70.	,,	बाराड्ड	66	5178	
71.	,,	चोखला	34	2041	
72.	,,	भूरटीया	29	2740	
73.	,,	रावतसर	43	4264	
74.	,,	चवा	35	3522	
75.	,,	खोड्ड	47	3999	
76.	,,	नोखडा	30	2510	
77.	,,	सन्तवाडा	35	2956	
78.	,,	आडेल	33	3144	
79.	,,	सरली	35	3223	
80.	,,	भूसावजतसिंह	29	1643	
81.	,,	दाखा	32	2185	
82.	,,	सडा	28	1727	
83.	,,	गुडा	51	4731	
84.	,,	नगर	35	2887	
85.	,,	घोरीमन्ना	27	3690	
86.	,,	दूधू	26	2778	
87.	,,	रतेऊ	51	2339	
88.	,,	सेखर	45	3143	
89.	,,	सवाऊ पदमसिंह	45	3356	
90.	,,	परेड्ड	27	2302	

परिशिष्ट–18

(अ० ता० प्र० सं० 445 की सूची)

सूची

ग्राम गणेशपुरा में निम्न व्यक्तियों को सन् 70-71 में भूमि आवंटन की गई थी:—

1. श्री देवा बलाई
2. श्री गणेश बलाई
3. श्री लादू नीलगर
4. श्री चांदू पुत्र भूरा चमार
5. श्री मोहन पुत्र प्रताप चमार
6. श्री हजारी भील तथा अन्य 10 को

परिशिष्ट–19

(अतारांकित प्रश्न संख्या से 457 की सूची)

मै० बीकानेर जिप्सम कम्पनी से पिट्स माउथ पर लिये गये खनिज पर ग्राइन्डिग तथा ट्रान्सपोर्टेशन पर खर्च राशि का ब्योरा

क्रमांक	वर्ष	ग्राइन्डिग का खर्च (रुपयों में)	ट्रान्सपोर्टेशन का खर्च रुपयों में	विशेष विवरण
1.	1970-71		(अ) 36,85,155.68	मैसर्स आर्यावर्त निर्माण लि० को ग्राइन्डिग एवं ट्रान्सपोर्टेशन का सम्मिलित भुगतान।
			(ब) 1,52,568.34	मैसर्स भारत डोलर्स लि० को ग्राइन्डिग एवं ट्रान्सपोर्टेशन का सम्मिलित भुगतान।
			योग:—33,37,724.62	
2.	1971-72		11,59,974.41	—एजन—
3.	1972-73	(अ) —	6,83,760.33	—एजन—
	(15 मार्च, 1973 तक)	(ब) 2,36,129.07	–	मैसर्स धरती धन प्रा० लि० को ग्राइन्डिग का भुगतान
		(स) —	1,60,123.66	मैसर्स महावीर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को ट्रान्सपोर्टेशन के लिये किया गया भुगतान
			योग:—10,80,713.06	

नोट:—ग्राइडिंग तथा ट्रान्सपोर्टेशन पर विभिन्न समयों में प्रति टन जितना खर्च हुआ है, उसका उल्लेख प्रश्न खण्ड चार के उत्तर में उल्लेखित कर दिया गया है।

परिशिष्ट- 20

(अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 458 की सूची)

विभागीय स्तर पर रॉक फोस्फेट का खनन किया गया जिसको सूची

क्रम संख्या	महीना एवं वर्ष	कुल मैट्रिक टन
	"डी" ब्लोक	
1.	मई, 1969	2257.357
2.	जून, 1969	3432.690
3.	जुलाई, 1969	9177.305
4.	अगस्त, 1969	3437.175
5.	सितम्बर, 1969	10582.350
6.	अक्तूबर, 1969	6629.025
7.	नवम्बर, 1969	8211.080
8.	दिसम्बर, 1969	9056.495
9.	जनवरी, 1970	10232.350
10.	फरवरी, 1970	8136.915
11.	मार्च, 1970	7366.900
	कुल योग....	78522.642
1.	अप्रेल, 1970	5803.845
2.	मई, 1970	1166.335
	योग	7470.180
	"बी" ब्लोक	
1.	सितम्बर, 1972	1259.740
2.	अक्तूबर, 1972	3129.360
3.	नवम्बर, 1972	3128.100
4.	दिसम्बर, 1972	1607.750
5.	जनवरी, 1973	510.790
	कुल योग....	9635.640

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 1973

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
9.	नीचे से 5	कितनी	कितने
14.	ऊपर से 2	इससे	से
21.	ऊपर से 2	यह	या
43.	ऊपर से 4	उसे	उससे
113.	ऊपर से 4	बेच	बैंच
117.	ऊपर से 5	तोसावड़	(तोसावड़ा)
120.	ऊपर से 8	चाहते	चाहते हैं
126.	ऊपर से 9	नजीता	नतीजा
139.	नीचे से 7	हरिदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
155.	नीचे से 4	या	दिया
155.	नीचे से 2	गुमानलल	गुमानमल
156.	ऊपर से 12	मूलचन्र	मूलचन्द
162.	नीचे से 2	ढंक	ढक
167.	ऊपर से 18	कनाडा	कडाणा
174.	ऊपर से 9	गुलरात	गुजरात
178.	ऊपर से 15	सरवाइवन्ट	सरवाइवल
178.	ऊपर से 15	वैल्यू-	वैल्यू हो
178.	ऊपर से 16	सैल्फसफीशियेल	सैल्फसफीशियेन्ट
180.	ऊपर से 17	मेरे	मेरा
182.	ऊपर से 15	प्लोज	प्लीज
185.	ऊपर से 4	मैं	से
187.	नीचे से 12	मा	माननीय

1	2	3	4
188.	ऊपर से 12	किया	किया था
190.	नीचे से 10	बाकया	वाकया
196.	नीचे गे 2	48	488
201.	ऊपर से 6	हुई	हुआ
202.	ऊपर से 12	Steel fram	Steel frame
214.	नीचे से 1	उसाक	उसका
227.	नीचे से 2	विभाजन 2	विभाजन
243.	ऊपर से 11	अकाला	अकाल
285.	नीचे से 16	दिया	देखा
287.	नीचे से 13	बीच	बीज
289.	नीचे से 2	अन्जान	अनुभव
290.	नीचे से 12	अकछे	अच्छे
300.	ऊपर से 2	जब	तब
319.	नीचे से 12	तरतकालीन	तत्कालीन
326.	नीचे से 3	मरक्की	मुरक्की
337.	ऊपर से 4	का	की